लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

11.11.92

[खंड 15 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 57, शुक्रवार, 12 मई, 1978/22 वैशाख, 1900 (शक)

No. 57, *Friday, May* 12, 1978 / *Vaisakha* 22, 1900 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1089 से 1092, 1094 और 1095	*Starred Questions Nos. 1089 to 1092, 1094 and 1095	1–20
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 9	Short Notice Question No. 9	20–25
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 1093 और 1096 से 1108	Starred Questions Nos. 1093 and 1096 to 1108	25-37
अतारांकित प्रश्न संख्या 10135 से 10161 और 10163 से 10334	Unstarred Questions No. 10135 to 10161 and 10163 to 10334.	37–186
दिनांक 28-4-1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8559 का शुद्ध करनेवाला विवरण	Correcting Statement to USQ No. 8559 dt. 28-4-1978	186
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table	187–191
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखा गया और 19वां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया	Minutes laid and Nineteenth Report adopted.	191
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	191–192
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति—	Committee on Papers laid on the Table—	
7वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Seventh Report—presented	192

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—154 LSS/ND/78

विषय	Subject	पृष्ठ/ PAGE
उड़ीसा को भाटडा जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने के बारे में याचिका	Petition *re.* Inclusion of Bhatara Tribe in the list of Scheduled Tribes of Orissa	192
सामान्य बिमा क्षेत्र के कर्मचारीयों की सेवा शर्तों के बारे में याचिका	Petition *re.* Service Conditions of General Insurance Field Workers	193
बम्बई रेलवे उपनगरिय दैनिक यात्रियों की कठिनाईयों के बारे में याचिका	Petition *re.* Hardships of Bombay Railway Suburban Commuters	193
लोकपाल विधेयक—	Lokpal Bill—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के लिए समय का बढाया जाना	Extension of Time for presentation of Report of Joint Committee	195–197
सभा के कार्य के बारे में	*Re.* Business of the House	197–202
अलीगढ़ मुस्लीम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Aligarh Muslim University (Amendment) Bill—Introduced	202
संघ राज्य क्षेत्र (हिन्दी तथा अन्य भाषाओं का प्रयोग) विधेयक—	Union Territories (Use of Hindi and other Languages) Bill—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव—	Motion to introduce—	
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal	202–204
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	203
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	203
राघवेलु मोहनरंगम	Shri Ragavalu Mohanarangam	203
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन)—पुरःस्थापित	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill—Introduced.	204
मानसिक स्वास्थ्य विधयक—पुरःस्थापित	Mental Health Bill—Introduced	205
भूमिगत रेल (संकर्ण निर्माण) विधेयक— पुरःस्थापित	Metro Railways (Construction of works) Bill—Introduced.	205
नियम 377 के अधीन मामले	Matter under Rule 377—	
(1) बिहार मे शिक्षा संस्थाओं के बंद होने का समाचार—	(i) Reported Closure of educational institutions in Bihar—	
डॉ० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	205–206

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
(2) मेघालय में शीलावाटा कोयला खान के बंद होने का समाचार—	(ii) Reported Closure of Sheelvata Colliery, Meghalaya—	
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty	206
(3) सरकारी उपक्रमों में तनाव पूर्ण स्थिति के समाचार	(iii) Reported uneasy situation in Public Sector undertakings—	
श्री तुलसीदास दासप्पा	Shri Tulsidas Dasappa	206
(4) रेसिन का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता—	(iv) Need for augmenting production of Resin—	
श्री के० टी० कोसलराम	Shri K. T. Kosalram	206-207
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक—	Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री तेज प्रताप सिंह	Shri Tej Pratap Singh	207
श्री बी० पी० मंडल	Shri B. P. Mandal	208
श्री नरेन्द्र पी० नतवाणी	Shri Narendra P. Nathwani	208
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolution—	
श्री विनोदभाई बी० शेठ	Shri Vinodbhai B. Sheth	208
विधान परिषदों को समाप्त करने के बारे में संकल्प—	Resolution *Re.* Abolition of Legislative Councils—	
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	209
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O. V. Alagesan	209-210
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	210-211
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	211-212
श्री हुकुमदेव नारायण यादव	Shri Hukmdeo Narain Yadav	212-213
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	213-214
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	214-215
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	215-216
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	217
श्री के० राममूर्ति	Shri K. Ramamurthy	217-218

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
श्री युवराज	Shri Yuvraj	218
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	218–219
श्री० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	219
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	220
श्री बी० पी मण्डल	Shri B. P. Mandal	220–221
श्री वेदव्रत बरूआ	Shri Bedabrata Barua	221
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	221
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan	221–222
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	
सिंथैस्टीक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली द्वारा राजनैतिक दलों को दिये गये विज्ञापन—	Advertisement given to political parties by Synthetics and Chemicals Limited, Bareilly—	
श्री सुरेन्द्र विक्रम	Shri Surendra Bikram	222–223
डॉ० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	223
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	223
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	223–224
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan	224–226

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 12 मई, 1978/22 वैशाख, 1900 (शक)

Friday, May 12, 1978/Vaisakha 22, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्न संख्या 1089 और 1090 दोनों को एक साथ लेता हूं क्यों की दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दोनो का स्वरूप भिन्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा

Shri Hukam Chand Kachwai : Kindly allow me two supplementaries.

अध्यक्ष महोदय : आप वापस आ गये हैं।

श्री के० लकप्पा : इन दोनों प्रश्नों के अतिरिक्त एक एसा ही प्रश्न और भी है । उसे भी इन्हीं के साथ लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : फिलहाल दो ही ठीक है ।

श्री के० लकप्पा : वह प्रश्न भी इसी विषय पर है ।

अध्यक्ष महोदय : फिलहाल दो ही काफी है ।

2—154 LSS/ND/78

बैंक आफ अमरिका तथा अन्य अमरीकी बैंकों की शाखाएं खोला जाना

*1089. **श्री सौगत राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने बैंक आफ अमेरिका तथा अन्य अमरीकी बैंकों की बड़ी संख्या में नई शाखायें खोलने की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदी हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : आरंभ मे, 8 जून, 1969 की बैंक आफ अमेरिका को नई दिल्ली में एक शाखा खोलने के लिये लायसेंस स्वीकृत किया गया था। बैंक ने अपने लायसेंस की बैधता की अवधि के दौरान यह शाखा नहीं खोली। जून 1977 में इस लायसेंस का पुनः वैधिकरण किया गया तथा बैंक की नई दिल्ली स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय की शाखा में परिर्वातित करने की इजाजत दे दी गयी।

पिछले वर्षों में किसी और अमेरिकन बैंक की भारत में शाखाएं खोलने के लिए लायसेंस नहीं दिये गये हैं।

विदेशी बैंकों की शाखाएं खोला जाना

*1090. **श्री प्रदयुम्न बल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने विदेशी बैंकों को अपनी शाखायें खोलने की अनुमति दी गई है और किन-किन स्थानों पर ;

(ख) उन विदेशी बैंकों के नाम क्या है जिन्हें देश में अपनी नई शाखायें खोलने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य और लाभ पर इसका क्या प्रभाव पडेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : हाल के वर्षों में किसी विदेशी बैंकों को भारत में शाखा खोलने के लिये कोई नया लाइसेंस नहीं जारी किया गया है। अलबत्ता, जून, 1977 में सरकार ने बैंक आफ अमरीका के नयी दिल्ली में शाखा खोलने के लाइसेंस का पुनः वैधिकरण किया था जो कि जून, 1969 में मंजूर किया गया था। विदेशी बैंको की सूची और भारत में उनकी शाखाओं के स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिये गय है।

(ग) बैंक आफ अमरीका की शाखा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभों में कोई विशेष कमी करेगी या उनके कामकाज पर किसी और तरह से असर डालेगी, इसकी आशा नहीं है।

विवरण

बैंक का नाम	दिल्ली/नई दिल्ली के कार्यालयों की संख्या	पत्तन शहरों में कार्यालयों की संख्या						अन्य केन्द्रों में कार्यालयों की संख्या												जोड़
		कलकत्ता	बम्बई	मद्रास	कोचीन	विशाखापट्टनम	तूती कोरिन	अमृतसर	कानपुर	गोआ	हावड़ा	बंगलौर	शिमला	श्रीनगर	हैदराबाद	महाराष्ट्र के मुलुन्द और	ठाणा क्षेत्र	दार्जिलिंग	कोझी कोड (कालीकट)	
ब्रिटेन के बैंक																				
1. मर्कंटाइल बैंक लिमिटेड	2	7	7	1		1					2									20
2. चार्टर्ड बैंक	2	8	6	3	1			1	1	1										24
3. ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड	10	18	11	4	2		1	2	1			1	1	1	1	1	1	1	1	56
4. ब्रिटिश बैंक आॅफ मिडिल ईस्ट			1																	1
अमरिकी बैंक																				
5. सिटी बैंक	1	2	3	2																8
6. अमेरीकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिग कारपोरेशन	1	1	1																	3
7. बैंक आफ अमरीका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग एसोसिएशन		1	1	1																4
जापानी बैंक	1																			
8. बैंक आफ टोकियो लिमिटेड		1	1																	
9. मित्सुई बैंक लिमिटेड .	1	1	1																	3
फ्रांसीसी बैंक																				1
10. बाम्बे नेशिनल दी पेरिस		3	2																	5
नीदरलैंड बैंक																				
11. आल्वजीमेन बैंक नीदरलैंड एन० वी०		1	2																	3
बंगला देश																				
12. सोनाली बैंक		1																		1
कुल जोड़	18	43	36	11	3	1	1	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	129

टिप्पणी : इनमें हबीब बैंक और नैशनल बैंक आफ पाकिस्तान के क्रमशः बम्बई और कलकत्ता स्थित कार्यालय शामिल नहीं हैं। इनका प्रशासन इस अब शत्रु सम्पत्ति अभीरक्षण द्वारा किया जाता है।

श्री सौगत राय : जैसाकि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है भारत में अमरिकी बैंक सहित पहले से ही बहुत से विदेशी बैंक हैं। नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक की 56 शाखायें हैं मर्केन्टाइल बैंक की 20, चार्टर्ड बैंक की 24, नेशनल सिटी बैंक की 8, अमेरिकन एक्सप्रेस की 3 शाखा हैं और बैंक आफ अमरीका की 4 शाखायें अब खोली गयी हैं। ये शाखायें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरा हैं क्योंकि अब भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विदेशों में अपनी शाखायें खोली हैं और हमें आशा है कि आयात तथा निर्यात व्यापार के लिए इन्हीं के माध्यम से विदेशी मुद्रा बदलने का कार्य होगा। इस तथ्य का, कि संख्या कम होते हुये भी नई शाखायें खोली जाती हैं, तात्पर्य यह है कि विदेशी मुद्रा बदलने का कार्य अधिकांश तथा इन विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा ही किया जायेगा। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि आठ वर्ष तक बैंक आफ अमेरिका ने यहां अपनी शाखा खोलना पसंद नहीं किया। मार्च 1977 में जनता सरकार सत्तारूढ हुई। जून 1977 में बैंक आफ अमेरिका को भारत की राजधानी नई दिल्ली में शाखा खोलने की अनुमति दी गई। सरकार के पास शाखाएं खोलने के लिए बैंक आफ ओमान तथा मिडिल ईस्ट बैंक और अरब देशों के बैंकों के आवेदन पत्र बहुत समय से अनिर्णित पड़े हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे की बैंक आफ अमरिका से मूल लाइसेंस के आठ वर्ष पश्चात् किन परिस्थितियों से बाधा होकर नई दिल्ली में शाखा खोलने की अनुमति दी गई।

एक माननीय सदस्य : लाइसैंस पहली सरकार नें दिया था।

श्री सौगत राय : पहली सरकार ने नहीं, जनता सरकार ने दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सी० आय० ए० को पैसा देता है।

श्री एच०एम०पटेल : माननीय सदस्य ने बहुत से सम्बद्ध विचार व्यक्त किये है। यह विचार है कि वह चाहते हैं कि बैंक आफ ओमान तथा अन्य बैंकों को लाइसेंस दिये जाने चाहिये। यदि उनका विचार ऐसा नहीं है तो ठीक है। वास्तव में बैंक आफ अमेरिका का मामला, जैसा कि बताया जा चुका है, इसे कोई नया लाइसेंस नहीं दिया गया। इस बैंक को यह लाइसेंस वर्ष 1969 में दिया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिये लाइसस था उस अवधि में बैंक ने शाखा नहीं खोली। जून 1977 में लाइसेंस फिर से नया किया गया। उस समय यह बैंक नई दिल्ली में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोल चुका था। ऐसी बात नहीं है कि पहले यहाँ बैंक का अस्तित्व ही नहीं था। उस समय यहाँ दुसरा प्रतिनिधित्व था।

श्री सौगत राय : जैसा कि अमरिका के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है कि बैंक आफ अमरीका विभिन्न देशों में सी०आय०ए० को उसके कार्य के लिये पैसा देता है। अमरीका की प्रेस में यह समाचार प्रकाशित हो चुका है कि इन बैंक के माध्यम से ही सी० आई० ए० की धन राशि विभिन्न एजेन्सियों के पास पहुँचती हैं। जो चोरी छुपे, जिन देशों में कार्य कर रहे होते हैं उन विभिन्न देशों में धनराशि पहुंचाते हैं। भारत सरकार ने 6 जुलाई, 1976 को प्रेस को समाचार दिया कि भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने 70 अप्राधिकृत विदेशी बैंकों के लेखों का पता लगाया है। अब, इस सब को देखते हुय और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि अब हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक ने अपना कार्य काफी फैला दिया है। उन्हें विदेशी मुद्रा में भी लेन देन करने की अनुमति है।

क्या मंत्री महोदय सदन में आश्वासन देंगे कि भारत में चल रहे सभी विदेशी बैंक जो हमारी अर्थव्यवस्था तथा हमारी विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की स्थिति को बिगाड रहे है उनको आगामी एक या दो वर्ष में सरकारी अधिकार में ले लिया जायेगा।

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक इस प्रकार के अधिग्रहण का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीयकृत बैंक विदेशों में अपनी शाखायें खोल रहे हैं, तो हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि उन देशों को भी हमारे यहां अपने बैंकों की शाखायें खोलने का अधिकार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे गैरसरकारी बैंक हैं और हमारे बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्यों को यह बात माननी चाहिये कि जहां तक विदेशों की बात है चाहे राष्ट्रीयकृत हो अथवा निजी बैंक, बैंक हो है और इस बैंक के रूप में ही कार्य करना है। जब हम किसी दुसरे देश में अपने बैंकों की शाखा खोलना चाहते हैं और उस देश को अनुमति देने का अधिकार है, तो हमें यह बात भी माननी चाहियें कि किसी न किसी समय हमें भी ऐसी अनुमति देनी होगी यदि उनकी ओर से कोई मांग की जाती है अथवा वे पहले जो ऐसी शर्त लगा सकते है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विदेशों में जब यह पता चलता है कि यह राष्ट्रीयकृत बैंक है तब तुरन्त... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष महोदय : मैंने आप को नहीं पुकारा है ।

श्री एच० एम० पटेल : ऐसा प्रश्न ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को शाखा खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जिस देश से भी उन्होंने अनुमति मांगी है उन्हें अनुमति प्राप्त हुई है। हमारे देश में इस समय 130 विदेशी बैंकों की शाखायें है। और उनमे से अधिकांश स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व से ही यहां थी। अब विदेशी बैंकों को बहुत कम अनुमति दी जाती है। गत कई वर्षों में केवल एक उदाहरण को छोड़कर ।

श्री सौगत राय : यह उदाहरण ही क्यों ?

श्री एच० एम० पटेल : वर्ष 1969 में लाईसेंस दिया गया था जिसका फिर से नवीकरण किया गया। दुसरे अतिरिक्त अन्य किसी बैंक को अनुमति नहीं दी गयी है। इसका अर्थ यह नहीं...

श्री प्रद्युम्न बल : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री प्रद्युम्न बल : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप का नाम नहीं पुकारा है और व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपका नाम अनुपुरक प्रश्न के लिए पुकारुंगा ।

श्री प्रद्युम्न बल : कृपया मेरी बात सुनिये**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह बात बताने का प्रयास कर रहा था कि शाखा खोलने के मामले में हमें यह बात ध्यान में रखनी होती है, कि हम भी दुसरों देश में अपनी शाखायें खोलना चाहते हैं और विदेशी बैंकों के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाता है । अनुमति देने के मामले मे हम काफी संयम रखते हैं ।

श्री प्रद्युम्न बल : भारत में चल रहे विदेशो बैंकों में बहुत सी गलत बातें हैं । सर्व प्रथम तो ये विदेशी बैंक अधिकांश बहु राष्ट्रकों की अपने भारतीय प्रतिनिधियों का तथा भारत में अपनी उपशाखाओं का प्रतिनिधित्व करते है । मैं इस विषय मे नहीं जाना चाहता । मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या सरकार को पता है कि अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनियां और उनकी शाखा में और भारतीय प्रतिनिधि इन विदेशी बैंकों के माध्यम से ही कार्य करते है जो हमारे विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों का उल्लेखन, अतिक्रमण करने के लिये अच्छा माध्यम बने हुये है और विदेशी व्यापार में अधिक तथा कम राशि क बीजक बनाने के कार्य में लगे है, इसे रोकने के लिये सरकार नया उपाय करना चाहती है ?

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक मुझे ज्ञात है, सरकार से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि ये विदेशी बैंक विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन कर रहे है । ऐसी कोई सूचना नहीं है । वास्तव में...

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत गम्भीर मामला है । इस से देश की अर्थ व्यवस्था को क्षति पहुंचती है । प्रसिद्ध नेशनल ग्रिन्डलेज बैंक का मामला...**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये ।

(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : अनुपूरक प्रश्न विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में था और उसके लिये मैंने उत्तर दिया है कि जहां तक हमें पता है ऐसी कोई बात नहीं है । यदि कोई शिकायत आती है तो निश्चित हमसे उसपर ध्यान दिया जायेगा । रिजर्व बैंक से आशा की जाती है की वह एसे मामलों पर ध्यान रखे यदि कोई ऐसा प्रमाण मिलता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और हम मामले में कार्यवाही करेंगे ।

श्री० प्रद्युम्न बल : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि बैंक आफ अमरीका की शाखा से किसी प्रकार की हानी की आशा नहीं है । यह श्री सौगत राय के प्रश्न के बारे में है और वास्तवमें प्रश्नों का गलत मूल्यांकन करके इन्हें एक साथ मिलाया गया है । मैंने सभी बैंकों के बारे में पूछा है ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

** Not recorded.

मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है तथा उसके बिलकुल विपरीत है। डिसम्बर 1969 म विदेशी बैंकों में कुल जमा राशि लगभग 487 करोड़ रुपय थी जिनमे से 403 करोड़ रुपया वितरन में था। दिसम्बर 1976 तक जमा राशि बढ़कर 903 करोड़ रुपये हो गई, 86.4 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि वितरण राशि 630 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1976 में शुद्ध लाभ 5.9 प्रतिशत था जब कि भारतीय बैंकों के शुद्ध लाभ का दर 1.8 प्रतिशत थी। विदेशी बैंकोंने कर चुकाने के उपरान्त 5.03 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ कमाया जो प्रतिशाखा लगभग 4 लाख रुपये है, जब कि भारतीय बैंकों का शुद्ध लाभ 22.7 करोड़ रुपये है बैंकों की 16,718 शाखाओं में भी और प्रत्येक शाखा का औसतन लाभ 13,500 रुपये विदेशी बैंको द्वारा परिस्थितों जुटाने कीं दर भी बहुत ऊँची है। यह 13 से 33 प्रतिशत तक है। मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर यह होना चाहियें कि इससे भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंको पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर ऐसा नही दिया गया है और दुर्भाग्य से मेरे प्रश्न को श्री सौगत राम के प्रश्न के लाभ, जोड़ दिया गया है। उन्होंने केवल बैंक आफ अमरीका के बारे में ही पूछा है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : माननीय सदस्य बार बार यह बात कह रहे है कि उनके प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है परन्तु उनके नाम के प्रश्न मे जो कुछ प्रकाशित वह ऐसा नहीं है जैसा कि वह पढ़ रहे है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा किस प्रकार हुआ।

अध्यक्ष महोदय : वह अनुपूरक प्रश्न पढ़ रहे है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न बाल : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में भी यही पढ़ा है। मेरे विचार से भारत के बड़े एकाधिकारवादी व्यापारियों, बहुराष्ट्रिकों तथा अन्य सम्पन्न लोगों के राशि विदेशी बैंकों में ही जमा होती है। सम्पन्न से मेरा तात्पर्य सार्वजनिक उपक्रमों मंत्रीयों, भूतपूर्व मंत्रियों व्यपारिओं तथा सरकारी अधिकारियों से है। उनकी राशि इन्ही बैंकों में जमा होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण दे रहे है, कृपया प्रश्न पर आइये।

श्री प्रद्युम्न बाल : क्या मंत्री महोदय इस सब पर विचार करेगें और स्वीकार करेगें कि विदेशी बैंकों की परिसम्पत्ति बड़ी देर से बढ़ रही है और क्या वह इसे रोकने के लियें ठोस कदम उठायेंगें और सुनिश्चित करायेंगें कि विदेशी बैंको का कार्य कम से कम शुरु रहेंगा। क्या वह सदन को यह आश्वासन भी देंगें कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों, बहुराष्ट्रिक कम्पनियों, उनकी शाखाओं तथा अन्य सम्पन्न वर्ग के जमा खाते विदेशों में है उनके बारे में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

श्री० एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या विदेशी बैंकों की भारत मे शाखायें खुलने से राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभपर प्रभाव पड़ता है। मैंने ठीक उत्तर दिया था और यह बैंक आफ अमरीका के बारे मे था क्योंकि विदेशी बैंक की एक यही नई शाखा खुली है। उन्होंने जमा राशि को बहुत अधिक बताया है और आंकड़े भी दियें है। माननीय सदस्य इस बात पर ध्यान दे कि भारतीय वाणिज्यीक बैंकों की कुल जमा राशि में विदेशी बैंकों का भाग निरन्तर कम हो रहा है। वर्ष 1969 मे 9.8 प्रतिशत से आज दिसम्बर 1977 के अन्त में यह 4.9 प्रतिशत रह गया है। इसी प्रकार वाणिज्यीक बैंकों की कुल अग्रिम राशि में विदेशी बैंकों का भाग 1969 के 11.3 प्रतिशत से घटकर दिसम्बर 1977 मे 4.1 प्रतिशत रह गया है, यह तो व्यापार का मामला रहा, राष्ट्रीयकृत बैंको का कारोबार बढ़ रहा है। उन्होंने पूछा है कि भारतीय

बैंकों का लाभ विदेशी बैंकों द्वारा कमाये जा रहे लाभ से कम है। यह ठीक है। कुछ कारणों से उनका लाभ अधिक है। एक कारण यह है कि उनकी शाखायें मुख्य तथा महानगरों और शहरों में है। अन्य कारण ऋण से जमा राशि का अनुपात अधिक होगा। उनके कुछ कारोबार मे विदेशी मुद्रा कारोबार का अधिक होना। इसके साथ साथ इन्हे संचालन सम्बन्धी कुछ अन्य लाभ भी है। हमारे बैंकों को बड़ी संख्या में गांवों में शाखायें खोलनी पड़ती हैं। ग्रामीण शाखाओं का तात्पर्य यह है इन बैंकों द्वारा बहुत बड़े घाटें को बर्दाश्त करना वास्तव में यह पाया गया है कि 10,000 से कम आबादी वाले स्थानों पर जो शाखायें हैं उनको लगभग 3 लाख रुपयें प्रतिवर्ष घाटा होता है। जब हमारे यहां हजारों शाखायें गांवों मे है तों निश्चित रुप से शेष कारोबार में गांवों की शाखाओं का घाटा भी जोड़ना होता है। लाभ का कम होना इस कारण से नही है कि विदेशी बैंक हमारे यहां चल रहें है अथवा वें अनुचित कार्य कर रहें हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसे प्रमाणपत्र मत दीजिये।

श्री एच० एम० पटेल : इस समय मैं कोई प्रमाणपत्र नही दे रहा हूं। उन्होंने जो आकड़े दिये है मैंने ये उनसे अलग बताया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 'क' अच्छा है और 'ख' बुरा जहाँ तक हमे पता है दोनों ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहे है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने जो कहा है वह सही नही है। नेशनल ग्रिन्डलेज बैंक आयकर अपवचन तथा स्वदेश की अप्राधिकृत रूप मे धनराशि भेजने के मामले मे पकड़ा गया। श्री पटेल उस समय लोक लेखा समिति के तरफ थे जब यह हुआ था। लोक लेखा समिति इस मामले को खोलने की बहुत पहले सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त नेशनल ग्रिन्डलेज बैंक के एक्जीक्यूटिव श्री मैकडोनाल्ड ने विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाले गिऐह से सांठ गांठ की थी और यहाँ से भारतीय मूल के फर्जी मेडिकल छात्रों के नाम से हाँगकांग को विदेशी मुद्रा भेजते रहे। उनके लिए, नेशनल ग्रिण्डलेज बैंक के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल मे रखा गया। श्री पटेल ने सदन को गुमराह किया है। श्री पटेल यह भूल जाते है कि अब वह आई० सी० एल० अधिकारी नहीं है। अब वह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते है। अगर आप उनके तुलन पत्र को देखें . . .

अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों ने सिविल सेवा छोड़ दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह भूल ही गया कि मैं एक कमीशन प्राप्त अधिकारी था।

जमा राशि के आँकड़ों से हमें पता चलता है कि विदेशी बैंकों में जमा राशि की वृद्धि दर में राष्ट्रियकृत बैंकों के हितोंको नुकसान पहुंचा कर चिन्ताजनक रुप से वृद्धि हो रही है। ग्रिण्डलेज बैंक के जो आंकड़े मेरे पास है — वे इस प्रकार है। 1973 में यह राशि 352 करोड़ और कुछ लाख रुपये थी, वर्ष 1975 में यह 394 करोड़ रु० हो गई है। अब, यह जमा राशि कितनी किमत पर बढ़ रही है। यह राष्ट्रियकृत बैंकों की किमत पर बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय इस सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी बैंक की प्रत्येक ब्रान्च को कितनी लाभ प्राप्त होता है और राष्ट्रीयकृत बैंक के मामले मे यह राशि कितनी है ?

श्री एच० एम० पटेल : श्रीमान जी, मैं तत्काल जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि प्रत्येक बैंक के बारे में यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए यह राशि 13,000 रु० है और विदेशी बैंकों के लिए 5 लाख रुपयें।

श्री एच० एम० पटेल : अगर आप इसे जानते है, फिर मुझसे जानकारी क्यों मांगते है? मैं समझता हुं, कि मेरे माननीय मित्र सदन को वह जानकारी देना चाहते है, जो प्रश्न में नहीं पूछी गई है। अगर किसी आपका अपवंचन के लिए ग्रिण्डलेज बैंक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, तों वह कार्यवाही सरकार द्वारा निश्चित रूप से की जायेगी और विभाग इस बारे में अनुवर्ती कार्यवाही करेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरी शिकायत यह है कि वह कार्यवाही नहीं की जा रही है। दिल्ली में उनके शक्तिशाली समर्थक है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र का वक्तव्य सही नही है, क्योंकि ग्रिण्डलेज बैंक के विरुद्ध आयकर के उस मामले की जांच चल रही है, जिसे माननीय सदस्य ने स्वयं तैयार किया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह कब से अनिर्णीत पड़ा है ? पाँच साल बीत चुके है।

श्री टी० ए० पई : रिकार्ड स्पष्ट करने के लिए क्या मंत्री महोदय सदन को यह जानकारी देंगे कि भारतीय बैंकों की कितनी शाखायें विदेशों में कार्यरत है और भारतीय बैंकों की कितनी शाखायें संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत है ? जहाँ तक उनके द्वारा दी गई जानकारी का संबन्ध है कि भारत मे 10,000 से कम जन संख्या वाले स्थान में बैंक की ग्रामीण शाखा में 3 लाख रुपये का घाटा होता है। यह एक ऐसा तथ्य है जिससे गम्भीर स्थिति का पता चलता है। क्या वह इसकी ओर ध्यान देंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : दुसरे भाग के बारेमें, मैं निश्चित रूप से इन बातों पर ध्यान दुंगा। कोई भी क्यों न हो, हमारा सदैव यह प्रस्ताव रहता है कि घाटे को कम किया जाय। मैं तो केवल उन कारणों के बारे मे जानकारी दे रहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में उतना मुनाफा क्यों नहीं होता, जितना अल्प बैंकों में होता है। जो आंकडें मैंने दिए है, वे अपनी यादपाश्त से लिए है। एक अध्ययन जो किया गया था, उसे मैंने पढ़ा है। सम्भव है वे बिलकुल सही न हों। अगर, इस समय यह लाभप्रद व्यापार नहीं है।

जहाँ तक अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं निश्चित रूप से जानकारी दे सकता हुं। हमारे बाहर 95 कार्यालय है ; 26 और शाखाओं को स्वीकृति दी गई है, जिन्हें शीघ्र ही खोला जायेगा। मैं समझता हुं कि इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में चार शाखायें है और निकट भविष्य में चार और शाखायें खोले जाने की सम्भावना है।

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न सं० 1091

श्री समर गुह : उससे पहले, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैंने मामले को देखा है।

श्री समर गुह : मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। सदन में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिल चुके है। मैंने आपसे बात की है।

श्री समर गुह : मैं आपका इस बात की और ध्यान दिलाना चाहता हुं कि इसे अतारांकित प्रश्न के रूप से ग्रहीत किया गया है।

गुप्त ऋणों के प्रश्न क बारे में, विशेष रूप से यूनाइटेड कमर्शल बैंक के बारे में मैं नहीं जानता क्या हुआ है। जब कभी भी यूनाइटेड कमर्शल बैंक के बारे में प्रश्न होता है, तो या तो प्रश्न को अन्तरित कर दिया जाता है या समुचित उत्तर नहीं दिया जाता। मेरे दिमाख में यह सन्देह है कि इसके पीछे लाबी काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : गुहाजी, आपके शिकायत करने के बाद मैंने मामले को देखा है। एक नियम है जिसमें यह व्यवस्था है कि अगर आप संख्यात्मक जानकारी चाहते है, तो उसे अतारांकित प्रश्न के रुप में ग्रहीत किया जाना चाहिए। यह सदन का एक नियम है। आप केवल संख्यात्मक जानकारी चाहते थे। सम्भवत: आप नियमों से अवगत नहीं है।

श्री समर गुह : मैंने केवल संख्या नहीं पूछी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने वह पूछी है। फिर भी, इस विषय पर ही सदन का समय नहीं लेना चाहिए। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री समर गुह : आप इसकी जांच कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ी है।

भारत और बांगला देश के बीच करार

†1091 **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करगे की :

(क) क्या वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए भारत सरकार ने बंगलादेश सरकार के साथ व्यापार और वाणिज्य के बारे मे करार किये हैं :

(ख) यदि हां तो इन करारों की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) भारत सरकार और बंगलादेश सरकार ने ऐसे करारों को किस हद तक क्रियान्वित किया है ;

(घ) क्या बंगला देश सरकार इन करारों को क्रियान्वित करने में आनाकानी कर रही है या उनकी क्रियान्विति में विलम्ब कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1977-78 में या 1978-79 में कोई व्यापार करार नहीं किया गया। 28-9-73 का भारत-बंगला-देश व्यापार करार 27-9-79 तक वैध है। इस करार के अनुच्छेद 12 में नियमित समय अन्तराल पर व्यापार समिक्षाओं की व्यवस्था है। पिछली व्यापार समिक्षा फरवरी, 1978 में नई दिल्ली में की गई थी। उन वार्ताओं न इस बात पर सहमति हुई की यदि कीमत और क्वालिटी संतोष जनक हुई तो भारत नीचे लिखी मदों को प्रत्येक के आगे दिखाई गई मात्राओं में आयात करने के लिये राजी होगा :

(1)	अखबारी कागज . . .	10,000 मे० टन
(2)	नैपथा	20,000 मे० टन
(3)	भट्टी का तेल . . .	40,000 मे० टन
(4)	शीरा	15,000 मे० टन
(5)	क्लोरोक्वीन डाईफास्फेट . .	20 मे० टन

बंगालदेश भी इसी आधार पर 3, 00,000 मे० टन स्टीम कोल का आयात करने और 75,000 मे० टन आसाम कोल खरीदने के बारे में विचार करने के लिये राजी हुआ। दोनो पक्ष अपने बीच व्यापार आदान-प्रदान प्रोत्साहीत करने के प्रयास कर रहे हैं और हम ने बंगाल देश के प्रतिनिधीमंडल के अनुरोध पर भारत को बंगलादेश के निर्यातों में मदद करने के लिये मंत्रालय के अंतर्गत फोकल प्वाइंट नियुक्त किया है।

श्री समर गुह : यह केवल बांगला देश और भारत के बीच करार के बारे में है। मै यह भी जानना चाहता था कि इस करार का क्रियान्वयन किस सीमा तक हुआ। वह जानकारी नहीं दी गई है। हम यह जानना चाहते कि इसे किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है। वे उस करार को पूरा नहीं कर रहे हैं। भारत के बजाय अन्य देशों से कुछ कोयले की और अन्य चीजों की खरीद की गयी है। क्या यह सच है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

Shri Arif Beg: Mr. Speaker, Sir, So far as trade relations between Bangladesh and India are concerned, the Indo-Bangladesh Trade Agreement, entered into on 28-9-73 is valid upto 27th September, 1979. So far as its implementation is concerned, both the Governments are in touch and there has been rise in trade.

Shri Samar Guha : To what extent, there has been progress ?

Shri Arif Beg : The Bangladesh Government had asked us to supply coal and we had also asked them to supply certain things and a huge quantity of news print was asked from them. So far as other goods are concerned, we are in continuous touch with them and there has been progress in that direction. If there is any difficulty, we discuss with them, but there is no obstacle.

श्री समर गुह : मेरी समज में नही आता कि तथ्यों को छिपाने का क्या कारण है ? वह सभी को ज्ञात है। मैं समझता हूं कि वरिष्ठ मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको मेरा कुछ आचार मानना चाहिए। मुझे पता है कि भारत और बंगला देश के बीच क्या हो रहा है। ये सभी चीजें आ जा रही है और मुझे पता है। आप तथ्यों क्यों दबा रहे ? आप तथ्यों को सामने क्यों नहीं लाते ? यह मेरा प्रश्न है। आप के उत्तर के बाद मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछुंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप एक मंत्री विशेष से उत्तर देने के लिए निर्देश दे रहे हैं।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): यह सच है कि जहां तक बांगला देश और भारत के बीच पारस्परिक व्यापार का सम्बन्ध है। उसमे कुछ बाधायें हैं। फरवरी 1978 मे दोनों टीमों की दिल्ली में बैठक हुई थी और उन्होने स्थिती पर विचार किया है कि क्या क्या कठिनाईयां है और इसी सम्पर्क में यह निर्णय किया गया है कि जहां तक कोयले का सम्बन्ध है। उनका दल यह पता करने के लिए भारत की यात्रा करेगा कि वे हमारे यहां से किस प्रकार बेहत्तर किस्म के कोयले को खरीद कर सकते हैं। अखबारी कागज और अन्य बस्तूएं जिन्हें हम उनके यहां से खरीदते हैं, उनके बारे में हम भी इसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। कुछ बांधाए थीं, क्यों कि बंगला देश में यह भावना थी कि जो वस्तुएँ सप्लाई की जा रही थीं, वे अच्छी किस्म की नहीं थीं और उनकी कीमत भी सही नहीं लगाई गई थी और इसी प्रकार की अन्य बातें। हमने इनका अध्ययन किया है। इसी प्रकार हमारी तरफ से भी शिकायतें थीं। हमारी दलों ने इनकी जांच की है और अब जो नई बातचीत होगी, मुझे विश्वास है उससे दोनों देशों के बीच बेहत्तर आर्थिक सम्बन्धों के लिए एक नया मार्ग तैयार होगा।

श्री समर गुह : मैं समझता हुं कि भारत सरकार का बंगला देश के साथ एक व्यापार करार था, जो अभी हाल में नहीं किया गया था। अन्य करार भी किये गये थे और वे सभी करार रद्द नहीं किये गये थे। उस पृष्ठभूमि म मछली भी एक प्रमुख वस्तु थी।

श्री वसंत साठे : विशेष रूप से 'हिल्सा'।

श्री समर गुह : मछली की खपत पश्चिम बंगाल के बाजार में होती है और मूल्यों को एक उचित स्तर पर रखना होता है। अब हुआ यह है कि बंगला देश से एक भी मछली का आयात नहीं किया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभी हाल में, 4 चाय बागान, जो आंशिक रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में थे और आंशिक रूप से अल्प संख्यकों के स्वामित्व में थे। उनके परिवारों में विभाजन हो गया— सभी यूरोपीय चाय बागानों को छोड़कर सभी भारतीय स्वामित्व वालों और अल्प संख्यकों के स्वामित्व वाले चाय बागानों को जब्त कर लिया गया है और उनको जबर्दस्ती कब्जे में लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न नहीं उठता।

श्री समर गुह : इस सरकार को शत्रु सम्पत्ती के साथ निपटना होता है। यही मंत्रालय शत्रु सम्पति के बारे में कार्यवाही करता है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता। पहला प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि श्री साठे को इसमें कोई रुचि न होगी परन्तु आपको निश्चित रुप से रुचि हो सकती है।

श्री मोहन धारिया : जहाँ तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बध है, सरकार बंगाल के अपने मित्रों के स्वाद से अच्छी तरह अवगत हैं। यही कारण है कि बंगला देश से आयात के मामले में मछली को पहले प्राथमिकता क्रम पर रखा गया गया है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में

निर्यात करने के लिये बंगला देश के पास फालतू मछली नहीं है। जब कभी वह सम्भावना होगी हम माननीय सदस्य और पश्चिम बंगाल के अन्य सदस्यों को सन्तुष्ट करने के प्रथम अवसर का लाभ उठायेंगे।

Shri Raghavji : The honourable Minister has stated that complaints have been received from Bangladesh about the prices and quality of coal being reported from India to Bangladesh. Similar complaint has been made by our traders regarding news print imported from Bangladesh. These have been examined also. I would like to know from the Minister as to what are the results of the enquiry ? Whether the coal which is being exported there is of interior quality ? What are the results of the enquiry made into complaints by our traders regarding news-print being imported from there ?

Shri Mohan Dharia : So far as Coal in concerned, it has been stated in the reply that their team would visit India and make an enquiry about coal. So far as news print is concerned, we had demanded 20 thousand tonnes of news-print of good quality at inter-national price. It has been decided that 15 thousand tonnes of news-print would be supplied by Bangladesh to India. out of that, 10 thousand tonnes would certainly be taken, but we may purchase 5 thousand tonnes more if need be. I think that they would make the supplies keeping in view the quality required by us.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, A pact was signed with Bangladesh in 1973. According to your statement. we would import the goods, if quality and prices are according to our satisfaction. I would like to know as to which items have been imported and in what quality they have been imported. If they have not been imported, the basic reason thereof.

I would also like to know if there is any difference in the indigenous prices of goods which are being imported and what is the difference in prices ?

Mr. Speaker : You are asking many questions.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I have asked as to how much difference is there in prices ?

Shri Mohan Dharia : Sir, We have stated in the reply that we have decided to import Newsprint, Naptha, Furnace oil, Molasses and Phosphate and all these items are required in our country. If there would not have been any need, we would not have imported. Similarly Bangladesh also imports the items which are required by them.

So far as the neighbouring countries are concerned, we would like to give them the most favoured and friendly treatment. To that extent, with a view to have import trade, so sort of mutual sacrifice is equally called for.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, My question has not been replied...

Mr. Speaker : You ask ten questions at one time.

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked as to which of the items were imported according to 1973 pact and what is the difference in their prices ?

अपना बैंक खोलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की अनुमति

*1092. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना कोई बैंक खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अन्तर्गत बैंक, कार्यों के निष्पादन के लिए लायसेंस स्वीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, समक्ष प्राधिकारी है। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे पश्चिम बंगाल सरकार से अपना बैंक खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री चित्त बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसी राज्य सरकारें है जिन्होंने अपने बैंक चलाने के लिए सरकार से पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : अगर वे बैंक शुरू करना चाहते हैं, तो वे रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या किसी राज्य सरकार की अपनी बैंकें है।

श्री एच० एम० पटेल : जी, नहीं। किसी राज्य सरकार की अपनी बैंक नहीं है।

श्री चित्त बसु : मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से ऐसा उत्तर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार का लक्ष्य अपनी खुद की बैंक चलाने का है जिससें उस आवश्यक वस्तु निगम को व्यापक आकार दिया जा सके, जो चावल से लेकर खाद्य तेलों तक सभी आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए एक सार्वजनिक वितरण माध्यम है। इसे ध्यान मे रखते हुए क्या भारत सरकार रिजर्व बैंक को यह सलाह देगा कि जल्दी से जल्दी लाइसेंस दिया जाय जिससे पश्चिम बंगाल सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पर्याप्त रूप सें व्यापक आकार देने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सके ?

श्री एच० एम० पटेल : जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा कोई अनुरोध पश्चिम बंगाल सरकार से भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

केवल माननीय सदस्य ही यह कहते हैं कि यह पश्चिम बंगाल सरकार की इच्छा है। मैं यह समझता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी इच्छा की जानकारी देनी चाहिए थी और भारत सरकार की सलाह माननी चाहिए थी। इस समय मैं यह कहना चाहुंगा कि जिस लक्ष्य के बारे में माननीय सदस्य कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा बैंक खोलना चाहती है, वह बिना किसी कठिनाई के वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है परन्तु, जैसा कि मैंने बताया मुझे किसी भी अनुरोध को जांच के लिए प्राप्त करके प्रसन्नता होगी।

केन्द्रीय सरकारी पेंशनर के लिए पेंशनकारी वर्ष

1094. **श्री दिलीप चक्रवर्ती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी केन्द्रीय सरकारी पेन्शनर के लिए पेन्शनकारी वर्षों की अधिकतम संख्या 33 वर्ष है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे बढ़ाकर 40 वर्ष करने का है ;

(ग) क्या यह सच है कि वार्षिक पेन्शन दर 1/80 है जो कुछ वर्ष पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार पेंशनरों को हो रही कठिनाइयों के कारण वार्षिक पेंशन की दर 1/80 से बढ़ाकर 1/60 प्रति वर्ष करने का है ; और

(ङ) क्या आज के बाद सेवा निवृत्त होने वालों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन निर्धारण के लिए इस समय कर्मचारियों को मिल रहे मंहगाई भत्ते और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां !

(ख) राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष से, 33 वर्ष की अर्हक सेवा की अधिकतम सीमा को हटाने के लिए जो अनुरोध प्राप्त हुआ है, उस पर संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जाना है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस मामले पर राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : क्या मंत्री महोदय को उस नियम का पता है जिसके अन्तर्गत यह सरकार के लिए जरूरी है कि वह सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के तुरन्त बाद उनकी पेन्शन तथा उपदान की अदायगी करे ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे पैदा होता है ?

श्री एच० एम० पटेल : निश्चय ही पेन्शन यथासंभव शीघ्र अदा कर दी जाती है परन्तु यह प्रश्न इस प्रश्न से कैसे निकलता है ?

ग्रामीण विकास पूंजी निवेश योजना

†1095. **डॉ० रामजी सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) गैर सरकारी उद्योग ने ग्रामीण विकास पूंजी निवेश योजना कब आरम्भ की थी, इसके मार्गदर्शी सिध्दांत कब बनाये गये थे और इसमें कितनी प्रगती हुई है ;

(ख) इस बारे में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से कितनों पर विचार किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि मार्गदर्शी सिध्दांत इतने उदार नहीं हैं जिससे अपेक्षित पूंजी निवेश आमंत्रित किया जा सके ;

(घ) क्या यह सच है कि जांच बोर्ड में कोई गैर-सहकारी सदस्य नही है; और यदी हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ड) यदी नहीं तो क्या सरकार इसमें कुछ गैर-सरकारी सदस्यों को भी नामजद करना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए छुट देने से सम्बन्धित धारा 35 ग ग, आयकर अधिनियम, 1961 में वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 1 सितम्बर 1977 से जोडो गयो थी।

इस प्रोत्साहन के अन्तर्निहीत उद्देश्यों और कानूनी उपबन्ध की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, समिति ने नवम्बर 1977 में एक सार्वजनिक अधिसूचना में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये थे।

(ख) 1 मई 1978 की स्थिती के अनुसार, 73 कम्पनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को मंजूरी के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी। समिति ने 44 कम्पनियों द्वारा पेश किये गये ग्रामीण विकास क सभी या कुछ कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी है। 11 कम्पनियों की दरख्वास्तों को मंजूर नहीं किया गया। 18 कम्पनियों की दरख्वास्तों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इस बारे में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में कानूनी स्थिती स्पष्ट की गयी है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए उन परियोजनाओं की उदाहरणस्वरूप एक सूची दी गयी है जिन पर मंजूरी देने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को विचार करना होता है। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता कि ये मागदर्शी सिद्धान्त काफी उदार नहीं हैं।

(घ) और (ड) : जिस अन्तर्मंत्रालयी समिति को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ग ग के प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है, उस पर कोई गैर-सरकारी सदस्य नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रमों के लिए मंजूरी सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं के संदर्भ में दी जाती है। यह स्वीकृत वस्तुतः सरकार की ओर से होने के कारण निर्दिष्ट प्राधिकरण में सरकार के अधिकारीयों को समुचित रूप से शामिल किया ही जाना चाहिए।

Dr. Ramji Singh: Mr. Speaker, The hon. Minister has answered this question in details but is he aware that despite the relaxation given in taxes to the industrialists for rural development the response from there has been quite disappointing and therefore the hon. Prime Minister has appealed to them to set up maximum number of industries there ? May I know whether it is not a fact; and if so what remedial measures do the Govt. propose to do ? Let him also state how many people could get employment as result of this relaxation given to these industrialists ?

श्री एच० एम० पटेल : यह बिलकुल सही है कि जो योजना पेश हुई तथा अनुमोदीत की गई है वे हमारी अपेक्षा से कम हैं, इसके कुछ कारण हैं। इन योजना को स्पष्ट करने तथा तैयार करने मे समय लगा। कंपनी कानून तथा संगठन संबंधी धारा आदि मे इस संबंध में कुछ अड़चने

थी जिनके कारण ग्रामीण विकास कार्यक्रम हतु संगठनो की स्थापना वे नहीं कर सके। उनमें से कम से कम एक कठीनाई को दूर करने के उद्‌देश से हम वित्त विधेयक मे हमने प्रस्ताव किया है कि यदि ग्रामींण विकास कार्य करने के कार्य संगठण स्थापित किया गया है तो उस संगठन के जिसे कंपनी अंशदान दे सकती है यदि उस संगठन को ग्रामीण विकास योजना के लिए अनुमति मिल जाती है तो संगठन के अंशदान को आयकर मे रियासत मिल सकती है। जहां तक इसका प्रश्न है कि क्या कदम उठाये गये हैं, तो इस समय यह कहना संभव नहीं है कितने श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा किया गया है। मैं यह कल्पना कर सकता हूं कि जहा योजनायें शुरू की गई है वहां कुछ रोजगार तो दिया ही जायेगा। यह तो बाद में ही कहा जा सकता है कि कितना लाभ हुआ है। परन्तु इसका कुछ अनुमान इस सयम देना संभव नहीं। इन योजनाओ हेतु इस चार करोड़ के लगभग राशो को कर-राहत के लिए फर्मे कितनी राशी खर्च करेंगी तो उनको इसका लाभ तो बाद में ही मिलेगा।

Dr. Ramji Singh: Concession to the tune of Rs. 4 crores has been given but the hon. Minister is not in a position to say how much people have been given employment. There are intensive agricultural district programmes, intensive agricultural area programmes are high yielding variety programmes for rural development. There are still good programmes under this 9-point scheme. But of then there is no such programme as may provide employment at village level or until employment at rural level is not provided. You cannot do rural development. What is there in his mind in this respect ?

श्री एच० एम० पटेल : ग्रामोण विकास के लिए अनेक योजनायें हाथ में ली जा रही हैं जिनमे स्वीकृत हुई नई योजना के अधीन योजनाय भो शामील हैं। प्राय: 2000 विकास खण्डों का कार्य हाथ मे लिया जा रहा है जिसके लस्वरूप निश्चिय काफो रोजगार उपलब्ध होगा। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य उन योजनाओ के स्वरूप के बारे मे जानकारी चाहते हैं जिन्हें अनुमोदित किया गया था।

Dr. Ramji Singh: Sir this 9 point programme includes adult programmes like education, primary education, rural health; but there is no such programme under this scheme which could provide employment at rural level. Until employment schemes are included in this 9-point programme, how can you have rural development ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे नहीं मालूम कि नौ कार्यक्रम कौन से हैं। मेरे विचार से हमारा उनमे कोई संबंध नहीं है। परन्तु अनेक ऐसी योजनाये हैं जिनसे निश्चित रोजगार उपलब्ध होगा।

श्री के० लकप्पा : जिस ग्रामीण विकास निवेश योजना के बारे मे मंत्री महोदय ने बताया है उस में और भी स्पष्टीकरण की जरूरत है। क्या मैं उनसे निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। मैं जानना चाहता हुं कि क्या उन्होने निजी उद्योगपतियो अथवा सरकारी मांग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे पुंजी निवेश के लिये तथा प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग करने के लिये कोई इंफास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि ग्रामीण निवेश योजना सफल हो और यदि हां, तो य योजनायें क्या हैं, उनके लिये कितनी राज्यें नियत की गई है तथा पिछले एक वर्ष से उनका कितना क्रियान्वयन हुआ है।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने योजनाओं के बारे में कुछ भ्रम पैदा कर दिया है।

3—154 LSS/ND/78

श्री के० लकप्पा : मैंने भ्रम पैदा नहीं किया बल्कि वह स्वयं सभा को भ्रम में डाली रहे हैं तथा गुमराह कर रहे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : उनका कहना है कि मैं सभा को भ्रम मे डाल रहा हूं। ऐसो बात नहीं है। उन्होने भविष्य योजनाओ मे ग्रामोण निगम की बात कही जब ग्रामीण क्षत्रों में कोई उद्योग लगता है, तो ऐसे मामले मे ....

श्री के० लकप्पा : श्रीमन् क्या आपने मेरा प्रश्न सुना था ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आपका प्रश्न सुना था।

श्री के० लक्कप्पा : तो कृपया उन्हें कहिये कि वह उचित उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न असंगत है।

श्री एच०एम० पटेल : इसके बावजूद कि यह प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है, मैं त्तर देने का प्रयास करुंगा। जैसा मैंने समझा है उन्होंने पुछा है कि क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विकास कार्य किया जाना है। कोई इफ्रास्ट्रक्चर आदी तैयार किया है।

श्री के० लक्कप्पा : यह प्रश्न गैर सरकारी आयोग द्वारा शुरु की गई ग्रामीण विकास निवेश योजना के बारे में है। कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो आप दोनों को संरक्षण देना है। आप उत्तर ही सुनिए।

श्री के० लकप्पा : प्रश्न है : (क) गैर सरकारी उद्योगो ने ग्रामीण विकास पूंजी निवेश योजना कब आरंभ को थो उसके मार्गदर्शी विधान कब बनाए गए थें, और इसनें कितनी प्रगति हुई, अतः मैनें पूछा पुन्जी निवेश को ग्रामिण क्षत्रोंतक लें जानें दे, इन लोगों के लिए क्या इफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। वह इसका उत्तर नहीं दे रहें है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं स्पष्ट कह रहा था कि उद्योगपतियों द्वारा ग्रामीण विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार को कोई प्रबंध करनें की जरुरत ही है क्योंकि वे अपनी विशिष्ट योजना के लिए स्वयं हो क्षेत्र का चुनाव करेंगें। उदाहरणार्थ एक फर्म ने कहा है कि वह आधुनिक कृषि तकनिक सिखाने ग्रामिण, उत्पादो के विपणन करने कुटी दस्तकारी उद्योग स्थापित करने की, साक्षरता तथा स्वास्थ केन्द्रो की स्थापना योजना शुरु करना चाहती है ऐसे विभिन्न उद्योगो के लिए वे किसो क्षेत्र में एक केंद्र स्थापित करेंगे... (**व्यवधान**) मुझे नहीं मालूम कि श्री लक्कप्पा क्या चाहतें है। मैं यह उत्तर दें रहा हूं कि एक कंपनी ऐसो है जिसने एक ग्रामीण विकास योजना हाथ में ली है उनकें उद्देश्य यें है जिनका उल्लेख मैंने अभी किया है....

श्री के० लक्कप्पा : वह सही उत्तर नहीं दे रहे है।

श्री एच० एम० पटेल : पता नहीं वह क्या चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शाम नन्दन मिश्र।

श्री के० लकप्पा : वह मेरे प्रश्न का उत्तर दे। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मुझे अपने प्रश्न का पूरा उत्तर पाने का अधिकार है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करे।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चूके हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर म मंत्री महोदय ने कोई विशिष्ट आंकड़े दिये हैं। क्या वह यह भी बतायेंगे कि ये आंकड़े किस अवधि के हैं और इन प्रस्तावों का क्षेत्रीय वितरण संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्री एच० एम० पटेल : क्षेत्रीय वितरण के बारे में वस्तुतः मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : ये आंकड़े किस अवधि के हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : योजना में सितम्बर 1977 में किसी समय शुरू हुई थी।

Shri Yuvraj: Upto May 1, 1978, 73 companies had filed their applications for approval of programmes of rural development. Of there, 44 applications were approved by the Govt. and 11 were rejected.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि 18 को स्वीकृति दे दी गई है।

Shri Yuvraj: I want to know on what basis has he rejected the application of the other companies.

Secondly, they do not want to have a non-official member in the Inter-Ministerial Committee. This is a rural development scheme and there will be no member representing rural organisations and social organisation; how is it justified? What is the reason for not incorporating members of rural organisations in the rural development schemes? Will the hon. Minister state whether persons from rural social organisations will be included in the inter-ministerial committee concerned with rural development programmes?

श्री एच० एम० पटेल : जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कर में छूट के लिये विचार में लिये जाने योग्य कार्यक्रम के लिये उद्देश्य स्पष्ट रूप से उन्हें मार्गदर्शी सिद्धांतों में वर्णित कर दिये गये हैं। हाल ही में अधिकारी गण इस लिये रखे गये है क्योंकि उनको देखना है कि जो भी प्रस्ताव पेश किये जाते है, क्या वे इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत आते है। उदाहरणार्थ, मैं आपको यहा कुछ योजनायें बताता हूं। एक योजना है जिसे निर्बल ग्रामीण वर्ग को स्वयं रोजगार के अवसर देने के लिये उन्ही के द्वारा चुने गये क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग स्थापित करने हेतु, सहायता देने की योजना कहा जाता है, ऐसे स्वरूप की एक योजना होनी चाहिये। फिर एक योजना स्कूलो बच्चों के लिये पोषक आहार कार्यक्रम तथा शिक्षा एवम् व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा उन्हें चलाने की होनी चाहिये। ऐसी विभिन्न प्रकार की लगभग 20 मदें हैं। उन मदों को शामिल करने के लिये कार्यक्रम तैयार करने है। इसी प्रकार के प्रोग्राम बनाने होते है और यह काम निरन्तर चलने वाला है। और समिति को देखना होता है कि कम्पनी उसका प्रबंध किस प्रकार करेगी क्योंकि सरकार की स्वयं अपनी अपनी योजनायें हैं।

समिति इन योजनाओं के माध्यम से गैर सरकारी प्रबंधकों को लाने के लिए प्रयास करती है तथा ग्रामीण विकास कार्य के समूचे कार्यक्रम की गति तेज करने का प्रयास करती है। मेरे विचार से ऐसी एक योजना है। (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : जहां तक बड़े व्यापार गृहो का संबंध है, यदि वे ग्रामीण विकास के लिये किसी विशिष्ट क्षेत्र से जाना चाहते हैं। तो क्या उनके वित्तिय पुंजी निवेश की कोई सीमा रखी गई है तथा यदि ग्रामीण विकास के लिये किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई निधि लगते हैं तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार से ग्रामीण विकास योजनाओं में पैसा लगाने वाली किसी भी कम्पनी को वित्तिय लाभ से वंचित करने का कोई प्रश्न नही हैं। परन्तु इसकी कोई सीमा नही हैं। स्वीकृत हुई योजना में से मैं एक के बारे में आपको बताता हूं। एक संगठन के विभाग में निम्नलिखित योजनायें हैं और उसके एक लिखित अवधि में इन योजनाओं को चलाने के लिये एक करोड़ रुपये की राशि निर्धारित कर दी यदि आप चाहे तो मैं ये योजनाएं भी बता सकता हूं।

कुछ लोगों में ग्रामीण उद्योग केन्द्रों, औषधालयों, प्रसूतिगृहों, ग्रामीण सम्पर्क सड़कों और पीने के पानी की सुविधा के लिये एक निर्धारित समय में उसका एक करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है।

श्री वसन्त साठे : क्या उस पर आय कर से छूट दी जायेगी ?

श्री एच० एम० पटेल : इस कार्य के लिये एक करोड़ रुपये की राशि को कर से छूट दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ। अब अल्प सूचना प्रश्न पर विचार किया जायेगा। **(व्यवधान)****

कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। मने इस बारे में सोमवार के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, उस पर सोमवार को विचार किया जायेगा।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

रायलसीमा और तेलंगना क्षेत्रों में पेय जल की अत्याधिक कमी

अ० सू० प्र० सं० 9 श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के प्राय: सभी सूखा-प्रधान क्षेत्रों, विशेषकर रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्रों में पेय जल की अत्याधिक कमी की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया है;

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

(ख) क्या राज्य सरकार ने नये बेध कूप (बोर-वैल) खोदने के लिए तथा जहां कहीं सम्भव हो वहां वर्तमान खुले-कुओं (कट वैल) को और अधिक गहरा करने हेतु भारत सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न एजेंसियों से 4 इंच व्यास के कम से कम 100 रिग तुरन्त सप्लाई करने का भारत सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में इस अभूतपूर्व स्थिति का मुकाबला करने के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्य राज्य सरकारों से, जिनके पास ऐसे रिग है, अपने कुछ रिग आन्ध्र प्रदेश के लिए उपलब्ध करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

'युनीसिफ' से अतिरिक्त रिग प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुझे मंत्री महोदय के उत्तर से बहुत निराशा हुई है। यह सच है कि उन रिगों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने उस मंत्रालय से बहुत समय पहले अनुरोध किया था। मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि जिन अन्य राज्यों के पास ऐसे रिग हैं उनसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे रिग सप्लाई कर दें। उनसे अनुरोध किया जा रहा है। मंत्रालय ने उनसे अभी तक अनुरोध किया नहीं है। मंत्री महोदय कहते है कि उनसे अनुरोध किया जा रहा है। क्या जनता सरकार का यही रवैया है ? एक ओर तो सरकार कहती है कि वह कृषि ग्रामीण विकास को बहुत महत्व देती है और दूसरी ओर उसका यह रवैया है। क्या पेय जल की व्यवस्था के बिना ग्रामीण विकास सम्भव है ? ग्रामीण विकास से वह किस प्रकार का महत्व दे रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय ने इस राज्य सरकार को इन रिगों की शीघ्र सप्लाई के लिए कितनी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है, उन राज्यों के नाम क्या है तथा यदि उन्हे उन राज्यों से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो वे कब तक रिगों की सप्लाई कर देंगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य को जो निराशा हुई है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो केवल तथ्यों की जानकारी दे सकता हुं। तथ्य यह है कि पहले हमें 'यूनिसेफ' से लगभग 115 रिग प्राप्त हुये थे तथा उनमे से आंध्र प्रदेश को काफी रिगों की सप्लाई की गई। उन्हे 24 रिग दिये गये। ये चार इंच व्यास वाले रिंग थे। हमे 6 इंच व्यास वाले 13 रिग प्राप्त हुये थे तथा उनमे से 2 आंध्र प्रदेश को सप्लाई किये गये थे।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि 'बहुत समय पूर्व', आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री एम० बागा रेड्डी ने मुझे 15 एप्रैल को पत्र लिखा था और मने उन्हे तुरंत ही उसका उत्तर दे दिया था। वह 28 एप्रैल, 1978 को मुझसे आकर मिले तथा मैंने उन्हे हर सम्भव सहायता देने का वचन दिया था। हमने कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध किया था। किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उस बात की कोई संभावना नही है कि कोई अन्य राज्य अपने रिगों को दे सके। हमे जो रिग 'युनिसेफ' से मिले थे उन्हे राज्य सरकारों को सप्लाई कर दिया गया था। उनपर अब राज्य सरकारों का नियंत्रण है और केन्द्रीय सरकार का उनपर कोई

अधिकार नहीं है। हमने अब यहीं किया है कि हमने सभी राज्य सरकारों से पूछा है कि उन्हें कितने रिगों की आवश्यकता है जिससे हम 'यूनिसेफ' से अनुरोध करें। इस कार्यवाही का परिणाम बहुत शीघ्र निकल आये इसकी आशा नहीं है।

श्री एम० सत्यनारायणराव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने यह पूछा था कि उनके मंत्रालय ने किस राज्यों से अनुरोध किया हैं तथा क्या उनकी ओर से उस बारे में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है कि वे आंध्र प्रदेश को कब तक रिग सप्लाई कर देंगें।

श्री सिकन्दर बख्त : हमने कुछ राज्यों से अनुरोध किया है। इस समय मुझे उनके नाम याद नहीं है। हमने उनको पत्र लिखे है किन्तु जैसा कि मैंने कहा है, मुझे अधिक आशा नहीं है क्यों कि ग्रीष्म काल में सभी राज्यो को उनके पास जितने रिग है उनकी आवश्यकता रहती है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते है कि किन राज्यो से अनुरोध किया गया हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : इस समय उन राज्यों के नाम मेरे पास नहीं है। मैं यह जानकारी सभा पटल पर रख दुंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

श्री एम० सत्यनारायण राव : महोदय मै आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस अल्प सूचना प्रश्न का आशय क्या है। हमने यह प्रश्न इस लिये किया था कि इस बारे में अविलम्बनीय आवश्यकता थीं तथा आपने भी इस प्रश्न को बड़ी कठिनाई से ग्रहीत किया था। प्रश्न ग्रहीत होने के पश्चात् भी मंत्री महोदय पूरी जानकारी प्राप्त कर के नहीं आये। उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों से अनुरोध किया जा रहा है...

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यनारायण राव मै आपको एक बात बताना चाहता हूँ।

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे अब राज्यों के नाम प्राप्त हो गये हैं। उनके नाम हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और एक नाम और है जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ।

श्री वयालार रवि : यह क्या है; वह नाम भी नहीं पढ़ सकते ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर आज देने के लिये तैयार नहीं थे क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। किन्तु अनुरोध किये जाने पर वह राजी हो गये। उन्होने कहा था कि मुझे पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः इस मामले में पूरी जिम्मेदारी उनपर नहीं डाल सकता। **(व्यवधान)**

श्री सत्यनारायण राव : उन्हें इस मामले की अवलम्बनीयता बताना चाहते है। अतः **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। अन्यथा मैं किसी सदस्य को बोलनें की अनुमति नहीं दुंगा।

श्री के० लकप्पा : महोदय, यह बहुत संगत बात है...

अध्यक्ष महोदय : वह पूरी तरह सक्षम सदस्य हैं अतः आप उनके बारे में चिंता न करें। वह प्रश्न पूछ रहे है। श्री लकप्पा आपने पुनः आरंभ कर दिया ...

श्री के० लकप्पा : मैं सदन की सहायता करना चाहता हूं। प्रश्न यह है...

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड मत करिये (**व्यवधान**)*

श्री सिकन्दर बख्त : अब मुझे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ नाम मिल गया है। पांचवे राज्य का नाम है कर्नाटक।

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

श्री एम० सत्यनारायण राव : उन्होने पड़ोसी राज्यों के बारे में उल्लेख किया है। किन्तु पड़ौसी राज्यों को भी—कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और अन्य राज्य भी पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्यों कि इस वर्ष मानसून नहीं आया है। विशेष कर हमारे क्षेत्र में अर्थात् रायलसीमा और तेलंगाना में सितम्बर में वर्षा बिलकुल नहीं हुई जब कि इन दिनों वहां बहुत वर्षा होती थी। किन्तु दुर्भाग्य से वहां वर्षा नही हुई और पानी की कमी हो गई। इन बातों को ध्यान में रखकर क्या सरकार केन्द्र से इन रिगों की सप्लाई करेगी। क्या केन्द्र सरकार के पास कोई रिग हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : नही हमारे पास कोई रिग नहीं हैं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : तब आप क्या प्रबन्ध करने जा रहे है ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : महोदय मैं एक प्रश्न पूछने का हकदार हूं।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी हकदार नहीं है किन्तु आपके अनुरोध पर विचार किया जायेगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव : महोदय, कोई उपयुक्त उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि इस समय कोई फालतू रिग नहीं है; हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री एम० सत्यनारायण राव : आप हमें कृपया यह बताइये कि क्या प्रबन्ध किया जायेगा।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं पुनः उसी बात को दोहराता हूं कि हमने पांच राज्यों को पत्र लिख है जिनके मैंने अभी नाम बताये है। हम अन्य राज्यों से भी इस बात की जानकारी प्राप्त कर रहे है कि उनकी आवश्यकता कितनी है तथा हम इन रिगों की सप्लाई के बारे में "यूनिसेफ" से बात-चीत आरम्भ करगे। इसके अतिरिक्त और कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मंत्री महोदय ने स्थिति की गम्भीरता को महसूल नहीं किया है तथा उन्होने इस मामले को बहुत सामान्य समझा है। यह भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह उन सभी चीजों की व्यवस्था करे जिन के बारे में उसने पंचवर्षीय योजना और चुनाव घोषणापत्र

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* Not recorded.

में कहा था कि देश के प्रत्येक गांव में पयजल की व्यवस्था की जायेगी, उन्होने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। अब क्या उन्हें इस देश में पेय जल के अभाव की स्थिति का अनुमान है। जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है मंत्री महोदय ने रिगों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया है। उन्होंने केवल इतना बताया है कि उन्होने विभिन्न राज्यों से जो कठिनाई का सामना कर रहे है, उनकी आवश्यकता पूछी है। यदि वह रिगो की आवश्यकता का अनुमान लगाते है तो भी रायलसीमा में उस समस्या का समाधान ही किया जा सकता। वहां 22 इंच वर्षा होती है और यह अनियमित है। यदि 600 फुट गहराई तक भी खदाई की जाये तो आपको वहां पानी नही मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे वाद-विवाद का रूप दे रहे है। कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं इस बात की पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि केवल रिगों के प्रयोग से भी इस क्षेत्र में इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार कृष्णा नदी के जल को रायलसीमा की ओर मोड़ने की कोई योजना बनाएगी क्यों कि इससे समस्या का समाधान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यह इसलिये संगत प्रश्न है कि वहां भूमिगत जल बहुत सीमित है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे की क्या विभिन्न राज्य सरकारों पर निर्भर रहने के बजाये वह उस देश म रिगों की आवश्यकता के बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण करेंगे तथा 'यूनिसेफ' अथवा किसी अन्य संगठन से पर्याप्त संख्या में रिग उपलब्ध कराने में सहायता मांगेंगे जिस में पेय जल की समस्या को हल किया जा सके जो सूखग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों तथा रायलसीमा अकालग्रस्त क्षेत्रों में बहुत गम्भीर रहती है?

श्री सिकन्दर बख्त : महोदय, भारत सरकार पेय जल की सप्लाई के प्रश्न को जिस गम्भीरता से ले रही है वह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि देश के इतिहास में पहली बार गत वर्ष के दौरान जिन ग्रामों में पेय जल की समस्या हैं उनके लिये पेय जल की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में 40 करोड़ रूपयों की व्यवस्था की गयी। इस वर्ष भी पेय जल की सप्लाई के लिये इस बजट में 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इससे ज्ञात होता है कि हम इस समस्या की गम्भीरता को समझते हैं। इससे पूर्व इस बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था।

जहां सर्वेक्षण का प्रश्न है मैं कह चुका हूं कि हमने विभिन्न सरकारों को यह पत्र लिखे हैं कि वे अपनी आवश्यकताएं बतायें तथा हम 'यूनिसेफ' से अनुरोध करेंगे... (**व्यवधान**)

कई माननीय सदस्य खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : क्यों कि यह प्रश्न आंध्र प्रदेश के बारे में है अतः मैं श्री सूर्यनारायण का नाम पुकारता हूं।

श्री के० गोपाल : आप यह क्यों कहते हैं कि आप केवल आंध्र प्रदेश के सदस्यों को ही बोलने की अनुमति देंगे? यह उचित नहीं है। आप उन्हे अनुमान दे सकते हैं किन्तु आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये... (**व्यवधान**)

श्री के० सूर्यनारायण : आंध्र प्रदेश के लगभग 3600 ग्रामों में पेय जल की उपयुक्त सप्लाई नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इन्होंने इस कार्य के लिये गत वर्ष बजट में 40 करोड़ रूपयों की व्यवस्था की थी तथा इस वर्ष 60 करोड़ रूपयों की व्यवस्था की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने दक्षिण भारत या आंध्र प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की है। आंध्र प्रदेश को इतने करोड़ रूपयों में से ऋण या राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि आबंटित की गई है।

श्री सिकन्दर बख्त : गत वर्ष 157.30 लाख रूपये दिये गये थे तथा इस वर्ष के लिये विभिन्न राज्यों की आवश्यकता का हिसाब लगाया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दार्जिलिंग में जनता होटल का निर्माण

*1093. **श्री रेणुपद दास** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) पूर्वी भारत में अत्यन्त रमणीय पर्वतीय स्थल दार्जिलिंग का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या बहुत बड़ी संख्या में कमरों वाले एक जनता होटल का तत्काल निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग दार्जिलिंग में एक यूथ होस्टल बनाने तथा मौजूदा टूरिस्ट लॉज में 14 डबल कमरे और जोड़ने का काम पहले हो कर चुका है। क्योंकि इस क्षेत्र में ट्रेकिंग की बहुत अधिक संभावताएं हैं, अतः दार्जिलिंग के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस कार्यकलाप (ट्रेनिंग) का विकास करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली के 4 महानगरों के अलावा और जनता होटल बनाने के लिए पर्यटन केन्द्रों का चुनाव एक सर्वे करने के बाद किया जाएगा।

विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

*1096 **श्री पी० के० कौडियन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठीं योजना के प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता देने के बारे में विश्व बैंक के किसी अधिकारी ने सरकार के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : शायद माननीय सदस्य का आशय उन अनौपचारिक बैठकों से है जो विश्व बैंक के उपाध्यक्ष (दक्षिण एशिया) डा० डैविड हापर ने मार्च 1978 में अपने भारत के दौरे के दौरान वित्त मंत्रालय और योजना आयोजन के

साथ की थी। इन बैठकों के दौरान पंच वर्षीय योजना (1978-83) के मसौदे के संदर्भ में विदेशी सहायता की भूमिका पर आम चर्चा हुई थी। परन्तु उक्त योजना के संबध में वित्तीय सहायता से संबंधित किन्हीं विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श नहीं किया गया था।

कर्मचारियों/मैनेजरों की सेवा समाप्त किया जाना

*1097. **श्री अघन सिंह ठाकूर :**
श्री रामानन्द तिवारी :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार कोआपरेटिव स्टोर मैनेजमैंट ने बहुत से कर्मचारियों/मैनेजरों को बिना कारण बताये हीं उनकी सेवा समाप्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) : सात विभाग प्रबंधको तथा दिहाड़ी पर काम कर रहे उनचास दुसरे कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कीं गयी हैं, क्योंकि वे फालतू और कुछ मामलों में अदक्ष पाये गये थे।

ए० जी० आफिस एम्पलाईज यूनियन, त्रिवेन्द्रम केरल को मान्यता

*1098. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **वित्त** मंत्री ए० जी० आफिस एम्पलाईज यूनियन, त्रिवेन्द्रम को मान्यता देने के बारे में 22 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4411 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० जी० आफिस एम्पलाईज यूनियन त्रिवेन्द्रम, केरल को मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था ;

(ख) क्या उस पर कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गये है ; और

(ग) यदि नहीं तो, निर्णय करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला भारत के नियंत्रण महालेखा-परीक्षक के विचाराधीन है और उनके द्वारा शीघ्र निर्णय लिए जाने की आशा है।

(ग) निर्णय लिए जाने में कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि केन्द्र तथा राज्यों में लेखा-परीक्षा से लेखाओं को अलग करने का प्रश्न विचाराधीन था और ऐसे पृथकरण के फलस्वरुप स्पष्ट स्थिति के सामने आने तक प्रतीक्षा करना आवश्यक समझा गया था।

Tourist Centre at Shantighat near Kandhar in Nanded District

*1099. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Maharashtra Government has urged the Centre for the development of a tourist centre at Shantighat near Bahadurpura village near Kandhar in Nanded district in the state; and

(b) if so, whether the Central and the State Government propose to undertake the project jointly and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मछली और मछली के उत्पादों का निर्यात

*1100. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) मछली और मछली के उत्पादों का निर्यात कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य बड़े गृहों के नाम क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कौन से किस्म की मछली निर्यात की गई और किस दर पर;

(ग) अन्य देशों को समुद्री उत्पाद बेचने के लिये प्रत्येक कम्पनी द्वारा क्या तरीके अपनाये गये; और

(घ) क्या सरकार का इस व्यापार पर कोई नियंत्रण है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) **1. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अनुषंगी कम्पनियां**

1. यूनियन कारबाइड (इं) लि०,
2. ब्रुकबांड (इं) लि०,
3. ब्रिटानिया बिस्कुट लि०,
4. कैडबरी फ्राई (इं) लि०,
5. कालगट पालमोलिव (इं) लि०

2. बड़े औद्योगिक घराने

1. ई० आई० डी० पैरा लि०,
2. आई० टी० सी० लि०,
3. कोन्कन फिशरीज़ प्रा० लि०,
4. चौगुले एण्ड कं० प्रा० लि०,
5. बिन्नी लि०,
6. ग्रीव्ज काटन एण्ड कं० लि०,
7. कोठारी (मद्रास) इंटरनेशनल लि०,
8. कामानी ब्रदर्स प्रा० लि०,
9. रैलिस इंडिया लि०,
10. रौनक इंटरनेशनल लि०,
11. दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०
12. टाटा आयल मिल्स लि०,
13. वोल्टाज लि०,

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित समुद्री उत्पाद की कुछ मदें और 1976-77 के दौरान उनके निर्यातों पर प्राप्त औसत इकाई मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(मूल्य रु० में प्रति कि० ग्रा०)

	निर्यातित समुद्री उत्पाद की मदें	1976-77 के दौरान उनके निर्यातों पर प्राप्त औसत इकाई मूल्य
1.	हिमशीतित झींगा मछली	34 रु०
2.	हिमशीतित मेंढक की टांगे	24 रु०
3.	हिमशीतित लाबस्टर की पूंछे	65 रु०
4.	हिमशीतित मछली	11 रु०
5.	सुखायी हुई मछली	4 रु०

(ग) तथा (घ) : समुद्री उत्पादों का व्यापार आमतौर पर रद्द न किये जा सकने वाले साख पात्र द्वारा पुष्टिकृत तत्काल बिक्री के आधार पर निष्पादित किया जाता है तथा उस का लदान किया जाता है ।

समुद्री उत्पादों के निर्यात की अनुमति, तत्काल बिक्री आधार पर तथा पूर्व-निर्धारित किमतों वाले पक्के क्रय देशों/संविदाओं के आधार पर उन निर्यातिकों को दी जाती है जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में रजिस्टर्ड होते है । कुछ प्रकार के समुद्री उत्पादों के निर्यात को या तो परिमाण आधार पर प्रतिबंधित किया जाता है या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से उसे मार्गीकृत किया जाता है ।

विदेशी मुद्रा आरक्षित कोष का उपयोग

*1101. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने औद्योगिक उत्पादन आदि बढ़ाने के लिए देश के विदेशी मुद्रा आरक्षित कोष का उचित उपयोग करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उनके सुझाव क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उनके परिणामस्वरूप सरकार ने विदेशी मुद्रा के उपयोग के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्तमंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सरकार को एसोसिएटेड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें देश के विदेशी मुद्रा के भण्डार के उचित उपयोग के लिए सुझाव दिये गए हों। अतः ऐसे सुझावों के आधार पर कोई योजना तैयार करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन सरकार ने विदेशी मुद्रा के भंडार का उत्पादक ढंग से इस्तेमाल करने क लिए अनेक उपाय किए है जिनमें चालू वर्ष के लिए आयात नीति को उदार बनाना और अनुमोदित परियोजनाओं के आयात के खर्च को पूरा करने के लिए सार्वधिक वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रुपयों में वित्त व्यवस्था किए जाने की नई सुविधा देना शामिल है।

आयात को उदार बनाने के कारण स्वदेशी उत्पादन में कमी

*1102. **श्री के० गोपाल :**
श्री वयालार रवि :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात को उदार बनाने से देश में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी उत्पादन को बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : 1978-79 के लिए आयात नीति तैयार करने में आधारभूत दृष्टिकोण एक और स्वदेशी उद्योग को न्यायोचित संरक्षण प्रदान करने और दूसरी ओर स्वदेशी उत्पादन बढाने के लिए उद्योग को आयातित अंतर्निविष्ट साधन उपलब्ध कराता रहा है।

2. कच्चे माल और संघटकों की जो मदें स्वदेशी स्रोतों से उपलब्ध है और जिनमें स्वदेशी क्षमता का काफी विकास हो गया है उन्हें रोक लगी सची में सम्मिलित कि ा गया है। रोक लगी सूची तैयार करने में इस बाद की विशेष सावधानी बरती गई है कि जो वस्तुएं लघु, अनि लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्रों में बनाई जाती है उन्हें आयात के लिए रोक लगी सूची में सम्मिलित किया जाए। रोक लगी सूची में मदों की संख्या 751 है। इनमें से कुछ मदें सामान्य प्रकार की है जिनमें कई उप मदें शामिल है। इन मदों की सूची आयात नीति के परिशिष्ट III में दी गई है। लोहे तथा इस्पात की रोक लगी मदों की एक अलग सूची तैयार की गई है और आमान नीति में शामिल की गई है। इन में 12 मदें हैं जो व्यापक वर्गों की द्योतक है। इन मदों की सूची आयात नीति के परिशिष्ट VI में दी गई है।

3. रोक लगो सूची से कुछ मदें पूर्ण रोक लगी सूची में शामिल की गई हैं। इन मदों की संख्या 96 है। ये मदें आयात नीति के परिशिष्ट IV में दी गई है। पूर्ण रोक लगी सूची में सम्मिलित मदें वे है जिनमें पर्याप्त मात्रा में देशी उत्पादन उपलब्ध है।

4. प्रतिबंधित मदों की सूची भी तैयार की गई है जिनमें ऐसी मदें शामिल है जिनका देश में उत्पादन तो होता है लेकिन इतना नहीं कि उसे समस्त घरेलू मांग की पूर्ति हो सके। इन मदों का आयात करने की अनुमति देने का उद्देश्य यह है कि उससे देशी उसी उत्पादन और मांग के बीच अंतर की पूर्ति हो सके। इन मदों के आयात की अनुमति औद्योगिक उत्पादन में लगे

वास्तविक प्रयोगकर्ताओं की वास्तविक खपत के आधार पर दी जाएंगी। इस सूची में मदों की संख्या 498 है। इन में से कुछ मदें सामान्य प्रकार की है, जिनमें कई मदें आ जाती हैं। ये मदें आयात नीति के परिशिष्ट V में दी गई हैं। प्रतिबंधित मदों के लिए भी लोहा तथा इस्पात की मदों की एक अलग सूची नीति में शामिल की गई है जिसमें आयात नीति के परिशिष्ट 7 में 23 मदें हैं।

5. 65 मदें ऐसी हैं जिनका आयात सरकारी क्षेत्र के भिकरणों की मार्फत मार्गीकृत है। इन मदों के संबंध में भी आयात की वास्तविक मात्रा स्पष्टत: देशी उत्पादन और मांग के बीच अंतर को देखते हुए विनियमित की जायेगी। इसी प्रकार यद्यपि कई पैट्रोलियम उत्पाद और औषधियां औपचारिक रूप से मार्गीकृत नहीं की गई हैं किन्तु केवल सरकारी क्षेत्र के निर्दिष्ट अभिकरणों की मार्फत उनके आयात किये जाने की व्यवस्था की गई है। इन मदों का वास्तविक आयात भी स्वदेशी दृष्टिकोण से उपलब्धि को देखते हुए विनियमित किया जायेगा ताकि आयातों से केवल स्वदेशी उत्पादन की अनुपूर्ति हो। इन मदों की सूची परिशिष्ट 9 में दी गई है। पिछले वर्षों में नीति में लोचशीलता के परिणाम स्वरूप आर ई पी लाइसेंसों के आधार पर काफी आयात होते थे। वर्तमान नीति में पहले वाली नीतियों के मुकाबले इस अर्थ में काफी परिवर्तन कर दिया गया है कि जो लोचशीलता आर ई पी लाइसेंस धारियों को उपलब्ध थी उसे वापस ले लिया गया है। नये आर ई पी ढांचे निर्यातित उत्पादों और प्रत्येक के आधार पर स्वीकृत आयात मदों के बीच निकट संबंध रखा गया है। इसके अलावा आर ई पी लाइसेंसों पर केवल उन मदों के आयात की अनुमति दी जायेगी जो रोक लगी या मार्गीकृत सूचियों में हैं। पिछले वर्षों में आर ई पी लाइसेंसिंग की मार्फत प्रतिपूर्ति उस मात्रा के अतिरिक्त थी, जिसे उद्योग सामान्य वास्तविक प्रयोगकर्ता लाइसेंसिंग के अंतर्गत प्राप्त कर सकता था।

6. पूंजीगत माल के संबंध में भी चालू आयात नीति में रोक लगी मदों की सूची दी गई है। ये मदें आयात नीति के परिशिष्ट I में दी गई हैं। जिस कतिपय पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी गई है, उसके संबंध में यह शर्त है कि इच्छुक निर्यातक पहले अपनी आवश्यकताओं के बारे में विज्ञापन दें ताकि देशी उत्पादक को उस मांग की पूर्ति करने का मौका मिल सके। ऐसे मामलों में आयात के आदेश उस विज्ञापन की तारीख से 45 दिन समाप्त होने के बाद दिये जा सकते हैं।

7. आयात नीति में उपर बताये गये विभिन्न संरक्षणात्मक उपबंधों के अलावा देशी उद्योग को टैरिफ व्यवस्था के अंतर्गत भी संरक्षण दिया जाता है।

8. नई आयात नीति में उद्योग को उत्पादन का विस्तार करने के लिए काफी अवसर दिये गये हैं। इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं :—

(i) खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत कई पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है।

(ii) जो कच्चा माल और संघटक रोक लगी, प्रतिबंधित या मार्गीकृत सूचियों में नहीं है उनके आयात की अनुमति औद्योगिक वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत दी गई है।

(iii) अनुमति देने योग्य अतिरिक्त पूर्जों के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत दी गई है ।

(iv) प्रतिबंधित सूची में कच्चे माल और संघटकों के आयात की अनुमति वास्तविक खपत जमा उसके 10 प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी ताकि उत्पादन में संभावित वृद्धि दर का ध्यान रखा जा सके । ये लाइसेंस आटोमेटिक आधार पर दिये जायेंगे और इनके लिए आवेदक को प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश या तकनीकी विकास के महानिदेशक की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी । आटोमेटिक लाइसेंसों में एक निर्दिष्ट सीमा तक गैर-अनमेय अतिरिक्त पूर्जों की भी अनुमति होगी ।

(v) जिन मामलों में आवश्यकताओं की पूर्ति आटोमेटिक लाइसेंस के अंतर्गत नहीं जा सकती उनमें कच्चे माल और संघटकों एवं गैर-अनुमेय अतिरिक्त पुर्जों के लिए अनुपरक लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था की गई है ।

(vi) निर्यात उत्पादन के लिए रोक लगी मदें, मार्गीकृत मदों और पैक करने के सामान के आयात की अनुमति होगी ।

9. नये एककों के मामले में मशीनरी के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में आरंभिक लाइसेंस जारी करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है । प्रायोजक प्राधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वे 3 लाख रुपये मूल्य तक के प्रारंभिक लाइसेंसों की सिफारिश कर सकते हैं उन एककों के मामले में जो पिछड़े क्षेत्रों में लघु क्षेत्रों में हैं अथवा टेक्नोक्रैटों, भूतपूर्व सैनिकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा स्थापित किये गये हैं, उन्हें प्रारंभिक लाइसेंस का मूल्य, जिसकी प्रायोजक प्राधिकारी सिफारिश कर सकते हैं, बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है । नीति में की गई इन व्यवस्थाओं से औद्योगिक उत्पादन के लिए देश में नई क्षमता सृजित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । जो भारतीय विदेशों से लौट रहे हैं अथवा विदेशों में रह रहे हैं तथा जो भारत में औद्योगिक उत्पादन में निवेश कर रहे हैं उन्हें सुविधाएं दी गई है । उन भारतीयों के मामले में जो स्थाई रूप से रहने के लिए वापस आना चाहते हैं तथा उद्योग स्थापित करना चाहते है उनको बिना स्वदेशी किलियरेंस के विदेशों में कमाई गई अपनी विदेशी मुद्रा से खरीदी गई 25 लाख रुपये तक की मशीनरी का आयात करने की भी अनुमति दी जायेगी । एसे मामलों में 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मशीनरी की भी अनुमति दी जायेगी, लेकिन यह स्वदेशी किलियरेंस के अध्यधीन होगा । मशीनरी के साथ-साथ विदेशों में कमाई गई विदेशी मुद्रा से खरीदे गए 5 लाख रुपये तक के कच्चे माल की भी अनुमति दी जायेगी ।

10. सरकार ने नई आयात नीति की घोषणा करके सचिव (तकनीकी विकास) की अध्यक्षता में एक अंतः मंत्रालय समिति गठित की है ताकि अलग-अलग मदों के आयात पर रोक लगाने अथवा उसे उदार बनाने के लिए उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों अथवा सुझावों पर विचार किया जा सके । इससे उद्योग को उन क्षेत्रों में, न्यायोचित संरक्षण प्राप्त करने का एक और अवसर मिलेगा जिनमें ऐसे न्यायोचित संरक्षण की आवश्यकता है ।

पेंशन को आय कर से छूट

*1103. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) नियमों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली पेंशन के पूर्ण कम्यूटेशन को आयकर अधिनियम, 1961 की संशोधित धारा 10 (10-ए) (एक) के उपबन्धों के अन्तर्गत आय-कर के भुगतान के लिये कर निर्धारण से छूट प्राप्त है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अन्तर्गत कोई ऐसे नियम प्रचलन में हैं अथवा किसी ऐसी प्रथा का अनुसरण किया जाता है जिससे अधिनियम के उपरोक्त उपबन्धों का उल्लंघन होता है और पूरी पेंशन को आय-कर से छूट नहीं मिलती है; और

(ग) यदि हां, तो अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत नियमों को जारी करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ुल्फिकारुल्ला) : (क) पेंशन के जितने अंश के लिये सिविल पेंशन (राशीकरण) नियमों के अन्तर्गत राशीकरण की स्वीकृति दी जाती है उस रकम को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10-क) (i) के अन्तर्गत आय-कर से छूट मिली हुई है।

(ख) वित्त मंत्रालय ने इस आशय की हिदायतें जारी की हैं कि जिन कर्मचारियों ने सरकारी उपक्रमों में खप जाने का विकल्प दिया है, वे सिविल पेंशन (राशीकरण) नियमों के अनुसार पेंशन के एक तिहाई हिस्से का राशीकरण कर सकते हैं। किन्तु जिन मामलों में सारी पेंशन की ऐवज में एक मुश्त रकम पाने का विकल्प दिया गया हो उनमें यह रकम सिविल पेंशन (राशीकरण) नियमों के अन्तर्गत मिल सकने वाली रकम की एक-तिहाई रकम होगी और पेंशन के दो-तिहाई हिस्से के प्राप्ति-अधिकार को छोड़ने के लिए, सिविल पेंशन (राशीकरण) नियमों के अन्तर्गत राशीकरण की रकम की दुगुनी रकम के बराबर रकम सेवा-समाप्ति लाभ के रूप में मिलेगी। ये हिदायतें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 37 तथा 37-ए के अनुसार ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10-क) (i) के अनुसार पेन्शन की केवल एक तिहाई राशीकृत रकम को छूट मिली हुई है और बाकी की दो तिहाई रकम सेवा-समाप्ति लाभ के रूप में होने के कारण आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10-क) (i) के अन्तर्गत नहीं आती। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन आदेशों का आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10-क) (i) के उपबन्धों से कोई विरोध नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Capital Investment by L.I.C., Unit Trust of India and G.I.C. in shares of Private Sector Companies

*1104. **Shri O. P. Tyagi :**

Shri Anant Ram Jaisway :

Will the Minister of Finance be pleased to lay a statement showing :

(a) whether he is aware of the capital investment by the LIC, Unit Trust of India and General Insurance Companies in the purchase of shares of private sector companies between 1st March to 15th April, 1978;

(b) if so, the names of such companies, the number and value of shares purchased from each company and the percentage yield in respect of each share on present value;

(c) the big houses to which above companies are associated;

(d) whether Government have laid down a policy regarding capital investment in shares by the above institutions to prevent them from investment in shares with yield below a given percentage and also to compel them to sell such shares invariably;

(e) whether the yield of the shares purchased is lower than the bank fixed deposit interest rate and the dividend paid by the Unit Trust to its share holders is even lower; and

(f) if so, the reasons therefor and the basis for purchase of private sector companies shares by the above public sector institutions ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) to (e) : In the normal course of their investment operations, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, General Insurance Corporation of India and its subsidiaries have been purchasing shares of public limited companies in the private sector.

2. Information regarding the names of Companies whose shares these institutions have purchased during the period 1st March to 15th April, 1978, number and value of shares purchased of each Company by these institutions and the yield on the average purchase price together with the details of the large business groups to which the Companies belong is being collected and will be laid on the table of the House.

3. Government have laid down the guidelines regarding the pattern of investments of the LIC, GIC and its subsidiaries. According to these guidelines the LIC's investments in the private corporate sector are limited to 10% of the annual accretions to the Controlled Funds while the investments of the GIC and its subsidiaries in the same sector are limited to 30% of the annual investable funds. Within these parameters these institutions make their investment decisions in regard to the purchase of shares of companies through their respective Boards and Investment Committees. So far as UTI is concerned, its investments are mainly in equity shares and debentures of public limited companies.

4. The objective of the institutions in making equity purchases is to earn a steady and reasonable return on their investment. They .... look to the scope for capital appreciation and the growth prospects of the company. They take into account the financial performance of the company concerned the consistency of the earnings, record of dividend payments, prospects of bonus issues having regard to the reserve position, the quality of management, diversification/expansion/modernisation plans of the company, and the marketability of the shares. As a part of their portfolio management, they also keep in view the need for a proper diversification of their investments.

5. The dividend yield value is no doubt an important consideration in the matter of purchase of shares but equally important is the scope for capital appreciation. In the case of LIC and GIC, the capital appreciation arising from equity investment provides them with a hedge against possible depreciation on interest bearing securitis. In the case of GIC, the tax angle is an additional factor since the tax payable on inter-corporate dividend income is much lower than that payable on interest income from Government securities, debentures, fixed deposits, term loans etc. In the case of UTI, the booking of the capital appreciation is an important consideration to enable it to declare a reasonable dividend to the unit holders.

4—154 LSS/ND/78

6. As mentioned above, these institutions do not purchase shares on the basis of yield consideration alone, but also take into account other aspects, such as, scope for capital appreciation and, therefore, there can be no comparison between the dividend yield on the shares and the interest rate on fixed deposits with Banks and the devidend paid by the Unit Trust to the unit holders.

एयर इंडिया द्वारा यात्रियों को शराब पेश किया जाना

*1105. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया द्वारा अपनी उड़ानों में यात्रियों को शराब पेश की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत एयर इंडिया को अपनी उड़ानों में शराब पेश न करने की सलाह दी जायेगी;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या विशेष कारण हैं; और

(ङ) यदि उपर्युक्त (ग) भाग में उल्लिखित कोई प्रस्ताव है तो वह कब से विचाराधीन है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख): जी, हां। एयर इंडिया पहल दर्जे के यात्रियों को शराब निःशुल्क देते हैं और इकॉनामी क्लास के यात्रियों को "कम्पैसटरी" कीमत पर।

(ग), (घ) और (ङ) : जी, नहीं। मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में बैंकिंग कार्य

*1106. **श्री अमृत कासर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ, दमन और दीव संघ क्षेत्र के तेरह तालुकों में से केवल चार तालुकों, यथा, तिसवडी, सालसेट, मारमागाव और बारडीज में ही राष्ट्रीयकृत बैंकों का 95 प्रतिशत बैंकिंग कार्य होता है;

(ख) क्या सारे बैंक कार्य केवल कुछ ही स्थानों पर ही होने से राष्ट्रीयकृत बैंकों में अस्वस्थ प्रतियोगिता नहीं हो गई है; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र के शेष नौ पिछड़े तालुकों में बैंकिंग कार्य को फैलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) गोआ, दमन और दीव के केन्द्र शासित प्रदेश के बैंकिंग परिचालन के आंकड़े रिजर्व बैंक द्वारा पूरे केन्द्र शासित प्रदेश के बारे में, समग्र रूप से एकत्र किये जाते हैं। अतः तालुकावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विशिष्ट स्थानों पर शाखा खोलने के लिए बैंकों को लाइसेंस देते समय भारतीय रिजर्व बैंक हर स्थान को बैंकिंग आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है और उसके ध्यान में बैंकों की आपसी अस्वस्थ प्रतियोगिता का कोई उदाहरण नहीं आया है।

(ग) पूरे केन्द्र शासित प्रदेश के छोटे ऋणकर्त्ताओं की आवश्यकताएं ठीक से पूरी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, लीड बैंक योजना को हाल ही में इस कन्द्र शासत प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक को गोवा और दमण का दायित्व सौंपा गया है और स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र को दीव का। लीड कों बैंको इन क्षेत्रों के लिए जिला ऋण योजनाएं तैयार करने को कह गया है। इन ऋण योजनाओं के कार्यान्वियन के बाद इस केन्द्र शासित प्रदेश में, छोटे ऋणकर्त्ताओं को कृण दिये जाने की गति में सुधार होने की आशा है।

जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी

*1107. **श्री शामलाल धुर्वे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों ने मार्च, 1978 में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह हड़ताल कितने दिन चली और उनकी मांगे क्या थीं ;

(ग) जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की इस हड़ताल के कारण सरकार को अपने इस कारोबार में कितनी हानी हुई ;

(घ) क्या जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारीयों कीं इस हड़ताल से पालिसी धारियों को वर्ष में दिये जाने वाले बोनस के भुगतान पर कोई प्रभाव पड़ेगा ;

(ङ) यदि हां, तो वह कितना होगा ; और

(च) भविष्य में ऐसी स्थिति को टालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : जी, हां। जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों ने जीवन बीमा निगम द्वारा 1966 में शुरू की गई लागत मानदण्ड योजना को वापस लेने और स्वतः वेतनवृद्धि, रोजगार की सुरक्षा तथा परिलब्धियों की सुरक्षा की अपनी मांगों के समर्थन में चाहे उनका काम कैसा भी हो मार्च 1978 में हड़ताल की थी। उनकी हड़ताल 8-3-78 से 27-3-78 तक चली।

(ग) 1978 में हड़ताल की अवधि में व्यक्तिगत बीमों के अन्तर्गत नए कारबार और इसकी तुलना में पिछले वर्ष को इसी अवधि में किए गए व्यक्तिगत बीमों के नए कारबार के आंकड़े इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	8-3-77 से 27-3-77 तक	8-3-78 से 27-3-78 तक
प्रस्ताविक राशि	116.50	80.08
बीमाकृत राशि	120.85	107.73

(घ) और (ङ) : जीवन बीमा निगम द्वारा बोनस की घोषणा द्विवार्षीक बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और अगला मूल्यांकन 31-3-79 को किया जाना है। बीमांकित मूल्यांकन करते समय अन्तर-मूल्यांकन अवधि में मृत्यु संबंधी अनुभव, विदेशों से हुई आय और प्रबन्ध के खर्च को हिसाब में लिया जाता है। बोनस पर, जिसकी घोषणा अगले मूल्यांकन के समय की जाएगी, विकास अधिकारियों की हड़ताल के सम्भावित प्रभाव का ठीक ठीक परिणाम बताना सम्भव नहीं है। फिर भी अन्तर मूल्यांकन अवधि के दौरान विकास अधिकारियों पर हुए तत्सम्बन्धी खर्च का पता उस मूल्यांकन के परिणामों से चल जाएगा।

(च) विकास अधिकारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के विचार से नैशनल फैडरेशन आफ फील्ड वर्कर्स के साथ बातचीत चल रही है।

आपातकाल के दौरान महंगाई भत्ते में जबरदस्ती की गई कटौती की बहाली

*1108. **श्री भगत राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1/2 प्रतिशत की जबरदस्ती कटौती की गई थी ;

(ख) क्या सरकार का विचार महंगाई भत्ते की इस कटौती को बहाल करके आपातकाल की इस सरासर ज्यादती को समाप्त करने का है ; और

(ग) महंगाई भत्ते में की गई इस कटौती को कब बहाल करने का विचार है।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई महंगाई भत्ता योजना के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सुचकांक (सामान्य) (1960=100) की औसत के 200 अंकों से ऊपर 12 मास के औसत में प्रति 8 अंक की वृध्दि हो जाने पर कर्मचारियों की निम्न दरों पर महंगाई भत्ते की एक किस्त देय हो गई थी :—

वेतन रेंज	औसत सूचकांक (1960=100) में 8 अंक की वृद्धि हो जाने पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की राशि।
300 रुपये तक	वेतन का 3.5 प्रतिशत किंतु न्यूनतम 7 रुपये प्रति मास और अधिकतम 10 रुपये प्रति मास।
300 रुपये से उपर	वेतन का 2.5 प्रतिशत किंतु न्यूनतम 10 रुपये प्रति मास और अधिकतम 20 रुपये प्रति मास।

इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने दरों में ½ प्रतिशत की वृद्धि कर दी थी जोकि निम्न प्रकार है :—

वेतन रेंज	सूचकांक (1960=100) के 12 मास के औसत में 8 अंक की वृद्धि हो जाने पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की राशि।
300 रुपये तक	4%
300 रुपये से उपर	वेतन का 3 प्रतिशत किंतु न्यूनतम 12 रुपये और अधिकतम 27 रुपये।

सरकार ने 272 अंक तक औसत सूचकांक को पूरा करने के लिए इस आधार पर महंगाई भत्ते की 9 किस्तें स्वीकार कीं। वेतन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि यदि मूल्यस्तर 272 के 12 मास के औसत से अधिक हो जाए तो सरकार को चाहिए कि वह स्थिति की समीक्षा करे और यह निर्णय करे कि क्या महंगाई भत्ते की योजना आगे बढ़ाई जाए अथवा वेतन-मानों में ही संशोधन कर दिया जाए। सरकार ने इस मामले में संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श किया और अन्ततः पहले से लागू महंगाई भत्ते की योजना के अनुसार किंतु तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई दरों पर अतिरिक्त महंगाई भत्ते की 5 किस्तें मंजूर करने का निर्णय किया। उसके बाद देय महंगाई भत्ते की किस्तें इस आधारपर मंजूर की गई हैं।

महंगाई भत्ते की उच्चतर दरों को, जोकि महंगाई भत्ते की शुरू की नौ किस्तों के मामले में लागू की गई थीं, बहाल करने का प्रश्न संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाया गया था और इस समय उनके साथ इस मामले में विचार-विमर्श चल रहा है। जून 1978 के आखिर तक इस विचार-विमर्श के पूरे हो जाने की आशा है।

निर्यात संवर्धन परिषदों के पास सदस्यों/पंजीकृत निर्यातकों की संख्या

10135. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1978 को निम्नलिखित निर्यात संवर्धन परिषदों/रजिस्ट्री प्राधिकारियों के पास सदस्यों/पंजीकृत निर्यातकों की संख्या क्या थी : (एक) बेसिक केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स ई० पी० कौंसिल (दो) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट ई० पी० कौंसिल (तीन) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल (चार) फिनिशड लेदर एण्ड लेदर मैन्यूफैक्चरर्स ई० पी० कौंसिल (पांच) मेडिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी (छः) प्लास्टिक और लिनोलियम ई० पी० कौंसिल (सात) प्रोसेस्ड फुड्स ई० पी० कौंसिल (आठ) स्पोर्ट्स गुड्स ई० पी० कौंसिल (नौ) वूल एण्ड वूलन्स ई० पी० कौंसिल (दस) टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल (सिले-सिलाए वस्त्र)?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : 1 जनवरी, 1978 को निम्नोक्त निर्यात संवर्धन परिषदों में पंजीकृत निर्यातकों/सदस्यों की संख्या नीचे दी जाती है:

निर्यात संवर्धन परिषद	1-1-78 को संख्या	
	सदस्य	पंजीकृत निर्यात
1	2	3
1. सभाक्षारीय रसायन, भेषज तथा अंगराग सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद	2748	1605
2. रसायन तथा सहोत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद	1898	1523
3. इंजिनियर निर्यात संवर्धन परिषद	6044	5652

1	2	3
4. तैयार चमड़े तथा चमड़े से विनिर्मित वस्तुओं को निर्यात संवर्धन परिषद	1369	1369
5. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	†	1034
6. प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद	1302	1220
7. साधित खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद	673	640
8. खेल-सामान निर्यात संवर्धन परिषद	425	425
9. ऊन तथा ऊनी माल निर्यात संवर्धन परिषद	349	†
10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (सिले सिलाये परिधानों का पैनल)	4088 (3929)	3890

Taxes Outstanding Against Various Companies

10136. **Shri Hukmdeo Narain Yadav:** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) total amount of income tax, customs duty and other Central taxes outstanding against U.P. Trading Company, Darbhanga Marketing Company, Bihar, Saran Marketing Company, Bihar, Viney Krishna Agrawal, Shivnandan Prasad Agrawal, Gopi Poddar, Mahavir Rice Mill, Asharfi Mahaseth, Darbhanga, Bihar, Gauri Shankar Badri Naryan Sakari, Chhabra Mill Stores, Darbhanga, Parmeswar Pansari, Dharbhanga, Nirmal Trading Company, Darbhanga (all in Bihar) and since when this amount is outstanding and the action taken to realise this amount; and

(b) the initial capital of each of these commercial firms and their capital upto the end of 1977 and the amount of bank loans against these firms?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) & (b) : According to the information presently available with the Ministry, a chart showing the initial and final capital in each of the ten commercial firms out of those specified in part (a) of the question is annexed. There are no direct taxes or central excise duties outstanding against these firms and the information whether any customs duty is outstanding is being collected and will be laid on the Table of the House.

In respect of bank loans to the Companies it may be stated that in accordance with the practices and usages customary among bankers and also in conformity with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, information relating to the affairs of individual constituents of the banks cannot be divulged.

†जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Statement

Sl. No.	Name of the Assessee	Intital capital(Rs.) (with date to which the information relate, in brackets)	Capital as on the latest available date (Rs.) (with relevant date in bracket)
1	2	3	4
1	Shivanandan Prasad Agarwal	67,077 (13-9-68)	189,205 (31-12-77)
2	Gopi Poddar	87,978 (19-10-70)	97,412 (31-12-77)
3	Mahavir Rice & Oil Mills	42,035 (7-11-61)	90,487 (22-10-76)
4	Chhabra Mill Store . .	1,83,148 (31-3-65)	2,33,856 (31-12-77)
5	Parmeshwar Pansari	35,967 (2-11-56)	1,00,062 (22-10-76)
6	Asharfi Mahaseth . . .	19,056 (10-10-59)	77,418 (24-10-74)
7	Nirmal Trading Co.	49,717 (1962)	1,18,522 (31-12-77)
8	Gouri Shankar Badri Narian Sakri . .	83,258 (1957-58)	41,248 (31-12-77)
9	Vinay Krishna Agarwal (HUF) .	6,55,407 (1966-67)	15,53,395 (1977-78)
10	Vinay Krishna Agarwal (Indl.)	17,815 (1-4-64)	4,94,348 (1977-78)

सरकार द्वारा गुप्त निधि का रखा जाना

10137. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार कुछ गोपनीय राष्ट्रीय कार्यों के लिए करोड़ो रुपए की एक गुप्त निधि रखती है ;

(ख) क्या इस निधि में से उपयोग के मामले में हेरा-फेरी की बहुत अधिक गुंजाइश होती है ; और

(ग) क्या कोई ऐसा मामला सरकार की जानकारी में लाया गया है जिसमें धन गलत ढंग से निकाला और इस्तेमाल किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : संविधान के अनुच्छेद 114 (3) के साथ पठित अनुच्छेद 266 (3) के अंतर्गत संसद की अनुमति के बिना भारत की समेकित निधि से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती। इस लिए सरकार के पास कोई गुप्त

निधि नहीं है। परंतु कुछ मंत्रालयों के बजट अनुदानों में गुप्त या विशेष प्रकृति के व्यय के लिए कुछ शीर्षों के अंतर्गत व्यवस्था शामिल होती है। बजट व्यवस्था के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यय को विनियमित करने के संबंध में अलग से नियम तथा लेखाकरण संबंधी कार्यविधियां निर्धारित कर दी गई हैं।

थर्ड लेवल फीडर सेवायें

10138. **श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने थर्ड लेवल नागर विमानन फीडर सेवाओं के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति उन्होंने किस कारण नियुक्त की और इसके संक्षिप्त निदेशपद क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन तथा अन्य महत्व के छोटे नगरों तथा शहरों को "थर्ड लेविल" विमान सेवाओं से जोड़ने का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में, इंडियन एयरलाइंस द्वारा एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी। एक समिति का गठन किया गया है जो परियोजना के ऐसे विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी जैसे विभिन्न क्षेत्रों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए "थर्ड लेविल" परिचालनों की स्कीम या क्रमिक चरणों में विभाजन (phasing) विमान का प्रकार, परिचालन करने वाली एजेंसी, प्रशासनिक ढांचा, तंत्र मार्ग संरचना, वेतन ढांचा, मार्ग पैटर्न आदि तथा ऐसे ही अन्य संबद्ध मामले। समिति अपनी रिपोर्ट जून, 1978 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी और सरकार उसके बाद ही इस विषय पर कोई निर्णय लेगी।

Representation to Regional Director National Savings Ahmedabad, Against Savings District Officer

10139. **Shri Dharmsinhbhai Patel:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the agent of Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana in Porbandar city in Saurashtra region of Gujarat submitted in December, 1977 a representation to the Regional Director, National Savings, Government of India, Ahmedabad, complaining against the Savings District Officer for not getting commission in time and non-availability of the requisite forms, small boxes and other literature for depositor;

(b) if so, the details of the complaints or demands contained therein;

(c) the action taken so far by Government thereon; and

(d) whether the same agent made complaints about eight times to the Regional Director, Ahmedabad, against the District National Savings Office, Nari Bachat Yojana (Savings Scheme) of Porbandar and if so, the nature of complaints made date-wise and the action taken or proposed to be taken on all these complaints and when ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) :The complaint of the Mahila Pradhan Agent mainly pertains to the following points :—

(i) The District Savings Officer was not giving the necessary guidance and the National Savings Organisation was also not extending to the Agent the requisite co-operation; and

(ii) delay in the payment of commission bills for the months of July, August and September 1977.

There was initially some delay in the payment of commission bills. This was because some further scrutiny had to be made. The bills were paid subsequently. There is no substance in her other complaints and the Agent had been suitably advised about this.

(d) Yes, Sir, besides the representation of the Agent made in December 1977, there were seven other complaints received from the same agent. Brief particulars of the complaints date-wise and the action taken thereon are furnished hereunder :—

Date of Complaint	Point raised	Action Taken
10-8-77	Delay on the part of the Head-Post Officer in issuing the agency to her.	The earlier application was not in proper form and the Agent was advised to submit revised application along with the prescribed security which was received on 2-3-77 and the order appointing the applicant as Agent was issued on 5-4-77. There was thus no undue delay in the matter.
17-9-77	Delay in the payment of commission bills and not being supplied with sufficient number of forms and literature.	There was initially some delay in the payment of commission bills as some enquiries had to be made. These bills were, however, subsequently paid. The requisite forms and literature were supplied to meet the genuine requirements.
17-10-77	Commission bill for September 1977 remained unattended to in the absence of District Savings Officer.	The District Savings Officer is primarily a touring officer and he attends to the bills when he works at the headquarters. Some delay in the matter might have occurred but the bills were paid subsequently.
21-10-77	These contained only suggestions for supply of printed lists of account-holders. to MPKBY Agents, supply of covers for pass books, and supply of small savings boxes.	The first suggestion could not be complied with . Pass Book covers and small savings boxes are supplied by P & T Department to the extent of stock available.
27-1-78	This again relates to delay in the payment of commission bills.	In some cases the bills were received direct by the Regional Director National Savings and they had to be referred back to the District Savings Officer for scrutiny.
22-2-78	No new points were brought out in this application.	
16-3-78	Commission claims for January and February 1978 were delayed.	These bills have since been paid.

Business Transaction of Gold Done by Jaipur Royal Family

10140. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in "Rajasthan Patrika" dated 9th April, 1978 under the caption "Jaipur Rajgharane no Bombay men 6 crore sone ke soude kiye hain" (Jaipur royal family has done business transactions of gold worth Rs. 6 crore in Bombay) and if so, whether Government of India have initiated action to find out the facts thereof and if so, the information received so far; and

(b) whether a copy of the details thereof will be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) & (b) : As a result of certain raids carried out by the Income-tax/Gold Control authorities in the various premises belonging to the erstwhile ruling family of Jaipur during February to June, 1975 about 895 kg. of primary gold, gold coins, ornaments/article were seized by the Gold Control authorities for action under the Gold (Control) Act. The case was adjudicated by the Collector of Central Excise in November, 1977 confiscating gold and allowing it to be redeemed on payment of fine of Rs. 1.5 crores; the Collector also imposed a personal penalty of Rs. 5 lakhs on Lt. Col. Bhawani Singh as Karta of Hindu Undivided Family of Erstwhile royal family of Jaipur.

Gold and gold articles seized by the Gold Control authorities were under a restraint order issued by the Income-tax Department under section 132(3) of the Income-tax Act, 1961, after the Collector of Central Excise, Jaipur adjudicated the matter the assessee approached the Income-tax Department for lifting the restraint order, to enable payment of liabilities to the Income-tax and Gold Control authorities by sale of gold. He furnished a bank guarantee for a sum of Rs. 289 lakhs, personal bond for Rs. 26.69 lakhs, along with a letter from the Punjab National Bank, Jaipur stating that the sale of gold articles to be released by the Central Excise authorities would be carried out under their supervision and the sale proceeds thereof would be retained by them after deducting a sum of Rs. 155 lakhs payable to the Gold Centrol authorities, another sum of Rs. 289 lakhs payable to the Income-tax Department and Bank charges etc. The Bank also undertook to pay after a period of 40 months from the date of release of gold any tax liabilities which may be then outstanding to the extent of the balance sale proceeds retained by them. Thereupon, the Income-tax Department removed the restraint.

The gold was redeemed by the party on 6-2-78 after depositing the redemption fine and personal penalty. Reports indicate that a total of about 884 kg. of gold, ornaments, and articles etc. were sold between February and April, 1978 to gold dealers for about Rs. 5.7 crores.

Out of the sale proceeds of the gold, a sum of Rs. 315.69 lakhs (Rs. 289 lakhs plus Rs. 26.69 lakhs) has been collected by the Income-tax Department.

मस्जिद मोठ क्षेत्र (दिल्ली) में तम्बाकू जब्त करना

10141. **श्री मनोहरलाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मस्जिद मोठ क्षेत्र (दिल्ली) में 25 सितम्बर, 1975 से 8 अक्तबर, 1975 के बीच 797 और 1168 बोरियां तथा कुल 1965 तम्बाकू की बोरियां जब्त की गई थी जिन पर 1,06,766 रुपये और 2,43,000 रु० यानि कुल 3,49,766 रु० के उत्पादन शुल्क का अपवंचन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में विभागीय कार्यवाही जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना भी शामिल है, मुकदमा चलाना, एक विभाग से दूसरे विभाग को मामले भेजे जाने जैसी तथा अन्य इसी प्रकार की क्या प्रभावकारी कार्यवाही की; और

(ग) उक्त मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : पहले मामले में जिसमें 797 बोरे तम्बाकू पकड़ा गया, उप समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली द्वारा न्याय-निर्णय किया गया था जिसमें तम्बाकू को जब्त कर लिया गया और पार्टी पर 750 रु० का वैयक्तिक दण्ड लगाया गया। पार्टी को, 5,000 रु० के जुर्माने की अदायगी करके तम्बाकू छुड़वाने की अनुमति दी गयी थी। पार्टी ने वैयक्तिक दण्ड की अदायगी कर दी, जुर्माने की रकम अदा करके माल को छुड़ा लिया और उसे पुनः माल गोदाम में रख दिया। चूंकि पार्टी कपट के मामलो में ग्रस्त थी और उसकी ओर सरकारी रकमें बकाया पड़ी थी। इसलिये इस अवस्था में पार्टी का लाइसेंस रद्द करना उपयुक्त नहीं समझा गया।

दूसरे मामले में जिसमें 1168 बोरे तम्बाकू पकडा गया था, न्याय-निर्णय केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता ने किया जिसमें तम्बाकू को जब्त कर लिया गया तथा पार्टी पर 2000 रु० का वैयक्तिक दण्ड लगाया गया। लेकिन, पार्टी को यह छूट दो गयी थी कि वे 10,000 रु० के जुर्माने की अदायगी करके तम्बाकू छुड़वा सकते है। पार्टी ने वैयक्तिक दण्ड अदा कर दिया लेकिन उन्होने तम्बाकू नहीं छुड़वाया। बाद में तम्बाकू को नीलाम द्वारा बेच दिया गया। इस पार्टी के पास कोई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंस नहीं था। पार्टी के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही भी शुरु की गयी थी जो चल रही है।

रत्नागिरि में हवाई अड्डे का निर्माण

10142. **श्री राजाराम शंकरराव माने** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रत्नागिरि में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने का है ; और

(ख) क्या प्राइवेट विमान कम्पनियों को बम्बई, रत्नागिरि और कोल्हापुर के बीच शटल सेवा आरम्भ करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। रत्नागिरि में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया एक हवाई अड्डा है ।

(ख) बम्बई-कोल्हापुर-नासिक तथा बम्बई - रत्नगिरि मार्गों पर परिचालन के लिए एक गैर-अनुसूचित परिचालक, गोल्डन सन एवियेशन को एक परमिट जारी किया गया है। ऐसे परिचालन बम्बई-रत्नगिरि मार्ग पर पहले ही आरंभ कर दिए गए हैं।

भारतीयों को विदेशी मुद्रा का भुगतान किये बिना "ट्रेवल एज यू लाईक टिकट" का दिया जाना

10143. **श्री पी०राज गोपाल नायडू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य पर्यटकों को "ट्रेवल एज यू लाईक टिकटस्" विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर उपलब्ध हैं ; और

(ख) क्या पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उक्त टिकट लोगों को विदेशी मुद्रा में भुगतान के बिना उपलब्ध करायें जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) यह स्कीम अंतराष्ट्रीय पर्यटकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतराष्ट्रीय पर्यटकों को आकृष्ट करने की दृष्टी से बनाई गयी है।

अंतर्देशीय पर्यटकों के लिए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय स्थलों तथा पूर्व-निर्धारित परिक्रमा यात्राओं (सर्कुलर टूर्स) के लिए रियायती रेल किराए उपलब्ध हैं।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों में इक्विटी पूंजी में नकद धनराशि लगाना

10144. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों में संयुक्त उद्यमों में प्रत्येक मामले में गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए कुछ मामलों में इक्विटी पूंजी में नकद धनराशि लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : जी हां। इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिये नकद सहायता की अनुमति कठिनाई वाले तथा सुयोग्य मामलों में गुणावगुण के आधार पर तथा सहयोग के क्षेत्रों पर विचार करके दी जाती है। उदाहरणार्थ, परामर्श तथा अन्य सेवा उद्यमों के मामले में नकदी भेजने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों पर तभी विचार किया जाता है जब कि लम्बे समय तक पूंजीगत माल तथा सेवाओं को काफी निर्यात होने का प्रस्ताव हो। इस सम्बन्ध में विदेशों में भारत के संयुक्त उद्यमों पर लागू होने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्त की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो 28 अप्रल, 1978 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 8568 के उत्तर के साथ संलग्न थे।

आम आदमी के लिये अन्तर्देशीय पर्यटन

10115. **श्री डी० अमात :** क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्देशीय पर्यटन विकसित करने की आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विशेषकर युवकों मे पर्यटन के प्रति रुचि बढ़ाने और पर्यटन को आम आदमी के लिये सुलभ करने के लिये, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) सस्ते आवास की व्यवस्था करने तथा यूथ ट्रेवल को बढावा देने के लिए, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न योजनावधियों में पर्यटक बंगलों तथा युवा होस्टलों का निर्माण किया गया है । 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के चार महा-नगरों में जनता होटलों (यात्री निवास) के निर्माण का और इनके साथ साथ अन्य चुने हुए ऐसे केन्द्रोंपर भी छोटे जनता होटल बनाने का भी प्रस्ताव है जिनका निर्धारण एक सर्वेक्षण कर लेने के बाद किया जायगा । सरकार ने नई दिल्ली में 1250 शय्याओं वाले जनता होटल प्रॉजेक्ट का अनुमोदन कर दिया है और इसका शिलान्यास 4-5-1978 को किया गया । यह 1980-81 तक क्रमिक चरणों (फेज़िज) में पूरा किया जाएगा ।

बहुत अधिक संख्या में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एक सोसाइटी स्थापित करने का प्रस्ताव है जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, धार्मिक/धमर्थि ट्रेस्टों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से अनुदान/दान प्राप्त करेगी । इस प्रकार बनाये गय फंड से, यह प्रस्तावित सोसाइटी राष्ट्रीय महत्व के तीर्थ केन्द्रों पर धर्मशालाओं/सरायों मुसाफिरखानों के संधारण/सुधार/विस्तार के लिए अनुदान देगी ।

आई० टी० सी० लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा विदेशी शेयरों का कम किया जाना

10146. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० टी० सी० लिमिटेड, कलकत्ता ने अभी तक अपने कुल विदेशी शेयरों की कुल चुकती पूंजी और स्वीकृत पूंजी को 40 प्रतिशत तक कम नही किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और कम्पनी में इस समय व्यक्तियों या विदेशी ग्रुपों के शेयरों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या शेयर कम करने के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(घ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विदेशी शेयरों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं । कंपनी ने अपनी अनिवासी इक्विटी पूंजी को पहले ही 39.9 प्रतिशत तक घटा दिया है ।

(ख), (ग) और (घ) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

फरीदाबाद में आयकर अधिकारियों की वास्तविक और बेनामी परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिये जांच

10147. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने के बारे में सरकार ने क्या नीति निर्धारित कर रखी है;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि फरीदाबाद में आयकर अधिकारियों के कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ग) क्या यह सच है कि फरीदाबाद में आयकर अधिकारियों की परिसम्पत्तियां उनके आय के ज्ञात साधनों के अनुपात में नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या फरीदाबाद में आयकर अधिकारियों की वास्तविक और बेनामी परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिये कोई जांच की जा रहा है; और

(ङ) क्या आयकर कार्यालयों में काम कर रहे सभी आयकर अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों तथा उच्च अधिकारियों से समय समय पर आय के बारे में ब्यौरा लेने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारूल्ला) : (क) आयकर अधिकारियों को सामान्यत: 3 अथवा 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत एक आयकर सर्कल/वार्ड से दूसर में और एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित किया जा सकता है। जबकि श्रेणी ii अधिकारियों को सामान्यतया एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित नहीं किया जाता है, आयकर अधिकारियों (श्रेणी-i) को किसी राज्य विशेष में 6 अथवा 7 वर्षों के कार्यकाल के बाद इस प्रकार स्थानान्तरित किया जा सकता है। सम्बन्धित अधिकारियों को यदि कोई व्यक्तिगत कठिनाइयां हों, तो उनपर विचार करते हुए इस नीति को विशिष्ट मामलों में लागू नहीं किया जाता है। मितव्ययिता के कारण, इस नीति के अनुरूप ही, कम से कम स्थानान्तरण किये जाते हैं।

(ख) फरीदाबाद में तैनात एक आयकर निरीक्षक के खिलाफ आयकर आयुक्त, हरियाणा और चण्डीगढ़, को एक गुमनाम शिकायत मिली है, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।

(ग) आयकर अधिकारियों को अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष विवरण दाखिल करना होता है। ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है जिसमें यह पाया गया हो कि फरीदाबाद में तैनात किसी अधिकारी की परिसम्पत्तियां उनकी आय अनुपात के अनुरूप नहीं हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपनी विवरणी दाखिल करने के दायित्व के अतिरिक्त, आयकर विभाग के किसी कर्मचारी से कोई पृथक् विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। किन्त ऐसे नियम तथा आदेश हैं जिनमें आयकर अधिकारी और उससें ऊंचे ओहदे के अधिकारियों से अचल सम्पत्ति की वार्षिक विवरणियां दाखिल किये जाने की अपेक्षा की गई है। विशेषरूप से आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिए कोई अन्य प्रकार की विवरणी निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव नहीं किया जाता है।

दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी विमान सेवा

10148. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहरा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से भुवनेश्वर को विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और इसकी क्रियान्विति कब की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : भुवनेश्वर के हवाई अड्डे के रन-वे के फर्श के नवीकरण (रिसर्फेसिंग) का कार्य आरंभ कर दिया गया है और इसके मार्च, 1979 तक पूरा हो जाने की आशा है। इंडियन एयरलाइंस रिसर्फेसिंग का कार्य पूरा होते ही भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा चलाने पर विचार करेंगी।

Uniformity of Rates in Star Hotels

10149. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 247 on 2nd December, 1977 regarding basis on which Hotels are star categorised and state :

(a) whether there are 280 Star Hotels in the country and if so, whether these hotels meet the requirement of the country and if not, the number of hotels proposed to be constructed in public and private sectors and the names of the States where these hotels will be constructed;

(b) whether it is a fact that there is no uniformity in the rate of rooms, prices of food articles and other things in star hotels; and

(c) the various steps being taken by Government to bring uniformity in prices of the above ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) There are 288 approved hotels on the list of the Department of Tourism, out of which 152 have been star categorised/classified and the remaining 136 will be classified when the Classification Committee is revived which is expected to be so shortly. There is a shortage of hotel accommodation of requisite standards for international and domestic tourists. As against a total estimated requirement of 39,710 rooms by 1982, there are, at present, 17,851 rooms. Seventy-seven hotel projects in the private sector have been approved and are at various stages of construction. When completed they will add 5,979 rooms to the existing accommodation. As regards the public sector, the India Tourism Development Corporation has plans to set up 9 hotels with a total of 790 rooms during the Five Year Plan 1978-83, subject to the availability of funds. The Hotel Corporation of India have a proposal to set up a 355-room hotel at Bombay and 275-room hotel at Srinagar. It is also proposed to construct Janata hotels at the 4 metropolitan cities of New Delhi, Bombay, Calcutta and Madras which when completed will add 2,260 rooms. A statement showing total number of hotel projects and the places where they are being constructed is attached (ANNEXURE I).

(b) and (c) : It is not possible to have uniform tariff which all hotels of the same star category should charge, in view of the fact that operational and capital costs vary from place to place and are dependant on the depreciated value of the establishment. However, the hotel rates are fixed in accordance with an internationally accepted formula which allows a fair return of operational costs. The Department of Tourism approves hotel tariff worked out on the basis of this formula, duly certified by a chartered accountant. Thereafter for every revision in hotel tariff, the approval of the Department is obtained. A study group is being set up to examine in depth the construction and operational costs of different categories of hotels with a view to determining a suitable formula for structuring of hotel tariffs.

Statement I

Hotel Projects Proposed to be Constructed in Private Sector

	Number
Northern Region	
1. Agra (Uttar Pradesh)	1
2. Allahabad (Uttar Pradesh)	1
3. Bhatinda (Punjab)	1
4. New Delhi (Delhi)	5
5. Jaipur (Rajasthan)	1
6. Lucknow (Uttar Pradesh)	2
7. Ludhiana (Punjab)	2
8. Varanasi (Uttar Pradesh)	3
9. Jammu (Jammu & Kashmir)	1
	17
Eastern Region	
1. Digha (West Bengal)	1
2. Gauhati (Assam)	1
3. Patna (Bihar)	3
4. Silchar (Assam)	1
	6
Western Region	
1. Ahmedabad (Gujarat)	2
2. Bombay (Maharashtra)	7
3. Goa	2
4. Khajuraho (Madhya Pradesh)	1
5. Khandala (Maharashtra)	1
6. Margoa (Goa)	1
7. Nasik (Maharashtra)	2
8. Ponda (Goa)	1
9. Poona (Maharashtra)	2
10. Shirdi (Maharashtra)	1
	20

Statement I—*contd.*

	Number
Southern Region	
1. Adoni (Andhra Pradesh)	1
2. Anakapali (Andhra Pradesh)	1
3. Bangalore (Karnataka)	3
4. Cochin (Kerala)	1
5. Coimbatore (Tamil Nadu)	1
6. Hyderabad (Andhra Pradesh)	10
7. Kakinada (Andhra Pradesh)	2
8. Kareem Nagar (Andhra Pradesh)	1
9. Madras (Tamil Nadu)	6
10. Ootacamund (Tamil Nadu)	1
11. Tiruchirapalli (Tamil Nadu)	1
12. Tirupati (Andhra Pradesh)	2
13. Visakhapatnam (Andhra Pradesh)	1
14. Vijayavada (Andhra Praesh)	1
15. Warangal (Andhra Pradesh)	2
	34
GRAND TOTAL	77

HOTEL PROJECTS PROPOSED TO BE CONSTRUCTED IN PUBLIC SECTOR DURING THE FIVE YEAR PLAN 1978-83

India Tourism Development Corporation

	Number
1. New Delhi (Delhi)	1
2. Agra (Uttar Pradesh)	1
3. Chandigarh (Chandigarh)	1
4. Gauhati (Assam)	1
5. Gulmarg (Jammu and Kashmir)	1
6. Goa	1
7. Bombay (Maharashtra)	1
8. Ahmedabad (Gujarat)	1
9. Bhopal (Madhya Pradesh)	1
	9
Hotel Corporation of India	
1. Bombay (Maharashtra)	1
2. Srinagar (Jammu and Kashmir)	1
	2
GRAND TOTAL	11

5—154 LSS/ND/78

विकास की गति बढाने के लिए बैंकों द्वारा ब्याज की दर में कमी किया जाना

10150. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों की ब्याज दरें अधिक होने के कारण पांचवी योजना अवधि में मध्य प्रदेश में उठाऊ सिंचाई के लिए पुंजी-निवेश में वृद्धि नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप इसका जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में किया गया सही मूल्यांकन क्या है;

(ग) क्या सरकार विकास को गति बढाने के लिए ब्याज दर कम करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : पांचवी योजना की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किये गये उठाऊ (लिफ्ट) सिंचाई परियोजना सहित सम्बधित (कम्पोजिट) छोटी सिंचाई योजनाओं के वित्त पोषण में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देती है, जैसा कि अखिल भारतीय आंकडों के मुकाबले में मध्य प्रदेश की स्थिति प्रदर्शित करने वाली निम्न-लिखित सारणी से पता चलता है :—

(राशि लाख रुपयों में)

निम्मलिखित के अन्त में	मध्य प्रदेश		अखिल भारतीय	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
मार्च, 1974	425	20.51	17208	1578.85
मार्च, 1975	2581	133.26	27248	1510.01
मार्च, 1676	10127	416.99	46153	2370.70
मार्च, 1977	22024	819.38	61362	2800.18

(कुएं खोदने/गहरे करने तथा इंजन/पम्पसेट लगाने के लिए दिये गये ऋण उक्त आंकडों में शामिल नही है।)

यह देखा जा सकता है कि इस राज्य में मार्च, 1974 और मार्च, 1977 के बीच ऐसे ऋणों की मात्रा बढ़कर लगभग 40 गुना हो गई जबकि इसी अवधि में सारे देश में ऐसे ऋणों की मात्रा दुगने से भी कम बढ़ी थी।

(ग) और (घ) : जहां कृषि पुनर्वित्त और विकास बैंकों से पुनर्वित्त सहायता ली जाती है, वहां ब्याज की दर सामान्यतः $10\frac{1}{2}\%$ प्रतिशत होती है। किन्तु भूमि विकास बैंक द्वारा दिये गये ऋणों के मामले में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों का ध्यान रखते हुए, मध्य प्रदेश मे 11 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है जोकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की सामान्य दर है।

औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को सताया जाना

10151. **श्री लालू प्रसाद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी एसोसिएशन के सभी महामंत्रियों, उनको शाखा मंत्रियों और अन्य सक्रिय पदाधिकारियों को उनकी अधिकारियों के रुप में पदोन्नति होने पर; इसके बावजूद कि उन्हें उसी स्थान पर तैनात किया जा सकता था जहां वे पदोन्नति से पूर्व तैनात थे; अन्य स्थानों पर स्थानांतरण करके सताया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्यों ? और

(ग) सरकार का भविष्य में इस प्रकार के सताया जाना दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : अधिकारी वर्ग में पदोन्नत किए गए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी संघ के 17 पदाधिकारियों मे से केवल 8 कर्मचारियों का स्थानांतरण काम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। चूंकि पदोन्नति अतिरिक्त पदों की रचना, सेवा निवृत्ति, त्याग-पत्र तथा अनुभव प्राप्त करने आदि जैसे कारणों के लिए, अधिकारियों का भारत क किसी भी भाग में स्थानांतरण हो सकता है, इसलिए केवल इन स्थानांतरणों के फलस्वरुप किसी के सताये जाने का प्रश्न नही उठता।

Loans Advanced to Farmers by Rural Banks in Bihar

10152. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced to the farmers by rural banks in Bihar during the year 1975-76, 1976-77 and 1977-78 and the rate of interest thereon; and

(b) the condition laid down by banks for loans ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) : The seven Regional Rural Banks operating in Bihar made advances of Rs. 10 thousands in 1975-76, Rs. 41.34 lacs in 1976-77 and Rs. 122.68 lacs in 1977-78 to small and marginal farmers and agricultural labourers at the rates of interest charged by the Cooperatives functioning in their respective areas of operation. The average rates of interest of the Cooperatives and Regional Rural Banks in Bihar are 13.25% and 13.75% for short-time and medium term loans respectively. These banks, like other Regional Rural Banks, sanction loans to only small and marginal farmers, agricultural labourers, rural artisans and other weaker sections of the village community under liberal conditions like group guarantee system, against hypothication of crop etc.

Purchasing power of rupee

10153. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether purchasing power of a rupee has diminished to 25.64 paise over the past 28 years; and

(b) if so, whether steps are proposed to be taken to check constant decline in rupee power and if so, by what time and if not the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Yes, Sir; information has already been provided in reply to Unstarred Question No. 5093 answered on March 31, 1978.

(b) A decline in purchasing power is the same thing as a rise in prices. Government have always been vigilant and have taken appropriate measures as and when necessary to check any undue rise in prices.

कोका कोला निर्यात निगम का भारतीयकरण

10154. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975 अथवा 1976 के गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर मंत्रालय के ग्रुप ने कोका कोला निर्यात निगम का भारतीयकरण करने का निर्णय लिया था ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कोका कोला निर्यात निगम से स्वयं का भारतीयकरण करने का कब अनुरोध किया था ;

(ग) इसमें इतने विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(घ) क्या यह सच है कि कोका कोला भरने वालों के अनुरोध पर निजी सचिव ने फाइल दबा दी थी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 22 जुलाई 1976 को हुई अपनी बैठक में मंत्रियों के एक दल ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अधीन कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के आवेदन-पत्र पर विचार किया।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 अप्रैल 1977 को कम्पनी को आशय पत्र जारी किया।

(ग) मंत्रियों के दल के कार्यवृत्त को अन्तिम रुप देने में कुछ समय लग गया क्यों कि अंतर मंत्रालयीन परामर्श द्वारा कुछ संबंधित मामले को निपटाया जाना था। मार्च 1977 में कार्यवृत्त को अन्तिम रुप दिया गया, और 22 मार्च 1977 को भारतीय रिजर्व बैंक को परामर्श दिया गया।

(घ) रिकार्ड से पता चलता है कि विचाराधीन फाइल केवल वित्त, वाणिज्य, उद्योग और विधि मंत्रालयों के बीच ही घूमी थी।

जनकपुरी में खोली गई सुपर बाजार की शाखाएं

10155. **श्री नटवरलाल बी. परमार :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी में सुपर बाजार की अब तक कितनी शाखाएं खोली गई और किन किन स्थानों पर खोली गई; और

(ख) कालोनी के ब्लाक 'ए' के निवासियों की लगातार मांग के बावजूद इस क्षेत्र में इस प्रकार की शाखा न खोलने के क्या कारण है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) सुपर बाजार की दो शाखाएं जनकपुरी क्षेत्र में नीचे दिये स्थानों पर खोली गई है :—

(i) डी० डी०ए० शापिंग सेन्टर, बी० ब्लाक, जनकपुरी ।

(ii) शापिंग सेन्टर, सी ब्लाक, डेसू कालोनी, (पंखा रोड), जनकपुरी ।

(ख) जनकपुरी क्षेत्र की वर्तमान शाखाएं जनकपुरी के ब्लाक 'ए' कालोनी के निवासियों की आवश्यकताओं को पुरा कर सकती है । सुपर बाजार के प्रबंधकों के अनुसार उसी क्षेत्र में एक अतिरिक्त शाखा खोलना व्यापारिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है ।

साधारण बीमा निगम में मशीनीकरण हेतु समिति की नियुक्ति

10156. **श्री के० लकप्पा :**
श्री के० ए० राजन :
श्री एस० जी० मुरूगय्यन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साधारण बीमा निगम मे मशीनीकरण हेतु मार्गोपायों का पता लगाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या है और उनके निर्देशपद क्या है;

(ग) क्या समिति ने अन्तरिम अथवा अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या है और सरकार न उन पर क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या जनरल इनश्यौरैंस एम्पलाईज आल इंडिया एसोसियशन ने मशीनींकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है ; और

(च) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और उस पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार ने जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों की संगणकों की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है ।

(ख) विशेषज्ञ दल के सदस्य इस प्रकार है :—

1. **श्री एम० एम० गांधी** — सदस्य
सहायक महाप्रबंधक,
ओरिएंटल फायर ऐण्ड जनरल
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली

2. **श्री एम० एस० गोखले** — सदस्य
निदेशक,
कम्प्यूटर सेंटर, नई दिल्ली

3. **श्री आर० के० महाजन** सदस्य
बीमा नियंत्रक,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

4. **डा० एन० एस० शेषगिरि,** सदस्य
निदेशक,
इलेक्ट्रोनिक्स कमीशन, नई दिल्ली

5. **श्री एस० जी० सुब्रह्मण्यम** सदस्य
क्षत्रीय प्रबंधक, उत्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय, (संयोजक)
भारतीय जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली

6. **श्री के० एम० त्रिपाठी** सदस्य
संयुक्त निदेशक,
श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ।

विशेषज्ञ दल के निर्देश पद इस प्रकार है :—

(1) बीमा उद्योग की केन्द्रीय स्तर तथा प्रादेशिक/क्षेत्रीय और प्रभागीय स्तरों पर हिसाब किताब संबंधी, प्रशासनिक और प्रबंध संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करना ।

(2) (क) इन आवश्यकताओं को उचित ढंग से पूरा करने के लिए संगणकों और यूनिट रिकार्ड मशीनों सहित सहायक मशीनों का इस्तेमाल करने की सम्भाव्यता और सीमाओं की जांच करना ।

(ख) यह सिफारिश करना कि संचालन संबंधी कुशलता और आम लोगों के लाभ के लिए संगणकों का इस्तेमाल किस सीमा तक अनिवार्य है ।

(3) (क) पहले से ही मशीनीकृत पदों को ध्यान में रखते हुए और (भविष्य निधि योजनाओं, उपदान योजनाओं, निवेश विश्लेषण, जीवन बीमा कारबार का बीमांकिक मूल्यांकन, कर्मचारी विश्लेषण और अनुसंधान परियोजनाओं जैसे) अतिरिक्त कार्यों के मशीनीकरण की आवश्यकता तथा

(ख) इस समय उद्योग में उपलब्ध सहायक मशीनों को ध्यान में रखते हुए संगणक स्थापित करने के मध्यवर्ती तथा अंतिम प्रबधों के संबंध में अलग से बताते हुए उद्योग द्वारा संगणकों के इस्तेमाल के दौरों में कार्यक्रम की सिफारिश करना

(4) लागत, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं और देश में निर्मित उत्पादों की उपलब्धि जैसी सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए मशीनों के चुनाव के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सुझाव देना ।

(ग) दल ने साधारण बीमा उद्योग की संगणकों की आवश्यकताओं से संबंधित अभी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ङ) जी, हां।

(च) उनके अभ्यावेदन में दी गई मुख्य बातें ये है कि चूंकि कार्य का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो आदमियों के द्वारा कुशलता से न किया जा सके इसलिए कोमतो, आधुनिकतम इलेक्ट्रोनिक संगणकों का इस्तेमाल किये जाने की कोई जरूरत नहीं है और यह कि राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा में संगणकों के इस्तेमाल की योजना से रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे और ग्राहकों अथवा देश को कोई लाभ नहीं होगा तथा इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी और कर्मचारियों की छंटनी होगी।

विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली के नगरीय क्षेत्र में तोल और माप इंस्पेक्टर

10157. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के नगरीय क्षेत्र में तोल और माप विभाग के कितने इंस्पेक्टरों को पेट्रोल पम्पों के अंशाकन और मोहर लगाने और तोल और माप उपकरणों पर मोहर लगाने का काम सौंपा गया है;

(ख) दिल्ली नगर निगम के आस पास ग्रामीण क्षेत्रों को केवल एक अधिकारी को सौंपने तथा पेट्रोल पम्पों में अंशांकन और मोहर लगाने के कार्य किसी इंस्पेक्टरों को न सौंपने का क्या औचित्य है; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्पों पर मोहर लगाने का काम जिस अधिकारी को सौंपा गया है उस अपने कार्य में असावधानी बरतने पर सजा मिल चुकी है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) दिल्ली प्रशासन, जिसकी संघ शासित क्षेत्र में बाट तथा माप कानूनों को लागू करने की सीधी जिम्मेदारी है, ने दिल्ली के नगरीय इलाके में पेट्रोल पम्पों के अंशांकन व स्टाम्पन और साथ ही बाटों तथा माप उपकरणों के स्टाम्पन का कार्य छः बाट तथा माप निरीक्षकों को सौंपा है।

(ख) नगरीय दिल्ली के इर्द-गिर्द का सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र एक अधिकारी, सहायक नियंत्रक, बाट तथा माप को सौंपने का औचित्य, उन पम्पों के कार्यों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करना है, जो अधिकतर दिल्ली की सीमाओं पर स्थित है।

(ग) जिस अधिकारी को यह काम सौंपा गया है, उसे अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठ न होने के लिए सजा नहीं मिली है। तथापि, पहले एक अवसर पर कुछ त्रुटियों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अंतर्गत प्रशासकीय कार्रवाई की गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-जमा राशि का अनुपात

10158. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-जमा राशि का अनुपात अभी भी कम चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या तथ्य है और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ऋण-जमा राशि का अनुपात जून, 1969 के अंत के 37.5 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर, 1976 के अंत तक 57.4 प्रतिशत हो गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, बैंक ऋण के प्रसार को बढ़ाने के लिए सरकार ने मार्च, 1979 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि वे अपनी-ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं में ऋण-जमा राशि के अनुपात को कम से कम 60 प्रतिशत कर देने का प्रयत्न करे। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि उपेक्षित क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं को दिये गये अपने ऋणों की मात्रा को बढ़ा कर मार्च, 1979 के अंत तक अपने कुल ऋणों के 33.3 प्रतिशत तक पहुंचा दें।

विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंक, समाज के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ऋण देकर, मदद पहुचा रहे है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना का पर्याप्त लाभ प्राप्त हो, यह शर्त रखी गई है कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण का कम से कम 2/3 भाग उनकी ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा दिया जाय। इस सम्बन्ध में वर्तमान असन्तुलन को मार्च, 1979 तक सुधार दिया जाना है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बढ़ता हुआ परिचालन, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण के अधिकाधिक प्रसार में योगदान दे रहा है। दिसम्बर, 1977 के अंत की स्थिति के अनुसार 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1187 शाखाएं स्थापित की थी। प्रारंभ से लेकर अब तक इन बैंकों ने 5 लाख ऋण-कर्त्ताओं को 43.1 करोड़ रुपये की राशि का ऋण वितरित किया।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) से ऋण

10159. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 मार्च, 1978 के नैशनल हैराल्ड में "305 मिलियन आई०डी०ए० लौन टू इंडिया शीर्षक" से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) कोरबा तापीय बिजली परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 20 करोड़ डालर का एक ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से तीसरी ट्राम्बे तापीय बिजली परियोजना के लिए 10.5 करोड़ डालर का एक ऋण प्राप्त करने के लिए वाशिंगटन में बातचीत पूरी हो चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने उक्त ऋणों का अनुमोदन कर दिया है। आशा है जून, 1978 के अन्त तक इन ऋण करारों पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।

कोरबा परियोजना के अन्तर्गत कोरबा तापीय बिजली घर में 200 मेगावाट के तीन टूर्बो जनित्र एककों, सहायक उपस्करों के निर्माण और संबंधित निर्माण कार्य तथा 880 सर्किट कि० मी० संबद्ध पारेषण लाइनों के निर्माण की व्यवस्था है।

तीसरी तापीय बिजली परियोजना में ट्राम्बे में 500 मेगावाट का विद्युत जनित्र एकक बायलर, विद्युतीय और यांत्रिक उपस्करों के निर्माण तथा संबद्ध निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्था है।

स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए सोने का आयात

10160. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए सोने के आयात की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके अनुसरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) : स्वर्ण आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, सीमा-शुल्क से छूट देकर सोने का आयात करके अथवा सरकारी भण्डार में से, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर, सोना बेचने की सरल योजना को अन्तिम रुप दिया जा रहा है और उसकी घोषणा शीघ्र ही की जायेगी।

दिल्ली में राशन कार्ड धारियों और डिपु मालिकों के विरुद्ध दर्ज मामले

10161. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सर्किलवार गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राशन कार्डधारियों और डिपु मालिकों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) राशन कार्डधारियों के विरुद्ध राशन कार्ड का दुरुपयोग करने के कितने मामले को न्यायालय भेजा गया, कितने मामले साबित हुए तथा इसी अवधि के दौरान कितने मामलों में अधिकारी और इंस्पेक्टर परेशान करने और हेराफेरी करने के दोषी पाए गए; और

(ग) पुलीस स्टेशन मे रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कितने मामले वापस लिए गए और खाद्य तथा सिविल सप्लाई विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) पिछले तीन वर्षों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राशन कार्डधारियों के विरुद्ध 91 मामले और डिपु मालिकों (उचित मूल्य की दुकानों) के विरुद्ध 35 मामले दर्ज किये गये थे। इन मामलों का मण्डलवार ब्यौरा संलग्न है (अनुबंध-I)।

(ख) गत तीन वर्षों में दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा पूर्ति विभाग के 155 कर्मचारी अपने कर्तव्य के पालन में अवचार और लापरवाही के दोषी पाये गये। राशन कार्डधारियों के विरुद्ध राशन कार्डों का दुरुपयोग करने के कितने मामले न्यायालय को भेजे गये तथा कितने मामले साबित हुये, इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राशन कार्डधारियों के विरुद्ध तीन मामले और उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों के विरुद्ध अन्य तीन मामले वापिस लिये गये हैं। दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किये गये उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं (अनुबंध II)।

विवरण 1

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में राशन कार्ड-धारीयों तथा डिपु मालिकों के विरुद्ध दर्ज किये गये मामलों का मंडलवार, वर्षवार ब्यौरा

क्र०सं०	मंडल संख्या	राशन कार्डधारी			डिपु मालिक (उचित दर की दुकानें)		
		1975	1976	1977	1975	1976	1977
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	—	—	—	4	2	—
2	2	2	1	—	2	—	—
3	3	6	2	1	—	2	—
4	4	4	1	1	1	—	—
5	5	—	—	—	—	—	—
6	6	2	—	—	—	—	—
7	7	—	1	—	—	—	—
8	8	1	—	—	—	—	1
9	9	2	2	2	—	—	—
10	10	1	1	—	—	—	—
11	11	—	1	—	1	—	—
12	12	—	2	—	1	—	—
13	13	1	2	1	2	—	—
14	14	—	—	—	1	—	—
15	15	—	2	—	—	—	—
16	16	1	1	2	—	2	—
17	17	1	1	2	—	—	—
18	18	—	—	—	1	2	—
19	19	2	—	—	—	—	—

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	3	2	—	—	—	—
21	21	2	—	—	2	—	—
22	22	2	1	2	1	—	—
23	23	2	—	—	—	—	—
24	24	1	2	—	1	—	—
25	25	—	—	—	—	—	—
26	26	—	—	—	—	1	—
27	27	1	—	—	—	—	—
28	28	2	1	—	—	—	—
29	29	—	—	—	—	—	—
30	30	—	—	—	1	—	1
31	31	2	—	—	—	—	—
32	32	1	—	—	—	—	—
33	33	3	—	2	1	—	—
34	34	2	—	—	1	—	—
35	35	—	1	—	1	—	—
36	36	2	—	1	1	—	1
37	37	—	—	—	—	—	—
38	38	—	1	—	—	—	—
39	39	2	—	1	1	—	—
40	40	3	—	—	—	—	—
योग		51	25	15	23	9	3

विवरण 2

दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा पूर्ति विभाग ने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये नीचे दिये गये महत्वपूर्ण उपाय किये है :

जनता को परेशान करने तथा कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण आम तौर पर कार्यविधि संबंधी विलम्ब तथा बाधायें हैं; तथापि, अनावश्यक देरी को दूर करने के लिये विभिन्न किस्मों के मामलों/लाइसेंसों के निपटान के लिए समय सीमायें निश्चित कर दी गई हैं, जैसे :—

(i) आवेदन पत्रों के मिलने की तारीख से 7 दिन के भीतर नये राशन कार्ड प्रार्थीके घर पहुंचा दिये जाते हैं।

(ii) डुप्लीकेट कार्ड उसी समय दे दिये जाते हैं।

(iii) खाद्य कार्डों में संशोधन करने/नाम जोड़ने/नाम कटवाने का कार्य आवेदन मिलने के दिन ही कर दिया जाता है ।

(iv) विभाग द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों को प्रदान करने के आवेदन पत्रों पर मण्डल कार्यालयों द्वारा कार्रवाई करने के लिए समय सीमायें निर्धारित की गई हैं ।

अन्य उपाय, जो दिए गये हैं:—

(i) नई उचित दर की दुकानें तथा लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने के लिये एक समिति बनाई गई है ।

(ii) मण्डल कार्यालयों तथा शाखाओं के कार्यकरण पर कड़ी नजर तथा निगरानी रखने की दृष्टि से आकस्मिक तथा विस्तृत निरीक्षण किये जाते हैं ।

(iii) भ्रष्टाचार के सम्भावित क्षेत्रों के बारे में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

(iv) खाद्य तथा पूर्ति विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध मिली विशिष्ट शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई तथा संवीक्षा की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को रोका जा सके ।

Trade Agreement with Nepal

10163. **Shri Ram Sewak Hazari :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the concessions provided under the trade agreement concluded with Nepal;

(b) the steps taken towards promoting trade with third world countries;

(c) the commodities to be imported from Nepal; and

(d) the salient features of this agreement?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a), (c) and (d) : A statement is attached.

(b) India has been playing a leading role in the matter of promotion of trade amongst third world countries. She is an active participant in the preferential trading arrangements so far concluded under multilateral and intra-regional fora, such as, GATT Protocol relating to Trade Negotiations among the Developing Countries, Trade Expansion and Economic Cooperation Agreement between India, Yugoslavia and UAE and first Agreement of Trade Negotiations among Developing Member Countries of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Incidentally, Nepal is not a signatory to any of these arrangements.

Statement

(a), (c) & (d) : Broadly, the Treaty of Trade between the Govt. of India and His Majesty's Govt. of Nepal and its Protocol provide as follows:—

(i) All goods of Indian or Nepalese origin shall be allowed to move unhampered to Nepal or India respectively without being subjected to any quantitative restrictions, licensing or permit system with the following exceptions:—

(a) Goods restricted for export to third countries.

(b) Goods subject to control on price for distribution or movement within the domestic market, and

(c) Goods prohibited for export to each other's territories to prevent deflection to third countries.

(ii) In respect of goods falling under prohibited or restricted categories as mentioned above and where needed by one Contracting Party, the other shall authorise export of such goods subject to specific annual quota allocations.

(iii) The Govt. of India will allow to His Majesty's Government of Nepal payment of the excise and other duties collected by the Govt. of India on goods prohibited in India and exported to Nepal provided that:

(1) such payment shall not exceed the import duties and like charges levied by His Majesty's Government of Nepal on similar goods imported from any other country, and

(2) His Majesty's Government of Nepal shall not collect from the importer of the said Indian goods so much of the import duty and like charges as is equal to the payment allowed by the Government of India.

(iv) The Contracting Parties have agreed, on a reciprocal basis to exempt from basic customs duty as well as from quantitative restrictions the import of such primary products as may be mutually agreed upon, from each other.

(v) The Govt. of India will provide access to the Indian market free of 'basic' customs duty and quantitative restrictions, generally, for all manufactured articles which contain not less than 80% of Nepalese materials or Nepalese and Indian materials.

(vi) In the case of other manufactured articles in which the value of Nepalese and Indian materials and labour added in Nepal is at least 50% of the ex-factory price, the Government of India will determine the articles on case by case basis eligible for certain preferential treatment in the Indian market.

(vii) Primary commodities which can be exchanged between the two countries as provided for under the Protocol attached to the Treaty of Trade are :—

1. Agriculture, horticulture and forest produce and minerals which have not undergone any processing,
2. Rice, pulses and flour,
3. Timber,
4. Jaggery (gur and shakhar),
5. Animal, birds and fish,
6. Bees, bees wax and honey,
7. Raw wool, goat hair, and bones as are used in the manufacture of bone-meal,
8. Milk, home made products of milk and eggs.
9. Ghan-produced oil and oil,
10. Ayurvedic and herbal medicines,
11. Articles produced by village artisans as are mainly used in villages.

12. Any other primary products which may be mutually agreed upon.

Further manufactured items which it has been agreed will be provided unrestricted entry by India on a preferential basis are :

(1) Cereal and Flour Preparations (2) Oil and Oil Extracts (3) Vegetable products (4) Fruit Products (5) Dairy Products (6) Meat Preparations (7) Sugar and Sugar Preparations (8) Beverages (9) Confectionery (10) Tobacco Products (11) Forestry Products (12) Grass and Straw Products (13) Leather and Leather Products (14) Mining (15) Handicrafts and Artistic Goods (16) Cattle Feed and Fodders (17) Glass and Glass Goods (18) Soap (19) Jute Products (20) Match (21) Metal Products (Furnitures, cabinet etc.) (22) Textiles (23) Precipitated calcium carbonate and (24) Tooth paste.

सरेश्वर बिल (धुबरी के निकट गोआलपाड़ा जिला) का विकास

10164. **श्री अहमद हुसेन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन के विकास की दृष्टि से सरेश्वर बिल (आसाम में एक सुन्दर झील) का विकास करना उचित नहीं समझती है; और

(ख) क्या उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस क्षेत्र का विकास करने के लिए गोआलपाड़ा (धुबरी के निकट) जिले में सरेश्वर बिल के निकट विदेशी पर्यटकों के लिए एक पर्यटक केन्द्र/पर्यटक स्थल और एक होटल का निर्माण करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि देश में प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान इतने अधिक हैं कि अकेला केन्द्रीय पर्यटन विभाग साधनों की कमी के कारण इनका विकास करने की स्थिति में नहीं है, और क्योंकि सरेश्वर बिल का महत्व मुख्यत: स्थानीय है, इसके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूंजीगत वस्तुओं की आयात नीति

10165. **श्री रामदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 लाख से कम मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में आयात नीति क्या है;

(ख) यदि स्वदेशी सप्लाई कर्ता विज्ञापन के उत्तर में आयात मूल्य (लागत बीमा भाड़ा मूल्य+शुल्क) से भी अधिक मूल्य देती है तो आयातकर्ता को क्या करना चाहिए ;

(ग) यदि माल बहुत लम्बे समय बाद दिया जाता है तब आयातकर्ता को क्या करना चाहिए; और

(घ) यदि आयातकर्ता यह महसूस करता है कि स्वदेशी सप्लाईकर्ता की वस्तु और उसका कार्य निष्पादन उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है तब आयातकर्ता को क्या करना चहिए ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) पात्र वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के आयात आवेदनपत्रों पर स्वदेशी दृष्टीकोण और आयात की आवश्यकता को देखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा। तथापि, 1978-79 की आयात नीति के परिशिष्ट-2 के भाग 'ख' में दिये गये 10 लाख रु० तक के मूल्य के पूंजीगत माल का आयात 1978-79 की आयात नीति के अध्याय 3 में निर्धारित विज्ञापन प्रक्रिया के अनुसार चलने पर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पात्र वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है।

(ख) से (घ) : परिशिष्ट-2 के उपर्युक्त भाग 'ख' में आने वाले मामलों में यह तय करने का काम वास्तविक प्रयोगकर्ता का होगा कि माल का आयात किया जाये अथवा स्वदेशी सप्लायर से खरीदा जाय।

बैंक आफ बडौदा में अधिकारियों की पदोन्नति और पदावनति

10166. **श्री रतन सिंह राजदा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ बड़ौदा में अधिकारियों की पदोन्नति और पदावनति हुई है; यदि हां, तो किन अधिकारियों कि पदोन्नति/पदावनति हुई, उनके पदनाम क्या हैं; पदोन्नति/पदावनति होने के बाद उनके क्या पदनाम हुए और उनकी पदोन्नति/पदावनति किन उपबंधों के अन्तर्गत हुई;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक आफ बडौदा पिल्ले आयोग की सिफारिशों की अवहेलना कर रहा है जिन्हें जुलाई, 1978 से लागू करने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या सरकार बैंक आफ बडौदा के चेअरमैन के निर्णयों के विरुद्ध जो पिल्ले आयोग की सिफारिशों की भावना तथा स्वरूप के अनुरुप नहीं है, स्थगन आदेश जारी करेगी, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) (ख), और (ग) : बैंक आफ बडौदा ने सूचित किया है कि मुख्य महा प्रबंधक का पद बैंक द्वारा अपने कार्यरत महाप्रबंधक की पदोन्नति करके भर लिया गया है। 11 सहायक महाप्रबंधकों को उप महाप्रबंधक के रुप में पदोन्नत कर दिया गया है, 22 कार्याधिकारियों को सहायक महाप्रबंधक और 80 कार्याधिकारियों को मुख्य अधिकारियों के रुप में पदोन्नत किया गया है। बैंक ने किसी अधिकारी की पदावनति से इन्कार किया है।

अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तरह ही इस बैंक से भी कहा गया है कि वह भी पिल्ले समिति की सिफारिशों की कार्यान्वित करें। बैंक को इस बात पर भी विचार करने के लिये कहा गया है कि ऐसे तरीके अपनाय जायें कि उन वरिष्ठ अधिकारियों को जो हाल ही में पदोन्नत किये गये हैं, पिल्ले समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के समय कोई विशेष लाभ न मिले।

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में नयें उपक्रमों की सहायता के लिये बैंक आफ बड़ौदा के प्रस्ताव

10167. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में नये उपक्रमों की सहायता के लिये बैंक आफ बड़ौदा के क्या प्रस्ताव है, पिछड़े क्षेत्रों के कितने प्रस्ताव इस बैंक के कितने समय तक अनिर्णीत रखे हैं और किन कारणों से;

(ख) कितने मामलों में केन्द्रीय बोर्ड के कहने पर तदर्थ स्वीकृतियां प्रदान की गई और ऐसा करने के क्या कारण हैं तथा उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें 50 लाख से अधिक की स्वीकृती दी गई है और गत तीन वर्षों का मंजूर किये गये वित्तीय नियतनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में कितने मामलों में अवधिक ऋण दिये गये, कितने मामलों म कम किये गये तथा कितने मामलों में नामंजूर किये गये तथा किन कारणों से?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उपेक्षित क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में, छोटे उत्पादक प्रयासों की सहायता के लिये, बैंक ऋण की अधिकाधिक सुलभता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों से कहा गया है कि वे जिला ऋण योजनाएं तैयार करें और उन्हें सभी अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रुप से कार्यान्वित करें। देश के 30 जिलों में बैंक आफ बड़ौदा को लीड दायित्व सौंपा गया है। इस बैंक ने इन सभी जिलों में ऋण योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य शुरू कर दिया है। अन्य जिलों में भी यह बैंक ऋण योजना कार्यक्रमों के कार्यन्वियन में भाग ले रहा है। इसके अलावा ऋणों के लिए आवेदनों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को ये हिदायतें दी गई है कि वे 10 हजार रुपये से कम सीमा (लिमिट) के लिए आवेदन पत्र को चार सप्ताह की अवधि के भितर और इससे बड़ी सीमाओं के आवेदन-पत्रों को 3 महीने के भीतर निपटा दें।

(ख) ऋण के प्रस्तावों का मूल्यांकन और स्वीकृती अनेक स्तरों पर अर्थात शाखा कार्यालय, रीजनल कार्यालय, जोनल कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय के स्तर पर की जाती है। जोनल कार्यालयों को 25 लाख रुपय तक के ऋण स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस बड़ी सीमा के प्रस्ताव बैंक के केन्द्रीय कार्यालयों को भेजे जाते है।

बैंक ने सूचना दी है कि निदेशक मण्डल की प्रेरणा पर कोई तदर्थ स्वीकृतियां नहीं की गई हैं।

(ग) सांख्यिकीय सूचना प्रणाली में उस रुप में आंकड़े रखने की व्यवस्था नहीं है, जिस रुप में कि ये मांगे गये है। फिर भी बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि वह सभी अर्थक्षम प्रयासों के लिए आवश्यकता-आधारित ऋण उपलब्ध कराता है।

क्लर्कों सहायकों तथा अधिकारियों की भर्ती के लिए औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अपनाई जा रही नीति

10168. **श्री पी० कानन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्लर्कों, सहायकों तथा अधिकारियों की भरती के लिए औद्योगिक वित्त निगम क्या नीति अपना रहा है ;

(ख) क्या यह भर्ती अखिल भारतीय आधार पर होती है और कर्मचारियों की भरती हेतु विज्ञापन देश के सभी समाचार पत्रों में दिया जाता है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी में कितनी भरती की गई, कितने अभ्यार्थियों ने आवेदन किया और कितनों का चयन हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में, क्लर्कों, तथा अधिकारियों की भर्ती, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारियों की भर्ती) नियम 1975 के उपबंधों द्वारा विनियमित की जाती है। विभिन्न पदों के लिए भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर तथा योग्य प्रार्थियों के साक्षात्कार द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है; जिसके लिए विज्ञापन देश के सभी प्रमख अंग्रेजी/हिन्दी समाचार पत्रों में तथा रोजगार समाचार (एम्पलायमेंट न्यूज) में दिये जाते है। किन्तु यदि किसी क्लर्क/सहायक की नियुक्ति फेरी तौर पर करनी हो तो संबधित कार्यालय स्थानीय रोजगार दफ्तर को रिक्तियों के बारे में सूचित करता है और/या स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) में विज्ञापन दे देता है।

(ग) निम्नलिखित सारणी वर्ष 1976 तथा 1977 की स्थिति प्रदर्शित करनी है :—

क्र० सं०	पद	प्रार्थियों की संख्या		
		परीक्षा में सम्मिलित	प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित	भर्ती किये गये
1.	क्लर्क	1409	73	31
2.	सहायक	84	20	5
3.	अधिकारी	173	51	24

क्लर्कों और अधिकारियों की भर्ती के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा अपनाई जा रही नीति

10169. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम क्लर्कों, सहायकों और अधिकारियों की भर्ती क लिए क्या नीति अपना रहा है;

(ख) क्या ऐसी भर्ती अखिल भारतीय आधार पर होती है और कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन देश के सभी समाचार-पत्रों में दिए जाते है; और

6—154 LSS/ND/78

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी में भर्ती की गई, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और कितनों का चयन हुआ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : सहायक के पदों पर भर्ती व्यापक ग्राहक संख्या वाले एक अंग्रेजी और एक प्रादेशिक भाषा के दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित कर और साथ ही क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की संस्थाओं को सूचित करके प्रभागीय आधार पर की जाती है।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के पदों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर प्रतियोगी परीक्षा और बाद में इंटरव्यू के द्वारा की जाती है। देश के बड़े-बड़े समाचार पत्रों द्वारा इस भर्ती का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(ग)

	आवेदकों की संख्या	चुने गए उम्मीदवारों की संख्या
1-4-76 से 31-3-77 तक		
प्रथम श्रेणी के अधिकारी (सहायक प्रशासनिक अधिकारी)	20,224	152 (इनमें से 95 व्यक्तियों को जीवन बीमा निगम में रख लिया गया और 57 को साधारण बीमा निगम में भेज दिया था)
1-4-76 से 21-3-78 तक		
प्रथम श्रेणी के अधिकारी सहायक इंजीनियर	97	5
सहायक प्रशासनिक अधिकारी के कैडर में बीमांकिक अर्हता प्राप्त	86 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे थे जिनमें से 16 पात्र थे	6
वास्तुकार सहायक और इंजीनियरी सहायक ग्रेड II	95	3
		(ये तीस उम्मीदवार ग्रेड III में चुने गए थे)

पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमकर्त्ताओं के सामने आ रही बाधाएं

10170. **श्री गोविन्द मुंडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमकर्ताओं को केन्द्रीय और राज्य राज-सहायता संस्था द्वारा दी जाने वाली वित्तिय सहायता के मामले में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित नये उपक्रमों के लिये राज-सहायता नियमों के सरलीकरण के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) सरकार ने उत्पादन शुल्क, श्रम कारखाना, उद्योग विभाग के केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित नये उपक्रमों को कैसे प्राथमिकता/रियायतें दिलवायेगी; चूंकि ये पिछड़े क्षेत्रों के नये उपक्रमों के वित्तीय हितों और विकासी को प्रभावित करती है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

मंत्रालय और सेवा आयोग द्वारा भर्ती

10171. **श्री अरविन्द बाला पजनौर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय, सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालय और सेवा आयोग ने कितने पदों के लिये सीधी भर्ती की ;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक श्रेणी में कितनी-कितनी भर्ती की गई, भर्ती की पध्दति क्या है, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र दिये और कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि मंत्रालय के कर्मचारियों की आवश्यकता के लिये देश के सब समाचार पत्रों में उचित विज्ञापन दिये जाये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) (ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जाएगी, सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्याज और आलू का निर्यात

10172. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में प्याज और आलू का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को निर्यात किया गया और प्रत्येक देश को कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं का बाजार तथा उपभोक्ता मूल्य क्या था और उनका निर्यात किन मूल्यों पर किया गया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2322/78**]

श्री कृष्ण गोपाल सिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा प्रलोभन देकर ऋण लिया जाना

10173. **श्री निर्मलचन्द्र जैन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि श्री कृष्ण गोपाल सिंह नामक एक व्यक्ति पटना नगरीय सहकारी बैंक से प्रसिद्ध गांधी मैदान की 3.5 एकड़ भूमि और पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 1 को मई, 1971 में गिरवी रख कर 13,500 रुपये का ऋण लेने में सफल हो गया ;

(ख) क्या यह सच है कि वह ऐसा इसलिये कर सका क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण कांग्रेसी मंत्री का राजनीतिक संरक्षण और आश्रय प्राप्त था;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को भी इस अनियमितता का पता चला;

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) श्री कृष्ण गोपाल सिंह को पटना नगरीय सहकारीय बैंक लि० की ऋण समिति द्वारा जीप खरीदने के लिए 22 फरवरी, 1970 को 13,500 रुपय का ऋण मंजूर किया गया था। इस सारी राशि को 17 मई, 1971 को एक जीप, न कि गांधी मैदान अथवा पटना जंक्शन के प्लेट फार्म नंबर 1, को बंधक रखकर निकालने को अनुमति दी गयी थी, यद्यपि उसके लिए सीमा संरक्षण उपलब्ध नहीं था।

(ख) यद्यपि ऋण मंजूर करते समय इस प्रकार की बात स्पष्ट नहीं थी, तथापि संबंधित अधिकारियों द्वारा श्री कृष्ण गोपाल सिंह के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने में देरी इस आशंका की पुष्टि करती है।

(ग) जी हां। बैंक की 31 मई, 1971 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसके किये गये प्रथम सांविधिक निरिक्षण के दौरान।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने पाई गई अनियमिततायें अक्टुबर, 1971 में बैंक तथा पंजीयक, सहकारी समितीयां, बिहार को अपनी संविधिक निरीक्षण रिपोर्ट तथा बाद की निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अक्तुबर, 1975 से बैंक के ऋण-स्थगन (मोंराटोरियम) का आदेश दिया।

(ङ) पंजीयक, सहकारी समितीयां, बिहार, जो इस मामले में कार्रवाई करने के लिये सक्षम प्राधिकारी है, न निम्नलिखित कार्रवाई की है :—

(i) 20 अप्रैल, 1976 से बैंक के परिसमापन के आदेश दिये;

(ii) बैंक के अध्यक्ष, सचिव और प्रबंधक तथा श्री कृष्ण गोपाल सिंह व दूसरों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमें दायर किये गये है।

(iii) बैंक के निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध 8.24 लाख रुपये के अधिभार (सरचार्ज) आदेश दिये गये है।

सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किये गये वस्त्रों के कोटे के नियतन की जांच

10174. **श्री बाला साहिब विखे पाटील :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्रों के कोटे के आवंटन के मामले में सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यों की पूरी जांच करने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो परिषद सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : वाणिज्य सचिव ने वस्त्रों के कोटों के आबंटन के मामले में सूती वस्त्र निर्यात सम्वर्धन परिषद के कार्यों की जांच की है। उन्होंने अपनी जांच के आधार पर अपने सु ाव दिये हैं।

Misappropriation of Rs. 20 Crores in Hindustan Sanitaryware and Industries

10175. **Shri Sharad Yadav:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the news-item appearing in the Hindi Fortnightly "Yuvavatan" of 15th April, 1977 published from Delhi is correct that the Hindustan Sanitaryware and Industries have alleged to have misappropriated 20 crores of rupees; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard and the results achieved.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) & (b) : According to the news-item when the Sales Tax Department conducted raids in 1975 they found misappropriation of the funds of the company to the tune of Rs. 20 crores. Levy of tax on sales and purchases of goods taking place inside the State is a State subject of taxation under Entry 54 in List II of the Seventh Schedule of the Constitution. This Ministry, therefore, has no informaion readily available on this aspect of the news-item. It has also been ascertained that the CBI has no information on the subject. So far as Foreign Exchange Regulation Act is concerned certain enquiries conducted by the Directorate of Enforcement did not reveal any instance of violation of Foreign Exchange Regulation Act and the enquiries were, therefore, closed.

डाकघरों में जमा की गई भारी राशि की प्रामाणिकता

10176. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने 1974, 1975 और 1976 के दौरान डाकघरों में जमा की गई भारी राशि की प्रमाणिकता की जांच की थी;

(ख) कितने मामलों में अब तक जमा राशि बोगस पाई गई थी तथा ऐसी कुल जमा राशि कितनी थी ;

(ग) किन अधिकारियों के विरुद्ध जमा राशि बोगस पाई गई थी तथा ऐसी राशि कितनी थी;

(घ) यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अब तक क्यों नहीं सौंपा गया है;

(ङ) सरकार ने कितने मामलों में उन वास्तविक व्यक्तियों का पता लगाया है जिन्होंने यह धन जमा किया था; और

(च) क्या उन डाकघरों के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारुल्ला) : (क) से (ङ) : आय कर विभाग द्वारा अभी तक की गयी जांचों से यह पता चला है कि 1978 में जो रकमे जमा करवाई गई है उनमें 734 मामले ऐसे है जिनमें 375 लाख रुपयें की रकमें जमा है और ये वही वास्तविक व्यक्ति हैं जिन के नाम से ये रकमे जमा करवाई गयी है। निम्नलिखित तीन मामले ऐसे हैं जिनमें 145 लाख रुपये की रकमे जमा करवाई गयी है ये जमा रकमे उन व्यक्तियों से संबंधित प्रतीत नहीं होती है जिनके नाम से ये रकमे जमा करवाई गई थी।

	जमा रकम (लाख रुपयों मे)
श्री आर० पी सिंह (पानीपत के भूतपुर्व जिला उद्योग अधिकारी)	5
श्री एम० के० गर्ग (हरियाणा सरकार के भूतपुर्व संयुक्त उद्योग निदेशक)	5
श्री कश्मीरी लाल (तब वह दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था)	135

आय-कर विभाग द्वारा और आगे जांच की जा रही है।

जहां तक इस मामले को सी० बी० आई० को सौपने का संबंध है राज्य सरकार से यह कहा गया है कि वें राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए लेन देनों की जांच पडताल करवायें अगर राज्य सरकार सी० बी० आई० से सहायता लेना आवश्यक समझती है और वह इस संबंध में अनुरोध करती है तब इस मामले पर विचार किया जाएगा।

(च) इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

Raids on Premises of Metal Container Tactro Auto Firm by Customs and Central Excise Authorities, Kanpur

10177. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Customs and Central Excise Authorities, Kanpur had conducted raids on 4th September, 1975 on the premises of the Metal container Tactro Auto Firm engaged in manufacture of metal containers and seized contraband goods and documents in regard to income tax evasion;

(b) whether the firm got issued a licence in the name of a bogus firm under the name of T.A. though the goods were being manufactured in the Tactro Auto Factory and in this way it misused the concession given by the Central Excise Duty authorities and afterwards the address and the record of the firm were deliberately tampered with;

(c) whether this firm has evaded income tax to the tune of lakhs of rupees in connivance with the Central Excise Officers in Kanpur and no action has been taken against the firm by the Authorities; and

(d) whether Government propose to conduct any enquiry in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) The Headquarters Preventive Officers of the Kanpur Central Excise Collectorate raided the premises of M/s Tactro Auto Industries and other connected premises at Kanpur on 4th September, 1975. The Officers seized metal containers and various records of the firm.

(b) The raid revealed that a licence had also been obtained separately in the name of T.A. Industries for the period from 17-11-72 to 6-11-73 for manufacture of metal containers. It is alleged that M/s Tactro Auto Industries were suppressing their own production during the period from 1971 to March 1975 with a view to avail of the exemption from payment of Central Excise duty intended for manufacturers with low turn-over. One way of doing this was by clandestinely diverting their production in the name of M/s T.A. Industries which was not having any manufacturing premises. The address of M/s T.A. Industries as entered in 335-D register of Central Excise appeared to have been tampered with.

(c) & (d) : The Income Tax Department is maintaining liaison with the Central Excise authorities. The extent of tax evasion, if any, will be known on completion of scrutiny of the books of account seized by the Central Excise Authorities and necessary enquiries.

Show Cause notices for violation of the provisions of the Central Excises and Salt Act, 1944, have been issued to M/s Tracto Auto Industries. The extent of connivance of Central Excise Officers is being investigated.

प्रधान मंत्री द्वारा वाणिज्यिक विमानों का उपयोग

10178. **श्री एम० अरुणाचलम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री प्रधान मन्त्री द्वारा यात्रा कर रहे विमान का अपहरण रोकने के लिये सुरक्षा उपायों के बारे में 2 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक विमानों को अपनी यात्रा के लिये उपयोग में लाने की प्रधान मन्त्री की इच्छा में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) क्या नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) : प्रधान मंत्री की कमर्शियल उड़ानों द्वारा यात्रा करने की इच्छा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है परन्तु बाद में कुछ उग्रपंथी तत्वों द्वारा दी गयी धमकियों से सुरक्षा को उत्पन्न हुए ख़तरे और

उनके द्वारा किये गये कुछ हिंसात्मक कार्यों के परिणामस्वरूप, सुरक्षा उपायों को कड़ा करना पड़ा था तथा यह वांछनीय समझा गया कि जहां तक संभव हो प्रधान मंत्री भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा यात्रा करें।

भूतपूर्व रक्षा मंत्री पर भारत पर्यटन विकास निगम की वातानुकूलित कार का बकाया किराया

10180. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री बंसीलाल ने पिछले आम चुनाव से कुछ समय पूर्व कलकत्ता में भारत पर्यटन विकास निगम की जिस वातानुकूलित कार का उपयोग किया था, उसका किराया अभी चुकाया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तत्कालीन रक्षा मंत्री के प्रयोग के लिए 19-6-1976 तथा 23-11-1976 को कलकत्ता में बुक की गई भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन यूनिट की कारों के बिलों की कारपोरेशन को अदायगी हो गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, गुजरात में कर्मचारियों की संख्या

10180. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में स्टेट बैंक आफ इंडिया और इसकी शाखाओं में कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों और मुसलमान कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख): भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य स्थित इसकी शाखाओं में कर्मचारियों की कुल संख्या 6532 थी। इनमें से 123 कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा 147 कर्मचारी मुस्लिम समुदाय से सम्बन्धित है।

धनबाद (बिहार) में काले धन का केन्द्रीयकरण और इसकी शक्ति

10181. **श्री ए० के० राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान जिले में काले धन का केन्द्रीयकरण और इसकी शक्ति के बारे में दिनांक 9-4-1978 के धनबाद (बिहार) के दैनिक आवाज के सम्पादकीय 'चौकिदार' से 'करोड़पति' में व्यक्त की गई चिन्ता की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारुल्ला) : (क) : जी, हां। लेख में आम बातें कही गयी है, और इसमें किसी (किन्हीं) विशेष व्यक्ति (व्यक्तियों) का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) नये कर-निर्धारितियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1977-78में धनबाद जिले में पता लगाये गये नये कर-निर्धारितियों की संख्या 1,051 है। जहां तक, ठेकेदारों का सम्बन्ध है, उनको की जाने वाली अदायगियों में से कर की कटौती, आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 194ग के अनुसार की जा रही है।

जिन मामलों में कर-अपवंचन का संदेह है उन सभी में यथाआवश्यक पूछताछ की जा रही है।

ऊनी धागे पर उत्पाद शुल्क को सीमा शुल्क में बदलने की अधिसूचना में त्रुटि

10182. **श्री विनोदभाई बी० शेठ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी धागे पर उत्पाद शुल्क को सीमा शुल्क में बदलने की अधिसूचना में त्रुटि होने से राजकोष की प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इससे बजट प्रावधान में कितना घाटा हुआ है ;

(ग) ऊनी धागों और चिथड़ों का व्यापार करने वाले कितने एककों ने इस कमी का लाभ उठाया है; और

(घ) सरकार का राजस्व की हानि पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : वर्ष 1977 के बजट में, कच्ची ऊन पर आयात शुल्क मूल्यानुसार 45% से बढाकर मूल्यानुसार 75% और ऊनी चिथड़ों तथा अपशिष्ट पर मूल्यानुसार 5% से बढाकर मूल्यानुसार 25% करके ऊनी सूत पर उत्पादन शुल्क को और ऊनी टाप्स पर उत्पादन शुल्क के कुछ हिस्से को आयातीत कच्ची ऊन पर अन्तरित किया गया था। इस उपाय से उत्पादन शुल्क की चोरी में कमी होने और स्वदेशी ऊन से बने वस्त्रों के अपेक्षाकृत सस्ता होने की उम्मीद थी। इस शुल्क समायोजन के बाद 'कच्ची ऊन और ऊनी टाप्स' शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के लिये सीमाशुल्क राजस्व के अनुमान 26.37 करोड़ रुपये निश्चित किये गये थे।

लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 1977-78में सीमाशुल्क की वसुली केवल 18.5 करोड़ रुपये की होने की संभावना है जिसमें लगभग 7.8 करोड़ रुपये की कमी रही। राजस्व अनुदान में यह कमी 1976-77 के मुकाबले कच्ची ऊन के 1977-78 में अपेक्षाकृत कम आयात के कारण हुई है। चूंकि राजस्व में यह कमी अपेक्षाकृत कम आयात के कारण हुई, इसे राजस्व की हानि नहीं माना जा सकता इसलिए, इस राजस्व की वसूली करने की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स हिन्दुस्तान मिल्क फूड मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड का विदशी इक्विटी शेयर

10183. श्री आर० आर० पटेल :
श्री. अहमद एम० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मैसर्स हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड को अपनी विदेशी इक्विटी पूंजी घटा कर 51 प्रतिशत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है जब कि अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से इक्विटी पूंजी को कम कर के 40 प्रतिशत करने के लिये कहा गया है;

(ग) क्या इस फर्म पर कोई अन्य शर्त लगाई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या खाद्य उत्पादों का व्यापार करने वाली अन्य फर्मों को भी ऐसी छूट दी जायेगी ;

(ङ) क्या भारतीय ब्रांड नाम का प्रयोग करना सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक कदम समझा जाता है; और

(च) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में कोई ऐसा खण्ड है कि यदि विदेशी बहुराष्ट्रिक कम्पनियां भारतीय ब्रांड नाम का प्रयोग करती है तब उन्हें अपनी विदेशी इक्विटी पूंजी को कम करके 40 प्रतिशत करने की आवश्यकता नहीं हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। कम्पनी को अपने अनिवासी स्वत्वधिकारों को 40 प्रतिशत तक कम करने के लिए निदेश दे दिए गए हैं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ङ) जीवन रक्षक दवाइयों तथा कीट नाशक दवाइयों के सिवाए देसी बाजार में किसी को भी विदेशी व्यापार चिह्न प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं दी जाती यदि व्यापार चिह्न के प्रयोग में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लेन देन अन्तर्निहित हो। पर निर्यात के लिए विदेशी व्यापार चिह्न प्रयोग में लाने की अनुमति है।

(च) जी, नहीं।

Export of Surplus Stock of Sugar

10184. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of Commerce, Civil Supplies and Cooperation be pleased to state :

(a) whether a large stock of surplus sugar is available with the country at present;

(b) whether any proposal is being mooted for the export of this surplus;

(c) the rates at which this sugar is proposed to be exported; and

(d) the quantity of sugar proposed to be exported country-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government have already decided to export a quantity of 6.50 lakh tonnes of sugar during 1978.

(c) It is not possible to indicate the rates at which the export sales will be made. However, every effort will be made to realise the highest possible price depending upon the market situation.

(d) Actual destination of the sugar to be exported from India cannot be indicated at this stage. It will depend upon the offers received and may be to any country with whom we have trade relations.

देश में कार्यरत हितकारी (बैनीफिट) कम्पनियां

10185. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में विभिन्न छोटी और बड़ी तथा कथित हितकारी (बैनीफिट) कम्पनियां कार्यरत है जो अनभिज्ञ और सीधे सादे नागरिकों को अधिक ब्याज अथवा बड़ा उपहार लाभ में देने संबंधी आकर्षक प्रस्ताव करके थोड़ी अथवा ज्यादा राशियों का पूंजी निवेश करने के लिये कहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिये सख्ती बरतने का है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार और कब ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : नामी चिटों और मनी सर्क्युलेशन योजनाएं चलाने पर पाबन्दी लगाने के विधेयक को संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में अनुभाग अधिकारियों के पदों का भरा जाना

10186. **श्री मही लाल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने नवम्बर, 1976 से फरवरी, 1978 तक अनुभाग अधिकारियों (सामान्य) के लगभग 11 पद भरे थे ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये आरक्षित कोटे में ऐसा कोई पद उपरोक्त अवधि में नहीं भरा गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और आरक्षित कोटे के अनुपात में अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को पदोन्नत करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अक्तुबर, 1976 से फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान 10 पद अनुभाग अधिकारी (सामान्य) के तथा एक पद निजी सचिव का (अनुभाग अधिकारी के ही ग्रेड में) भरे गए।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त नियुक्तियां एक पेनल के आधार पर की गयी थीं जो कि ग्रेड I के ऐसे पात्र सहायकों के लिए जिन्होंने उक्त ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली थीं आयोजित किये गये लिखित टेस्ट तथा इंटरव्यू के बाद तैयार किया गया था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का ग्रेड I में ऐसा कोई पात्र सहायक नहीं थी जो टैस्ट देता तथा जिसे पेनल में सम्मिलित किया जा सकता। तथापि, अनुभाग अधिकारी (सामान्य) की भावी रिक्तियों की पूर्ति करते समय इस कमी को पूरा करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

Rate of Capital Formation

10187. **Shri Anant Ram Jaiswal**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the rate of capital formation had been less than the rate of savings during the financial years 1975-76 and 1976-77 which is adversely affecting the industrial growth and promotion of employment opportunities;

(b) if so, the rate of savings and capital formation separately for the financial years 1975-76, 1976-77 and 1977-78;

(c) whether Government have enquired into the causes of the rate of capital formation falling below the rate of savings during the financial years 1975-76 and 1976-77 and if so, the details of such an enquiry; and

(d) the steps being taken by Government to ensure that the rate of capital formation in the current year is increased in such a manner that it does not fall below the rate of savings but remains more?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) Yes, Sir. An excess of domestic savings over domestic investment in a developing economy like ours is not conducive for higher industrial growth and increasing employment opportunities.

(b) While gross domestic savings expressed as a percentage of gross domestic product at market prices in 1975-76 and 1976-77 has been estimated at 19.7 per cent and 21.1 per cent respectively, gross capital formation has been lower at 19.6 per cent and 19.2 per cent respectively in the above two years. Data in respect of 1977-78 are not yet available.

(c) The Economic Survey, 1977-78 laid on the Table of the House on 23-2-1978 has analysed the various factors responsible for the slowing down in the rate of capital formation in the economy during the financial years 1975-76 and 1976-77.

(d) The steps taken by the Government to ensure that the rate of capital formation in the current year does not fall below the rate of domestic savings are: an increase of 17% in the annual plan outlay; liberalisation of import licensing in respect of raw materials, spares and components, capital goods, etc; reduction in the customs duties on specified items of capital equipment; deduction in the computation of 50 per cent of Rs. 10,000 of investment in the equity shares of new industrial companies in a year; exemption from capital gains tax when sale proceeds of assets are reinvested in equity shares of new Indian Industrial Companies; withdrawal of the tax on interest receipts of banks and a downward revision of term lending rates by banks. Together with the extension of the investment allowance announced last year to most of the industries, the fiscal impetus given to cottage, village and small scale industries, and the concession given to private limited companies from the compulsory distribution of dividends should enable the economy to utilise the domestic savings fully for capital formation in the current year.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों पर दिया गया ब्याज

10188. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकार से प्राप्त ऋणों पर ऊंचा ब्याज दे रहे है जिससे उनके वित्तीय ढांचे पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन उपक्रमों को दिये गये ऋणों को इक्विटी में बदलने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकार से जो ऋण प्राप्त करते है, उनके ब्याज की दर सामान्यतः बाजार दरों से कम होती है। फिर भी, कुछ उपक्रमों द्वारा अपने पिछले नकद घाटे को पूरा करने के लिए इतने अधिक ऋण ले लिए गए है कि उन पर ब्याज का भार काफी बढ गया है।

(ख) और (ग) : प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर जांच करना सरकार की नीति है। जहां उद्यमों पर ऋणों के भारी बोझ का उनकी वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पडा है और जहां उपक्रमों ने सरकार से राहत चाही है, वहां ऋणों को इक्विटी में बदलने जैसे सदुपायों पर विचार किया जाता है।

बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के पश्चात 60 करोड़ रुपये की राशि के बड़े नोटों का गुम होना

10189. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के पश्चात् 60 करोड़ रुपये के मूल्य के बड़े नोट गुम हो गये और उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है;

(ख) क्या यह सच है कि एक महानगरीय शहर के पांच लोगों का एक सिंडीकेट 4 करोड़ रुपये के मूल्य के नोटों को काठमांडू में जमा करने के लिये वहां ले गया था और इस गिरोह के साथ जा रही एक महिला हवाई अड्डे पर पकड़ी गयी थी जो 2·4 करोड़ रुपये के मूल्य के नोट तथा कुछ विदेशी मुद्रा विशेषकर दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा जिस पर मारिशस की मोहर थी, अपने साथ ले जा रही थीं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : (क) ऊंचे मूल्य वाले उन करेंसी नोटों का कुल मूल्य जिन्हें बदले जाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया लगभग 16 करोड़ रुपये है 60 करोड रुपये नहीं। प्रस्तुत नहीं किए गए इन नोटों का मूल्य अब कुछ भी नहीं रहा।

(ख) 19-1-1978 को एक महिला द्वारा, ऊंचे मूल्य वाले विमुद्रीकृत 50,000/- रुपए के नोटों को नेपाल ले जाने के असफल प्रयास के अतिरिक्त और कोई दूसरा मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया। इन नोटों के वास्तविक मालिक के घर की तलाशी ली गई जिसमें ऊंचे मूल्य

वाले 29,000 रुपए मूल्य के और नोट पकड़े गए । जांच तथा पूछताछ के दौरान यह पता चला कि 79,000 रुपए की यह सम्पूर्ण रकम (जिसमें महिला से पकड़ी गई रकम शामिल है) प्रगट न की गई आमदनी थी ।

कानून के अन्तर्गत आगे अनुमत्य कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) ऊंचे मूल्य वाले करेंसी नोटों को बदले जाने के लिए प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति म इस अध्यादेश में दण्डात्मक कारवाई किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । लेकिन यदि, जांच के दौरान, ऐसी रकम को प्रकट न की गई आय के रूप में पाया जाए तो ऐसे मामलों पर, आय-कर तथा सम्बद्ध प्रत्यक्ष कर कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है ।

औद्योगिक ऋण के बारे में वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

10190. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :**
श्री के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक ऋण सम्बन्धी प्राथमिकताओं के बारे में वित्तीय संस्थानों और बैंकों को नये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : सरकार ने, सितम्बर, 1977 में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वर्ष 1977-78 के आंतरिक प्रयोग के लिए संशोधित मार्ग निर्देशक सिद्धांत इस उद्देश्य से जारी किए थे ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि योजनाओं के लिए स्वीकृत सहायता राष्ट्रीय प्राथमिकताओ के अनुरूप है । हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, इसी उद्देश्य से, ऐसे ही मार्ग निर्देशक सिद्धांत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भेजे है । मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों की कुछ प्रमुख बातें, जिनमें उद्योग की प्राथमिकता का निर्धारण भी शामिल है, निम्नलिखित है :—

(1) किसी भी नयी योजना या इसके विस्तार के लिये सहायता स्वीकृत करने से पहले वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को चाहिए कि वे जिस योजना के लिए सहायता कर रहे है उसके रोजगार सम्बन्धी कठिनाई तथा इन योजनाओं में रोजनार बढ़ाने की दृष्टि से स्वचालित तथा पूंजी सघन प्रक्रिया को श्रम सघन प्रक्रिया में बदलने की संभावनाओं को ध्यान में रखे ।

(2) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए तथा उन योजनाओं के लिए जिनके लाभ का अधिकतर भाग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है, पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता दी जाए ।

(3) देशी खर्चो और मूल्यो में कमी की आवश्यकता को देखते हुए, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को उसी प्रकार के उत्पादों के अन्तराष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में उत्पादन लागत की जांच करनी चाहिए और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनार्थिक उच्च लागत क्षमता वाले उद्योगों को स्थापित करने से बचना चाहिए ।

ये मार्ग दर्शक सिद्धांत अब तक लागू है ।

भारतीय चाय के लिये विश्व में सम्भावित बाजार

10191. श्री मुकुन्द मन्डल : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय को विश्व में कोई बाजार मिलने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) यह देखा गया है कि पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीकी देशों, जापान तथा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, पाकिस्तान तथा चिली जैसे क्षेत्रों में भारतीय चाय की मांग बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के साथ व्यापार पुन: आरम्भ होने से इस क्षेत्र में भारतीय चाय की निर्यात आरम्भ हो गयी है और 1976-77 के दौरान पाकिस्तान को 5.74 करोड़ रुपये मूल्य की चाय निर्यात की गई।

इनमें से कुछ क्षेत्रों और साथ ही अन्य परम्परागत बाजारों में पैकेट चाय, चाय की थैलियों जैसे मूल्य-वर्धित उत्पादों की बिक्री म भी तेजी से वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेल का मूल्य सूचकांक

10192. श्री हितेन्द्र देसाई : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान खाद्य तेल का मूल्य सूचकांक क्या है; और

(ख) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण पद्धति में उचित दर की दुकानों के द्वारा सस्ती दरों पर खाद्य तेल बेचने संबंधी कोई योजना है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) पिछले पांच वर्षों के वार्षिक औसत थोक मूल्य सूचकांक अनुबन्ध में दिये गये हैं।

(ख) एक वर्ष से अधिक समय से आयातित साफ किया हुआ रेपसीड तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जा रहा है। शुरू में यह उपभोक्ताओं को 8.50 रु० प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य पर बेचा जा रहा था। 25 अगस्त, 1976 से इसका खुदरा मूल्य घटाकर 7.50 रु० प्रति किलोग्राम किया गया था और पहली मई, 1978 से इसे और घटाकर 7.00रु० प्रति किलोग्राम किया गया है।

विवरण

वार्षिक औसत थोक मूल्य सूचकांक

(आधार : 1970-71=100)

	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
खाद्य तेल	147·9	172·4	134·9	142·8	175·7
वनस्पति	131·8	171·5	160·0	148·0	167·5
मूंगफली का तेल	154·4	173·5	133·7	134·2	170·7
सरसों का तेल	148·1	176·4	110·2	144·9	209·0
नारियल का तेल	146.0	162·4	121·1	153·7	157·9
जिंजली का तेल	157·2	174·3	153·6	162·2	179·4
बिनौले का तेल	145·1	164·3	128·7	131·7	149.9

Training Institutes under the Ministry and its Attached and Subordinate Offices

10193. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the total number of training institutes under the Ministry and its attached and subordinate offices;

(b) the total number of courses run therein;

(c) the number among them run in Hindi and English medium separately; and

(d) the steps taken to run in Hindi medium the courses which are run in English medium at present?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) to (d) : There are three training institutes under the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation, Under the Department of Commerce there is the Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), New Delhi, and the Indian Institute of Packaging (IIP) at Bombay. Under the Department of Civil Supplies and Cooperation, there is the Indian Institute of Legal Metrology at Ranchi under the administrative control of the Directorate of Weights and Measures.

The IIFT organises a regular ten-month Diploma course on International Trade, in addition to about 20 short-term programmes every year directed towards specific levels of trade, industry and Government. Similarly, the IIP organises a regular three-month Certificate Course on packaging, in addition to 10 to 20 short-term technical courses every year for middle and senior management levels in industry. While the regular courses are organised at the headquarters of these Institutes, the short-term courses are organised in major regional centres as well. In view of the fact that the courses organised by both the Institutes are of a technical nature, and draw participants from all over the country, and on occasions from abroad, the medium of instruction in these courses has been English. However, Hindi and other

regional languages, as necessary, are also used during the course of discussions. IIFT has made a beginning by having training programmes in Hindi directed at specific sectors of industry, as for example, a training programme on export marketing for the Lock Manufacturers Association held at Aligarh.

The Indian Institute of Legal Metrology at Ranchi runs only one course. This course also draws participants from all over the country as well as from abroad, and as such the medium of instruction is English. The Institute, however, arranges special tutorial classes at the Institute to overcome difficulties experienced by trainees from Hindi-speaking areas.

विश्व बैंक ऋणों तथा अन्य औद्योगिक ऋणों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली और वसूल की जानेवाली ब्याज की दरें

10194. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विश्व बैंक और अन्य देशों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से केवल 50 पैसे प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर या धनराशि प्राप्त करती है तथा उस राशि को 8 रुपये से 10 रुपये प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उधार देती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : विश्व बैंक से मिलने वाली विदेशी सहायता पर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता है और विश्व बैंक से सम्बद्ध उदार शर्तों पर ऋण देने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ नामक संस्था से मिलनेवाली सहायता पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवा प्रभार लगता है । अलग-अलग देशों से मिलनेवाली सहायता पर अलग-अलग दरों पर ब्याज लगता है ।

सारी विदेशी सहायता भारत की समेकित निधि में जमा की जाती है और निधि से दिए जाने वाले ऋणों पर अलग-अलग एजेंसियों के लिए ब्याज की अलग-अलग दरें होती हैं और ये दरें ऋणों के प्रयोजन और अवधि को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती है । राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को केन्द्र से दिए जाने वाले ऋणों पर अधिकतर $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता है जबकि सांविधिक निकायों, वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों से अपेक्षाकृत ऊंची दरों पर ब्याज लिया जाता है ।

उड़ीसा में आयकर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कार्यालयों द्वारा कार्यालय भवन के लिए दिया गया किराया

10195. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में आयकर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कार्यालयों के स्थानों के लिये कितनी धनराशि किराए के रूप में दी गई; और

(ख) सरकार ने उड़ीसा में इन कार्यालयों के अपने भवनों का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

7—154 LSS/ND/78

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) उड़ीसा में आयकर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभागों के संबंध में कार्यालय के स्थान के लिए अदा किये गये किराये का ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है :—

विभाग का नाम	वर्ष	अदा किए गए किराए की रकम
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा	1976-77	1,91,841.20 रु०
सीमा शुल्क	1977-78	1,95,022.20 रु०
आयकर	1976-77	2,88,544.00 रु०
	1977-78	2,92,560·00 रु०

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर विभागों के कार्यालयों के लिए भवन निर्माण हेतु भुवनेश्वर, कटक, अलमन्दा और रायागड्डा में जमीन ले ली गई है और निर्माण कार्य को यथा संभव शीघ्र चालू करने के लिए नक्शे (प्लैन्स) और अनुमान तैयार करवाए जा रहे है। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने कार्यालय-भवनों के निर्माण के लिए राऊरकेला में जमीन खरीदी है। ढेंकानाल और बोलांगीर में आयकर के कार्यालयों की स्थापना करने के लिए भवन तथा जमीन खरीदने के मामले पर कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय के लिए भवन निर्माण हेतु सम्बलपुर में जमीन लेने के मामले पर भी कार्यवाही की जा रही है।

Seizure of Duplicate Notes in 1977-78

10196. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some fake and duplicate notes were also seized by Government in 1977-78;

(b) if so, the number thereof; and

(c) where were these notes printed ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is given below :

	1977	1978 (upto 30-4-78)
Indian forged currency notes	9125 numbers	317 numbers
Forged foreign currency notes	89 numbers	

(c) Only 48 notes were reported to have been printed in Chhawani, Durg (M.P.). In this case, a printing machine alongwith 48 forged notes of Rs. 100/- denomination and many partially printed forged notes etc. were seized by the Police. The place or places of printing of the remaining Indian and foreign forged currency notes has not yet been found out.

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध आरोप

10197. श्री आर० एल कुरील :
श्री महमूद हसन खां :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के विरुद्ध यह आरोप था कि उसका एक विदेशी के साथ तस्करी के मामले में हाथ था;

(ख) क्या इस आरोप का आधार एक पत्र था जो बैंकाक में एक विदेशी द्वारा उनके मंत्रालय के इस अधिकारी के लिए लिखा गया था, यदि हां, तो क्या उक्त पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी;

(ग) क्या इस आरोप के बारे में राजस्व तथा आसूचना महानिदेशक तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी किन्तु उनके मंत्रालय द्वारा इस मामले पर आगे कार्यवाही नहीं की गई तथा उसे ठप्प कर दिया गया; और

(घ) क्या राजस्व तथा आसूचना महानिदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और उनके मंत्रालय द्वारा सरकार की कार्यवाही के औचित्य के पक्ष में की गई टिप्पणीयां दर्शानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त आरोप का अधार एक पत्र था जो बैंकाक से एक विदेशी परिचित व्यक्ति द्वारा वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी को लिखा गया था और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी ने वह पत्र, आरोप प्राप्त होने से पूर्व ही, अपने इस आवेदन के सम्बन्ध में विभाग को प्रस्तुत कर दिया था कि उन्हें इस बात की अनुमति प्रदान की जाय कि वे अपने पुत्र को बैंकाक में छुट्टियां बिताने के लिए उक्त विदेशी का निमंत्रण स्वीकार करने कि इजाजत दे सके।

(ग) इस आरोप की जांच, महानिदेशक राजस्व गुप्तचर्या तथा जांच पड़ताल द्वारा की गई थी, जो भारतीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे। महानिदेशक राजस्व तथा गुप्तचर्या तथा जांच पड़ताल ने इस विषय में अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐसी कोई सूचना अथवा सामग्री नहीं है जिसके आधार पर प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित बैंकाक के उक्त विदेशी व्यक्ति पर यह संदेह किया जा सके कि वह तस्करी, जासूसी अथवा ऐसे किसी अन्य कार्य में लगा हुआ है। उन्हें इस पत्र में ऐसी कोई बात नही दिखाई दी जो अपराध आरोपणीय हो। इससे पूर्व भी वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी को आवेदन को स्वीकार करते समय, वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को इस मामले में कोई भी संदेहास्पद बात नहीं दिखाई दी। तब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वरीष्ठ हिन्दी अधिकारी की आय के स्त्रोत के सदर्भ में उनकी परिसम्पतियों की जांच करने के लिए कहा गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर तथा कार्मिक विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके, वित्त मंत्रालय ने, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी को, राष्ट्रहित विरोधी किसी विदेशी के साथ किसी प्रकार से अन्तर्ग्रस्त होने के दोष से मुक्त कर दिया। उन्होंने यह भी निर्णय दिया कि वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी की

परिसम्पत्तियां उनकी आमदानी से बेमेल नहीं है। तथापि, निम्नलिखित कारणों के आधार पर वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी को सरकार की अप्रसन्नता सूचित की गई थी :—

(i) सरकार की पूर्व अनुमति के बिना साथ ही साथ ज्योतिषी अथवा पुरोहित के रूप में काफी नियमित रूप से काम करना और उससे काफी आय कमाना।

(ii) मार्च, 1973 तक, उपर्युक्त अतिरिक्त आय को, आय कर विवरणियों में नहीं दिखाना; और

(iii) केन्द्रीय सतकर्ता आयुक्त पर एक से अधिक बार दबाव डलवाने का प्रयत्न करना।

संबंधित अधिकारी ने, अप्रसन्नता की इस सूचना के विरुद्ध, अभ्यावेदन किया है।

(घ) महानिदेशक राजस्व गुप्तचर्या और जांच पड़ताल तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों आदि को टिप्पणियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र सदन पटल पर रखना वांछनीय नहीं है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि ऐसा करना जनहित में नहीं होगा।

ऐसी विदेशी कम्पनियों के नाम जिनके लाभ और लाभांशों की राशि बाहर जाने से रोक दी गई है

10198. **श्री डी० जी० गवई :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत ऐसी विदेशी कम्पनियों के नाम क्या है जिनके लाभ और लाभांशों की राशि बाहर जाने से रोक दी गई है क्योंकि उन्होंने विदेशी साम्य पूंजी के भारतीयकरण अथवा उसको कम करने के बारे में रिजर्व बैंक के निदेशों का पालन नहीं किया हैं;

(ख) क्या उपरोक्त में स किसी कम्पनी को इस बीच लाभ और लाभांशों की राशि प्रेषित करने की अनुमति नहीं दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी राशि सम्बद्ध है ; और

(घ) उन्हें वह अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सरकारी उपक्रमों द्वारा लाभप्रद मूल्यों पर वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई

10199. **श्री यशवंत बोरोले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कारवाई की है कि सरकारी उपक्रम वस्तुएं और सेवाएं लाभप्रद मूल्यों पर सप्लाई करें ;

(ख) कुछ उपक्रमों में भारी पूंजी-निवेश को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा अपने उत्पादों को लाभ-प्रद मूल्यों पर न बेचे जाने के कारण उनको कितनी हानि हुई है ; और

(ग) ऐसे उपक्रमो के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पाद/सेवायें लाभप्रद मूल्यों पर सुलभ हो, उनके मूल्य निर्धारण के बारे में निम्नलिखित मार्ग-निर्देश निर्धारित किये थे :—

1. वे उद्यम, जो अन्य स्वदेशी उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा में माल का उत्पादन करते है और सेवायें प्रदान करते है, उन पर बाजार की मांग और पूर्ति की सामान्य स्थिति लागू होगी तथा उनके उत्पादों के मूल्य भी बाजार में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ही निर्धारित किए जायेंगे।

2. एकाधिकारी या अर्ध एकाधिकारी स्थिति में चालू उद्यमों के उत्पादों के अधिकतम मूल्य सामान्यत: उतने ही रखे जा सकते है, जितनी कि उस जैसे विदेशी माल की उतरने तक की लागत बैठती हो। उद्यम चाहे तो अधिकतम मूल्य सिमा के भीतर मोल-तोल कर सकता है तथा समुचित स्तर पर मूल्य निश्चित कर सकता है, अन्य अपवादस्वरूप परिस्थितियों में यदि विदेशी माल की उतरने तक की लागत अस्वाभाविक रूप से बहुत कम पाई/समझीं जाय और उससे अधिक मूल्य रखना आवश्यक समझा जाय, तो ऐसा मामला सरकार के निर्णय के लिए भेजा जाता है।

3. आवश्यक माल/आधारभूत सामग्री जैसे कोयला, उर्वरक, तेल आदि के मूल्य सरकार द्वारा निश्चित या नियंत्रित किये जाते है।

4. जून, 1971 से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के संगठनों द्वारा की गई खरिद के बारें में मूल्य अधिमान्यता प्रदान कीं गई थी, जिसे अब जून, 1977 से समाप्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) : जिन उपक्रमों के उत्पादों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते है तथा जिन्होंने घाटा उठाया है, उनके नाम इस प्रकार है :—

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1976–77 में हुआ घाटा (करोड़ रुपयों में)
1. कोल इण्डिया लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियां	46·94
2. भारत गोल्ड माइन्स	1.24
3. भारतीय उर्वरक निगम	34.45

दक्षिण भारत के राज्यों में पर्यटन विकास

10200. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में पर्यटन विकास के लिये वर्ष 1974–75, 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 में राज्यवार कितनी-कितनी राशि कम की गई ; और

(ख) दक्षिण भारत के राज्यों में पर्यटन विकास के लिए निगम में कौनसी योजना चलाई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पिछले चार-वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में किए गए पूंजीगत व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध। पर दिया गया है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटन के विकास तथा प्रोत्साहन के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में निर्मित/अधिगृहीत निम्नलिखित यूनिटों का परिचालन कर रहा है।

आवास सेवाएं

क्रम सं०	स्कीम	स्टार रेटिंग	वर्तमान कमरे	शय्याओं की संख्या	टिप्पणी
1.	होटल अशोक, बंगलौर	*****	183	366	
2.	कोवालम होटल	****	88	176	
3.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	****	28	44	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर के आवासों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।
4.	कोवालम समुद्रतटीय विहार स्थल	***	40	80	जहां केवल सिंगल बैड हैं, वहां प्रत्येक कमरे में दो बडों की व्यवस्था की जा रही है। इससे यात्री लाँज के वर्तमान स्थान में वृद्धि होगी।
5.	टेम्पल बे, महाबलिपुरम	**	28	56	
6.	यात्री लाँज, बीजापुर	*	4	6	
7.	यात्री लाँज, कांचीपुरम्	*	3	4	
8.	यात्री लाँज, मदुरै	*	10	14	
9.	यात्री लाँज तंजाबुर	*	4	6	
10.	यात्री लाँज, तिरुचिरापल्ली	*	4	6	
11.	हस्सन होटल	*	28	56	भारत पर्यटन विकास निगम का हस्सन होटल में डायनिंग रूम सुविधा में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

रेस्टोरैंट

1. महाबलिपुरम
2. हाम्पी

परिवहन यूनिटें

1. मद्रास
2. हैदराबाद
3. बंगलौर
4. कोवालम्

शुल्क मुक्त दुकान

1. मीनमबक्कम् एयरपोर्ट, मद्रास,
2. त्रिची एयरपोर्ट।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम यात्रा लेखकों, यात्रा अभिकर्ताओं तथा यात्रा परिचालकों में प्रचार तथा निजी अनुभव के आधार पर, पर्यटकों के लिये कोच यात्राओं की सिफारिश करते हुए दक्षिण भारत को एक "डेस्टीनेशन" के रूप में प्रोत्साहित करता है। भारत पर्यटन विकास निगम स्वयं भी मद्रास-महाबलिपुरम-कोंचीपुरम-मद्रास के लिए कोच यात्राएं परिचालित करता है। इनके अलावा, कारपोरेशन द्वारा मद्रास-बंगलौर तथा हैदराबाद में स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्राएं भी संचालित की जाती हैं।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78**
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—
2. आसाम	—	—	—	0.06
3. बिहार	13.70	36.30	11.26	4.29
4. गुजरात	—	—	—	—
5. हरियाणा	—	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
7. जम्मू व काश्मीर	1.87	0.16	—	—
8. कर्नाटक	67.49	39.15	18.60	9.63
9. केरल	34.87	55.21	3.58	3.82
10. मध्य प्रदेश	0.76	0.13	—	—
11. महाराष्ट्र	14.04	34.20	32.48	5.51
12. मणिपुर	—	—	—	—
13. मेघालय	—	—	—	—
14. नागालैण्ड	—	—	—	—
15. उड़ीसा	—	0.12	5.88	6.58
16. पंजाब	—	—	—	—
17. राजस्थान	0.28	—	28.87	8.38
18. सिक्किम	—	—	—	—
19. तमिलनाडू	1.24	3.89	—	0.19

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
20. त्रिपुरा	—	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	10.95	16.26	—	—
22. पश्चिम बंगाल	105.29	46.95	15.53	—
संघ शासित प्रदेश				
1. दिल्ली	58.85	52.64	96.72	177.92
अवांटनीय स्कीमें				
1. परिवहन यूनिटों की स्थापना तथा विस्तार*	9.31	18.36	20.45	63.11
2. अन्य छोटी विविध स्कीमें***			6.96	14.81
	318.65	303.37	240.33	294.30

मसालों के मूल्य में वृद्धि

10201. **श्री गदाधर साहा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू तथा विदेशी बाजारों में महत्वपूर्ण मसाले किस मूल्य पर बेचे जा रहे हैं ; और

(ख) घरेलू बाजार में मसालों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) भारत के चुने केन्द्रों और लंदन में अप्रैल, 1978 में प्रमुख मसालों के माह अंत के थोक मूल्य अनुबंध में दिये गये हैं।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन०सी०सी०एफ०) को मसालों की अधिक खरीद करने के निदेश दिये गये हैं। हल्दी (एलेपी फिंगर किस्म की सीमित मात्रा को छोड़ कर जो मुख्यत: निर्यात के प्रयोजनों के लिए उगाई जाती है) और जीरे के निर्यात पर 4 जनवरी, 1978 से रोक लगाई गई है।

*परिवहन यूनिटों की स्थापना तथा विस्तार पर होने वाले व्यय का सम्बन्ध विभिन्न राज्यों से है। इसे विभिन्न राज्यों को ठीक से आवंटित नहीं किया जा सकता। क्योंकि वाहनों को आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर कार्य में लगाया तथा हटाया जाता है।

**वर्ष 1977–78 के आंकड़े अंतिम है और उनकी लेखा-परिक्षा होनी है।

***इस शीर्ष के अंतर्गत आने वाली राशि के राज्यवार ब्यौरों को वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 के लिए अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

चुने केन्द्रों में प्रमुख मसालों के अप्रैल, 1978 में माह अंत के थोक मूल्य

केन्द्र (किस्म)	अप्रैल, 1978 में माह अंत के थोक मूल्य
	(रुपये प्रति क्विंटल)
काली मिर्च	
एल्लेपी	
(पलाई)	1715
कोचीन	
(अनगारबल्ड)	1750
मद्रास	
(आफिस)	1900
लंदन	
(सुरावक स्पेशल ब्लैक)	1899 (21-4-78)
हल्दी :	
कोचीन	
(नदन)	950 (7-4-78)
डुगिराला	
(फिंगर्स)	628
सांगली	
(राजापुरी)	700
लंदन	
(मद्रास फिंगर स्पाट)	1448 (21-4-78)
लाल मिर्च :	
कोचीन	
(गुन्टुर)	800
नागपूर	670 (21-4-78)
हैदराबाद	700
सिंगापुर	1100 (21-4-78)
अदरक :	
हैदराबाद (बारीक) 1	200
कोचीन (अनब्लीचड)	1375
बंबई (ब्लीचड)	1450
लंदन (स्पलिट नाइजेरियन)	1678 (21-4-78)

मदुरै में एक सहकारी प्रशिक्षण कालिज की स्थापना

10202. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडू के लोगों ने मदुरै में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी प्रशिक्षण कालिज स्थापित करने की मांग की है ; और

(ख) क्या कालिज वर्ष 1978–79 में कार्य करना आरम्भ कर देगा और यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में कब निर्णय करेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) (क) ऐसा प्रस्ताव सरकार को नही मिला है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

विदेशी प्रतिनिधी मंडलों का दौरा

10203. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से अप्रेल, 1978 तक की अवधि में विदेशों से अनेक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिनिधि मंडलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या भारत का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडलो के देशों के साथ कोई करार किए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितने व्यापार-करार किए गए हैं ; और

(ङ) उन्हें कितना लाभ होगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां ।

(ख) 19 ।

(ग) तथा (घ) : जनवरी से अप्रेल, 1978 के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को भारत केयात्रा फलस्वरूप चार व्यापार करारों पर हस्ताक्षर हुए । जिन देशों के साथ व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं, वे निम्नोक्त हैं :

(1) कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य ।

(2) मंगोलिया जनवादी गणराज्य ।

(3) सीरिया ।

(4) नेपाल ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	देश का नाम, जिसके साथ व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये	होने वाले लाभ
1.	कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य	कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य तथा मंगोलिया जनवादी गणराज्य के साथ भारत द्वारा जो व्यापार करार किये गये हैं, उनसे भारत तथा संबंन्धित देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार विस्तार में अत्यधिक सहायता मिलेगी। खास तौर पर, भारत तथा कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के बीच व्यापार का रुपयों में भुगतान करने के स्थान पर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतान आरंभ करने के फलस्वरूप व्यापार के विविधीकरण में और अधिक लोच आयेगा।
2.	मंगोलिया जनवादी गणराज्य	
3.	कोरिया	कोरिया के साथ किया गया व्यापार करार इस अर्थ में लाभकारी है कि द्विपक्षीय संविदाओं आदि का संवर्धन करके व्यापार बढ़ाने में यह करार उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर सकता है। इन व्यापार करारों में अधिकारीक वार्ताओं में, जिनसे व्यापार बढ़ाने के उपायों का पता लगाने का अवसर मिलता है, संविदाकारी पक्षकारों के बीच व्यापार प्रवाह की आवधिक पुनरीक्षा करने की व्यवस्था है।
4.	नेपाल	नई व्यापार संधी के उपबंधों के अन्तर्गत ऐसे नेपाली माल का, जिसमें नेपाली तथा भारतीय सामग्री होगी, और अधिक प्रवाह होगा। इस संधि से, भारत से नेपाल को भी और अधिक माल का निर्यात होगा।

एम० एम० टी० सी० द्वारा लौह अयस्क के जहाज तक निःशुल्क मूल्य में एक प्रतिशत की छूट

10204. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० एम० टी० सी० द्वारा मार्ग में क्षति को पूरा करने के लिए खान मालिकों को देय लौह अयस्क के जहाज तक निःशुल्क मूल्य में प्रतिशत की छूट दी जाती है ;

(ख) क्या छूट की यह राशि प्रतिवर्ष तीन करोड़ रुपए की होती है ;

(ग) क्या छूट की यह अनुमति न्यायोचित है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की सरकारी जांच लेखापरिक्षकों से करायेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

भारत द्वारा कपड़े की मदों के निर्यात के बारे में भारत और स्वीडन के बीच करार

10205. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा कपड़े की विभिन्न मदों के निर्यात की मात्रा का निर्धारण करने के बार में भारत और स्वीडन के बीच करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त करार से भारत सरकार को कहां तक लाभ होगा ; और

(घ) करार का क्रियान्वयन कब शुरू होने की संभावना है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) : निरोध ग्रुप 4, 5, 9 तथा शेष ग्रुपों (जिनमें 1, 3, 6-8, 11, 12 तथा 14 शामिल है) के मामले में करार 1 मार्च 1978 से लागू हो चुका है, और निरोध ग्रुप 2, 10 तथा 13 के संबंध में करार 1 जुलाई, 1978 से लागू होगा। इस करार मे हमारे गत निष्पादन की तुलना में पर्याप्त वृद्धि की व्यवस्था है और यह भी निश्चित किया गया है कि इसके अन्तर्गत आने वाले वस्त्र-उत्पादों के मामले में उनके अधिन विहित स्तरों तक निर्यात किये जा सकेंगे।

विवरण

रुई ऊन तथा मानव निर्मित रेशे अथवा उनके मिश्रित रेशों के वस्त्र उत्पादों के निर्यात के लिए भारत-स्वीडन करार के अन्तर्गत विहित परिमाणात्मक स्तर।

ग्रुप सं०	ब्यौरा	स्वीडन का टैरिफ वर्गीकरण	इकाई	1-3-78 से 28-2-79 तक की अवधि के लिए स्तर
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
2	पुरुषों तथा लड़कों की सूती, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रेशों की कमीज (शर्ट)	60.04.102—106 61.03.102-106, एक्स 109	अदद	700.000 (1-7-78 से 30-6-79 तक की अवधि के लिए)
4	शर्टों, नाइटवियरों तथा टाइटों (जिनमें अंडरवियर टी-शर्ट शामिल हैं) को छोड़ कर सूति, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रेशे के बुने हुए अंडरवियर।	60.04.702-706 802-806 902-906	अदद	160.000
5	सूती, ऊनी अथवा मानव निर्मित रेशों के बुने हुए स्वैटर, पूलओवर, जम्पर तथा काडीगन आदि (ऊपर पहनने की टी शर्टों सहित)	60.05.302-306	अदद	1.100.000
6	सूति, ऊनी अथवा मानव निर्मित रेशे की कास्ट्यूमें, ड्रैसे तथा स्कर्टें	60.05.602-606 61.02.एक्स-008 202-206 302-306 402-406 एक्स 992-996	अदद	520.000
10	सूती, ऊनी अथवा मानवनिर्मित रेशे के स्त्रियों के, लड़कियों के तथा बच्चों के ब्लाऊज	60.05.एक्स 803-804 एक्स 809 822,825-826 61.02.एक्स 008 502-503 505-506 एक्स 509 एक्स 992-996	अदद	900.000 (1-7-78 स 30-30-6-79 तक की अवधि के लिए)

विवरण—जारी

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
13	सूतो, ऊनी अथवा मानवनिर्मित रेशे के बिस्तरों के कपड़े †	62.02.110 एक्स 190 एक्स 792-793	किग्रा	575.000 (1-7-78 से 30-6-79 तक की अवधि के लिए; इसके अतिरिक्त और तदर्थ आधार पर, इस अवधि के दौरान 103.000 किलोग्राम बिस्तरों के कपड़ों का और भारत से निर्यात किया जा सकता है)
शेष ग्रुप	स्त्रियों के अविच्छिन्न सिथेटिक रेशों की स्टाकिंग को छोड़ कर सूती, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रेशों से बुनि अथवा क्रोशिये स बुनि स्टाकिंग, नीचे पहनने की स्टाकिंग, जुराबे, टखनों तक की जुराबे, छोटी जूराबें तथा इसी प्रकार की अन्य जराबें।	60.03.003 102-106 एक्स 109, 902-906 एक्स 909		
1,3, 6-8, 11, 12,	सूती, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रेशे के नाइटवियर, पैंटी होसिस तथा टाइट्स, बुनि हुई अथवा क्रोशिये से बुनी हुई।	60.04.212-216 252-256 602-606	किग्रा	138.000
14	स्वैटरों, पुलओवरों, स्लिप ओवरों आदि (ग्रुप 5), कास्ट्यूमों, ड्रेसो तथा स्कर्टों (एक्स ग्रुप 9) तथा ब्लाउजों (एक्स ग्रुप 10) को छोड़ कर सूती, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रशे के बुने हुए अथवा क्रोशिये से बुने हुए ऊपर पहनने के परिधान।	60.05.102,105, 202,205, 802, एक्स 803-804,806, एक्स 809, 812 एक्स 892, एक्स 895-896		

†"बिस्तरों के कपड़े" वर्ग मे बिस्तर की चादरें, तकियों के कपड़े, तकियों के स्लिप, बोल्स्टर अथवा आइडर-डाऊन के गिलाफ, गदों के गिलाफ, रजाई अथवा कम्बल के गिलाफ।

विवरण—समाप्त

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
	सूती, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रेशे के पुरुषों के तथा लड़कों के बुने हुए ऊपर के परिधान।	61.01.003, एक्स 008, 104, एक्स 109, 304-306, 414-416, 454-456, 504-506, 705-706, एक्स 709 904-906		
	कास्ट्यूमों, ड्रैसों तथा स्कर्टों (एक्स ग्रुप 9) तथा ब्लाऊजों (एक्स ग्रुप 10) को छोड़ कर, सूती, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रेशे के स्त्रियों, लड़कियों तथा बच्चों के बुने हुए ऊपर पहनने के परिधान।	61.02. एक्स 008, 112-116 152-156, 602-606, 802-806 902-906 एक्स 992-996	अदद	
	सूती, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रेशे के बुने हुए पुरुषों तथा लड़कों के बिना बुने अथवा क्रोशिये के बुने नाइटवियर।	61.03.202-206, एक्स 209		
	सूती, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रेशे के बिना बुने अथवा क्रोशिये से बुने स्त्रियों तथा लड़कियों के नाइटवियर।	61.04. एक्स 102-109		
	सूती, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रेशे के सफरी गलीचे तथा कम्बल सूती, ऊनी अथवा मानव-निर्मित रेशे के तौलिये अथवा इसी प्रकार का अन्य सामान।	62.01. एक्स 101-400, 500 600, एक्स 900 62.02. 311, 319, एक्स 399 एक्स 792, एक्स 793		

आई० ए० चौपर सर्विस टू बाम्बे हाई

10206. श्री वसंत साठे : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल 1978 के इंडियन एक्सप्रेस में "आई० ए० चौपर सर्विस टू बाम्बे हाई" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले से सम्बन्धित तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) (ख) और (ग) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अनुरोध पर उनके आफशोर प्लेटफार्मों की परिवहनके आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, इंडियन एअरलाइंस बॉम्बे-हाई के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं परिचालित करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है ।

सी० टी० सी० चाय के मूल्यों में वृद्धि

10207. श्री सी० डी० देसाई : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सी० टी० सी० चाय के मूल्यों में अप्रैल, 1978 के दौरान वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां तो, चाय के मूल्य विशेषकर जनसाधारण द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किस्मों के मूल्य स्थिर रखने के लिए क्या कार्यवाही कीं गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अप्रैल, 1978 के महिने के दौरान कलकत्ता निलामियों में 1977-78 के मौसम में सी टी सी चाय की औसत किमत 13.66 रु० प्रति किलो थी। यह किमत जनवरी, 1978 की तुलना में 0.20 रु० प्रति किग्रा तथा अप्रैल, 1977 कीं तुलना में 2.24 रु० प्रति किग्रा कम है; तथापि मार्च, 1978 कीं तुलना में थोडी सी, अर्थात् 22 पैसे प्रति किग्रा अधिक है ।

अप्रैल, 1978 में कलकत्ता निलामियों में नये मौसम की सी टी सी चाय की औसत कीमत 15.47 रु० प्रति किग्रा थी जब कि अप्रैल 1977 के दौरान 19.58 रु० प्रति किग्रा थीं ।

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू खपत के लिए चाय की किमतें उचित स्तर पर स्थिर रखीं जा सके, सरकार पहले ही कई उपाय कर चुकि है इनमें ये शामिल है : चाय के बढ़ते हुए उत्पादन के लिए विकासात्मक मदत, बल्क चाय पर निर्यात शुल्क लगाना तथा निर्यात प्रोत्साहनों को समाप्त करना, सार्वजनिक निलामियों के माध्यम से पहले से अधिक मात्राओं कीं बिक्री, और पैकेट चाय की खुदरा कीमतों का अनौपचारिक विनियमन । राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा भारतीय राष्ट्रिय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की दूकानों के माध्यम से चाय के वितरण की व्यवस्था करने के बारे में भी कदम उठाये गये हैं ।

Purchase of Mica by MITCO

10208. **Shri Roop Lal Somani:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether MITCO has fulfilled its commitment of purchasing mica worth Rs. 20 lakhs from Rajasthan during 1977-78;

(b) if so, the quantity of mica purchased during the said period and if not, the reasons therefor; and

(c) the efforts being made by Government in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig) : (a) & (b) : Purchases worth Rs. 16.70 lakhs (25.56 M.T.) were effected up to 31-3-78. Additional purchases worth Rs. 4.90 lakhs (10.38 M.T.) were finalised in the first fortnight of April, 1978. The delay in the finalisation of additional purchases was due to the unwillingness of the suppliers of Bhilwara to finalise deals without first settling the dispute arising from payment of Centre Sales Tax.

(c) It has been impressed on MITCO to keep up a sustained level of purchase of Rajasthan mica. However, there is a limit upto which MITCO can make purchases of Rajasthan mica, as the same are related to export demand. MITCO arranged for the visit of Russian, Czechoslovak and Indian mica experts to Bhilwara in April, 1977, for assessing the suitability of Rajasthan mica for direct purchases. Rajasthan mica industry can be pulled out from its present difficult situation by making mica "ready-for-export". For this purpose, it is essential to impart necessary training to the workers. MITCO is already running a Mica Purchase-cum-Training-Centre at Bhilwara. The training facilities available at this Centre should be availed of by private mica trade and industry in Rajasthan.

सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा इक्विटी शेयरों की खरीद

10209. **श्री० मीठालाल पटेल :**
श्री० एम० ए० हनान अलहाज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, विशेषतया जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सामान्य बीमा निगम तथा उनके सहायक संगठन देश में स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से विभिन्न सरकारी क्षेत्रों तथा एकाधिकार निबंधात्मक व्यापार प्रक्रियां कम्पनियों में ईक्विटी शेअरों की निरन्तर खरीद करते हैं;

(ख) इन संस्थानों की ऐसी खरीदी का ब्यौरा क्या है जैसा की कितने शेयर खरीदे गए किस तारीख को खरीदे गये और 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 की अवधि के बीच की एक वर्ष के अवधि में इनका मूल्य क्या रहा;

(ग) खरीद मूल्य के हिसाब से तीन वर्षों के औसत मूल्य के आधार पर संभावित लाभांश क्या है; और

(घ) पुरानी कम्पनियों में इक्विटी शेयर खरीदने में सार्वजनिक निधि के अवरुद्ध हो जाने का सरकार किस प्रकार औचित्य ठहराती है जबकि ऐसी निधि मकान बनाने तथा सड़कों का विकास करने जैसे सामाजिक रुप से अधिक वांछनीय कार्यों के लिए आवश्यक है ?

8—154 LSS/ND/78

वित्त मंत्री (श्री० एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : माननीय सदस्यों द्वारा मांगी हुई सूचना काफी लम्बी-चौड़ी है और इसे इकट्ठा करने में जितने प्रयत्न करने पड़ेंगे, वे उनसे निकलने वाले परिणामों के अनुरुप नहीं होंगे । फिर भी यदि किसी संस्था द्वारा किसी खास कम्पनी में लगाई गई पुंजी के संबंध में सूचना अपेक्षित हो तो वह दी जा सकती है ।

(घ) ये संस्थाएं विविध प्रकार की प्रतिभूतियों में पुंजी लगाती है और अपनी पुंजी को सामान्य शेयरों में अवरुद्ध नहीं करती ।

जीवन बीमा निगम के निवेश संबंधी निदेशक सिद्धांतों के अनुसार निगम की नियंत्रित निधि की वार्षिक वृद्धियों का 75 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और आवास, जलपूर्ति और बिजली सहित अन्य समाजोन्मख योजनाओं में लगाना होता है । शेयरों सहित गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में लगाई गई पूंजी, वार्षिक वृद्धियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होती है । इसी प्रकार साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों के निवेश संबंधी निर्देशक सिद्धातों में वार्षिक प्राप्तियों के 70 प्रतिशत का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में और आवास के लिए किए जाने की व्यवस्था है । सामान्य शेयरों सहित गैर-सरकारी कम्पनी क्षेत्र में किया जाने वाला निवेश वार्षिक प्राप्ति के 30 प्रतिशत तक सीमित है । भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य अपने यूनिट होल्डरों को अधिक से अधिक लाभांश देना है और इस प्रयोजन के लिए यह अपनी पूंजी मुख्यत: पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के शेयरों और ऋणपत्रों में लगाता है ।

Export of Gum

10210. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether gum is exported from India in different forms;

(b) if so, the quantity exported during 1976-77 and 1977-78, the agencies through which exports were canalized and steps taken to promote the export;

(c) whether it is exported through S.T.C. also; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) : Exports of Natural Gum during 1976-77 and 1977-78 (April to September only) were as under :—

Year	Quantity Tonnes	Value Rupees in lakhs
1976-77	7809	540
1977-78 . . . . . (April to September only)	3410	370

Figures for April to September 1977 are provisional. The export figures after September 1977 are not yet available. Export of Natural Gum is not canalised through any agency. It is a de-controlled item and as such its export is allowed by all categories of exporters.

Bumper Tobacco Crop in Andhra Pradesh

10211. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of bumper tobacco crop in Andhra Pradesh this year as a result of which the growers had to resort to distress sale and sold large quantity to traders at low price;

(b) if so, the comparative production figures for this year and last year as also the rates at which farmers sold the produce;

(c) whether Government have directed the S.T.C. to go in for procurement of virginia flue tobacco in order to stabilise its price and if so, the quantity procured and at what rate; and

(d) whether Government are considering any proposal regarding stabilisation of prices thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig) : (a) It is true that the virginia tobacco crop in Andhra Pradesh this year is a larger one and as a result, there has been a downward trend in prices.

(b) As against the official all India production figure of 94,400 metric tonnes of virginia tobacco for 1976-77, the production of virginia tobacco during 1977-78 in Andhra Pradesh alone is estimated by the Tobacco Board to be 1,30,000 metric tonnes. The prices realised by the growers for kutcha grades of virginia tobacco during 1977 and 1978 are reported to have ranged between the minimum and maximum prices indicated below :

(In Rupees per quintal)

	1977		1978	
Kutcha grades	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
1 V	900	980	650	970
2 V	550	870	400	850
3 V	300	450	250	500
5 V	200	450	250	425
6 V	150	360	100	325
8 V	50	290	100	200

(c) Yes, Sir. The STC has been directed to purchase 10,000 metric tonnes of virginia tobacco on Government account at ruling market prices. It has finalised arrangements for purchasing this tobacco from the co-operative sector and Associations/Syndicates of farmers who will be required to deliver Agmark tobacco at prices worked up from kutcha grades.

(d) The Government have advised the Tobacco Board to regulate effectively, the production of virginia tobacco so that such surplus production may not result from future crops. Besides, for proper regulation of the internal marketing of virginia tobacco a Bill has already been introduced in the Lok Sabha on 4th May, 1978 seeking *inter alia* powers for the Tobacco Board to set up and operate its own auction platforms.

आंध्र प्रदेश में फीडर सेवाएं

10212. **श्री० जी० एस० रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स आंध्र प्रदेश में "फीडर" सेवाएं आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या गैर सरकारी विमान कम्पनियों को ये "फीडर" सेवाएं आरम्भ करने की अनुमति दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री० पुरुषोत्तक कौशिक) : (क), (ख) और (ग) : "थर्ड एयरलाइन" परिचालनों की समग्र नीति इस समय सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा। इस मामले पर कोई निर्णय ले लेने के बाद प्राइवेट ऑपरेटरों के प्रस्तावों की भी जांच की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण

10213. **श्री० डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री० एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण इलाको में ऋण प्रसार को प्रभावी बनाने के लिए अभी तक किए गए और अधिक महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है :

(1) वाणिज्यिक बकों की ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्ति बढ़ाने के प्रभावी-प्रयास किए गये है। दिसम्बर, 1977 के अन्त में वाणिज्यिक बैंकों की 11092 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही थी जो कुल शाखाओं की संख्या का 41.1 प्रतिशत है।

(2) बैंकों से कहा गया है कि वें उन क्षेत्रों पर ध्यान दे जहां इस समय बैंकिंग सुविधायें अपर्याप्त है। उनसे यह भी कहा गया है कि वें चालू वर्ष के दौरान जिलों में शाखा विस्तार के लिए उन स्थानों का चुनाव करें जहां प्रति-बैंक-शाखा जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

(3) दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार 48 क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों की 1187 शाखायें, ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषत: छोटे और सीमांतिक किसानो की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, स्थापित की गई है।

(4) वाणिज्यिक बैंक सरकार द्वारा 160 जिलों में गठित एस० एफ० डी० ए० द्वारा बताये गए छोटे और सामांतिक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयास कर रहे है।

(5) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे कृषि सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दी जाने वाली अपनी ऋण राशियों को बढ़ा कर पांचवी–पंच–वार्षीय योजना के अन्त तक अपने कुल ऋणों के 33.3 प्रतिशत तक पहुंचा दे। उसी प्रकार उन से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में अपने द्वारा जुटाई गई जमा राशियों का 60 प्रतिशत केवल उन्हीं इलाकों में लगाये।

(6) बैंकों को अब यह भी सुनिश्चित करना है कि विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत नके ऋणों का कम से कम 2/3 भाग उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से दिया जाय।

(7) बैंकों से कहा गया है कि वे (1) लघु सिंचाई और भूमि विकास प्रयोजनों के लिए मंजूर किए गए 3 वर्ष से अनधिक अवधि की परिपक्वता वाले सावधिक ऋणों पर 10.5 प्रतिशत से अनधिक और (2) डेरी उद्योग, मुर्गीपालन, मछली पालन, बागवाणी आदि सहित विविधीकृत प्रयोजनों के लिए 11 प्रतिशत से अनधिक ब्याज की दर वसूल करे। 1-1-78 के बाद से छोटे किसानों को दिये जाने वाले 2500 रु० अनधिक के अलग-अलग प्रत्यक्ष ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक से, बैंक दर पर, अर्थात 9 प्रतिशत की दर से पुनर्वित्त सहायता के पात्र होंगे। साथ ही साथ बैंकों से यह भी आशा की जाती है कि वे इन ऋणों पर 11 प्रतिशत से अधिक ब्याज न वसूल करें चाहे उन ऋणों के लिए रिज़र्व बैंक से पुनर्वित सहायता मिली हो अथवा नहीं।

1-1-78 के बाद से बैंक द्वारा दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता की राशि उसके द्वारा इस श्रेणी के अन्तर्गत वितरित किए गए कुल ऋणों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कृषि-ऋणों में बहु-अभिकरण प्रयास स उत्पन्न समस्याओं की जांच करने के लिए गठित कामथ कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस दल की शिफारिशें विचाराधीन है।

गैर व्यापारिक धनराशि भेजे जाने से विदेशी मुद्रा की आय

10214. **श्री० सरत कार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत $1\frac{1}{2}$ वर्ष में गैर व्यापारिक धनराशि भेजे जान से भारत की विदेशी मुद्रा की आय में कोई वृद्धी हुई है;

(ख) जनता सरकार बनने से पहले जब तस्करों को गिरफ्तार किया गया था उस समय विदेशी मुद्रा कितनी थी और उसमें कितनी वृद्धी हुई है;

(ग) तस्करों के कितने मामलों पर पुनर्विचार किया गया और कितने रिहा कर दिये गये और पिछली सरकार ने कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था ?

वित्त मंत्री (श्री० एच० एम० पटेल):(क) और(ख) : पिछले डेढ़ वर्ष में भारत को विदेशी मुद्रा की आय में निर्यात भिन्न राशियों के रुप में देश में आने वाली विदेशी मुद्रा का अधिक हाथ रहा है। लेकिन केवल व्यापार से भिन्न गैर-सरकारी प्रेषणाओं के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है और उक्त कथन निर्यात को छोड़कर गैर सरकारी और व्यापारिक दोनों प्रकार के सभी किस्म के प्रयोजनों के लिए देश में भेजी गई राशियों के त्वरित अनुमानों पर आधारित है। जुलाई, 1975 से देश में निर्यात से भिन्न भेजी गई राशियों के तिमाही आंकड़े नीचे दिये हैं :–

(करोड़ रुपये)

अवधि	1975	1976	1977	1978
जुलाई-सितम्बर	301.75	405.51	488.30	..
अक्टूबर-दिसम्बर	293.03	386.02	573.06	..
जनवरी-मार्च	211.07	354.81	425.91	634.69
अप्रैल-जून	247.91	368.52	421.07	..

उक्त आंकड़े निर्यात-भिन्न सकल प्राप्तियों के है जिनमें हवाई कम्पनियों, जहाजी कम्पनियों की प्राप्तियों, बीमा प्राप्तियां, लाभांश प्राप्तियों, पर्यटन प्राप्तियों आदि जैसी सभी किस्म की प्राप्तियां शामिल है। इसके अलावा इसमें 'व्यापार-भिन्न अथवा गैर-सरकारी आवक प्रेषणाओं' से संबंधित चार शीर्षों अर्थात्

(1) परिवार भरण-पोषण
(2) अनिवासियों की बचते
(3) प्रवासी अन्तरण और
(4) मनी आर्डर संबंधी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

(ग) 20 मार्च, 1977 को अर्थात् आपात स्थिति समाप्त करने की घोषणा से तत्काल पहले विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत वास्तव में 2501 व्यक्ति नजरबन्द थे। आपात स्थिति की समाप्ति की घोषणा के तत्काल बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 2043 नजरबन्द रिहा कर दिये गये थे। सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि छोड़े गये तस्कर आमतौर से चुप हैं।

Purchase of Jet Planes by U.P. Government from A Company of U.S.A.

10215. **Shri Ram Rahi**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5151 on the 31st March, 1978 regarding purchase of Jet aeroplanes by U.P. Government from American company and state :

(a) whether Uttar Uradesh Government have made direct contact with the concerned company of United States of America for the purchase of jet aeroplanes or the contract was made through the Government of India;

(b) the number of aeroplanes with the Government of Uttar Pradesh and the number of planes, out of them, proposed to be replaced and the justification therefor; and

(c) whether there are some aeroplanes also as can be repaired by incurring small expenditure and these planes can be used for a long period?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The position is being ascertained from Uttar Pradesh Government.

(b) At present Government of Uttar Pradesh own seven aircraft; two Beechcraft D18S, one Beech Bonanza 35, one Beech Baron B-55, one Beech King Air A-90, and two Alouette III helicopters. Out of these, the U.P. Government propose to sell four aircraft, two Beechcraft D18S, one Beech Bonanza 35, and one Beech Baron B-55, since these are fitted with piston engines, which are considered uneconomical for operation, as the cost of fuel used by these engines is very high.

(c) All aeroplanes, except Beechcraft D18S, Beechcraft Super 18, and Beech Bonanza 35, are in a serviceable condition with valid Certificate of Airworthiness. The unserviceable aircraft can be made serviceable by subjecting them to necessary inspection/repairs as required.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड में राज्यों के प्रतिनिधि

10216. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि

(क) क्या पंजाब ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के दिदेशक बोर्ड में राज्यों के प्रतिनिधि रखने का एक सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम पटेल) : (क) और (ख) : जी हां। राष्ट्रीयकृत बैंकों बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन के मापदण्ड राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 की धारा 3 में दिये गए है। पंजाब सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने गैर-सरकारी निदशकों के रुप में नियुक्ति के लिये कुछ व्यक्तियों के नामों की शिफारिश की है। किसी बैंक के उस राज्य में शाखा जाल और "राष्ट्रीयकरण योजना" के उपबन्धों के अनुसार प्रतिनिधित्व पाने के हकदार वर्गो को ध्यान में रखते हुए, योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीयकरण बैंकों के निदेशक मण्डलों में नियुक्त किया जाता है।

भारत में सबसे बडी यात्रा एजेंसियों की विदेशी मुद्रा की आय

10217. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे।क :

(क) भारत में सबसे बडी 10 यात्रा एजेंसियों की विदेशी मुद्रा की आय कितनी है ;

(ख) उन्हें अपने विदेशी कार्यालयों के रखरखाव पर कितनी धनराशी खर्च करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) कुल विदेशी मुद्रा की तुलना में कितने प्रतिशत राशि रखरखाव पर खर्च की जाती है; और

(घ) विदेशी शाखाओं में उनके प्रचार के लिए कितनी राशि खर्च करने की मंजूरी दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत में इस विभाग द्वारा अनुमोदित दस सर्वश्रेष्ठ ट्रैवल एजेंसियों की विदेशी मुद्रा की आय 1977 में लगभग 25.00 करोड़ रुपए थी।

(ख) से (घ) : 1977 में तीन ट्रैवल एजसियों के कार्यालय विदेशों में थे। इन कार्यालयों के रखरखाव तथा प्रचार के लिए दी गयी राशि 32·60 लाख रुपए थी। यह राशि 1977 में अर्जित की गयी 25 करोड़ रुपए की राशि का 1.3 प्रतिशत बैठती है।

Seizure of Smuggled Rudraksha by Customs Department

10218. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether 7 thousand K. Gs. of smuggled Rudraksha worth Rs. 50 lakhs was seized by the Customs Department recently;

(b) if so, the full facts in this regard;

(c) the steps taken and proposed to be taken by Government to check smuggling of rudraksha; and

(d) the reason why this commodity is not considered to be on essential commodity when it has been proved that it is very useful for a serious disease like blood pressure ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) & (b) : No Sir. According to reports received by the Government, Varanasi Police authorities seized 85 bags of Rudraksha valued at Rs. 30,000 approximately at Varanasi, on 4-4-1978, and produced the goods along with documents before the Customs authorities at Varanasi, on 5-4-1978 for necessary action under the Customs Act, 1962. However, enquiries revealed that the goods were legally imported on behalf of Bharat Sadhu Samaj New Delhi. As no offence under the Customs Act 1962 was involved, the goods were released to the party.

(c) Customs staff are fully alert to thwart any attempt at smuggling of rudrakshas.

(d) Report received in this behalf indicates that rudraksha is used by Ayurvedic physicians for the treatment of some chronic and otherwise incurable diseases. However no scientific research has been carried out on the therapeutic utility of this drug.

जीवन बीमा निगम के श्रेणी-एक के अधिकारीयों की परिलब्धियां

10219. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के श्रेणी-एक के अधिकारियों की कुल परिलब्धियां उनके मूल वेतन तथा नियुक्ति के स्थान के अनुसार श्रेणी तीन के कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों से 298 रुपये से लेकर 940 रुपये तक कम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी विषमताओं को दूर करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पहली श्रेणी के अधिकारियों और तीसरी श्रेणी के कर्मचारीयों को परिलब्धियों में (बोनस को छोड़ कर) उनके मूल वेतन और नियुक्ति के स्थान के अनुसार आम वेतनमानों का अन्तर 52 रुपए से लेकर 588 रुपए तक है ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

मद्रास शहर में सरकारी कर्मचारीयों को प्राकृतिक आपदा अग्रिम राशि दिया जाना

10220 : **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर में कार्य कर रहें डाक तथा तार विभाग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को वर्ष 1977-78 के दौरान वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार प्राकृतिक आपदा अग्रिम राशि दी गई थी ; और

(ख) क्या मद्रास शहर में कार्य कर रहें गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास के कर्मचारियों को वर्ष 1977-78 के दौरान ऐसी राशि देने से इन्कार किया गया था, यदि हां तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : सभी अराजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीयों को, जिनकी चल या अचल सम्पति मद्रास शहर तथा इसके कटीबद्ध क्षेत्रों में तुफान भारी वर्षा से बहुत अधिक प्रभावित अथवा क्षतिग्रस्त हो गई है, 3 महिने का अग्रीम वेतन किन्तु अधिकतम 500|- रुपये मंजूर करने संबंधी आदेश 6-5-1978 को जारी कर दिए गए है । ये आदेश मेडिकल स्टोर डिपो के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र में पर्यटन आकर्षण पर व्यय

10221. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पर्यटन केन्द्रों पर और अधिक आकर्षित करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरुप क्या है और उन पर कितनी धन राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र में पर्यटन विभाग की जारी रहनेवाली दो स्कीमें है, अर्थात (i) 14.75 लाख रुपए की अनुमानित लागत से सेवाग्राम में यात्री निवास का निर्माण तथा (ii) अजन्ता गुफाओं की तलहटी के क्षेत्र का विकास करना जिसके लिए 1977-78 में 9,36,000 रुपए की रकम की मंजूरी दे दी गई थी । राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वह उन स्कीमों पर विचार करने के लिये एलीफेंटा द्वीपसमूह का मास्टर प्लान तैयार करें जो केन्द्रीय तथा राज्य सैक्टरों

में प्रारंभ की जा सकती है । इसी तरह से राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी पर्यटन विकास की परस्पेक्टिव प्लान पर राज्य की 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के पर्यटन क्षेत्र (टूरिज्म सैक्टर) को अंतिम रुप देते समय विचार विमर्ष किया जायेगा जिस समय भी निर्धारित किया कि, निधियां उपलब्ध होने की स्थिति में कौन-कौन सी नयी स्कीमें केंद्रीय क्षेत्रमें और कौन-कोन सी राज्य क्षेत्र में ली जायेंगी ।

भारत पर्यटन विकास निगम का बम्बई में एक होटल के निर्माण का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपयुक्त भूमि तथा साधन उपलब्ध हो जाएं ।

वरिष्ठता के सिद्धांत

10222. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या वित्त मंत्री कद्रीय सेवाओंमें कर्मचारियों की वरिष्ठता के मामले पर पुर्नविचार करने के बारे में 17 मार्च, 1978 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 3285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 दिसंबर 1959 के जारी होने से पूर्व संवर्ग बाह्य पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के मामले में वरिष्ठता का सिद्धांत लागू होता है । जैसा कि 4 जुलाई 1972 के उच्चतम न्यायालय में निर्णय दिया गया है;

(ख) वित्त मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में ऐसे कुल कितने मामले हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वरिष्ठता के निर्धारण के लिए पुर्नविचार किये जाने की आवश्यकता है और क्या इन सभी मामलों पर तदनुसार पुर्नविचार किया गया है ;

(ग) क्या सरकार के नोटिस में ऐसे कोई मामले आयें है जिनमें अतिलंघन हुआ है क्यों कि उनके मामलों पर उनकी वरिष्ठता का पुनःनिर्धारण करने के लिए पुर्नविचार नहीं किया गया था; यदि हां, तो कितनें और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री० एच० एम० पटेल) : (क) उच्चतम न्यायालय का 4 जनवरी, 1972 का निर्णय (4 जूलाई, 1972 का नहीं जैसाकि प्रश्न में बताया गया है) उन व्यक्तियों के मामलों में लागू होता है जिनकी नियुक्ति 22-12-59 से पूर्व हुई थी, जिनके मामलों में 22 जून 1949 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जानी थी, जिसमें तदनुसार, बाद में 22 दिसम्बर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधन कर दिया गया था । वरिष्ठता का संशोधन इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि 22-12-59 से पूर्व कर्मचारी उसी ग्रेड में रहा हो, जिसमें उसकी नियुक्ति की गई थी तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख नामतः 4 जनवरी, 1972 को उसी ग्रेड में स्थिति में रहा हो और केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत वह उस सेवासे भी संबंध रखता हो अथवा, उस पद में नियुक्त हुआ हो जिस पर वरिष्ठता निर्धारित करन के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 22 दिसंबर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9-11-59 आर०पी०एस० के अंतर्गत दिये गए सामान्य सिद्धान्त लागू होतें हों ।

(ख) और (ग) : भाग (ख) और (ग) के संबंध में सूचना शून्य है ।

Tobacco Purchased from Gujarat

10223. **Shri Motibhai R. .Chaudhary:** Will the Ministry of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to export tobacco and the quantum of tobacco purchased from Gujarat thereafter and the number of centres opened for the purchase of tobacco there;

(b) the number of such centres opened in other parts of the country, statewise and the quantum of tobacco purchased there; and

(c) the quantum of tobacco exported Statewise during the last five years ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Sbri Arif Baig) : (a) India has been traditionally exporting tobacco in substantial quantities. Bulk of our exports consist of virginia tobacco which is produced mainly in Andhra Pradesh and Karnataka. The policy for exporting tobacco is, therefore, not a new one. The production in Gujarat is predominantly that of bidi tobacco for which there is not much export demand. The Government have taken no decision to purchase on Government account any tobacco for exports in Gujarat. The question of any purchase centres in Gujarat having been opened by the Government for this purpose does not therefore arise.

(b) The Government had directed STC last month to purchase 10,000 metric tonnes of virginia tobacco. This is to be purchased out of the current crop in Andhra Pradesh. The S.T.C. have finalised arrangements to purchase this tobacco from co-operative sector and Syndicates/Associations of the farmers in tobacco growing areas in that State.

(c) The export statistics are being maintained for the country as a whole and not State-wise. The quantity of unmanufactured tobacco exported during the last five years was as follows :—

Year	Qty. exported in million kilograms
1973-74	78.21
1974-75	74.98
1975-76 .	74.28
1976-77	80.10
1977-78 . . . . (April, '77 to Feb., 1978)	71.19 (Provisional

देहरादून तथा उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र भत्ता

10224. **श्री जगन्नाथ शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि पर्वतीय प्रदेशों में कार्य कह रहें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र भत्ता मंजूर किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी देय हो जाते है; यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि रक्षा लेखा नियंत्रक का कार्यालय जिला देहरादून में स्थित है जो पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है; ओर

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय देहरादून तथा उत्तर प्रदेश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में काय कर रहे सभी केन्द्रीय सरकार के कमचारियों को पर्वतीय भत्ता मंजूर करने के औचित्य पर विचार करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री० एच० एम० पटेल) : (क) सरकार को पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकारने अलमोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा टेहरी गढ़वाल के पांच जिलों में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के लिए पर्वतीय विकास भत्ता मंजूर किया है।

(ख) औप (ग) : भारत सरकार, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है। इस नीति के अनुसार, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जो मुध्य समुद्र स्तर (मीन सी लेवल) से ऊपर कम से कम 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है वहां पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के पात्र होते है। देहरादून म स्थित रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय (वायू सेना) के कर्मचारियों पर तथा पर्वतीय क्षत्रों के उत्तर प्रदेश अम्य भागौं में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों क कर्मचारियों पर इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे तथा राज्य सरकार के आदेश लागू नहीं होंगे। चुकी देहरादून लगभग 637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां पर काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के पात्र नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रोंका संबंध है, इन कमचारियों के लिए पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता की पात्रता उपर्युक्त बताई गई उंचाई के सिद्धांत के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।

पशोक चाय बागानों को नियंत्रण में लेना

10225. **श्री के० बी० चतरी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री चाय बागानों के मैनेजरों की नियुक्तियों के पुनरीक्षण के बारे में 31 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पशोक चाय बागानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण में लिए जाने के विरुद्ध निर्णय दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने उस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

साप्ताहिक रोजगार समाचार दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 में इंडियन एयर लाईन्स के विज्ञापन के जवाब में उम्मीदवारों का चुनाव

10226. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स ने साप्ताहिक रोजगार समाचार (एम्पलायमट न्यूज) दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 में एक विज्ञापन प्रकाशित किया था ;

(ख) कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने लोगों को चुना गया; यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) क्या यह सच है कि विज्ञापन मे उल्लिखित आयु सीमा को बढ़ाकर 33 वर्ष कर दिया गया था परन्तु उसके बावजूद 3/3 वर्ष से कम आय वाले कुछ विमान चालकों को असमर्थता पत्र प्राप्त हुए थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइन्स में विमान-चालकों के पदों के लिए 22 अक्तूबर, 1977 को रोजगार समाचार में एक विज्ञापन छपा था।

(ख) और (ग) : 614 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे तथा सिलेक्शन का कार्य चल रहा है। विज्ञापन में ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गयी थी जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट देय थी। विमानचालकों के रूप में लगातार नियुक्त उम्मीदवारों तथा अन्य योग्य उम्मीदवारों के संबंध मे भी आयु सीमा मे 3 वर्ष की छूट देय थी। कार्य-कुशलता अथवा अनुभव की निर्धारित कसौटी के आधार पर 30 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी उम्मीदवारों के मामलों की प्रारंभिक जांच करने के बाद, कुछ उम्मीदवारों को खेद-पत्र जारी किए गए। परंत बाद मे लगातार प्रतिवेदन मिलते रहने पर यह निर्णय किया गया कि 33 वर्षों तक के सभी उम्मीदवारों पर, जोकि अन्यथा योग्य थे, विशेष मामले के तौर पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ विचार किया जाएगा ऐसे सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है।

Various Service Rules in Banks

10227. **Shri Ram Kanwar Berwa:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether various service rules in banks run under the service rules and laws made under the Regional Rural Bank Act, 1976 (Central) are justified; and

(b) if not what steps Government propose to take in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) : Service rules for the employees of Regional Rural Banks have not yet been framed by the Government. In urgent matters like medical benefits, leave, annual increments etc., the Regional Rural Banks have been advised to adopt provisionally the service rules applicable to the comparable levels of employees of the Government of the State in which they are located.

उद्योगों को ऋण प्रतिबन्ध से छूट देने के लिये कर्नाटक सरकार का अनुरोध

10228. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि कुछ उद्योगों को ऋण प्रतिबन्धो से छूट दी जाये क्योंकि ऐसा न करने से बेरोजगारी की समस्या बढेगी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योगों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या निर्णय किया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पी० एल० 480 के अधीन निर्यात के लिये सूची-बद्ध मदों का उत्पादन

10229, **श्री के० प्रधानी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मदों का वार्षिक उत्पादन कुल कितना है जिन्हे पी० एल० 480 करार के अधीन निर्यात करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है;

(ख) देश में इन मदों की मांग कितनी है;

(ग) क्या इन मदों का कोई अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है; और

(घ) यदि उपरोक्त (ग) भाग का उत्तर नकारात्मक हो तो देश की मांग तथा निर्यात की जरुरत को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) : भारत सरकार तथा सं०रा० अमरीका की सरकार के बीच पी०एल० 480 तथा अन्य निधियों के बारे में 1974 में हस्ताक्षर हुए करार के भाग-2 में पैरा 10(ग) के अनुसार पांच वर्षों की अवधि में अमरीका के सरकारी अभिकरणों द्वारा निर्यात के लिए कुल 10 करोड डालर के माल तथा सेवाओं की खरीद की जा सकती है, जिसका 75 प्रतिशत भुगतान डालर में तथा 25 प्रतिशत भुगतान गैर पी० एल० 480 रुपये निधि के रुपये से किया जा सकता है। इस करार के अन्तर्गत मदों के निर्यात उन मदों तक सीमित है जो समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच सहमत इस प्रबन्ध के अन्तर्गत निर्यात के लिए पात्र मदों की सूची में शामिल किये जाते है। इस करार के अन्तर्गत निर्यातों के लिए पात्र मदों की वर्तमान सूची अनुबंध-1 में दी जाती है।

इस करार के अन्तर्गत दिसम्बर, 1977 तक किये गये निर्यातों के मूल्य 13, 27, 960 रु० है। निर्यात के ब्यौरें अनुबंध 2 में दिये जाते है।

इस करार के अन्तर्गत अब तक निर्यात इतने नगण्य रहे है कि घरेलू उपलबध्ता पर उनका बिलकुल प्रभाव नही पड़ा है। प्रश्न में मांगे गये आकड़े एकत्र करने में अन्तग्रस्त समय तथा प्रयास परिणामों के अनुरूप नही होगा।

विवरण 1

ऐसी मदों की सूची जिन्हें अमरिका के सरकारी अधिकरणों द्वारा 1974 के रुपया करार के अन्तर्गत भारत में खरीदा जा सका।

पशु तथा वनस्पति उत्पाद

मसाले (पिसे हुए तथा संवेष्टित अदरक की जड़, जायफल, काली मिर्च, हल्दी, इलायची आदि)।

लकड़ी तथा उसके उत्पाद

फर्नीचर-घर तथा कार्यालय के लिये वुड-वीनियर पैनल प्लाईवुड तथा गत्ता।

वस्त्र रेशे तथा वस्त्र उत्पाद

हथकरघा तथा मिल में बने सजावटी वस्त्र। हथकरघा तथा मिल में बनी पलंग की चादरें तथा पलंग के कवर, तकियों के गिलाफ, तौलिए तथा उनसे बना माल।

पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के लिये हथकरघों तथा मिल में बने सूती, ऊनी तथा संश्लिष्ट वस्त्रों के पहनने के परिधान।

ऊनी कम्बल

सेना के लिये तथा कैम्प के प्रयोग के लिये तम्बू।

हथकरघों तथा विद्युत करघों में बने ऊनी, सूती तथा पटसन के कालीन तथा गलीचे।

तिरपाल - विविध वस्त्र उत्पाद-डस्टर काडैंज, आदि।

रसायन तथा संबद्ध उत्पाद

रंगलेप तथा वार्निश

नील

टायर तथा ट्यूबें।

गैर-धात्विक उत्पाद

टैबलवेयर - मिट्टी के बर्तन तथा चीनी-मिट्टी के बर्तन

सिरैमिक सैनिटरी वेयर

सिरैमिक इन्सुलेशन

ग्लेज्ड टाइलें।

धातु विनिर्मित उत्पाद

भवन-निर्माण की सामग्री - नट, बोल्ट, स्क्रू, एंगल, कब्जे, हैंडल, सिटकनी, शेप आदि ।

पाइप तथा ट्यूबें ।

इस्पाती नेटिंग, फैन्सिग तथा कन्टीली तार

दस्ती औजार, कुल्हाड़ी, जम्बूरे, हथौड़े, रेतियां तथा रास्फ, छैनिया, पेचकश, स्पैनर आदि ।

बगीचे के औजार – कैंची, बेलचा आदि

कार्यालय तथा कैम्पिग का स्टील का फरनीचर – फिलिंग कैबिनेट, पुस्तकें रखने की शैलफें स्टीत्रेल कुर्सियां, स्टूल, मेजें आदि । टेबलवेयर तथा फलैटवेयर स्टेनलैस स्टील चाकू, चम्मच, कांटे आदि ।

अन्य निर्मित उत्पाद

रेफरीजरेशन उपस्कर

एडिंग मशीने - (गैर-विद्युत)

इलैक्ट्रिक फिलामेंट तथा ल्यूमीनेसेन्ट लैम्प

बाइसिकलें

जूते - चमड़ा तथा कैनवस

चमड़े के हैंडबैग, पाकेट बुक

चमड़े का सामान

खेलों का सामान

हस्तशिल्प की नवीन मदें तथा आभूषण आदि

आटोमटिव बैटरियां

मोटार गाड़ी के पुर्जे

छत के पंखे - निकास पंखे

बिजली की इस्तरियां

वोल्टेज रेगुलेटर तथा स्टैबेलाइजर

बिजली की सप्लाई

तार के स्विच

प्लग

हल्के जुड़नार आदि

कम्प्यूटर, साफ्टवेअर तथा सम्बद्ध सेवाएं

जीपें

यात्री कारें, ट्रक हथा ट्रैक्टर ।

विवरण-2

30 सितम्बर, 1975 से दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए रत तथा सं० रा० अमरीका की सरकारों के बीच रुपया करार के भाग-II के पैराग्राफ 10(ग) के अन्तर्गत सं०रा० अमरीका की सरकारी खरीद के लिए विशेष अमरीकी डालर तथा रुपया भुगतान विनिमयों के अन्तर्गत अनुमति दिए गए निर्यातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

को समाप्त तिमाही	माल का विवरण	माल का रु० में मूल्य	देश जिस को निर्यात किया गया
		रु०	
30 सितम्बर, 1975	17 रोलों में पैक किये गये 57 गलीचे	1,17,810	काबुल, अफगानिस्तान
31 दिसम्बर, 1975	82 गलीचे	1,56,060	अफगानिस्तान
	फरनीचर के 857 पैकेज	3,73,800	अफगानिस्तान
31 मार्च, 1976	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
30 जून, 1976	फरनीचर के 72 पैकेज	1,52,506	ढाका, बंगला देश
	फरनीचर तथा फरनिशिंग के 19 पैकेज	58,573	वही
30 सितम्बर, 1976	3-व्होलर बजाज डिलीवरी वैन	36,904	वही
31 दिसम्बर, 1976	10 जीपें	3,46,667	बंगला देश
	ड्रेपरी तथा अपहौल्स्ट्री सामग्री	53,890	अफगानिस्तान
	-वही-	8,496	वही
31 मार्च, 1977	ड्रेपरी तथा अपहौल्स्ट्री सामग्री की तीन गाठें	3,181	वही
30 जून, 1977	17 लकडी के स्क्रीन	6,800	पाकिस्तान
	18 लकडी के स्क्रीन	9,643	वही
5 अगस्त, 1977	वस्त्रों के 8 बन्डल	3,630	सं०रा० अमेरिका
	योग	13,27,960	

दिल्ली और अहमदाबाद के बीच उड़ानों के समय में परिवर्तन

10230. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और अहमदाबाद के बीच इंडियन एअर लाईन्स की उड़ानों के समय में परिवर्तन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : 20 मई, 1978 से उड़ान आई०सी०-46 (दिल्ली-अहमदाबाद-बम्बई) के समय में मामूली सा परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। इस सेवा के वर्तमान तथा संशोधित समय निम्न प्रकार होंगे :—

वर्तमान समय		आई०सी०-461		प्रस्तावित समय
0635	प्र०	दिल्ली	प्र०	0615
0750	आ०	अहमदाबाद	आ०	0730
0820	प्र०	अहमदाबाद	प्र०	0800
0910	आ०	बम्बई	आ०	0850

(ग) इंडियन एअरलाईन्स में एक अतिरिक्त एयरबस के सम्मिलित किए जाने से जेट विमानों के परिचालनों का पुन: समय-निर्धारण करने के कारण आई०सी०-461 के समय में मामूली सा परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। एअरबस विमान बम्बई/त्रिवेंद्रम मार्ग पर बोईंग विमान के स्थान पर रखा जाएगा। इस प्रकार, बोईंग 737 विमानों द्वारा परिचालित कुछ सेवाओं के समय में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। आई०सी-461 सेवा उन सेवाओं में से एक है जिनमें बम्बई से उसी विमान द्वारा बाद म किए जाने वाले एक और परिचालन को दृष्टि में रखते हुए मामूली सा परिवर्तन करना पड़ रहा है।

विदेशी सहायता

10231. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को गत पांच वर्षों में विदेशों से कुल कितनी वार्षिक सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) उपरोक्त अवधि में उसका व्यय किन प्रयोजनों के लिये किया गया और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगी गई सूचना दी गई है।

(ख) विदेशी सहायता का उपयोग परियोजना और परियोजना-भिन्न आयातों तथा देश के विकास के लिए किया गया।

विवरण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	रकम
1973-74	734.85
1974-75	1,102.09
1975-76	1,691.84
1976-77	1,512.86
1977-78	1,410.45
(संशोधित अनुमानों के अनुसार)	

वर्ष 1973-74 के आंकड़े दिसम्बर, 1971 से पहले की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समता दरों के अनुसार और 1974-75 के बाद के आंकड़े चालू दरों के अनुसार हैं।

भविष्य निधि से अग्रिम राशि का दिया जाना

10232. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भविष्य निधि से अग्रिम राशि दिए जाने संबंधी नियमों को उदार बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली और अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत), 1962 के अन्तर्गत, भविष्य निधी से अग्रिमों की मंजूरी देने के संबंध में नियमों को उदार बनाने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Import of Motor Boats to check smuggling

10233. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Finance** pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had imported some time back some special type of motor boats from foreign countries to check smuggling;

(b) whether it is also a fact that some of these boats had gone out of order and could not be made use of; and

(c) if so the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) Yes Sir. 20 High Speed Medium size craft were imported from Norway in 1974-75 for use of the Customs Department to check smuggling on the west coast. Besides these 2 nos. of small water-jet craft were also acquired from New Zealand in 1977. They are also deployed on the western coast for evaluation of their utility in estuaries/creeks and canals etc. before deciding any bulk purchases.

(b) & (c) : Out of 20 Norwegian craft, one craft met with an accident by hitting the underwater rocks off Bombay during the course of a pursuit of a suspect craft on the night of 10th/11th February 1975. Since the damage to the craft was found to be beyond economic repairs it has been considered a total loss. However, the main engines and some fitments have been salvaged for subsequent use. The other craft are operational.

मंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरे

10234. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान जिन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने विदेशों के दौरे किए उनके नाम क्या हैं, उक्त दौरे किन-किन तारीखों को किए, उनपर कितनी धनराशि खर्च हुई, उनकी यात्रा का क्या प्रयोजन था और उनसे किस प्रकार की उपलब्धियां हुई;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रधान मंत्री के विदेशों के दौरों का ब्यौरा क्या है और ऊपर भाग (क) के अनुसार इस प्रकार की जानकारी क्या है; और

(ग) क्या किसी मामले में मंत्री के परिवार के किसी सदस्य अथवा किन्हीं सदस्यों ने मंत्री के साथ यात्रा की थी और यदि हां, तो किस रुप में ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : सूचना इकठ्ठी की जा रही है और ज्योंहि उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Tax Arrears Against Proprietors of Newly Sugar Factory Nagaria and Jeep Factory Allahabad

10235. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether large amounts of income tax and central sales tax are outstanding against the proprietors of the newly Sugar Factory, Nagaria (Uttar Pradesh) and the Jeep Factory, Allahabad and whether Government have remained inactive for realising the same; and

(b) if so the facts thereof and the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) & (b) : As far as central sales Tax is concerned, according to the information presently available as on 17-12-77 no arrears were outstanding and the question of taking any steps to realise the same does not arise.

As far as income-tax is concerned, the requisite information as on 31-3-78 is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

कराधान के क्षेत्रों का निर्धारण

10236. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिलनाडु सरकार ने कराधान के क्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण करने का तर्क दिया है जिससे केन्द्र को राज्य के मामलों म हस्तक्षेप करने से रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तामिलनाडू की सरकार ने सातवें वित्त आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों का नियमन करने वाले संवैधानिक उपबंधों के पुनर्मूल्यांकन के प्रश्न का भी उल्लेख किया गया है। किन्तु, कर संबंधी क्षेत्रों के स्पष्ट सीमांकन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार का विचार है कि केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित संविधान के उपबंध बहुत ही ध्यान और सतर्कता से बनाए गए है। वे समय की कसौटी पर उतरे हैं और उनमें समय-समय पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी लचीलापन है। केन्द्र और राज्यों के वित्तीय क्षेत्राधिकार का सीमांकन सुदृढ आर्थिक सिद्धांतों पर किया है। राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग को दिए गए ज्ञापन पर उस निकाय द्वारा अपनी सिफारिशें करते समय विचार किया जाएगा ।

मैं० कोर्स इंडिया को आयात लाइसन्स

10237. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या वाणिज्य तथा नागरीक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के सीधे आयात के लिए मैं० कोर्स इंडिया के पास लाइसेन्स है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी पद्धति को बन्द करने और सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से सामग्री लेने के लिए उन्हें निदेश देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है और भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) मैसर्स कोर्स इंडिया वास्तविक प्रयोग कर्ता के रूप में कच्चे माल के आयात लाइसेंस प्राप्त कर रहा है।

(ख) और (ग) : वास्तविक प्रयोग कर्ताओं को सीधे आयात के बदले सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों से कच्चे माल की केवल उन मदों के संबंध में माल प्राप्त करना होता है, जिसका आयात उन अभिकरणों की मार्फत मार्गीकृत है।

राज्य व्यापार निगम में प्रशिक्षुता की अवधि बढ़ाया जाना

10238. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या वाणिज्य तथा नागरीक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ने शुरू में निर्धारित की गई प्रशिक्षुता की एक वर्ष की अवधि को एक वर्ष और बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) प्रशिक्षुओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

(घ) इन प्रशिक्षुओं को सेवा में खपाने के बारे में प्रशासकों का भावी रुख क्या है; और

(ङ) क्या संगठन के साथ अपने जीवन का एक और वर्ष व्यतीत करने के बावजूद उन्हें संगठन से बाहर निकाल दिया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : राज्य व्यापार निगम में निर्यात सहायकों को छोड़कर प्रशिक्षुओं के सभी वर्गों की प्रशिक्षुता अवधि एक वर्ष है। प्रशिक्षुता नियमों के अनुसार निर्यात सहायकों की प्रशिक्षुता अवधि दो वर्ष है। प्रशिक्षुता नियमों के अन्तर्गत इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति नहीं है।

(ग) उन्हें दो तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है : (क) कार्यालय में कार्यगत प्रशिक्षण (ख) दिल्ली प्रबन्ध तथा सेवा संस्थान, नई दिल्ली में सिद्धांत में प्रशिक्षण।

(घ) तथा (ङ) : अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण अपनी प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर प्रशिक्षु नहीं रहते तथा उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। विधि के अन्तर्गत उनके स्थान पर नये प्रशिक्षु रखे जाते है तथा उसी प्रकार उन्हे प्रशिक्ष दिया जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। तथापि, उन्हें ऐसे पदों पर, जो निगम में खाली हो सकते है, नियुक्त करने के मामले में प्राथमिकता की जाती है।

नई निर्यात नीति

10239. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई निर्यात नीति बनाये जाने के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : 1978-79 के लिए निर्यात नीति सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषित की गई थी और उसकी एक प्रति लोक सभा पटल पर रखी गई थी। नीति की प्रतिलिपि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती

10240. **श्री आर० कोलनथाइवलू** :
श्री ए० मुरुगेसन :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों यों भर्ती के लिए क्या नीति अपनाई गई ;

(ख) क्या कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बारे में देश में समस्त समाचार पत्रों में पर्याप्त प्रचार किया जाता है ;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्यक श्रेणी के पद के लिए कितने व्यतियों ने आवेदन भेजे, कितने व्यक्तियों का चयन किया गया, चयन की पद्धति क्या है, वह परीक्षा अथवा इंटरव्यू के माध्यम से होता है; और

(घ) क्या निगम के बिंग के अन्तर्गत सब होटलों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती केन्द्रीय एजेन्सीं से की जातीं है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती के लिए अनुसरण की गई नीति अधिकांशतः सरकारी उद्यमों के ब्यूरो द्वारा दिये गये नीति विषयक मार्ग दर्शक सिद्धान्तों पर आधारित है। संक्षेप में निम्नलिखित नीति और सिद्धान्त अपनाये जाते है;

उन निचले वर्गों के कर्मचारियों तथा "अनस्किल्ड" कामगारों के बारे में जिन्हें उसी क्षेत्र विशेष से भर्ती किया जाना होता है जहां निगम का कार्यालय स्थित होता है, ऐसे लोगों की भर्ती पर विचार किया जाता है जो उसी क्षेत्र अथवा निगम के स्थान के आसपास के क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं।

"स्किल्ड" कामगारों, लिपिकों तथा अन्य गैर-तकनीकी कर्मचारियों के मामले में यदि अन्य बातें बराबर हों तो उन लोगों को तरजीह दी जाती है जो उस क्षेत्र से सम्बन्ध रखते है जहां कि वह यूनिट/कार्यालय स्थित होता है।

तकनीकी एवं गैर तकनीकी दोनों प्रकार के मध्यम एवं अधिशासी स्तरों पर भर्ती मुख्यतया योग्यताओं, अनुभव तथा "मेरिट" को दृष्टि में रखते हुए अखिल भारतीय आधार पर की जाती है।

निचले स्तरों पर रिक्तियां या तो समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाती है अथवा सम्बन्धित रोजगार दफ्तरों को अधिसूचित की जाती है तथा उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाती है। मध्यवर्गीय तथा अधिशासी स्तर के पदों के मामले में प्रमुख अखिल भारतीय दैनिक पत्रों में विज्ञापन दिये जाते है और यदि ये पद किसी क्षेत्र विशेष में निकलते है तो इन्हें स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुख दैनिक पत्रों में भी विज्ञापित किया जाता है। इन मामलों में विज्ञापन एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में भी प्रकाशित किये जाते है जिनका कि अखिल भारतीय प्रसारण है। अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित बिंदुओं (प्वाइंटों) पर पड़ने वाली रिक्तयों के मामले में भी इसी प्रकार विज्ञापन दिये जाते है और इनकी सूचना अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संस्थाओं तथा संगठनों को भी दी जाती है और उसको प्रतिलिपि अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण संसदीय समिति के अध्यक्ष को भी भेजी जाती है।

(ख) जैसा कि उपर (क) में कहा गया है, जब किसी क्षेत्र में कोई स्थान रिक्त होता है, तो उसी क्षेत्र की भाषा पर आधारित अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में वहां के प्रमुख समाचार पत्रों में उनका काफी प्रचार किया जाता है। अखिल भारतीय आधार पर प्रसारित किये जाने वाली रिक्तियों के बारे में विज्ञापन एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में भी प्रकाशित किये जाते है।

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ग के पद के लिए आवेदन किया, जिनको चुनाव किया गया और उनके चयन के प्रणाली आदि के बारे में अपेक्षित सूचना निगम के विभिन्न यूनिटों से एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) होटलों में अधिकारियों की सभी भर्ती निगम के मुख्यालय में केन्द्रीकृत की जाती है, परन्तु नॉन-एग्जीक्यूटिव स्तरों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं के आधार पर, भर्ती की शक्तियां मुख्य मुख्य होटलों आदि के यूनिट प्रधानों को प्रदान कर दी गयी है।

प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कारपोरेशन द्वारा वैगनों और सवारी डिब्बों की सप्लाई

10241. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री प्रोजेक्टस इक्विपमेंट कारपोरेशन द्वारा वैगनों और सवारी डिब्बों की सप्लाई के बारे में 31 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 535 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्टस इक्विपमट कारपोरेशन ने उगांडा के अतिरिक्त अन्य देशों को रेल के वगनों और सवारी डिब्बों की सप्लाई की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और उनके साथ हुए सौदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रोजेक्टस इक्विपमेंट कारपोरेशन ने गत पांच वर्ष के दौरान किन अन्य सामग्रियों और उपकरणों की सप्लाई की है तथा किन देशों को ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान नीचे लिखे देशों को 41.4 करोड़ रु० मूल्य के 2798 मालडिब्बों तथा 103 सवारी डिब्बों का निर्यात किया गया है :

पोलैंड	बंगला देश
ईरान	मलयेशिया
जाम्बिया	फिलीपीन्स
यूगोस्लाविया	तंजानिया
ूर्व अफ्रीका	

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान आस्ट्रेलिया, आबूधाबी, बंगला देश, बोलिविया, बेरूत, चकोस्लोवाकिया, कनाडा, श्रीलंका, दुबई, पूर्व जर्मनी, मिस्र, इथोपिया, फ्रांस, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हांगकांग, इंडोनेशिया, आयरलैंड, ईरान, इटली, इराक, जापान, जोर्डन, किनिया, कुवैत, कोगिया, लाओस, मलयेशिया, मोरक्को, मारीशस, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, नार्वे, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पाकिस्तान, पनामा, सिंगापुर, स्वीडन, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, थाइलैंड, तंजानिया, ट्यूनिसिया, सोवियत संघ, सं० रा० अमरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा यूगोस्लाविया को 89.3 करोड़ रु० मूल्य का इंजीनियरी माल सप्लाई किया गया जिसमें बिजली के उपस्कर, मशीनी औजार, दस्ती औजार, कम्प्रेशर, डीजल इंजन, साइकिलें तथा संघटक, औटो सहसाधन, सामान्य उपस्कर, गढ़ी तथा ढली वस्तुएं, डीजल रेल इंजन और माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों को छोड़कर अन्य सभी रेलवे उपस्कर शामिल है।

तम्बाकू की कुछ किस्मों के मूल्यों में गिरावट

10242. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य तथा** नागरिक **पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि तम्बाकू की फ्ल्यूक्योर्ड और विरजीनिया तथा कुछ अन्य किस्मों के मूल्यों में भारी गिरावट हुई है; और

(ख) क्या इस वर्ष तम्बाकू के बहुत कम मूल्य को देखते हुए सिग्रेट के मूल्यों को कम करने हेतु सरकार शीघ्र ही लागत पर आधारित मूल्य निर्धारित करेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1977 की तुलना में 1978 के दौरान कच्चे तम्बाकू की थोक कीमतों में स्पष्ट गिरावट की प्रवृत्ति रही है। तथापि जहां तक फ्ल्यूक्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का संबंध है, यह कहना सही नहीं है कि कीमतों में भारी गिरावट रही है। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तम्बाकू की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 10.15 प्रतिशत कम थी।

(ख) सिगरटों की कीमत में तम्बाकू की लागत केवल एक गौण तत्व है और इसलिए तम्बाकू की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप लागत कीमत निर्धारित करने से कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकलेंगे।

'टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड' की खरीद

10243. **श्री किशोर लाल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1977 मे 'टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड' की खरोद के बारे में पाई गई अनियमितताओं पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई नियमित मामला दर्ज किया गया है;

(ख) यह नियमित मामला कब दर्ज किया गया था; और

(ग) इसमें सम्बद्ध व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Staying Facilities in Youth Hostels of Trekking Parties

10244. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether youth hostels also provide staying facilities to trekking parties and mountaineers;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) whether Government are in a position to give some directions to the States for providing these facilities ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

दिल्ली में बवंडर

10245. **डा० रामजी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में हाल ही में आया बवंडर बिना परमाणु विस्फोट अथवा "फ्यूजन" के सम्भव नहीं हो सकता था ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के श्री एस० के० त्रिखा ने विनाश के स्थान पर सामान्य स्तर से 50 प्रतिशत अधिक रेडियोधर्मीता को पाया था;

(ग) क्या यह सच है कि बवन्डर में रेडियों धर्मीता पाई जाती है; और

(घ) क्या सरकार बवंडर के कारणों की जांच करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) : समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट छपी है कि श्री एस० के० त्रिखा ने बवंडर (टोर्नेडो) आने के 25 घंटे बाद उसके द्वारा प्रभावित क्षेत्र का एक रेडियो-धर्मिता सर्वेक्षण (रेडियो एक्टिविटी सर्वे) किया और यह पाया कि यह रेडियो धर्मिता बैक ग्राउंड लेविल से डेढ़ गुणा अधिक थी। मौसमविदों के विचार में ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फ़िशन या फ्यूज़न से ऊर्जा मिले बिना बवंड़र संभव ही नहीं है। मौसम संबंधी साहित्य में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती कि बवंडर केवल "न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन" द्वारा ही पैदा होते है।

(घ) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Verification of Arrears of Taxes Against Birla Group of Industries

10246. **Shri Hukamdeo Narain Yadav:** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the manner in which arrears of taxes against Birla group of industries are verified;

(b) whether Government propose to verify the accounts books in order to get complete information and propose to lay balance sheets on the Table of the House; and

(c) the names of the political parties and leaders who were given donations by Birla group of industries during the period from 1973-76 indicating the amount thereof and whether information in this regard is proposed to be laid on the Table of the House?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) The cases of Birla group assessees at Calcutta and Bombay have been placed under the Commissioner of Income-tax (Central) to ensure a proper supervision of the assessments and realisation of taxes. At other places also these cases have been placed under the Charge of senior officers.

The arrears of tax are carried forward in each case after making a proper reconciliation of the demand raised during the year, tax paid against such demand and the balance remaining unpaid.

(b) As stated in reply to part (a), the cases belonging to the Birla Group are at present being looked after by the Income-tax Officers (Central Charges) or other senior officers for the purpose of detailed investigations. In addition, a Special Cell has been created to look after the Income-tax matters relating to the Birla group, and other cases of this type.

The balance sheets are public documents and are always available with the Registrar of Companies and as such there is no proposal to place these on the Table of the House.

(c) Political donations made by the Companies are always mentioned in the Balance sheets and the donations made by the Birla Group during the years 1973-76 are available in printed copies of the Balance Sheet of the various companies.

तमिल नाडु तथा केरल में मारे गये छापो में तम्बाकू के नकली परमिटों का पकड़ा जाना

10247. **श्री मनोहर लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बाटोर (तामिल नाडू) तथा केरल मे फरवरी, 1975 में छापे मारे गये थे जिनसे उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर युक्त तम्बाकू के नकली परमिट पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस मामल में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम अर्थात विभागीय कार्यवाही की गई है जिसमें लायसेंस रद्द करना, मुकदमा चलाना, अन्तर्विभागीय पत्र व्यवहार तथा उसी प्रकार की अन्य उचित कार्यवाही भी शामिल है; और

(ग) विभिन्न मामलो संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास धन एवं आयकर के लिये आंकी गई राशि

10248. **श्री मनोहर लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास समय समय पर उपलब्ध धन एवं निधियों पर, नकद एवं प्राप्तियों के रूप में दोनों कर अर्थात् धन कर एवं आय कर लगाये जाते है ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारुल्ला) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर व्यक्तियों की संस्था की हैसियत से कर लगाया जा रहा है और इस प्रकार, उसे धनकर अदा नहीं करना होता है। इसलिये, उसके धन के सम्बन्ध में कोई धनकर नहीं लगाया गया है।

लेकिन दल को, आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगने योग्य आय पर आयकर अदा करना होता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को आयकर से छूट प्राप्त नहीं है।

(ख) आयकर का निर्धारण, कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 तक किया जा चुका है।

करनिर्धारण वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के लिए विवरणी मंगाने के निमित्त नोटिस जारी किये गये थ और उक्त विवरणियां दाखिल कर दी गयी हैं।

मैसर्स हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत (हरियाना) का पूंजी निवेश का स्त्रोत

10249. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या वित्त मंत्री मेसर्स हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा पूंजी निवेश के बारे म 14 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री वेद प्रकाश (क्रम संख्या 2) एक सरकारी कर्मचारी है, यदि हां तो वह किस विभाग में नियुक्त है और उनका सरकारी पद क्या है ;

(ख) 1 अप्रैल, 1973 सें अब तक वर्ष वार उसने कितने आयकर का भुगतान किया ;

(ग) क्या आयकर विभाग में उक्त स्रोत का पता लगाया था जहां से श्रीमती कृष्णा रानी और श्री वेद प्रकाश ने 1 अप्रेल 1973 से 31 मार्च, 1973 तक इतनी बड़ी धनराशी का निवेश किया और यदीं हां, तो उक्त स्रोत क्या है ; और

(घ) यदी सत्यापन नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारुल्ला) : (क) जी, हां । श्री वेद प्रकाश गुड़गांव जिला और सेशन के न्यायाधीश हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध होते ही इसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) और (घ) : मेसर्स हिमको लेबोरेटरिज के करनिर्धारणों को करनिर्धारण वर्ष 1975–76 तक पूरा किया जा चुका है और इस कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित ऋणों के स्रोतों की जांच की गई थी, जो श्री वेद प्रकाश और श्रीमती कृष्णा रानी द्वारा दिये गये दिखाये गये थे और यह स्पष्टीकरण दिया गया कि ऋणों की रकमें इन दो व्यक्तीयों के बैंक खातों से अदा की गयी थीं । वित्तीय वर्ष 1975–76 और 1976–77 के दौरान श्री वेद प्रकाश द्वारा कोई नया ऋण नहीं दिया गया बताया जाता है । जहां तक उन ऋणों का सम्बन्ध है जो श्रीमती कृष्णा रानी द्वारा 31–3–1975 के पश्चात् दिये गये बताय गये हैं, जांच नहीं की गई है, क्योंकि संगत करनिर्धारण अनिर्णीत पड़े हैं ।

Taxes Outstanding Against Shri Raghunath Pandey of District Muzaffarpur (Bihar)

10250. **Shri Hukamdeo Narain Yadav**: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of loans advanced to Shri Raghu Nath Pandey owners of 'Amar Talkies' and many industrial establishments of District Muzaffarpur in Bihar by the nationalised banks during the period from 1975 to 1977, year-wise and the amount thereof outstanding against him; and

(b) the amount of various Central Taxes outstanding against him indicating the dates since when outstanding and the action proposed to be taken by Government for its realisation and if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) In accordance with the practices and usages customary among bankers and also in conformity with the provisions in the statutes governing the Public Sector Banks, information relating to the individual constituents of banks is no generally divulged.

(b) the position regarding outstanding direct taxes is that Shri Raghunath Pandey, Individual, was in arrears of tax Rs. 15,819/- comprising income-tax of Rs. 14,983/-, demanded on 17-2-78, penalties u/s 140A(3) amounting to Rs. 570 demanded on 21-3-75 and wealth-tax of Rs. 266 demanded on 10-4-72. A petition for stay of the demand of Rs. 14,983 is under consideration. The balance demand is expected to be realised within a fortnight.

Shri Reghunath Pandey is also assessed in the status of HUF from which income-tax of Rs. 29,559 made up of Rs. 9674 demanded on 3-12-77 and Rs. 19,885 demanded on 18-2-78 is outstanding. The assessee's petition seeking stay of these demands is under consideration.

The information regarding outstanding amounts of customs and central exise duties, if any, against Shri Raghunath Pandey are being collected and will be placed on the Table of the House.

'साफ्टसिन' कागज का आयात

10251. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारीता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 'साफ्टसिन' कागज के आयात कि अनुमति दी है जबकि आयात नीति के अन्तर्गत लो सैलूलोज वाडिंग कीं अनुमति दी जाती है :

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : माननीय सदस्य का आशय शायद उन साफ्ट तथा ऐवजाबण्ट टिशू पेपर सें है जो टायलेट पेपर, पेपर नेपकिन आदि बनाने के काम आता है। यह मद तथा लौ सैंललोज वाडिंग विशेष प्रकार के टिशू पेपर है जिसे चालू नीति के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति है।

अन्य देशों में कार्यरत पर्यटन केन्द्र

10252. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों में कार्यरत भारतीय पर्यटन संवर्धन केन्द्रों की संख्या कितनी है एवं उनके संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भावी दो वर्षों में उक्त केन्द्रोंको संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां , तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इस समय विदेशों में भारत सरकार के 18 पर्यटन कार्यालय हैं। ऐसे कार्यालयों कीं सुची ; जिसमे उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी सम्मिलित हैं संलग्न है।

(ख) और (ग) : मलेशिया से पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लिए कुआलालम्पुर में एक नया पर्यटन कार्यालय खोलने का एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव को विदेश तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श मे अभी अंतिम रूप दिया जाता है।

विवरण

विदेशों में भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों की सूची

इस समय विदेशों में 18 कार्यालय हैं जिनके अंतर्गत निमनलिखित क्षेत्र आते हैं :—

1. न्यूयार्क 2. लॉस एंजल्स 3. शिकागो 4. टोरंटो	आपरेशन अमरीका के प्रबंधों के अंतर्गत कार्य करते हैं—इनके अंतर्गत यू० एस० ए० लेटिन, अमरिका, कनाडा तथा करीबियन द्वीप समूह आते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक, न्यूयार्क, इन कार्यालयों के कार्यकलापों की देखभाल करता है।
5. लंदन	आपरेशन यू० के० के प्रबंधों के अंतर्गत कार्य करता है— इसके अंतर्गत यू० के० तथा आयरलैंड आते हैं।	
6. जैनेवा 7. पैरिस 8. फ्रैंकफर्ट 9. ब्रुसेल्ज 10. स्टॉकहोम 11. वीयना 12. मिलान	अपरेशन यूरोप के प्रबंधों के अंतर्गत कार्य करते है— इनके अंतर्गत महाद्वीपीय यूरोप आता है।	जैनेवा स्थित क्षेत्रीय निदेशक इन कार्यालयों के कार्यकलापों की देखभाल करता है।
13. सिडनी	इसके अंतर्गत आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा फिजी द्वीपसमूह आते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक, सिडनी, इन कार्यालयों के कार्यकलापों की देखभाल करता है।
14. पर्था	इसके अंतर्गत पश्चिमी आस्ट्रेलिया आता हैं। (मार्च, 1978 में खोला गया)	
15. सिंगापुर	इसके अंतर्गत सिंगापूर, मलेशिया तथा इंडोनेशिया आते हैं।	
16. टोकियो	इसके अंतर्गत जापान, फिलिपीन तथा हांगकांग आते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक, टोकियों, इन कार्यालयों के कार्यकलापों की देखभाल करता है।
17. बैंकाक	इसके अंतर्गत थाइलैंड आता हैं। (मार्च, 1978 में खोला गया)	
18. कुवत	इसके अंतर्गत पश्चिमी एशिया के देश आते हैं।	

इनके अतिरिक्त, उपर्युक्त कुछक कार्यालयों के साथ, संलग्न पर्यटन प्रोत्साहन अधिकारी यू० एस० ए० में वाशिंगटन डी० सी० मियामी, डाल्लास तथा सानफ्रांसिस्को और तेरहान (ईरान) तथा मेल्बोर्न (आस्ट्रेलिया) में नियुक्त किए गए हैं।

गोआ, दमन और दीव में जनता हौटल

10253. श्री अमृत कासर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव में कितने जनता होटल निर्माण करने का प्रस्ताव है और इसके लिये कितना समय निर्धारित किया गया है और अन्य बातों के साथ साथ इस पर कितना खर्च करने का प्रस्ताव है ;

(ख) गोआ, दमण और द्वीव का पर्यटन आर्कषण के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकास किये जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) उक्त क्षेत्र में भविष्य ने पर्यटन के विकास के लिये क्या परियोजनाएं और कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरूषोत्तम कौशिक) : (क) 1978-83 की पंच-वर्षीय योजना में नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के महानगरों में जनता होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है। जनता होटलों का निर्माण करने के लिए अन्य पर्यटन केन्द्रों का निर्धारण एक सर्वेक्षण करने के बाद किया जाएगा। अत: गोवा, दमण और दीव के संघ शासित प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र में एक जनता होटल के निर्माण पर फिलहाल कोई पूंजी लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने यूथ ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए 5.08 लाख रूपए की लागत से पणजी में एक 46 शय्याओं वाले युवा होस्टल का निर्माण किया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा गोआ में चुने हुए समुद्र-तटों के साथ-साथ सुरक्षित समुद्र-तटीय क्षेत्रों के विकास का निर्धारण करने के लिए 7.20 लाख रूपए की लागत से एक जल-सर्वेक्षण किया गया। पणजी में विशेषत: युवा होस्टल के सहयोग से युवकों के लिए, जल-क्रीड़ा क्रियाकलाप आरंभ करने का भी प्रस्ताव है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त जल-क्षेत्र उपलब्ध हों। इस संबंध मे संघ शासित प्रदेश के प्रशासन से मांडवी तथा जुआरी नदियों के साथ वाले चुने हुए क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 1978-83 वाली पंचवर्षीय योजना में गोवा मे, निधियां उपलब्ध होने की अवस्था में, 2/3 स्टार के 50 कमरों वाले होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

विश्व बैंक द्वारा कृषि-प्रधान परियोजनाएं तथा कृषिविकास कार्यक्रमों में वित्त पोषण का प्रस्ताव

10254. श्री अमृत कासर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने देश में कृषि अनुसन्धान योजनाओं, कृषि प्रधान परियोजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विकास में धन लगाने का प्रस्ताव किया है,

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें से कितनी राशी संघ क्षेत्र गोआ, दमण दीव में व्यय की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय विचाराधीन सम्भावित परियोजनाओं की सूची विवपण-I में दी गई है ।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव के लिए अभी कोई विशेष परियोजना नहो है ।

विवरण I

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले कृषि के क्षेत्र की विचाराधीन सम्भावित परियोजनाओं की सूची

1. हरियाणा सिंचाई
2. मांडेवा उर्वरक आधुनिकीकरण
3. पंजाब सिंचाई
4. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान
5. कृषि सहकारिता विकास निगम
6. अन्तरर्देशीय मीन उद्योग
7. संयुक्त कृषि विस्तार एवं अनुसंधान
8. वर्षा से खेती-I
9. महाराष्ट्र सिंचाई-I
10. कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम-III
11. गुजरात सिंचाई-II
12. समुद्री मीन उद्योग–केरल
13. गुजरात उर्वरक

सेवा-निवृत्ति पेंशन और परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनर

10255. **श्री राजाराम शंकर राव मान** : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा-निवृत्ति पेंशन और परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले केन्द्रिय सरकार के पेंशनरों की कल संख्या कितनी है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के उन पेंशनरों कीं कुल संख्या कितनी है, जिन्होंनें अपने पेंशन के एक भाग को राशिकृत करवा लिया था और ;

(ग) उनमें से कितने पेंशनर 71-75, 76-80 और 81-85 के आयु-वर्ग में है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) 1-1-76 को केन्द्रीय सरकार के पेंशन-भोगियों (परिवार पेंशन-भोगियों सहित) की कुल संख्या लगभग 9.84 लाख थी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के उन पेंशन-भोगियों संबंध में जिन्होंने 1973 से 1975 तक के दौरान अपनी पेंशन राशीकृत की है, उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :-

उन व्यक्तियों की कुल संख्या जं. सेवा निवृत हुए है ।	1,55,000 लगभग
उन पेंशन-भोगियोंकी कुल संख्या जिन्होंने अपनी पेंशन राशीकृत की है ।	51,400 लगभग

(ग) यह सूचना पेंशन की स्वीकृति देने और अदायगी को प्राधिकृत करने के लिए जिम्मेदार अभिकरणों द्वारा रखे गए रिकार्ड में नहीं रखी जाती है। इस सूचना को एकत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में सारे देश में फैले हुए खजानों, सरकारी बैंकों आदि से, जो पेंशन वितरण करते हैं, सभी पेंशन अदायगी आदेशों की समीक्षा करनी होगी। यह विचार है कि इस सूचना को एकत्र करने में जितना समय लगेगा और परीश्रम करना पड़ेगा उसके अनुकूल परिणाम नहीं निकलेंगे।

सरकारी पेंशन पाने वालों की संख्या

10256. **श्री राजाराम शंकर राव माने** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी पेंशन पाने वाले उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो 1 जनवरी, 1964 से पूर्व सेवा-निवृत हुये और 31 दिसम्बर, 1976 को जीवित थे ; और

(ख) उनमें से कितने लोगों को सेवा-निवृति के बाद 38 पेंशन मिली तथा उनको 15 माह के वेतन और भत्तों के बराबर मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : इस सूचना को एकत्रित करने के लिए सिविल, रक्षा, रेल तथा डाक व तार पेंशनों को प्राधिकृत करने तथा अदायगी करने के लिए जिम्मेदार, बहुत बड़ी संख्या मे केन्द्रीय और राज्य सरकार के अभिकरणों के साथ संदर्भ करना पडेगा जिनको वांछित सूचना एकत्रित करने के लिए 1-1-1964 से पहले सेवा-निवृत्त हुए सभी व्यक्तियों के पेंशन संबंधी मामलों की समीक्षा करनी होगी। यह विचार है कि सूचना एकत्रित करने में जितना समय और परिश्रम करना पड़ेगा सम्भावित परिणाम उसके अनुकूल नहीं निकलेंगे।

सेन्ट्रल एक्साइज, फरूखाबाद डिवीजन, कानपुर कलेक्टरी में नियुक्तियां

10257. **श्री मनोहर लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय सेवाओं में रेंजरों की तैनाती और रेंजों में तथा निवारक कार्यों पर अधीनस्थ अधिकारियों की बारी बारी नियुक्त करने के बारे में सरकार की नीति क्या है और सेन्ट्रल एक्साइज, फरूखाबाद डिवीजन, कानपुर कलेक्टरी में आपात स्थिती के दौरान इस नीती का किस सीमा तक वास्तव में अनुसरण किया गया था ?

वित्त मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : माननीय सदस्य द्वारा प्रयुक्त "रेंकर" पद का अर्थ स्पष्ट नहीं है। यह मान लिया गया है कि इसका अभिप्राय, समूह 'क' पदों पर सीधे भरती किये गये अधिकारीयों से भिन्न सहायक समाहर्ता और उनसे ऊपर के ओहदे के अधिकारियों से है। यह भी मान लिया गया है कि "अधीनस्थ अधिकारियों" पद का अभिप्राय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षकों से है।

2. सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के सहायक समाहर्ता और उप-समाहर्ता स्तर के अधिकारीयों का, एक तैनाती से दूसरी तैनाती पर तबादला आम तौर पर 4 साल की अवधि के बाद किया जाता है। लेकिन, कभी-कभी यह अवधि प्रशासनिक कारणों, कठिनाई के मामलों, किसी खास पद पर कार्य के स्वरुप आदि की वजह से घट-बढ़ सकती है।

10—154 LSS/ND/78

3. जहां तक कानपुर समाहर्तालय के फरुखाबाद प्रभाग का सम्बन्ध है, कार्यभारी सहायक समाहर्ता, जो सीधे भरती किये गये अधिकारी थे, 13-1-1975 से 8-2-78 तक अर्थात् लगभग तीन वर्षो के लिए वहां तैनात रहे।

4. केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के निरीक्षकों के सम्बन्ध में सरकार की सामान्य नीति यह है कि उन्हें एक ही स्थान पर चार से छह वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखा जाना चाहिये। परन्तु तबादलों की विस्तृत नीति अलग-अलग समाहर्ताओं द्वारा, काम की किस्म, समाहर्तालय में विभिन्न स्थानों के हालातों और अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखते हुए, तैयार करके अमल में लायी जाती है। यह बताया गया है कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्तालय, कानपुर में सामान्य नीति यह रही है कि सहायक समाहर्ता द्वारा अधिकारीयों को दो-दो साल बाद उसी स्थान पर एक बहुपदीय अधिकारी रेंज (एम० ओ० आर०) से दूसरे रेंज में बारी-बारी तैनात किया जाना चाहिए। एक बहुपदीय अधिकारी रेंज में अदला-बदली प्रशासनिक सुविधा और ग्रस्त कार्य के स्वरूप के अनुसार प्रभारी अधीक्षक द्वारा की जानी होती है। निवारक यूनिटों में तैनाती के संबंध में, नीति यह है कि समाहर्ता द्वारा मोटे तौर पर बताए गए सिद्धान्तों को ध्यान मे रखकर अधिकारीयों की प्रभागीय निवारक यूनिटों में तैनाती का निर्णय, सहायक समाहर्ताओं को करना चाहिए। समाहर्ता ने इच्छा व्यक्त की थी कि अधिकारियों को निवारक यूनिटों में आमतौर पर दो साल से अधिक समय के लिए नहीं रखा जाय सिर्फ उन मामलों को छोड़ कर जिनमें अधिकारी का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा रहा हो।

5. आपात स्थिती के दौरान कानपुर समाहर्तालय के फरुखाबाद प्रभाग में इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में यह बताया गया है कि नीति का सामान्यतः पालन किया जा रहा था। जहां तक कायमगंज में (फरुखाबाद प्रभाग में) बहुपदीय अधिकारी रेंजों का संबंध है, निरीक्षकों के मुकाम की सामान्य अवधि दो साल थी और कायमगंज में निरीक्षकों के एक बहुपदीय अधिकारी रेंज से दूसरी रेंज में तबादले सामान्य तौर पर एक साल के बाद किये गये थे।

6. फरुखाबाद प्रभाग में निवारक यूनिटों मे अधिकारियों की तैनाती के संबंध में, यह बताया गया है कि सहायक समाहर्ता, फरुखाबाद, इन यूनिटों मे अधिकारीयों के कार्य निष्पादन के अनुसार अपने प्रभाग में निवारक यूनिटों में और उनसे बाहर अधिकारियों की अदला-बदली कर रहा था।

ओरिएंटल फायर एण्ड जेनेरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटड के विचाराधीन पड़े बस दुर्घटनाओं के दावों सम्बन्धी मामले

10258. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओरिएंटल फायर एन्ड जेनेरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के मंडी स्थित शाखा कि कार्यालय और चंडीगढ़ स्थित मुख्य कार्यालय में इस समय बस दुर्घटना के दावों सम्बन्धी कितने मामले फैसले के लिये विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कायस्थ बस सर्विस नगराटा बगवान द्वारा उक्त कम्पनी में दायर किये गये दावों सम्बन्धी मामले अभी तक निपटाये नहीं गये हैं ; ।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इन सभी विचाराधीन मामलो के शीघ्र निपटान के लिये कम्पनी के मंडी कार्यालय को कोई अनुदेश दिये जा रहे हैं; और

(ङ) ये मामले कब तक निपटाये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मंडी स्थित शाखा कार्यालय में चार दावे विचाराधीन हैं। चंडीगढ़ प्रभागीय कार्यालय में इस समय कोई दावा बकाया नहीं है।

(ख) जिस दावे के बारे में पूछा गया है वह 3-5-1978 को निपटा दिया गया है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता है।

(घ) और : (ङ) मंडी स्थित शाखा कार्यालय में विचाराधीन चार दावों में से एक मामले में डाक द्वारा चैक भेजा जा रहा है। अन्य तीन दावों की सूचना कम्पनी को अप्रैल, 1978 में ही मिली है और उनके संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

अगस्त, 1978 में मास्को में दूसरी भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन

10259. **श्री रेणुपद दास** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1978 में मास्को में दूसरी भारतीय प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय अंतिम रुप से ले लिया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1978 में औद्योगिक प्रदर्शनी में पीतल तथा बेल-धातु की कलात्मक वस्तुएं, बर्तन तथा अन्य चीजें रखी जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न धातुओं तथा कांसे से बनी कलात्मक वस्तुओं, बर्तनों तथा अन्य चीजों की सूची क्या है ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० आरिफ बेग) : (क) से (ग) : जी हां। जिन कलावस्तुओं का प्रदर्शन किया जाना है, उन में शामिल है ; महात्मा गांधी तथा रवींद्रनाथ ठाकुर की कांसे की आवक्ष प्रतिमाएं ; विष्णू, नटराज तथा पार्वती की प्रतिकृतियां; ताजमहल का माडल, तंजौर मंदिर का माडल ; भुवनेश्वर के राजा राणी मंदिर का माडल; ध्यानमुद्रा गांधार में बुद्ध; मौर गांधार ; नालंदा के कांस्य स्तूप और कुछ मौलिक चित्र व मूर्तियां। विभिन्नधातुओं तथा मिश्र धातुओं की वस्तुओं तथा बर्तनों में शामिल है। स्टेनलेस स्टील के घरेलू बर्तन, अलौह जुडनार तथा जुगाड, पितल के आफताब, पितल की प्लेटें तजौर प्लेटें, पीतल की एशट्रे, पीतल के समवार, पीतल के बियर पीने के मग, पीतल की निथर-नियां, पीतल के फूट बाउल, पीतल की धूपदानियां, पीतल के फूलदान, पीतल के अगरदान लालटेन, बैल धातु नंदी बैल धातु डोकरा हाथी सवार, घंटा धातु डोकरा काली, बैल धातु डिनर घंटियां, बैल धातु के लैम्प बैल धातु के तेल के लैम्प तथा बैल धातु के हैंगिंग लैम्प।

मेलों तथा प्रदर्शनियों के लिए पीतल तथा बैल-धातुओं की वस्तुएं

10260. **श्री रेणूपद दास :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या पीतल तथा बैल-धातु के बने तथा विशेष रुप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडू में निर्मित ऐसी कौन-कौन सी वस्तुएं अभी तक प्रदर्शनार्थ वस्तुओं में शामिल की गई हैं और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा देश में तथा विदेशो में प्रदर्शित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : जी हां। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित एग्री-एक्सपो,'77 में पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडू में निर्मित पीतल तथा बैल धातु की वस्तुएं प्रदर्शित की गई थी। ऐसी ही वस्तुएं, मिलान, मेलबोर्न, पोजनान, मोजांबिक, जगरेब. बगदाद, लीमा, खरतुम त्रिबोली तथा लीपजिग में आयोजित किये गये मेलों तथा प्रदर्शनियो भी प्रदर्शित की गई। मुख्यतः बासनों तथा बतर्नो, लैम्पों तथा मूर्तियों जैसी वस्तुओं का और साथ ही फूलदानों, घंटियों, आफताबों प्रतिमाओं व लघु मूर्तियों और दीवार-प्लेटों जैसी पीतल की सजावटी वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया गया।

Representation for Relief to Cooperative Societies in Excise Duty on Sodium Silicate

10261. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether a representation of the 6th March 1978. has been received in the Ministry from Sri Saurashtra Silicate Producers Cooperative Societies Ltd.; Junagadh (Gujarat) demanding relief to the Cooperative Societies in the excise duty on sodium silicate; if so, the nature of demands made therein;

(b) the action taken or proposed to be taken; and

(c) whether demands have been accepted by Government; if so, in what form and if not the reasons therefor and when and in what form they will be accepted ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) Yes, Sir. Shri Saurashtra Silicate Utpadak Sahkari Sangh Ltd., Junagadh (Gujarat) have, in their representation dated 6th March 1978 requested that the limit of Rs. 15 lakhs which has been fixed for determining the eligibility of a small manufacturer, for the new exemption scheme of excise relief for small manufacturers (which was announced as a part of the 1978 Budget proposals) may be omitted for cooperative societies.

(b) and (c) : Omission of the eligibility criterion in favour of cooperative societies may *inter-alia* lead to abuses and place difficulties in the working of genuine small units, outside the cooperative fold. The request made in the above representation is, therefore not acceptable.

Demands made by New Groundnut Solvent Extraction Plants

10262. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about seven new groundnut solvent extraction plants in Rajkot, Gondal and Junagadh in Saurashtra, Guajarat have submitted a representation to him on 18th March, 1978 and if so, the nature of demands made therein;

(b) the demands among them approved or proposed to be approved and when and how;

(c) what has been stated in the representation in regard to Geeda and the action taken or proposed to be taken by Government in this regard and when and how;

(d) the quota of export of de-oiled cakes sanctioned so far for 1978 and the quota in tonnes out of it, given to new solvent plants and the percentage of the quota to be given to new solvent extarction plants when fresh quota will now be sanctioned; and

(e) the quantity of de-oiled cakes to be exported in 1978 will be finally approved and when it will be finally approved?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal): (a) (b) & (c): Yes, Sir. The nature of demands made therein were—

(i) Geeda, the canalysing agency, had been unfair in the method adopted in the distribution of the reserve quota of 10 per cent out of the ad hoc quota of 2.5 lakh tonnes of groundnut extractions released for export against the ceiling for the year 1978.

(ii) The units which were in existence even earlier had been allocated quota thereby causing a reduction in the quantum which would have been available to the real new units.

(iii) The merchant exporters should not be allowed any export entitlement.
The matter is under examination

(d) An ad hoc quota of 2.5 lakh tonnes of groundnut extractions has so far been released for export against the ceiling for 1978.

The share reserved for new plants out of this was 10 per cent or 25,000 tonnes.

Percentage of fresh quota to new solvent plants would be taken when additional quota will be released.

(e) This matter is under Government's consideration.

Representation from President, High Tension Consumers Association, Rajkot and Shri Sorath Chamber of Commerce and Industry, Veraval

10263. **Shri Dharamasinhbhai Patel:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the President, High Tension Consumers Association Rajkot in Saurashtra region in Gujarat and Shri Sorath Chamber of Commerce and Industry Veraval, have sent representations and telegrams to the Ministry on 6th

March, 1978 and 28th March 1978 respectively about duty on electricity appliances and if so, the nature of demands listed therein; and

(b) the action taken or proposed to be taken by Government on these demands and when and the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) Yes, Sir. The High Tension Consumers Association, Rajkot have, in their representation dated 6th March, 1978, requested the Government to withdraw the excise duty on electricity. The Shri Sorath Chambers of Commerce and Industry, Veraval have, in their representation dated 28th March, 1978, requested the Government to obtain a guarantee from the generating units that they will not pass on the burden of excise duty on electricity to the consumers.

(b) It has not been found possible for the Government to accede to the request for withdrawal of excise duty on electricity. It is also not possible for the Government to obtain a guarantee from the generating units to the effect that they will not pass on the burden of excise duty on electricity to the consumers.

Evasion of Excise duty by Proprietors and Partners of Shree Rayons Factory, Ujjain

10264. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the proprietors and partners of the Shree Rayons Factory, opposite T.B. Hospital Agra Road, Ujjain, having one show room at Nai Sadak in Ujjain, Madhya Pradesh have been evading excise duty for the past three years and if so, the quantum of cloth manufactured by the Mill since its inception and the amount of excise leviable thereon; and

(b) whether in order to evade excise duty, the entire cloth manufactured by the above mill is taken to Bombay for processing and if so, the quantum of cloth processed in Bombay so far together with the name of processing unit and expenditure incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) and (b): M/s Shree Rayons Factory, opposite T. B. Hospital, Agra Road, Ujjain, have 34 powerlooms installed in their factory. They bring duty paid poly-viscose and Polyester Yarns from various markets in Maharashtra, Gujarat and Rajasthan and produce grey-unprocessed poly-viscose and polyester fabrics. The grey unprocessed man-made fabrics are fully exempted from Basic Excise duty and Additional Excise duty. Such units are also exempt from licensing control. In view of this, the question of evasion of duty by the firm does not arise.

It is reported that they purchase processed cloth from open market at Bombay from various parties and store the same in their Show-room at Nai Sadak, Ujjain, for sale.

ब्रांडीज यूनिवर्सिटी, वाल्थाम में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिये गये भाषण पर उन्हें प्राप्त 86,000 डालर पर उनके द्वारा आयकर का भुगतान

10265. **श्री निर्मल चंद्र जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में जब श्रीमती इंदिरागांधी सूचना और प्रसारण मंत्री थी तब उन्होंने अमरीका की यात्रा की थी और बोस्टन के निकट वाल्थाम में ब्रांडीज यूनिवर्सिटी में

नेहरु की विदेश निति' पर भाषण दिया था जिसके लिए उन्हें कार्नेजी फाउंडेशन द्वारा 86,000 डालर अदा किए गए ;

(ख) क्या यह धनराशी कभी भारत लाई गई थी ; यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो वह कहां है;

(ग) क्या उन्होंने इस राशि पर आयकर का भुगतान किया गया था; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जूलफीकारुल्ला) : (क) आयकर विभाग के पास यह बताने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को कार्नेजी फाउंडेशन से 86,000 डालर प्राप्त हुए थे। लेकिन उन्होने कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 से सम्बन्धित अपनी आयकर विवरणी में "अन्य स्त्रोतों से आय" (रायल्टी) शीर्ष के अन्तर्गत ब्रांडीज विश्वविद्यालय से 2 अप्रैल 1965 को प्राप्त 5000 अमरिकी डालर (23,700 रु०) की आय घोषित की थी।

(ख) इस बारे में कर-निर्धारण सम्बन्धी रिकार्ड से कुछ भी पता नहीं चलता। भारतीय रिजर्व बैंक के संगत अवधि के रिकार्ड भी बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उन के नियमों के अनुसार, ये कागजात तीन वर्ष के लिए रखे जाते हैं।

(ग) कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 में 5,000 अमरीकी डालरों (23,700 रु०) की रकम के सम्बन्ध में आयकर अदा कर दिया गया है।

(घ) सरकार का प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय से उनके प्राप्त सही रकम के सम्बन्ध में पूछताछ की जाय और यह कि क्या उक्त रकम को कर-निर्धारण के लिए पेश किया गया है अथवा नहीं और वह रकम भारत में लाई गई है अथवा नहीं।

Payment of Central Sales Tax and Income Tax by M/S Jernel Singh and Sons, New Delhi

10266. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether M/s. Jernel Singh and Sons, New Delhi have not so far paid any Central Sales tax and income tax to Government since the inception of the firm and if so, the amount outstanding against the firm; and

(b) whether it is a fact that in order to evade Central Sales tax and income tax this Firm has so far been setting on a large scale the machinery manufactured by it without any bill since its inception and if so, whether Government will conduct an enquiry into all these facts ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) & (b) : The question does not give the address of M/s. Jernel Singh & Sons. However, according to information presently available, no party of the name Jernel Singh & Sons, New Delhi is assessed to income-tax in the territorial jurisdiction of Commissioner of Income-tax, New Delhi and the question of any income-tax being paid by it or outstanding against it does not, therefore, arise.

So far as Central Sales tax is concerned one M/s. Jernail Singh & Sons of 2580/9 Gali No. 15, Kailash Nagar (Gandhi Nagar), Delhi-110031 is registered with the Sales Tax Department of Delhi Administration and has paid Central Sales Tax

amounting to Rs. 10.50p on his only one inter-State sale of Rs. 105/- dated 6-12-75. As per records no other inter-state sale has been made by this dealer since the date of their registration on 6-12-75. No amount of Central Sales Tax is outstanding against this dealer.

Another dealer by the name of M/s. Jarnail Singh & Sons, 5/1-A, Kirti Nagar Industrial Area, New Delhi was registered with the Department and was engaged in the business of manufacturing and sale of moulding machines. The position of payments are as under :

Year	Tax paid with the return	Additional demand created as a result of assessment
1973-74	Rs. 375	Rs. 875/-
1974-75	Rs. 210	not assessed
1975-76	nil	not assessed

As per record the first of the above mentioned dealers has made only one inter-State sale of Rs. 105 against bill No. 70486 dated 6-12-75 on which due tax Rs. 10.50p at the rate of 10% has been paid. Enquiries were also made on 7-5-76 which revealed no discrepancy.

There is nothing on record to show that the second of the above mentioned dealers had been making sales of machinery without issuing proper bills.

Payment of Income Tax by Proprietors and Partners of Daily 'Avantika' and Mehta Printing Press, Ujjain

10267. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the proprietors and partners of the Daily 'Avantika' and Mehta Printing Press, Ujjain, Madhya Pradesh have not paid any income tax during the last three years and if so, the amount of income tax outstanding against each partner and proprietor during the period ; and

(b) whether the income tax officers do not take action against them for the non-payment of tax arrears under the fear that they might publish news maligning them and if so, whether Government have issued any instructions to Income Tax authorities there to take effective steps to realise the income tax arrears from them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) & (b) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Vanaspati Producing Units

10268. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of vanaspati producing units in the country together with their locations State-wise and the production capacity; and

(b) the quantum of raw material imported by Government for this industry during the last three years and the amount of foreign exchange spent thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) The information is given in the enclosed Statement.

(b) The quantum of raw material imported by the Government for the vanaspati industry during the last three years total to about 9.25 lakh tonnes, valued at an estimated figure of Rs. 461 crores.

Statement

Location of Vanaspati Units Statewise	No. of Units	Installed capacity per day in Tonnes
1	2	3
Andhra pradesh		
Adoni	1	50
Hyderabad	2	50
Kalluru	1	10
Kurnool	1	64
Secunderabad	1	19
Bihar		
Dalmianagar	1	100
Durgavati	1	50
Delhi	2	275
Gujarat		
Bhavnagar	2	125
Gondal	1	25
Jamnagar	1	25
Manavadar	2	40
Morvi	1	30
Porbandar	1	50
Rakhial	1	12.5
Samlaya	1	25
Haryana		
Bhivani	1	50
Kundli	1	10
Shahabad	1	25
Yamuna Nagar	1	75
Kerala		
Calicut	1	10
Ernakulam	1	25
Karnataka		
Bangalore	2	10.50
Davangaere	2	37.5
Hubli	1	15
Madhya Praedsh		
Devas	1	30
Indore	1	100
Khandawo	1	50

Statement—Contd.

1	2	3
Maharashtra		
Akola	1	67.5
Amalner	1	100
Bombay	8	627
Dhulia	1	45
Latur	1	12.5
Nagpur	1	12.5
Pachora	1	48
Punjab		
Amritsar	1	100
Doraha	1	50
Khanna	1	50
Kharar	1	25
Ludhiana	3	90
Rajpura	1	100
ajasthan		
Bhilwara	1	75
Chittorgarh	1	25
Jaipur	4	275
mil Nadu		
Madras	2	62.5
Mettur Dam	1	10.5
Tiruchirapalli	1	50
Villupuram	1	20
tar Pradesh		
Aligarh	1	50
Ghaziabad	4	231.5
Kanpur	2	125
Lucknow	2	65
Mansurpur	1	25
Modinagar	1	100
Sitapur	1	50
st Bengal		
Calcutta	2	130
Liluah	1	50
Rishra	2	97
Sham Nagar	1	144
Total	85	4301.5 or to say 4302

संस्थागत ऋणों की वितरण प्रणाली

10269. **श्री चित्त बसु : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1974 में तथा इसके पश्चात् संस्थागत ऋणों के वितरण की प्रणाली क्या रही है ;

(ख) उक्त अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों की स्वामित्व प्रणाली क्या रही है ; और

(ग) वर्ष 1974 में तथा इसके पश्चात् से 20 बड़े औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्ति की रुपयों में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उद्योगों के वित्तपोषण के लिए गठित की गई अखिल भारतीय सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के बारे म सांख्यकीय सूचना शहरी और ग्रामीण वर्गीकरण के आधार पर इकट्ठी नहीं की जाती है। सरकारी नीति के अनुरुप, ये संस्थायें अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े इलाकों को अपनी सहायता की मात्रा में वृद्धी करने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। इन संस्थाओं द्वारा 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के वर्षों के दौरान पिछड़े इलाकों और अन्य इलाकों के बीच वितरित की गई सहायता के सम्बंध म सांख्यकीय सूचना अनुबंध - I में दी गई है।

(ख) ग्रामीण इलाकों में परिसम्पत्ति के स्वामित्व विषयक कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

(ग) एकाधिकारी और निर्बधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत वर्ष, 1969 और 1972 से 1975 तक के वर्षों के दौरान, पंजीकृत 20 उच्चतम बड़े औद्योगिक घरानों परिसम्पत्तियों का मूल्य (उनकी परिसम्पत्तियोंके मूल्य के अनुसार क्रमिक रूप में) अनुबंध II में दिया गया है।

विवरण I

1974-75 1975-76 और 1976-77 के दौरान अखिल भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा विशिष्ट पिछड़े जिलों के एककों को सहायता

(करोड रुपयों में)

	1974-75		1975-76		1976-77	
	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	वितरण	स्वीकृति	वितरण
1. विशिष्ट पिछड़े जिलों के एककों को सहायता	143.5	109.8	175.0	125.5	397.3	205.8
2. कुल सहायता	433.6	351.5	548.4	363.9	891.4	529.1
3. 1 से 2 का प्रतिशत	33.1	31.2	31.9	34.5	44.6	38.9

विवरण-II

बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों के मूल्यों में वृद्धि

(एकाधिकारी और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20 (क) के साथ पठित धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत 20 सब से बड़े घरानों की 30-9-1977 की स्थिति के अनुसार और 1975 में उनकी परिसम्पत्तियों के मूल्यों के क्रम के अनुसार)

(क) परिसम्पत्तियों का मूल्य

औद्योगिक घरानों का नाम	परिसम्पत्ति (करोड़ रुपयों में)				
	1969	1972	1973	1974	1975
1. टाटा	526.11	634.84	667.22	774.71	909.68
2. बिड़ला	411.16	572.17	627.00	721.90	858.81
3. मफतलाल*	163.01	183.74	224.56	232.98	244.23
4. ज० के० सिंघानि	81.94	121.45	147.01	186.36	209.56
5. थापर	94.52	136.16	150.11	167.56	197.90
6. सिंधिया	70.11	107.73	133.93	151.33	183.05
7. आई० सी० आई०	124.59	135.21	143.30	160.92	178.34
8. श्री राम	108.01	120.77	126.28	144.57	166.16
9. ए० सी० सी०	121.97	134.36	139.90	140.96	160.05
10. बांगड़†	96.74	118.87	124.13	149.52	158.63
11. किर्लोस्कर	66.32	97.93	105.45	128.07	148.65
12. लारसन एण्ड टुब्रो	55.16	79.03	93.68	119.35	137.69
13. वालचंद	94.57	99.47	116.35	121.85	126.78
14. खटाऊ††	53.80	63.77	67.97	107.98	119.03
15. आई० टी० सी०	69.57	74.75	81.01	99.88	116.80
16. मैक्नील एण्ड मगर	88.91	106.21	119.64	113.57	114.40
17. महिंद्रा एण्ड महिंद्रा	49.39	58.49	64.51	98.10	114.08
18. साराभाई	52.49	85.35	87.68	105.21	111.13
19. वस्तूरभाई लालभाई	64.58	78.61	86.38	100.55	108.16
20. टी० वी० एस० आयंगर	37.66	50.32	69.35	94.26	102.04
जोड़	2430.61	3059.23	3375.46	3919.63	4465.17

टिप्पणी : * एम० जी० कँसल्टैन्सी सर्विसिज़ लि० का प्रथम तुलन पत्र वर्ष 1975-76 का है।

**जे० थामस एण्ड कम्पनी प्रा०लि० की वर्ष, 1973 की परिसम्पत्तियां 1974 में भी वैसी का वैसा दिखाई गई है। बिन्नी लि० की परिसम्पत्तियां वर्ष 1994 और 1975 की शामिल नहीं है क्योंकि अब यह इस समूह के साथ सम्बद्ध नहीं है।

†श्री निवासन ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि० की वर्ष, 1974 की परिसम्पत्तियां 1975 में भी वैसी की वैसी दिखाई गई है।

††चार कम्पनियों अर्थात् : (1) केमिग टूल्स प्राइवेट लि० (2) मनी ऑर्डर्स प्राइवेट लि० (3) फौनिक्स डिस्ट्रीब्युटर्स प्राइवेट लि० और (4) प्रेसीजन प्रिंटर्स प्राइवेट लि० की वर्ष, 1974 की परिसम्पत्तियां 1975 में भी वैसी की वैसी दिखाई गई है।

बहुराष्ट्रीय निगमों से पूंजी निवेश के लिए प्रस्ताव

10270. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नीति और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भारत में पूंजी निवेश के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों से इस बीच कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), और (ग) : विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा भारतीय उद्यम कर्ताओं से प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। इन प्रस्तावों पर पूंजी निवेश की नीति और दी गई स्वीकृतियों पर ध्यान रखते हुए विचार किया गया है। उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक स्विकृतियों का सचिवालय) द्वारा स्वीकृत किए गये सहयोग प्रस्तावों, जिनका पूरा ब्यौरा तिमाही सूचियों में दिया गया है, संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। इन सूचियों में भारतीय कम्पनियों के नाम, विदेशी सहयोग कर्ता के नाम, विनिर्माण की मदें और सहयोग की शर्तें बताई गई है।

केरल सरकार द्वारा पश्चिम एशियाई देशों में केरलवासियों के धन को इकठ्ठा करने की अनुमति

10271. **श्री प्रद्युम्न बाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने पश्चिम एशियाई देशों में काम कर रहे केरलवासियों का धन इकट्ठा करने के लिए रिजर्व बैंक से अनुमती मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : जी, हां। केरल सरकार ने विदेशों में बसे भारतीयों को केरल राज्य उद्यम लिमिटेड द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में पूंजी लगाने के लिए प्रेरित करने का एक प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा है, ताकि विदेशों में बसे मलयालियों की बचतों को जूटाकर केरल राज्य के विकास कार्यों में लगाया जा सके। इन प्रतिभूतियों में लगाई गई पूंजी पर ब्याज की वार्षिक दर 12 से 13 प्रतिशत होगी। केरल सरकार ब्याज की और इन प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी की गारंटी देगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल सरकार को सूचित किया है कि प्रस्तावित प्रतिभूतियों में पूंजी तभी लगाई जा सकती है यदि रकम वापस न भेजी जाए।

विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको के पास बिना अदा हुए पडे "स्टिकी लोन्स"

10272. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास बिना अदा हुए पडे लगभग 10,000 रुपये के "स्टिकी लोन्स" सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक बैंक के पास पड़े इन "स्टिकी लोन्स" के आंकडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन आसामियों के नाम क्या है जिन्होंने 25,000 रुपयें से अधिक के "स्टिो कीं लोन्स" अदा नहीं किए है;

(घ) क्या विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों से कारण जानने सहित यह पूछताछ की गई है कि सामान्य ऋणों को "स्टिो कीं लोन्स" में क्यों परिवर्तित किया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(च) इन "स्टिो कीं लोन्स" को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : वर्तमान सांख्यिकी सूचना प्रणाली में आंकड़े उस प्रकार एकत्र करने की व्यवस्था नहीं है जिस प्रकार माननीय सदस्य ने उन्हें मांगा है।

(घ) और (ङ) : कुप्रबंध, मजदूरों में अशांति, क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना कम उत्पादकता, मांग की घटोतरी, नकदी का कम एकत्र होना, निधियों की विविधता आदि कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से ऋण अशोध्य (स्टिकी) हो जाते है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का कार्यकरण

10273. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको और सरकारी नियंत्रण वाली अन्य वित्तीय संस्थाओ के कार्यकरण के बारे में रिपोर्टों पर सदन में तथा प्रेस में विभिन्न अवसरों पर आलोचना हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके कार्यकरण और तत्संबन्धी पहलुओं की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन वित्तीय संस्थाओं की आलोचना में सरकार ने कोई सार पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ङ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों केकार्यकारण सम्बन्धी दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा दी गई हाल की रिपोर्टों का सरकार ने अध्ययन किया है, यदि हां, तो उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकाले है और इन वित्तीय संस्थाओं के अच्छे विकास के लिए तथा भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) : जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य की समीक्षा सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से और इन बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा निरन्तर की जाती है। इसी प्रकार का नियंत्रण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से और इन संस्थाओं के बोर्डों द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर रखा जाता है।

(ग) और (घ) : प्रश्न पूछ जाने पर तथा अन्य अवसरों पर जब सहकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों के आधार पर इस सदन में उनकी आलोचना की गई थी, उत्तर दिए जा चुके है।

(ङ) यदि माननीय सदस्य के ध्यान में "जेम्स राज समिति" और बैंकों में उत्पादकता, कार्य कुशलता और लाभप्रदता विषयक कार्यकारी दल, जो आमतौर पर "पी० ई० पी० समिति" कहा जाता है, की रिपोर्ट है तो उत्तर यह है कि इन दोनों समितियों को रिजर्व बैंक ने नियुक्त किया था और रिजर्व बैंक उनकी रिपोर्टों की जांच कर रहा है।

तस्करी का सामान

10274. **श्री समर गुह :**

श्री फकीर अली अंसारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार बनने के बाद की अवधि में 31 मार्च, 1978 तक तस्करों से पकड़े गये तस्करी के सामान और भारतीय तथा विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ख) तस्करी के सामान और विभिन्न मुद्राओं का कुल मूल्य कितना है जो तस्करों से पकड़ा गया था और इस समय सरकार के पास अनबिका पड़ा है ;

(ग) जेवरात, हीरों, बहुमूल्य पत्थरों आदि सहित तस्करी के इस अनबिके सामान का आम ब्यौरा क्या है ; और

(घ) तस्करी के इस सामान के सम्बन्ध में नीति, ब्यौरे और निपटान के बारे मे क्या तथ्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सरकार ने, पकड़े गये/जब्तशुदा तस्करी-माल के निपटान के बारे में स्थिति की समीक्षा की है और निर्णय किया है कि तस्करी के लिये विशेष आकर्षण वाले माल का निपटान अनुबन्ध-I में दिये तरीके से होगा। अनुबन्ध II में दी गयी अन्य मदों का निपटान प्रवर्तमान कार्यविधि के अनुसार होता रहेगा। संशोधित कार्यविधि के अनुसार, पकड़े गये/जब्तशुदा तस्करी-माल की बिक्री, सहकारी समितियों अथवा सैनिक कैन्टीनों के जरिये बन्द कर दी गई है।

अनुबन्ध I

तस्करी के आकर्षण वाले जब्तशुदा तस्करी के माल के निपटान का तरीका

माल का नाम	निपटान का तरीका
1. धातु और विकिरण सूत	इस बारे में अभी निर्णय किया जाना है।
2. सश्लिष्ट टेक्सटाइल	भारत से बाहर पुनः निर्यात की जाएगी।
3. शराब	भारत पर्यटन विकास निगम को, उनके आयात कोटे के प्रति और सामान्य शर्तों पर बेची जायगी।
4. घड़ियां	एच०एम०टी० को सौंपी जायेंगी।
5. इलैक्ट्रानिकी माल	गणित्र और टेपरिकार्डर सरकारी विभागों को कार्यालई प्रयोग के लिये और शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों को उपलब्ध किये जायंगे। दूरदर्शन सेट अस्पतालों को बेचे जायेंगे।

अनुबन्ध I—समाप्त

माल का नाम	निपटान का तरीका
6. हीरे	बिना पालिश किये और बिना तराशे हीरे आयात लायसेंस धारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा बेचे जायेंगे और उनके लायसेंसों में मुजरे होंगे। तराशे हुए और पालिश किये हीरे केवल निर्यात के लिये बेचे जायेंगे।
7. शीघ्र नष्ट या खराब होने-वाली वस्तुएं	सिगरेट जैसी जल्दी खराब या नष्ट होने वाली वस्तुएं, पकड़े जाने के बाद, तत्काल, भारत पर्यटन विकास निगम और एअर इण्डिया को बेच दी जायेंगी।

अनुबन्ध II

माल का नाम	निपटान का तरीका
1. सोना और चांदी	सरकारी टकसाल में जमा क[illegible] दिये जाते है।
2. भारतीय और विदेशी-मुद्रा	रिजर्व बैंक म सरकार के खाते मे जमा की जाती है।
3. व्यापारिक माल	रसायनिक पदार्थ औद्योगिक कच्चा माल, मशीनों के पुर्जे, मोटर गाडीयों के पुर्जो जैसा व्यापारिक माल का निपटान निलामी द्वारा किया जाता है।
4. यान	जलपोत और सड़क वाहन आदि सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे जाते है। सरकारी विभागों के लिये उपयुक्त जलपोत और भारतीय गाडीयों का विभागीय तौर पर विनियोजन किया जाता है।
5. हीरो से भिन्न रत्न और उपरत्न	बिना पालिश किये और बिना तराशे रत्नों और उपरत्नों की विक्री देशी बाजार में आयात लायसेन्स धारियों को नीलामी द्वारा अथवा निविदा द्वारा उनके लायसेंसों में मुजरे करके की जाती है। हीरों से भिन्न तराशे और पालिश किये रत्न और उपरत्न नीलामी द्वारा अथवा निविदा द्वारा देश में ही बेचे जाते हैं।
6. बन्दुकें, पिस्तोलें आदि और बारूद गोला	.38 और .32 बोर रिवाल्वरों/पिस्तोलों और उनके गोला-बारुद से भिन्न बन्दुकें, पिस्तोलें आदि और गोला बारुद का निपटान नीचे दिये गये तरीके के अनुसार किया जाता है :— (क) स्टेन-गनें गृह मंत्रालय से लेने के लिये कहा जाता है और जिनको उन्हें जरूरत नहीं होती है, वे रक्षा मंत्रालय को बेची जाती है। (ख) निषिद्ध बोर के सभी हथियारों और उनके गोला-बारुद का निपटान रक्षा मंत्रालय के आयुध निर्माण कारखानों को किया जाता है। (ग) देशी-मेक के क्रूड हथियार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उनके संग्रहालय में प्रदर्शन के लिये दिये जाते है।

अनुबन्ध II—समाप्त

माल का प्रकार	निपटान का तरीका
	(घ) अन्य सभी हथियार, जिनके लायसेंस जनता को जारी किये जाते हैं, और उनका गोला बारुद का निपटान सार्वजनिक नीलामों द्वारा किया जाता है ।
	(ङ) .38 और .32 बोर के रिवाल्वर/पिस्तौलें और उनके गोला बारुद विभागीय उपयोग के लिये रख लिये जाते हैं ।
7. प्राचीन वस्तुएं	प्राचीन वस्तुएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मुफ्त दे दी जाती हैं जिससे वे उनको विभिन्न संग्रहालयों अथवा संस्थाओं को उपहार के रुप में दे दें अथवा यदि आवश्यक समझें तो अन्य तरीके से निपटान कर दे ।
8. जप्त किये गये यात्री असबाब में छोटी-छोटी मात्रा में पकड़ी गयी (सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 123 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न) तरह-तरह की वस्तुएं	इन वस्तुओं का निपटान सीमा-शुल्क गृहों द्वारा किया जाता है ।
9. भारतीय मूल की वस्तुएं	जंगली जानवरों की खालो को छोड़कर भारतीय मूल की वस्तुएं निलामी से अथवा खुदरा बेची जाती हैं । परन्तु, जंगली जानवरों की खालों का निपटान भारतीय वन्य जीव बोर्ड के साथ परामर्श करके शैक्षिक संस्थाओं, संग्रहालयों आदि को किया जाता है ।

भारतीय पर्यटन निगम के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

10275. **श्री समर गुह : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन निगम के अनेक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इनके स्वरुप संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) भ्रष्टाचार की विभिन्न शिकायतों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों संबंधी और आगे तथ्य क्या हैं तथा भ्रष्ट अधिकारियों से निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : पिछले 3 वर्षों, अर्थात् 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भारत

11—154 LSS(ND)/78

पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध 16 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतें शक्ति के दुरुपयोग, पैसे के गबन, खरीद व ठेके देने में हेरा-फेरी, भ्रष्टाचार तथा कार्यविधि सम्बन्धी अनियमितताओं से संबन्धित थीं। दो शिकायतों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी भी जांच की जानी है। उन 14 शिकायतों में से, जिन पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी पूछताछ जांच पूरी कर ली है, 13 शिकायतों को अदालतों में फौजदारी इस्तगासा के लिये उचित नहीं पाया गया था इन पर विभागीय जांच/कार्यवाही करने की सिफारिश की गयी। केवलमात्र एक मामले में, जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सुनवाई के लिये अतिरिक्त चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट बंगलौर की अदालत में भेजा था, अदालत ने मुल्जिम को इस आधार पर बरी कर दिया क्योंकि उसके विरुद्ध कोई जुर्म साबित नहीं हुआ।

(ग) जिन मामलों पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है उनके बारे में सूचना अनुबंध में दी गई है। जहां तक ऐसे बाकी मामलों का सम्बन्ध है जिनको केन्द्रीय जांच ब्यूरो/भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अभी जांच की जा रही है, इनसे सम्बन्धित तथ्यों को अभी प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

विवरण

क्रम सं० केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायतों के ब्यौर	केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांचों के परिणाम	निगम द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3
1. निगम के भूतपूर्व चीफ इंजीनिअर द्वारा ठेके देने में हेराफेरी	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने 18-2-1975 के पत्र संख्या 130/1/36/74-जी डब्ल्यू IV/के ई आर में विचार प्रकट किया कि क्योंकि कथित अधिकारी सेवा-निवृत्त हो चुका था विस्तृत जांच करना लाभप्रद नहीं होगा तथा संभवतः विभाग ही अब उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोई उचित कार्यवाही कर सकता है।	शिकायत की जांच की गयी थी परंतु आरोपों में कोई जान नहीं थी तथा उक्त केस खत्म कर दिया गया।
2. भूतपूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक (दक्षिण) द्वारा ठेके देने में हेराफेरी	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने 16-12-75 के पत्र सं० 10962/1/77/75-जी डब्ल्यू IV/एम ए एस द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी को एक मूल रिपोर्ट भेजी जिसमे जांच करने का सुझाव दिया गया।	विभागीय जांच की गई। इसमें अधिकारी की कोसी बदनीयती का पता नहीं चलता। इसलीए कार्यविधी सम्बन्धी अनियमितताओं के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से उसे लिखित चेतावनी दी गयी।

विवरण—समाप्त

1	2	3
3. रणजीत होटल के भूतपूर्व उप प्रबंधक द्वारा अपनी आय की अपेक्षा बहुत अधिक धन का संचय करने का आरोप	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने 18-12-76 के पत्र संख्या डीएल आई/जी/सीआर / 1 / एसएमसी 41-11-84 द्वारा शिकायत की विभागीय जांच के लिये भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास भेज दिया गया।	जांच पूरी होने से पहले ही अधिकारी की मृत्यु हो गयी।
4. भूतपूर्व सहायक नियंत्रक (एस एण्डपी) द्वारा आयातित कागज खरीदने अनियमितताए।	मंत्रालय ने अपने 10-3-1976 के पत्र संख्या सी-13015/1/77-विजि के साथ केन्द्रीय जांच ब्यूरो का संक्षीप्त नोट संलग्न किया जिसमे आवश्यक विभागीय कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।	विभागीय जांच की गयी इसी बीच अधिकारी ने अपना त्याग-पत्र दे दिया जिसे कार्पोरेशन के हित मे मंजूर कर लिया गया।
5. अशोक होटल के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियमो के अंतर्गत अननुज्ञेय फीस लेने का कदाचार।	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 9-12-76 के पत्र सं. पीई-36/76 के अनुसार जांच की तथा 11-7-77 के पत्र सं. 2773/2/36/76/आई-एनवी/डी. एल. आई. द्वारा उचित कार्यवाही की सिफारिश की जिसमे विभाग द्वारा उसकी सेवाओ को समाप्त करना भी शामील था।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से स्वास्थ्य अधिकारी की सेवाओं को 18.10.77 से समाप्त कर दिया गया था।

पश्चिम बंगाल में सागर द्विप का विकास

10276. **श्री रणुपद दास :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल मे संगम का सागर द्वीप, जो भारत में एक दुर्गम "तीर्थ" हैं जिसका खुले समुद्र का एक लम्बा तट है, पुरातन काल से प्रतिवर्ष लाखो तीर्थयात्रीयों को आकर्षित करता रहा है ;

(ख) क्या सरकार का पर्यटक रुचि के स्थल के रुप में इसका विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत तीर्थ केन्द्रों से भरा हुआ है और पश्चिमी बंगाल में संगम द्विप भी निःसंदेह उनमें से एक है।

(ख) संगम द्वीप का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का केन्द्रीय योजना में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह मुख्यतया अंतर्देशी पर्यटकों को ही आकर्शित करता है और इसीलिए इसका विकास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार में नियुक्तियां

10277. **श्री अघर्नसिंह ठाकुर** :
श्री रामानन्द तिवारी :

क्या वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार में पांच वरिष्ठ पदोपर उनके लिये विज्ञापन दिये बिना सहकारी उपक्रमों मे नियुक्ति के नियमों का उल्लंघन करके नियुक्तियां की गई हैं ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि, वित्त प्रबंधक का पद जिसे सुपर बाजार के प्रबंधको ने भर लिया है सोसायटी के नियमो के अंतर्गत तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की शर्तों के अंतर्गत भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के लिये आरक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो वित्त प्रबंधक की नियुक्ति के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ती और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) : प्रमुख प्रबंधकिय पदो की रिक्तियों को शिघ्रता से भरने के लिये दो अधिकारी नियूक्त कियें गये है।

(ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के मकान किरायें में वृद्धि

10278. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबन्धको ने भारत सरकार के अनुदेशो का उल्लंघन करके चेअरमैन और प्रभाग अध्यक्ष के मकान किराये की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है; यदी हां तो कितनी;

(ख) क्या मकान किराये मे इसी प्रकारकी वृद्धि भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यालयो, होटलो तथा अन्य प्रतिष्ठानो में अन्य श्रेणियों के कर्मचारीयो के संबंध मे भी की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) : जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने के बारे में सरकारी अनुदेशों का उल्लघन करने का कोई मामला नहीं है।

जहां तक अन्य अधिकारीयों का प्रश्न है, उन्हे इस समय दिये जा रहे गृह भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहां तक गैर-अधिकारी कर्मचारियों का संबंध है, भारत पर्यटन विकास निगम वेतन पुनरीक्षण समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, इन कर्मचारियों को दिए जाने वाले गृह भत्ते के प्रश्न की भी जांच कर रही है।

भारत पर्यटन विकास निगम में डिप्लोमाधारियों के चयन का मानदंड

10279. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के अन्दर ही होटल मैनेजमट एण्ड केटरिंग में डिप्लोमाधारी जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रशिक्षण के लिए चुने जाने हेतु उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम के ट्रेनिंग मैनेजर द्वारा अपने जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में भर्ती हेतु विभिन्न होटल प्रबंध और खान-पान की संस्थाओं में जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) नये डिप्लोमाधारियों के चयन में अपनाये जा रहे मानदंड क्या हैं और भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गत पांच वर्षों के दौरान कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति लिये गये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम में कार्य कर रहे दो वर्ष की न्यूनतम सेवा वाले होटल डिप्लोमाधारी भी, लम्बी सेवा वाले अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ, ज्यूनियर एग्जीक्युटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए विचार करने के पात्र हैं। कम से कम 50% पद इन विभागीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जिन्हें चयन परीक्षा तथा इंटरव्यू देना होता है। इन विभागीय उम्मीदवारों के लिए, कारपोरेशन में उनकी सेवावधि, उनके द्वारा प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक निपुणता तथा उनकी सेवावधि के दौरान कार्य-निष्पादन पर बल दिया जाता है।

(ख) ओपन मार्केट से सीधी भर्ती द्वारा शेष 50% पदों को भरने के लिए चार होटलों के प्रबंधक वर्ग तथा खान-पान संस्थानों की सहायता से तीन वर्षीय डिप्लोमा धारियो के नये बैच में से योग्यतम व्यक्तियों को लेने के प्रयत्न किए जाते हैं। उम्मीदवारों कि सिलक्शन एक विधिवत्सं गठित सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किए जाते हैं जिसमें एक अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी तथा भारत पर्यटन विकास निगम के प्रशिक्षण प्रबंधक भी सम्मिलित होते हैं।

(ग) नये डिप्लोमा धारियों के सिलेक्शन में मूल कसौटी उनकी योग्यता होती है। सिलेक्शन की पद्धति में लिखित परीक्षाएं सम्मिलित होती है जिनमें उनके तकनीकी ज्ञान, सामान्य ज्ञान तथा रुझान की जांच की जाती है। इसके बाद इंटरव्यू होता है। चुने जाने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 10% की छूट दी जा सकती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 77 उम्मीदवारों को भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है।

सिले-सिलाये कपड़ों और इंजीनियरिंग माल के लिए नकद सहायता देने के लिए निर्धारित सिद्धांत

10280. **श्री अमृत लासर : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले-सिलाये कपड़ों और इंजीनियरिंग माल के लिए निर्यात प्रोत्साहन के रूप में नकद सहायता देने हेतु जो आधार निर्धारित किया गया है, और जिसका पूरा किया जाना आवश्यक होता है, वह क्या है ;

(ख) क्या 1977 और जनवरी, फरवरी तथा मार्च 1978 में इन मामलों के निर्यातकों के विरुद्ध कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उन्होंने एसी नकद सहायता प्राप्त कर ली थी जिनके वे हकदार नहीं थे ; और

(ग) यदि हा, तो ऐसे निर्यातकों का ब्यौरा क्या है और उनके प्रत्येक मामले में सरकार न क्या कार्यवाही की है ;

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरीफ बेग) : (क) सिल-सिलाये परिधान तथा इंजीनियरी माल पर नकद प्रतिपूरक इमदाद देने की प्रस्थाप ाों पर विचार करने के लिए कोई अलग से कसौटियां निर्धारित नहीं की गई है। इस समय, निर्यात उत्पादों पर नकद प्रतिपूरक इमदाद देने की सभी प्रस्थापनाओं पर निम्नोक्त कसौटियों के संदर्भ में जांच-पडताल की जाती है :—

(1) निर्यात संभाव्यता तथा घरेलू प्राप्यता तथा साथ ही उत्पाद की सप्लाई की घट-बढ़ ;

(2) आयातित चीजों का अंश तथा देश में मूल्य वर्धन ;

(3) आयात प्रतिपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत यदि उपलब्ध हो तो, लगभग अन्तर्निहित उपदान;

(4) प्राप्त न किये जा सकने वाले करों तथा लेवियों के लिए मुआवजा;

(5) स्वदेशी अन्तर्निविष्टों तथा कच्चे माल को घरेलू लागत तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में अन्तर ; तथा

(6) नये बाजारों में प्रवेश की लागत।

(ख) तथा (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत पर्यटन विकास निगम के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें निश्चित करना

10281. **श्री अमृत कासर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है क्योंकि सेवा की शर्तें पर्याप्त नहीं है, पदोन्नति नियमों को अनुचित रूप से बनाया गया है तथा लागू नहीं किया जाता तथा उन्हें प्रोत्साहन आदि नहीं दिया जाता जिससे इन श्रेणियों के कर्मचारियों में असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो व्यक्तिगत मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) इन कर्मचारियों के भविष्य में सुधार करने के लिए इन विषमताओं को दूर करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं । किसी भी कर्मचारी के साथ नाइन्साफी का कोई मामला नहीं हुआ है । पदोन्नति आदि के मामले में, सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित मार्ग-दर्शी सिद्धांतों का कारपोरेशन द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाता है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

सीमा शुल्क (निवारक) कलैक्टरी, बम्बई द्वारा 10 अप्रैल, 1978 को सांपों की खालों का जब्त किया जाना

10282. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क (निवारक) कलैक्टरी (बम्बई) के अधिकारियों द्वारा 10 अप्रैल, 1978 को सांपों की खालें, जिनकी अमरिका में तथा यूरोपीय बाजारों में बहुत अधिक कीमत है और जिनके निर्यात पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है, तस्करों के एक संदिग्ध जलयान के साथ समुद्रतल में पाई गई थी और जब्त की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके मूल्य के बारे में ब्यौरा क्या है और उस जहाज के, जिसके निकट यह पैकेट पाया गया था, स्किपर के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि 7-4-78 को बम्बई स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों को मजगांव पीर से दूर धारा में तैरते हुए चार पैकेज मिले। ऐसा ही एक और पैकेज भी 8-4-78 को मजगांव स्थित सिंधियां स्टोमशिप कम्पनी के बेसिन में तैरता हुआ मिला था । इन पैकेजों को निकाला गया, जिनकी जांच करने पर 2,18,625 रु० मूल्य की 14,575 सर्प-खालें पाई गई, जो पकड़ ली गई। जहां पैकेज तैरते हुए पाये गये थे, उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय एक यंत्रचालित जलयान एम० एस० वी० 'पुतुभाई रानी' समुद्र में आंशिक रुप से डूबा देखा गया। लेकिन उक्त जलयान में कोई निषिद्ध माल नहीं मिला । पूछताछ करने पर, जलयान के एकमात्र पदाधिकारी जलयान के

कप्तान सुलेमान जफर ने पकड़े गये निषिद्ध माल के बारे में कोई भी जानकारी होने से इन्कार किया। जलयान कर्मीदल के 12 अन्य सदस्यों ने भी, जो समुद्र तट पर थे, पकड़े गये निषिद्ध माल की कोई जानकारी होने से इन्कार किया। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

घरेलू खपत के हितों के विरुद्ध चीनी का निर्यात

10283. **श्री मुकुंद मण्डल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हम घरेलू खपत के हितों के विरुद्ध चीनी का निर्यात करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) विगत लगातार पांच वर्षों में चीनी के निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। किसी पंचांग वर्ष के दौरान निर्यात की जानेवाली चीनी की मात्रा सरकार जिन बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित करती है वे हैं: चीनी का कुल उत्पादन, कुल घरेलू आवश्यकताएं, चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, देश के अंदर चीनी की कीमतें, आदि।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले 5 वर्षों में चीनी के निर्यात से कमाई गई विदेशी मुद्रा की राशि निम्नोक्त प्रकार थी :--

वर्ष (अप्रैल—मार्च)	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रुपये)
1973—74	42.21
1974—75	314.34
1975—76	468.48
1976—77	152.01
1977—78	16.33

आवश्यक वस्तुओं के निर्यात संवर्धन के लिए राज सहायता का उपबन्ध

10284. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात संवर्धन के लिए राज-सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका घरेलू बाजार और भारतीय उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) ऐसी बहुत सी वस्तुओं के निर्यात के लिए नकद मुआवजा समर्थन दिया जा रहा है।

(ख) उनकी घरेलू सप्लाइयों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता क्योंकि चयनात्मक नकद मुआवजा समर्थन केवल ऐसी वस्तुओं के लिए दिया जाता है जिनके निर्यात करने की अनुमति, समय समय पर उनकी कुल उपलब्धता का निर्धारण करने के बाद, निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत दी जाती है।

आयात और निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग

10285. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आयात और निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध वर्ष 1977–78 के दौरान कितने विभागीय मामले प्रारम्भ किये; और

(ख) कितनी फर्मों पर जुर्माना किया गया और उक्त अवधि के दौरान कितना जुर्माना किया?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Number of Manuals and Forms in Use in the Ministry/Department

10286. **Shri Nawab Singh Chauhan**: Will the Minister of **Commerce, Civil** Supplies and Cooperation be pleased to state:

(a) the total number of manuals and forms in use in his Ministry/Department;

(b) the number, out of them, translated into Hindi and of those printed in bilingual form;

(c) the reasons for not translating or printing in bilingual form the rest of them; and

(d) when they are likely to be prepared in diglot form?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-**operation (Shri Arif Baig)**: (a) to (d): The number of manuals and forms prescribed by the Ministry for its internal use are 3 and 32 respectively, out of which 2 manuals have been printed in Hindi separately and 27 forms have been cyclostyled in diglot form. The number of manuals and forms in use in the Ministry but prescribed by other Ministries/Departments are 35 and 205 respectively, out of which 5 manuals and 73 forms have been printed in bilingual form. The work of translating and getting printed the manuals and forms is being done on a continued basis. Action is being initiated to translate and get printed in diglot from the remaining one manual and five forms prescribed by this Ministry.

Training Institutes Under the Ministry of Finance

10287. **Shri Nawab Singh Chauhan**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total number of training institutes under the Ministry and its attached and subordinate offices;

(b) the total number of courses run therein;

(c) the number among them in Hindi and English media separately; and

(d) the steps taken to run in Hindi medium the courses which are run in English medium at present?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) 9 (Nine).

(b) 171 (One hundred and seventy one).

(c) 28 courses are conducted through the English medium only, and the rest are conducted through the medium of Hindi and English. Sometimes, however, it becomes necessary to use Hindi medium mixed with technical terms in English.

(d) Endeavours are made to deliver lectures in Hindi, wherever possible. Its scope will further increase with the translation of laws, manuals, etc.

Use of Manuals and Forms in the Ministry of Finance

10288. **Shri Nawab Singh Chauhan**: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the total number of manuals and forms in use in his Ministry/Department;

(b) the number, out of them, translated into Hindi and of those printed in bilingual form;

(c) the reasons for not translating or printing in bilingual form the rest of them; and

(d) when they are likely to be prepared in diglot form?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) There are 26 Manuals and 228 Forms used in the Departments of the Ministry of Finance.

(b) Out of these, 11 Manuals and 110 Forms have been printed in bilingual form and 7 other Manuals and 67 Forms have been translated into Hindi.

(c) & (d): The rest of the Manuals and Forms are in the process of being translated into Hindi by the Central Translation Bureau in consultation with the Ministry of Law. These will be printed in bilingual form in due course.

Implementation of Provisions of Official Languages Act, 1968

10289. **Shri Nawab Singh Chauhan**: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether his Ministry/Department has informed its attached and subordinate offices of the provisions of Official Languages Act, 1968 and the rules made thereunder in June, 1976 and they have been asked to implement them;

(b) if so, whether the Ministry/Department have ensured full implementation of the above provisions and rules; and

(c) if not, the reasons therefor and steps being taken to ensure full implementation of rules relating to official languages?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) to (c): It is presumed that the Hon'ble Member has in mind the provisions of Official Languages Act, 1963 and the rules made thereunder. All the Attached and Subordinate offices of the Ministry of Finance have been informed of the provisions of the Act and the Rules made thereunder for implementing them.

All efforts are being made to ensure full implementation of the provisions of the Official Languages Act and the Rules made thereunder.

कनाडा से रेपसीड तेल का आयात

10290. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1969–73 में कनाडा से रेपसीड तेल के आयात के मामले की पूरी जांच करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) : कनाडा से रेपसीड तथा रेपसीड तेल के आयात से संबंधित भारत के महालेखा नियंत्रक तथा परीक्षक की वर्ष 1975–76 की रिपोर्ट के पैरा 26 पर लोक लेखा समिति ने अपनी बहत्तरवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि कनैडियन ऋण/अनुदान से कनाडा से रेपसीड तथा रेपसीड के तेल का आयात करने के सम्पूर्ण मामले में इस बात का निश्चय करने के लिए पूरी जांच करने की जरुरत है कि ये निर्णय कहां तक राज्य के बेहतर हित में थे। हाल में मिली रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

जीवन बीमा निगम में श्रेणी एक के अधिकारी

10291. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोरारका समिति ने यह सिफारिश की है कि जीवन बीमा निगम में श्रेणी एक के अधिकारियों की संख्या में कमी की जानी चाहिये क्योंकि श्रेणी एक के 25 प्रतिशत अधिकारी फालतू हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है या नहीं; और

(ग) इस समय श्रेणी एक के अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने फालतू है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मोरारका समिति ने यह मत व्यक्त किया था कि जीवन बीमा निगम में सभी वर्गों के लगभग 25 प्रतिशत कर्मचारी फालतू है और यह सिफारिश की थी कि निगम को काम का जायजा लेने के लिए और जिन सभी कामों का जायजा लिया जा सकता हो उनके मापदण्ड निर्धारित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं।

(ख) मोरारका समिति की इस सिफारिश पर सरकार ने विचार किया और सरकार ने जीवन बीमा निगम को यह सलाह दी कि कर्मचारियों के लिए काम के पर्याप्त मानदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिएं और इस बात को बराबर समीक्षा को जानो चाहिए कि कितने कर्मचारियों की जरूरत है। फालतू कर्मचारियों का प्रभावकारी ढंग से उपयोग किए जाने को सुनिश्चित व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए ताकी बढ़ते हुए कारबार के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता जहां तक सम्भव हो, ऐसे फालतू कमचारियों से पूरी की जाए और यह कि नई भर्ती कम से कम की जाए। जीवन बीमा निगम ने अपने प्रभागीय और शाखा कार्यालयों के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के लिए "कार्य मानदण्डों" की सिफारिश करने के लिए वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक की सेवाएं प्राप्त कीं। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को के संबंध में कर्मचारी निरीक्षण एकक ने केवल सहायक प्रशासनिक अधिकारियों, और शाखाओं तथा प्रभागीय कार्यालयों के मुख्य विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के काम का अध्ययन किया। प्रभागीय कार्यालयों के काम का विकेन्द्रीकरण करके कुछ कामों को शाखा कार्यालयों को दे दिये जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारियों और अधिकारियों के लिए जिन मानदण्डों की सिफारिश की गई थी, उनमें कुछ संशोधन करना जरूरी हो गया और जीवन बोमा निगम ने स्थिति का नए सिरे से अध्ययन करने के बाद उस फार्मूले में उपयुक्त संशोधन कराने के लिए, जिसको उन्होंने सिफारिश की थी, इस मामले को दोबारा उठाया। जीवन बीमा निगम को संशोधित फार्मुला पहली मई 1978 को मिल गया है।

(ग) इस समय प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 4225 है। निगम की एक समिति विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के बीच कुछ कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने के प्रश्न पर गहराई से अध्ययन कर रही है। फालतू अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो, अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ही तय की जा सकती है।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को दिये गये ऋणों के बारे में जांच करने के लिए एक सदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

10292. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को दिए गए ऋणों के बारे में जांच करने के लिए एक सदस्यीय जांच समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) इस समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(ग) इस समिति के निष्कर्षों के आधार पर किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है; और

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक इन ऋणों के लेन-देन के मामले में किसी प्रकार सम्बद्ध रहा है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) : सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा कोहिनूर मिल्स लि० को स्वीकृत किये जाने वाले ऋण तथा अन्य सुविधाओं के बारे में गठित एक-सदस्यीय समिति को रिपोर्ट, सरकार को प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है तथा रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सदन को सूचित कर दिया जाएगा।

Schemes Submitted by Monopoly Houses for development of Backward Areas

10293. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether some monopoly houses have submitted to the Government some schemes for development of backward areas; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) & (b) : In the light of the revised industrial licensing policy announced by the Central Government in February, 1973, the term 'monopoly houses' mentioned in the Question is taken to refer to those undertakings registered under section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, which by themselves or together with their inter-connected undertakings, have assets of not less than Rs. 20 crores thereby attracting the provisions of section 20(a)(i) or (ii) of the said Act.

Applications for approval of programme of rural development have been received from several companies belonging to the above category. These applications are considered by the prescribed authority and appropriate programmes of rural development approved in accordance with the provisions of section 35CC of the Income-tax Act, 1961. In some cases the applications have been rejected as the programmes were not found to be consistent with the scheme of section. 35CC of the Income-tax Act, 1961.

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् की 'नीति' (स्ट्रैटेजी)

10294. **श्री के० राममूर्ति :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् की उन छोटे इंजीनियरी एककों तथा मध्यम आकार के एककों का उत्पादन क्षमता तथा तकनीकी योग्यता का उपयोग करने के बारे में 'नीति' का ब्यौरा क्या है जिनका सीधे निर्यात में कुल निर्यात का मुश्किल से 10 प्रतिशत योगदान रहा है; और

(ख) 'टर्न की' परियोजनाओं तथा पूंजीगत माल निर्यातों के बारे में जिनका योगदान कुल निर्यात का 33 प्रतिशत है, 'नीति' क्या है और केरिबियन तथा मध्य अमरीका सहित पूर्वी पश्चिमी तथा उत्तर अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा मध्य अमरीका में एटलांटिक क्षेत्र में नई मण्डियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) छोटे और मझोले आकार के इंजीनियरी कारखानों की उत्पादन क्षमता और तकनीकी सामर्थ्य जुटाने के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) परिषद के मुख्य कार्यालय में और क्षेत्रीय कार्यालयों में लघु प्रकोष्ठों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। परिषद का विचार है कि वह अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्र अधिकारी रखे जो महत्वपूर्ण केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे, सक्षम कारखानों का पता लगायेंगे और उनको सलाह देंगे।

(ii) जिन महत्वपूर्ण उत्पादक केन्द्रों में छोटे कारखानों का जमाव है, उनकी निर्यात संभाव्यता के बार में जानकारी उपलब्ध की जायेगी।

(iii) एक जैसे विचार वाले उत्पादकों के छोटे सार्थसंघों के बनाये जाने को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(iv) छोटे कारखानों को तकनीकी तथा क्वालिटी नियंत्रण सुविधायें दी जायें ताकि वे विदेशों के विशिष्ट विवरणों के अनुसार माल तैयार कर सकें।

(v) परिषद के प्रतिनिधि मण्डलों, बिक्री तथा अध्ययन दलों में छोटे कारखानों के समूहों/सार्थसंघों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(vi) छोटे कारखानों के उत्पादों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करने के प्रयास दिये जायेंगे।

(ख) परिषद ने पूंजीगत माल और टर्न की परियोजनाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय आरंभ किये हैं :—

(i) परियोजना निर्यातों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श करने और उन्हें हल करने के उपायों पर सुझाव देने के लिए दिल्ली में 28 और 29 मार्च 1978 को परिषद द्वारा टर्न की परियोजनाओं के निर्यात के बारे में वर्कशाप आयोजित की गई। वर्कशाप द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति गठित की जा रही है।

(ii) दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और कुछ आफ्रिकी देशों में विकास कार्यक्रमों, टेण्डरों/विशिष्ट विवरणों के बारे में जानकारी एकत्र करने और उसे भावी निर्यातकों को वितरित करने के लिए परिषद द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

(iii) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने परियोजना निर्यातों के परवीक्षण के लिए कार्रवाई आरम्भ की है ताकि कठिनाइओं का पता लग सके और उपयुक्त उपचार किया जा सके।

छापों के बारे में बरामद हीरे और सोने के जेवरात

10295. **प्रसन्नभाई मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च और एप्रैल, 1978 में विभिन्न राज्यों में मारे गए छापों में बड़ी मात्रा में हीरे और सोने के जेवरात बरामद किये गये थे ;

(ख) यदि हां तो कितने राज्यों में ;

(ग) कुल कितने छापे मारे गये और उनमें सोने के कितने जेवरात और भारतीय तथा विदशी मुद्रा बरामद की गई ;

(घ) क्या सरकार ने बरामद की गई वस्तुओं के निपटान के तरीके के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का कब तक निर्णय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) : प्राप्त रिपोर्टों से, वर्ष 1978 के मार्च तथा एप्रैल महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों में मारे गये छापों में बड़ी मात्रा में हीरे तथा सोने के आभुषण पकड़े जाने के बारे में कोई संकेत नहीं मिलता है।

(ग) आयकर प्राधिकारियों ने वर्ष 1978 के मार्च और एप्रैल के महीनों के दौरान 100 मामलों में तलाशी लेने तथा माल पकड़ने का कार्रवाई की जिसके कारण लेखा पुस्तकों आद के अलावा 24.5 लाख रु० की नकदी, 9.64 लाख रु० मूल्य के आभुषण तथा 30 लाख रु० से अधिक मूल्य की अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी।

प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 1978 के मार्च महीने के दौरान 45 तलाशियां ली और 693 रु० की भारतीय मुद्रा तथा लगभग 15,524 रु० के बराबर की विदेशी मुद्रा पकड़ी। अप्रैल 1978 से सम्बन्धित सांख्यिकीय आंकड़े अभी एकत्र नहीं किये गये हैं।

स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के सम्बन्ध में ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सदन पटल पर रख दिये जायेंगे।

(घ) पकड़ी गयी वस्तुओं की बिक्री उन विभिन्न कानूनों के अनुसार की जाती है जिनके अन्तर्गत वे वस्तुएं पकड़ी जाती हैं। आयकर के मामले में ऐसी तलाशी के बाद, जिसमें मुल्यवान परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती हैं, सबसे पहले अघोषित आय का सरासरी तौर पर अनुमान लगाया जाता है और पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों के उतने भाग को रोक रखने के लिए, जितना अनुमानित अघोषित आय पर (ब्याज एवं दंड सहित) कर की कुल देनदारी तथा मौजूदा देनदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाय, माल पकड़ने की तारीख से 90 दिनों के अन्दर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत आदेश जारी किया जाता है। उसके बाद नियमित कर निर्धारण करने की कार्यवाही की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो अर्थदंड लगाने की कार्यवाही शुरु की जाती है। सीमाशुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत पकड़े गये माल के सम्बन्ध में कार्यविधि यह है कि यदि माल पकड़ने के बाद की जाने वाली जांच-पड़ताल से सम्बन्धित अधिनियमों का किसी प्रकार उल्लंघन होने का संकेत मिलता हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और मामले पर न्यायनिर्णय किया जाता है तथा उसके बाद प्रत्येक मामले में कानून के अनुसार और न्यायनिर्णय करने वाले प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार माल की बिक्री की जाती है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पकड़ी गई मुद्रा, जांच पड़ताल/न्यायनिर्णय की कार्यवाही पूरी होने के बाद फरोक्त की जायगी।

विश्व बैंक से सहायता

10296. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री आर० व्ही० स्वामीनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने 1978-79 में भारत को भारी राशि की सहायता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा अब तक कितना ऋण मंजूर किया गया है;

(ग) 1978 में विश्व बैंक ने किन परियोजनाओं का आरम्भ करना स्वीकार किया है, और

(घ) क्या यह ऋण गत वर्ष की तुलना में अधिक होगा या कम ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (घ) : विश्व बैंक समूह द्वारा उनके 1979 के वित्त वर्ष (अर्थात् 1 जुलाई 1978 से 30 जून 1979 तक) म भारत को दी जाने वाली नई सहायता के लिए वचनों का संकेत जून 1978 में होने वाली भारत सहायता संघ की बैठक के बाद ही मिलने की आशा है। जुलाई, 1977 को हुई भारत सहायता संघ की पिछली बैठक में विश्व बैंक समूह ने अपने 1978 के वित्त वर्ष में भारत को 110 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता का वचन दिया था।

(ग) कृषि, सिंचाई और विद्युत के क्षेत्रों की बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी विश्व-बैंक समूह द्वारा वित्त व्यवस्था किये जाने का विचार है किन्तु इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को अन्तिम रूप बैंक के 1979 के वित्त वर्ष में ही दिया जायेगा।

अभ्रक के उत्पादों पर अधिक निर्यात शुल्क

10297. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा राइस बायलर प्लेटर जैसे अभ्रक उत्पादों का निर्यात अनुचित रूप से अधिक निर्यात शुल्क लगाकर रोक दिया गया है और इसके लिए उसने यह तर्क दिया है कि उनके निर्यात में जिस अभ्रक का उपयोग किया जाता है, उससे वस्तुतः ऊंचे ग्रेड के अभ्रक का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर निर्यात-शुल्क की सही मात्रा का निर्धारण करने के लिये अभ्रक उद्योग के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल करके एक समिति नियुक्त करने का सरकारी प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य क्या उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सम्भवतः प्रश्न का संकेत, कलकत्ता पत्तन के जरिये राइस बायलर मायका प्लेटों के निर्यात के कुछ मामलों की ओर है, जिनमें निर्यात किये जाने वाले माल का न्यून-मूल्य घोषित किया गया पाया गया था। निर्यातकर्ताओं के खिलाफ सीमाशुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दांडिक कार्यवाही की गयी थी और घोषित मूल्य को शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया गया था। एक मामले में निर्यातकर्ता के मूल्य की नामंजूरी के खिलाफ और उसके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही के खिलाफ दायर की गयी अपील भी सीमाशुल्क अपीलीय समाहर्ता द्वारा नामंजूर कर दी गयी थी। निर्यातकर्ता ने जुर्माना और निर्धारित मूल्य पर शुल्क अदा करने के बाद माल का निर्यात किया था। एक दूसरे मामले में निर्यातकर्ता ने कोई अपील दायर नहीं की और सीमाशुल्क विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य पर शुल्क और उस पर लगाये गये जुर्माने की अदायगी करने के बाद माल निर्यात किया।

(ख) और (ग) : यह प्रश्न नहीं उठते।

Outstanding Loans of Industrial Finance Corporation of India

10298. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of industries and companies against which loans of the Industrial Finance Corporation of India are outstanling for the years 1974-75; 1975-76, 1976-77 and 1977-78 with the amount outstanding; the number of industries from which recovery of loan appears to be impossible and how many of them have been liquidated completely indicating the amount of loan realised out of the loan advanced;

(b) the amount of loan and grant given by the above Corporation to each firm and inlustry and whether some fake and bogus industries also came to Government's notice which existed in papers only and if so, the nature of action taken against them so far; and

(c) whether loan obtained in the names of companies and industries was utilised for other purposes; if so, the number of such companies came to Government notice and the action taken against them?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) to (c): Information is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

सामान्य बीमा निगम द्वारा मैसर्स मफतलाल और टाटा कम्पनी के संगणकों का प्रयोग किया जाना

10299. **श्री राजाराम शंकरराव माने :**

श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य बीमा निगम ने मैसर्स मफतलाल, टाटा कम्पनी और कम्प्यूट्रोनिक्स के निजी संगणकों का प्रयोग अपना काम करने के लिये किया था ;

(ख) सामान्य बीमा निगम का काम करने के लिये उपर्युक्त कम्पनियों को कुल कितनी राशि दी गई ;

(ग) इस कार्य को करने के लिए कागज, स्टेशनरी आदि पर कितना खर्च हुआ ; और

(घ) क्या सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) : और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम ने कम्प्यूट्रोनिक्स इंडिया को सेवाओं का इस्तेमाल किया था और उसे 20,000 रूपए की रकम दी थी। निगम की दो सहायक कम्पनियों अर्थात ओरियेंटल फायर ऐण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मफतलाल की और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टाटा की सेवाएं प्राप्त की और उन्हें क्रमश: 2,40,000 रूपए और 5,237 रूपए अदा किये थे।

(ग) उक्त अदायगी में कागज और लेखन सामग्री का खर्च शामिल है।

(घ) चूंकि भारतीय साधारण निगम को अन्तर्नियमावली की शर्तों के अनुसार निगम को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों अथवा कम्पनी को जिसने इसके लिए काम किया हो अथवा करना हो पारिश्रमिक देने का अधिकार है इसलिए उसे इस प्रयोजन के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

12—154 LSS/ND/78

Increase in Foreign Exchange Reserves After Release of Smugglers

10300. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange reserves taken over by Janata Government from the previous Government;

(b) whether there has been some increase in these reserves, especially after the release of smugglers; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) India's foreign exchange reserves at the close of 23rd March, 1977 stood at Rs. 2790.6 crores.

(b) & (c) : India's foreign exchange reserves have shown substantial increases since then, and these amounted to Rs. 4730.3 crores on 5th May, 1978. It is not possible to isolate the extent of contribution to reserves by any single factor, since charges in foreign exchange reserves represent the net outcome of the external transactions of the country.

बैंकों में प्रचुर राशि का जमा होना

10301. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 11 अप्रैल, 1978 के 'इकोनामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि बैंकों में प्रचुर मात्रा में धनराशि जमा हो रही है ;

(ख) क्या सरकार इसे अस्थायी बात मानती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अग्रिम ऋणों पर बैंकों द्वारा वसूल की जानेवाली ब्याज की ऊंची दरों में और कमी की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) ब्याज दर ढांचा समग्र ऋण नीति का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी समीक्षा निरन्तर की जाती है।

सरकारी व्यय में मितव्ययता लाने के लिए उपाय

10302 : **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री जी० एस० रेड्डी :
श्री यशवन्त बोरोले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी व्यय को कम करने के लिए उनके मंत्रालय ने हाल ही में और उपाय किए हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बड़ी संख्या में फालतू सरकारी कर्मचारियों की संख्या का पता चलेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सरकारी कर्मचारियों को कोई वैकल्पिक तथा उत्पादन कार्य दिए जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे मितव्ययिता और सभी प्रकार के साज-सज्जा का परिहार करने के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए बल को ध्यान में रखते हुए व्यय में अधिकतम किफायत करें। 17 जून, 1977 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 902 के उत्तर में वित्त सचिव के 13-5-77 के अर्द्ध सरकारी पत्र और इस मंत्रालय के 27-5-77 के कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां पहले ही सभा पटल पर रख दी गयी हैं।

(ख) से (घ) : उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप कुछ मंत्रालयों/विभागों में कुछ कर्मचारी फालतू हो जाएंगे, और उन्हें भविष्य में खाली होने वाले पदों पर रख लिया जाएगा।

अमरीकी डालर के मुकाबले में रुपये की स्थिति सुदृढ़ करना

10303. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1978 में भारतीय रुपये की स्थिति अमरिकी डालर के मुकाबले में कमजोर पडती जा रही है ;

(ख) क्या ऐसा भारतीय निर्यात माल को जहाजों पर तुरन्त लदान के कारण हो रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो रुपये की स्थिति कमजोर पड़ने के अन्य कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या रुपये की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) : पिछले महीने की तुलना में, अप्रैल, 1978 में अमरीकी डालर के मुकाबले में रुपए की स्थिति कुछ कमजोर हो गई।

विनिमय दरों की स्वतः निर्धारण की अबाध स्थिति में मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव होना स्वाभाविक है। 1978 की पहली तिमाही में संयुक्त राज्य अमरीकी डालर के मूल्य में, कई करेंसियों के मुकाबले, जिसमें, भारतीय रुपया भी शामिल है, कमी हुई थी। फिर भी, अप्रैल के शुरु से संयुक्त राज्य अमरीकी प्रशासन के द्वारा डालर के समर्थन के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरुप डालर क मूल्य में कुछ सुधार हुआ। इस प्रकार रुपया-डालर विनिमय दर में अप्रैल 1978 में हुई घटबढ़ डालर के मूल्य में हुए सुधार की अधिक और रुपए कीं कमजोरीं की कम द्योतक है। इसलिए रुपए की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

अहमदाबाद में राष्ट्रीयकृत बकों में गबन तथा दुर्विनियोग

10304. **श्री अहसान जाफ़री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में गत पांच वर्षो के दौरान गबन तथा दुर्विनियोग के कितने मामले हुए और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस गबन तथा दुर्विनियोजन को लेकर न्यायालयों में कितने मुकदमे दायर किये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) गत चार वर्षो के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंको में गबन द्विनियोग से सम्बधित सूचना नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगीं बैंक			राष्ट्रीयकृत बैंक		
	धोखाधड़ी की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रु० में)	वसूल की गई राशि (लाख रु० में)	धोखाधड़ी की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रु० में)	वसूल की गई राशि (लाख रु० में)
1974	2	2.16	..	3	0.10	..
1975	1	1.19	..	16	1.97	0.05
1976	5	2.73	1.67	20	3.08	0.29
1977	5	0.1-4	..	11	2.07	500/ रु०

(ख) 4 मामलों में न्यायालम में मुकदमे दायर किये गये है।

(ग) सभी बैंको की अपनी-अपनी निर्देश पुस्तके हैं जिनमे धोखाघडी रोकने के लिए की जाने वाली सावधानियों और सुरक्षाओं के बारे में बताया गया है और उनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। धोखाघडी के अलग अलग मामलों में सामान्य आन्तरिक नियंत्रण के पालन में असफलता के स्वरुप को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिझर्व बैंक समय समय पर बैंको को व्यापक निर्दोष जारी करता है जिसे धोखाघड़ी के क्षेत्र और स्वरुप तथा धोखाघड़ी रोकने के लिये की जाने वाली सुरक्षाओं के बारे में बताया जाता है।

अहमदाबाद में राष्ट्रीयकृत बंकों की शाखाये

10305. **श्री अहसान जाफरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद शहर में राष्ट्रीकृत बैंकों की कितनी शाखाएं काम कर रही हैं;

(ख) उनमें कितने गैर-सरकारी भवनों में चल रही हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा अहमदाबाद में गैर-सरकारी भवनों के मालिकों को किराये के रुप में कितनी धनराशि दी गई है और तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त उत्तरों पर आधारित ब्यौरा अनुबन्ध में दिया जा रहा है।

विवरण

अहमदाबाद शहर में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालयों की कुल संख्या, गैर सरकारी भवनों में स्थित कार्यालयों की संख्या, गैर सरकारी मकान मालिकों को प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दिये गये किराये की राशि विषयक ब्यौरा

क्रम सं०	बैंक का नाम	कार्यालयों की संख्या	गैर सरकारी भवनों में स्थित कार्यालयों की संख्या	प्रतिमास दिये गये किराये की कुल राशि	सम्बन्धित कोई अन्य सूचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	स्टेट बैंक आफ इंडिया	44	44	1,33,937.66*	*करों समेत
2	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	3	3	3,861.00	
3	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	शून्य	लागू नहीं होता		
4	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1	1	7,001.00*	*करों समेत
5	स्टेट बैंक आफ मैसूर	शून्य	लागू नहीं होता		
6	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	शून्य	लागू नहीं होता		
7	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	7	7	18,269.05	
8	स्टेट बैंक आफ पटियाला	शून्य	लागू नहीं होता		
9	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	22	18	36,531.34	
10	बैंक आफ इण्डिया	31	25	58,787.38	
11	पंजाब नेशनल बैंक	11	11	21,883.00	
12	बैंक आफ बड़ौदा	38	38	1,25,631.03	
13	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	17	16	50,643.00*	*करों समेत
14	केनरा बैंक	11	4	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
15	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	7	6	11,340.00	
16	देना बैंक	34	30	37,767.00	
17	सिंडीकेट बैंक	10	8	22,318.00	
18	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	20	20	59,234.49*	*करों समेत
19	इलाहाबाद बैंक	4	4	12,406.00*	*तदैव
20	इण्डियन बैंक	6	6	14,328.00*	*तदैव
21	बैंक आफ महाराष्ट्र	3	3	8,175.00	
22	इण्डियन ओवरसीज बैंक	7	7	31,218.00	

अभारतीय निवासियों को कच्चा माल आयात करने की सुविधा

10306. **श्री के० लकप्पा : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि अभारतीय निवासियों को आयातित मशीनरी के बदले में कच्चे माल का आयात करने की सुविधा उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि किसी मशीनरी का आयात नहीं किया गया परन्तु एक फार्मास्यूटीकल कम्पनी को 5 लाख रू० के कच्चे माल को आयात करने की अनुमती दी गयी ;

(घ) यदि हां, तो कम्पनी का नाम क्या हैं और उसके क्या कारण है ; और

(ङ) इस प्रकार के अन्य कितने मामले है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते ।

मद्य निषेध उपायों स पर्यटक यातायात में कमी होना

10307. **श्री के० लकप्पा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि देश में मद्य-निषेध उपाय करने के कारण गत एक वर्ष में पर्यटक यातायात में कमी हुई है ;

(ख) गत दो वर्षों मे छमाहीवार पर्यटक यातायात के पृथक-पृथक आंकडे क्या है ;

(ग) क्या मद्य निषेद नीति के कारण इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा भारत आने वाले पर्यटको, विशेषकर नेपाल सहितं पड़ौसी देशों से भारत आनेवाले पर्यटकों की संख्या में भी कमी हो रही है ;

(घ) गत दो वर्षों में एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कितने-कित पर्यटक आये ; और

(ङ) उपर्युक्त स्थिति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। 1976 में भारत आय 533,951 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटोकों के मुकाबले में गतवर्ष 640,422 पर्यटक भारत आये और इस प्रकार गतवर्ष 19.9% की वृध्दी हुई ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर की अवधियों में भारत आये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात के आंकडे नीच दिये गय है :—

	1976	1977
(i) जनवरी से जून तक	236,822	282,449
(ii) जुलाई से दिसम्बर तक	297,129	357,973

(ग) जी नहीं।

(घ) गत दो वर्षों के दौरान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों द्वारा भारत आये पर्यटकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गयी है :—

	1976	1977
एयर इंडिया	121,985	127,531
इंडियन एयरलाइन्स	46,894	48,131

(ङ) हाल ही में सरकार द्वारा घोषित की गयी मद्यनिषेध नीती के परिणामस्वरूप गत एक वर्ष मे भारत आनवाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है।

अमरीका स्थित एयर इंडिया के चीफ एक्जीक्यूटिव द्वारा अमरीकी नागरिकता ग्रहण करना

10308. **श्री के० लकप्पा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका स्थित एयर इंडिया के वर्तमान चीफ एक्जीक्यूटिव ने अमरीकी नागरिकता ग्रहण कर ली है और उनके द्वारा कुछ और कारोबार किये जाने के कारण वह एयर इंडिया के मामलों पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : एयर इंडिया के यू० एस० ए० तथा कनाडा स्थित क्षेत्रीय निदेशक, श्री पी० एफ० मेहता ने अमरीका की राष्ट्रिकता ग्रहण कर ली है। रिकॉर्ड मे ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे पता चलता हो कि श्री मेहता के यू० एस० ए० में कोई अन्य व्यावसायिक हित है। एयर इंडिया इस बात से संतुष्ट है कि श्री मेहता कारपोरेशन के हित में ही कार्य कर रहे है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायतों का दूर किया जाना

10309. **श्री रामानन्द तिवारी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम में पर्यवेक्षी पदों के सम्बन्ध में अधिक्रमण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने अधिकारियों का अधिक्रमण किया गया है ;

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के अधिक्रमण के क्या कारण और आधार है ; और

(घ) क्या कर्मचारियों में भविष्य में होने वाले संघर्ष से बचने के लिए सरकार का इरादा उन वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायते दूर करने का है जिसका अधिक्रमण कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि और लघु उद्योगों को ऋण ब्याज दर के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदश

10310. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कृषि और लघु उद्योगों के ऋणों के लिये ब्याज दर को सीमित कर देने के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंको को हाल ही मे निदेश दिए है;

(ख) यदि हा, तो यह उद्योग कौन से है और कितने लाभ की योजना बनाई गई है;

(ग) क्या इस निर्णय से देश की सरकारी ऋण व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हा, तो बहुत से सहकारी ऋण बैंकों की रक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या सावधानी बरती है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने हालही में वाणिज्य बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सलाह भी दी है :—

छोटे पैमाने के उद्योग :

बैंकों से कहा गया है कि वे (1) ऋण गारन्टी योजना के अर्न्तगत व्याप्त छोटे पैमाने के एककों और विशेष गारन्टी योजना द्वारा व्याप्त तकनीकी उद्यमियों द्वारा प्रोत्साहित एककों; और (2) छोटे सड़क परिवहन परिचालकों ; और (3) पिछड़े जिलों के निर्दिष्ट क्षेत्रों मे छोटे एककों को 1-1-78 के बाद से मंजूर किये जाने वाले, 3 वर्ष से अधिक की अवधि वाले सावधिकऋणों पर 11 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर वसूल न करें।

कृषि :

(i) सावधिक ऋण

बैंकों को किसानों से (क) छोटी सिंचाई और भूमि विकास के लिए 3 वर्ष से अधिक के सावधिक ऋणों पर 10.5 प्रतिशत से अनधिक; और (ख) डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागवानी आदि सहित विविधीकृत प्रयोजनों के लिए 3 वर्ष से अधिक के सावधिक ऋणों पर 11 प्रतिशत से अनधिक ब्याज की दर वसूल करने के लिए कहा गया है।

(ii) छोटे किसानों को ऋण

1-1-78 के बाद से छोटे किसानों को दिए जाने वाले 2500 रुपये तक के अल्पकालिक, मध्यकालिक अथवा दीर्घकालिक अलग-अलग ऋणों पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत से अधिक नहीं वसूल की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) : जहा तक सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है, इस निर्देश का प्रभाव उनके 3 वर्ष से अधिक के मध्यकालिक ऋणों और 2500/- रुपयें से कम के अल्पकालिक ऋणों तक ही सीमित है। मध्यकालिक ऋण सहकारी बैंकों के ऋणों की कुल बकाया राशि का केवल 10 प्रतिशत ही बैठते है। जहां तक अल्पकालिक ऋणों का प्रश्न है, इस निर्देश के जारी होने से पहले ही सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंक 2500/- रुपये तक के ऋणों पर 11 प्रतिशत तक की रियायती ब्याज दर वसूल कर रहें है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को अल्पकालिक कृषि ऋणों के लिए दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता की ब्याज दर हाल ही में घटाकर बैंक दर से 3 प्रतिशत कम और मध्यकालिक कृषि ऋणों पर ब्याज दर घटाकर बैंक दर से $2\frac{1}{2}\%$ प्रतिशत कम कर दी गई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सहकारी समितियों को अपनी नीति में इस प्रकार का परिवर्तन करने के लिए विवश किया गया है जो उनके हितों के विरुद्ध दिखाई पड़ता है।

वाणिज्यिक बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे सहकारिताओं सहित किसी भी ऋण संस्था का ऋण न चुका पाने वाले व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान न करें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी व्यक्ति को ऋण प्रदान करने से पहले सम्बधित समिति से "बेबाकी प्रमाण-पत्र" प्राप्त कर लें।

द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों के लिए छुट्टी रिजर्व पदों की मंजूरी

10311. **डॉ० वसन्त कुमार पंडीत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम श्रेणी के आयकर अधिकारियों के संवर्ग में 100 "छुट्टी रिजर्व" पदों की मंजूरी दी गई थी जबकि द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों के संवर्ग में ऐसे किन्हीं पदों की मंजूरी नहीं दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों के संवर्ग में "छुट्टी रिजर्व" पद मंजूर न करने के क्या कारण है और ये पद कब तक मंजूर कर दिये जायेंगे; और

(ग) क्या सरकार महसूस करती है कि द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों के संवर्ग में ऐसी नियुक्ति से काम बेहत्तर ढंग से किया जाएगा और निपटाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारुल्ला): (क) तथा (ख) : आय-कर-अधिकारियों श्रेणी-I (कनिष्ट वेतन-मान) के एक सौ पदों की अगस्त 1977 में छुट्टी-रिजर्व पद के रूप में मंजूर किया गया था। आय-कर-अधिकारियों, श्रेणी-II, के संवर्ग में दिसम्बर 1975 तक 135 छुट्टी रिजर्व पद थे, जब उन सभी पदों को ड्यटी पदों में बदला गया था। आय-कर-अधिकारियों, श्रेणी-II, के संवर्ग में नये सिरे से छुट्टी-रिजर्व पदों की मंजूरी के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) आय-कर-अधिकारियों, श्रेणी-II, के संवर्ग में छुट्टी-रिजर्व की व्यवस्था करने से यह संभावना है कि आय-कर-विभाग में काम का बेहतर और अधिक निपटान होगा।

उत्पादकता, कुशलता और लाभप्रदता के बारे में अध्ययन दल द्वारा रिपोर्ट पेश किया जाना

10312. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग के लिए नियुक्त किए गए उत्पादकता, कुशलता और लाभप्रदता (पी० ई० पी०) के अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उत्पादकता, कुशलता और लाभप्रदता के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकट किये गये विचारों का अध्ययन कर लिया हैं; और

(ग) क्या उत्पादकता, कुशलता और लाभप्रदता सम्बन्धी प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण सिफारिशों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय लिया हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1976 में, वाणिज्यिक बैंकों में उत्पादकता, कार्यक्षमता तथा लाभ प्रदता के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आन्तरिक समिति की नियुक्ति की थी जिसके सदस्य रिजर्व बैंक के ही अधिकारी थे। इस समिति ने जो कि "पी० ई० पी० कमेटी" कहलाती है। अक्टूबर, 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिजर्व बैंक जहा आवश्यक है, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संबंधित एजेन्सियों अर्थात् नेशनल इन्सटिट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट तथा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से विचार विमर्श कर समिति द्वारा दी गयी सि ारिशों पर विचार कर रहा हैं।

(ख) सरकार को "पी० ई० पी० कमेटी" की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के बारे में, समाचारपत्रों द्वारा प्रकट किये गये विभिन्न विचारों की जानकारी हैं।

तांबे की कमी

10313. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों में छोटे पैमाने के उद्योगों को तांबे की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) ने तांबे की सप्लाई के लिए छोटे पैमाने के एककों से महीनों पहले धन एकत्र कर लिया था;

(ग) क्या आल इंडिया स्माल स्केल केबल एंड कण्डक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स ऐसोसियेशन ने उक्त सम्बन्ध में सरकार से शिकायत की है ;

(घ) क्या कई सरकारी उपक्रमों ने उनके उत्पादों के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों को आर्डर दिये है और तांबे की सप्लाई में विलम्ब के कारण ये एकक "दंड खंड" के अन्तर्गत आ जायेंगे ;

(ङ) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिए सरकार ने खनिज त ा धातु व्यापार निगम के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(च) तांबे की कम साप्लाई के क्या कारण हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (च) : एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

(क), (ख) तथा (च): 1977–78 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार खनिज तथा धातु व्यापार निगम को बांईडिंग वायर, कम्प्युटेटरों और दूर संचार तथा स्विच बोर्ड वायर तथा केबलों के उत्पादन में लगे उद्योगों को तांबा सप्लाई करना था। अन्य सभी उद्योगों को अपने लिए माल मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लि० से प्राप्त करना था।

दिसम्बर 1977 से हिन्दुस्तान कापर लि० के संयत्रों में उत्पादन की कठिनाइयों के कारण जितने तांबे की पूर्ति सामान्त : उन्हें करनी थी, उसकी पूर्ति करने का काम खनिज तथा धातु व्यापार निगम को दे दिया गया। बाद म खेतड़ी में मजदूरों की हड़ताल तथा वार्षिक रख-रखाव के लिए हिन्दुस्तान कापर लि० के घाटसिलाकारखाने के बंद किए जाने से सभी उद्योगों की लगभग सम्पूर्ण मांग की पूर्ति करने का काम अकस्मात खनिज तथा धातु व्यापार निगम पर आ गया।

दिसम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तत्परता से पुरी मात्रा में की। 1 मार्च, 1978 की आवश्यकताओं के लिए भी जिन आबंटियों ने 29 मार्च, 1978 तक वित्त व्यवस्थाएं की, उन्होंने बिना विलम्ब पूरा माल प्राप्त किया हैं। जिन आबंटियों ने वर्ष के अंत में 30 और 31 मार्च 1978 को वित्तिय व्यवस्थाएं कीं, उनके सम्बन्ध में केवल दिल्ली के गोदाम से माल सप्लाई करने में कुछ विलम्ब हुआ। दिल्ली में तांबे की अस्थाई कमी के कारण ये थे :—

(i) कलकत्ता में माल का देरी से आना, जहां से रेल के द्वारा दिल्ली को माल भेजा जाना था और (ii) कुछ समय के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा बुकिंग प्रतिबंधों का लगाया जाना। दिल्ली में उपलब्ध स्टाक के आधार पर सुपुर्दगी आर्डर इस बीच यथानुपात आधार पर जारी किये गये हैं और शेष माल उन डेपों में से दिया जाएगा जो कलकत्ता से आ रही हैं।

(ग) सरकार को अखिल भारतीय लघु केबल तथा कंडक्टर विनिर्माता एसोसिएशन द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन की जानकारी नहीं हैं।

(घ) विकास आयुक्त, लघु उद्योग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या किन्ही सरकारी प्रतिष्ठानों के लघु उद्योगों को उनके उत्पादों के लिए आर्डर दिये हैं और तांबे की सप्लाई में देरी के कारण ये कारखाने अर्थ दंड सम्बन्धि खंड के अन्तर्गत आयेंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Beautification of Places of Historical Importance in Madhya Pradesh

10314. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there are several beautiful spots and places of historical and archaeological importance in Madhya Pradesh like Dashpur (Mandsaur)/Bhadaghat (Jabalpur), Udaigiri (Vidisha), etc. which can be developed as tourism centres and whether the existing centres can also be developed further; and

(b) Government's policy as well as steps taken in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) Yes, Sir.

(b) With the object of developing existing tourist centres and identifying new centres of tourist interest which can be considered for development, the Central Department of Tourism had recommended to the State Governments to prepare perspective plans for preparing a shelf of schemes.

The perspective plan prepared by the Madhya Pradesh Government has been received. The proposals contained therein will be discussed at the time of finalising the tour sector of the State Five Year Plan 1978-83 in the Planning Commission when the schemes to be taken up in the Central and the state sectors will be determined depending upon the resources made available.

Difference Between H.R.A. Admissible to Central Government Employees and Employees of Other Sectors

10315. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is great difference in the house rent allowance admissible to Central Government employees and the employees working in private sector, life Insurance Corporation, nationalised banks and other bodies as a result of which there is great discontentment among Government employees;

(b) if so, the rates at which house rent allowance was admissible in various Sectors as on 31st March, 1978; and

(c) whether Government have any such proposal under their consideration under which the difference between the house rent allowance admissible to Government employees and the employees in other sectors may be reduced ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) : A statement giving information regarding rates of House Rent Allowance as on 31-3-78 payable to Central Government employees, employees of the Public Sector Undertakings, Life Insurance Corporation and Nationalised Banks is annexed. It will be observed that different rates of House Rent Allowance are payable to the Central Government employees on the one hand and the employees of the Public Sector Undertakings, Life Insurance Corporation and Nationalised Banks on the other. The Government do not have information regarding the rate of H.R.A. payable in the private sector. Representations have been received from time to time for enhancement of H.R.A. rates for the Central Government employees posted at some classified cities.

(c) Payment of H.R.A. to the Central Government employees is based on the recommendations of the Third Pay Commission. The Commission did not accept the demand for parity between Central Government employees and the employees of the public sector undertakings in the matter of House Rent Allowance. The Pay Commission had recommended certain alternative measures to improve the rates of H.R.A. payable to the Central Government employees, but the Government did not find it possible to adopt them keeping in view the administrative difficulties and financial implecations. There is no proposal at present to enhance House Rent Allowance in the case of Central Government employees.

Statement

Rates of House Rent Allowance admissible to Central Government employees, employees of Public Sector Undertakings, Life Insurance Corporation, and Nationalised Banks are as follows:—

(1) Central Government employees working in classified cities/towns:—

Class of city/towns	Rates of H.R.A.
'A', 'B-1' and 'B-2' classes	15% of pay subject to a maximum of Rs. 400/- p.m.
'C' class . . .	7½ % of pay subject to a maximum of Rs. 200/- p.m.

Statement—Contd.

(2) H.R.A. rates in Public Sector Undertakings are broadly as follows:—

Delhi and Bombay ('A' class cities)	30% of pay
Calcutta, Madras and Hyderabad ('A' class cities)	25% of pay
'B-1' and 'B-2' class cities .	15% of pay
Other stations . . .	7½ % of pay

(3) H.R.A. rates in Life Insurance Corporation of India :—

(i) Class I Officers . .	15% of pay subject to a minimum of Rs. 75 and a maximum of Rs 350/-
(ii) Class II (Development) Officers	
(a) For those drawing pay upto Rs. 750/-	15% of pay subject to a minimum varying from Rs. 25 to Rs. 75 according to pay
(b) For those drawing pay above Rs. 750/-	10% of the first Rs. 750/- of pay and 10% of excess pay over Rs. 750/-
(iii) Class III (Clerical and Supervisory) and Class IV (Subordinate) Staff.	10% of pay (including special pay) with a minimum of Rs. 28/- p.m. in the case of Class III employees and a minimum of Rs. 22/- p.m. in the case of Class IV employees subject to a maximum of Rs. 40/- in either case.

(4) H.R.A. rates in nationalised banks:—

(i). Officers :

The basis of payment of House Rent Allowance to officers in the nationalised banks is not uniform. The payment is made both at flat rates and as a percentage of the basic pay. There are also differences according to the location of the branches in the metropolitan, urban and rural areas.

In 1973, a committee was appointed by the Central Government under the chairmanship of Shri V. R. Pillai to standardise *inter alia* allowances of officers of the nationalised banks, which submitted its report in 1974. A Group of Bankers which went into the recommendations of the Pillai Committee suggested certain modifications. Government has accepted the recommendations of the Pillai Committee as modified by the Group of Bankers. The nationalised banks have been asked to implement the Pillai Committee Report. The rates of H.R.A. which have been recommended in the Report are as follows:—

(a) Major 'A' class cities (Bombay, Delhi, Calcutta, Madras and Hyderabad)	— Upto 25 per cent of basic pay subject to a maximum of Rs. 400/-.
(b) Area I	— Upto 20 per cent of basic pay subject to a maximum of Rs. 300/-.
(c) Area II	— Upto 15 per cent of basic pay subject to a maximum of Rs. 250/-.
(d) Area III	— Upto 10 per cent of basic pay subject to a maximum of Rs. 250/-.

(ii) Award Staff comprising clerical and subordinate staff:—

Generally, the rate of H.R.A. varies from Rs. 11 to Rs. 25 in special places like Bombay, Calcutta, Delhi, Dadras and Hyderabad and Rs. 9 to Rs. 18 in other places.

Payment of DA to State Government Employees at Central Rates

10316. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that as soon as the Central Government raise the rate of dearness allowance for their employees, the demand for dearness allowance in some of the States also gains momentum;

(b) if so, the names of those States which are paying dearness allowance to their employees at Central Govt. rates and the names of the States where it has no impact on the demand for dearness allowance; and

(c) whether the Central Govt. are considering a proposal under which the employees of State Governments will get automatically dearness allowance immediately after it is raised for the Central Government employees ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) The demand by the employees of the State Governments for increases in the rates of dearness allowance arises because of various factors and not necessarily because of payment of dearness allowance by the Central Government to its own employees.

(b) According to the information received from the State Governments, in the matter of grant of dearness allowance to their employees, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Orissa are following the Central Government pattern, while Andhra Pradesh, Haryana, J&K, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh follow the Central Government pattern of Dearness Allowance with some modifications. The rest of the State Governments have their own patterns of grant of Dearness Allowance.

(c) The payment of dearness allowance to the employees of the State Governments is regulated by the State Governments themselves. They lay down, from time to time, the scale of dearness allowance to be paid and one of the considerations which quite often has a bearing on this is the constraint of resources. There is no intention to interfere with the existing arrangements.

Export Target

10317. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether a shortfall of Rs. 350 crores is estimated in the revised export target of Rs. 5750;

(b) if so, the items which are likely to cause shortfall in export earnings and the percentage shortfall item-wise; and

(c) the measures being contemplated to maintain export earnings during 1978-79?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig) : (a) According to latest indications of shortfall is likely to be between Rs. 300 crores and Rs. 350 crores.

(b) The principal items showing decline in the value of their exports during April-December '77 as compared to April-Dec. '76 are indicated in the statement enclosed.

(c) The measures recently taken to maintain export earnings include extension of Cash Compensatory Support for a further period of one year and liberalisation of

import policy with a view to facilitating import of necessary inputs and promoting investment in export oriented industries as well as other industries so as to augment exportable surpluses.

Statement

Items showing decrease in its value	Apr.—Sept. 1976 (Rs. crores)	Apr.—Sept. 1977 (Rs. crores)	%variations in Apr.—Sept. 1977 over Apr.—Sept.'76
1. Fixed Vegetable oils and fats	33·69	10·51	—68·8
2. Oil seeds & Oleaginens Fruits	37·48	2·32	—93·8
3. Sugar	89·61	10·53	—88·2
4. Raw Cotton	26·56	0·10	—99·6
5. Shellac, Seedlac, gums Resins and balsams	8.14	4·00	—50·9
6. Manganese ore	5·05	2,33	—53·9
7. Mica	8·43	8·38	— 0·5
8. Ores, Minerals other than Iron ore, manganese ore and Mica	24·70	21·49	—13·0
9. Ready made garments	161·47	145·33	—10·0
10. Leather & Leather mfrs	135·12	121·34	—10·2
11. Footwear	12·07	8·83	—26·8
12. Iron & Steel	188.44	137·55	—27.0
13. Cement	9·45	6·73	—28·8
14. Mineral fuels lubricants and related materials	12.91	10·42	—19.3

SOURCE : DGCI & S, Calcutta

NOTE : Silver exports also suffered decline for which figures are not available

Payment of Fares by Indians and Foreigners to Air India

10318. **Shri Ganga Bhakt Singh:** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Indians have to pay double Air India fare as compared to the fare paid by foreigners;

(b) if so, the fare paid by the passengers undertaking journey from India by Bombay-Delhi-London flight vis-a-vis the fare paid by the foreigners for London-Delhi-Bombay flight;

(c) the reasons for charging higher fare from an Indian passenger as compared to the fare charged from foreign passengers; and

(d) whether Government are considering any scheme for bringing uniformity in

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) (b) and (c) : No, Sir. The normal economy class roundtrip London-Delhi-London fare converted in Indian rupees comes to about Rs. 9617/- whereas the roundtrip Delhi London-Delhi fare is Rs. 11260/-. The difference is thus Rs. 1643/- which is due to fares taking unequal currency surcharges.

(d) The proposal to introduce a lower excursion fare of Rs. 6650/- for travel Delhi-London-Delhi is under consideration.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कटे-फटे/क्षतिग्रस्त/फटे हुए करेंसी नोटों का स्वीकार किया जाना

10319. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्तियों तथा राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंको से मूल्यों के कटे-फटे क्षतिग्रस्त/फटे हुए करेंसी नोट स्वीकार किए जाते है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कटे-फटे नोट व्यक्तियो/सम्बन्धित बैंकोको नये नोट देकर अवश्य बदल दिये जाते है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार और कब;

(घ) यदि नहीं तो क्यों नहीं; और

(ङ) क्या रिजर्व बैंक को नोटों को रद्द करने अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने का धिकार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) : व्यक्तियों से बक क कांउंटर पर प्राप्त किए गये चिकने नोट, अधिकतर मामलों में साफ नोट जारी करके तुरंत बदल दिये जाते हैं। बैंको से प्राप्त किए गये चिकने नोटों की जांच उचित समय मे की जाती है किन्तु उन नोटों क मूल्य को, भारतीय रिजर्व बैंक में उनके खातों में "गारंटी बांड सिस्टम" के अधीन तुरन्त जमा कर दिया जाता है। कम कटे फटे नोटों को भी कांउटर पर तुरन्त बदल दिया जाता है । अन्य कटे-फटे नोट जिनके लिए ज्यादा जांच की जरुरत होती है, प्राप्ति के क्रम अनुसार जांच जाते है और यदि उनको भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 के अन्तर्गत अदायगी योग्य पाया जाता है तो उनके विनिमय मूल्य को, व्यक्तियों के मामले में उनक पास डाक के द्वारा प्रेषित कर दिया जाता है और बैंकों के मामले में उनके खातों में जमा कर दिया जाता है । जो फटे हुए नोट अदायगी योग्य नहीं समझे जाते उनके सम्बन्ध में किये गये दावे भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975, के उपबन्धो के अनुसार भारतीय रिजर्व बक को मिले प्राधिकार के अन्तर्गत नामंजूर कर दिये जाते है ।

एयर इन्डिया के विमानचालकों द्वारा सेवा छोड़ कर अन्यत्र रोजगार के लिए जाना

10320. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के कुछ विमानचालक विश्व में कहीं अन्यत्र अच्छे रोजगार के लिए चलें गय है या शीघ्र जानेवाले हैं;

(ख) यदि हां, नो तत्सम्बन्धो पुरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई नियम बना कर विमान चालकों पर कोई प्रतिबन्ध लगान का विचार है जिससे वे इस प्रकार से नौक री न छोड सके;

(घ) यदि हां, तो कैसे;

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(च) क्या एयर इंडिया नये विमानचालकों को भर्ती करके और उनका चयन ठीक प्रकार से करके अपनो उच्च प्रतिष्ठा और विमानचालकों को पुरो संख्या बनाये हुए है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) 1973 से, 19 विमानचालकों (कमांडरों) ने एयर इंडिया की सेवा से त्याग-पत्र दिया। उनमें से अधिकांशं बोइंग 747 विमानों के कमांडर थे। कुछ अंतरराष्ट्रिय एयरलाइनों को अपने विस्तार कार्यक्रम के लिए विमानचालकों की आवश्यकता है। इन एयरलायनों द्वारा दिए जाने वाले वेतनमान एयर इंडिया में दिए जा रहे वेतनमानों के मुकाबले में उंचे है। इसलिए एयर इंडिया के विमानचालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरलायनों मे नोकरी का आकर्षण हमेशा से बना रहा है।

(ग) से (ङ) : एक सुझाव दिया गया है कि किसी न किसी प्रकार के प्रतिबंधात्मक विधान पर विचार किया जाना चाहिए। इसकी जांच की जा रही है फिलहाल, निम्नलिखित कदम उठाए गए है :—

(i) एअर इंडिया ने पहले तो अंतरराष्ट्रीय एयरलायनो के संबंधित प्रबंधकों से उनकी वास्तविक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सम्पर्क स्थापित किया और सुझाव दिया कि वे एअर इंडिया के कर्मचारिओं को कम से कम तथा अलग-अलग समय में फैला कर लेने का प्रयत्न करें।

(ii) विमानचालकों के मामले में विदेशों में फ्लाइंग ड्यूटी के समय उनके खर्चों की पूर्ति करने के लिए उनके भत्तों को बढे हुए मूल्यों को दृष्टि में रखते हुए बढा दिया गया है।

(iii) ऐसे अन्य प्रोत्सानों पर भी विचार किया जा रहा है जैसे सेवा-निवृत्ति की आयु को बढा कर 60 साल करना, अधिवर्षता तथा सामूहिक बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन आदि।

(च) विमानचालकों की भर्ती इंडियन एयरलाइंस/वायुसेवा के माध्यम से की जाती है तथा ऐसी भर्ती के लिए कमांडर के रुप में काफी अनुभव एवं उच्च उपकरणा रेटिंग निर्धारित किए जाते है। विमानचालकों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। उन्हें कारपोरेशन के विमान पर प्रशिक्षण दिया जाता है तथा निर्धारित योग्यता स्तर प्राप्त करने के बाद ही, उन्हें बोइंग 707 विमानों पर सह विमानचालक के रुप में भेजा जाता है।

सीमा शुल्क में छूट

10321. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक विकलांग व्यक्तियों और ईमानदार स्वच्छिक सामाजिक एजेंसियों को उनके द्वारा वास्तविक और बिना मांगे प्राप्त उपहारों और/अथवा दान के रुप में प्राप्त सामान वस्तुओं/औषधियों/उपकरणों पर अत्यधिक सीमाशुल्क देने पर मजबूर किया जा रहा है और दण्ड भो दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तविक मामलों में सीमाशुल्क से छूट मिलती है और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या क्या है ; और

(ग) यदि नही तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : अंधों अथवा बधिरों के किसी संस्थान द्वारा कतिपय शर्तों के अधिन आयात की गई वस्तूओं को उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त है । संगत छूट प्रदायी अधिसूचना सं० 141 दिनांक 16 जुलाई, 1977 की प्रति अनुबंध 'क' पर है । [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2323/78**] प्राण रक्षक औषधियों और प्राण रक्षक उपस्करों को उस स्थिति में सीमाशुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त है जब उनका भारत में। आयात दिनांक 2-8-76 को यथासंसोधित अधिसूचना सं० 182 के अनुसार किया जाता है इसकी ओर संशोधनकारी अधिसूचनाओं की प्रतियां अनुबंध 'ख' 'ग' स और 'घ' पर हैं । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2323/78**]

खाद्य पदार्थों, औषधियो, चिकित्सा सामग्रीयों, वस्त्रों, कम्बलो को, कतिपय शर्तों के अधिन, सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है, जब उनका आयात धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए किया गया हो । संगत छूट प्रदायी अधिसूचना सं० 142 दिनांक 16-7-77 की प्रति अनुबंध 'ङ' पर है । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2323/78**]

खाद्य पदार्थों, औषधियों, उपयोग्य चिकित्सा सामग्रियों, वस्त्रों और कम्बलों को उनका ऐच्छिक धर्मार्थ संगठनों द्वारा आयात किये जाने वाले तमिल नाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में तुफान पीड़ित लोगों की राहत हेतु दिनांक 1-12-77 की अधिसूचना सं० 252 द्वारा, सोमाशुल्क से छूट दी गयी है; जिसकी प्रति अनुबंध 'च' पर है। [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2323/78**]

किन्हीं विवरणों के चिकित्सा, शल्य और नैदानिक उपस्करों, उपकरणों और यंत्रों को उनकी अनिवार्यतः हस्पतालों में प्रयोगार्थ जरूरत पड़ने पर, कतिपय शर्तो के अधिन, अधिसूचना सं० 8, दिनांक 16 जनवरी, 1978 के अंतर्गत शुल्क से छूट दी गयी है, जिसकी प्रति अनुबंध 'छ' पर है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2323/78**]

इसके अतिरिक्त, विकलांगो और पंगु व्यक्तियों के लिए विशेष उपयोगिता वाली वस्तुओं को उनके द्वारा अपनी विकलांगता और पंगुता पर नियंत्रण के लिए आयात किए जान पर अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्रों सहित इस आशय की दरखास्त प्राप्त होने पर तदर्थ आदेश जारी करके शुल्क की अदायगी से छूट दी जाती है ।

विदेशी पर्यटकों से सुझाव और टिप्पणियां

10322. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में पर्यटकों की आवश्यकताओं और मांगों के बारे में पता लगाने के लिए सरकार नियमित रुप से आवधिक सर्वेक्षण और अनुसंधान करती है, जिससे पर्यटक यातायात को विशेष रुप से विदेशों से आने वाले पर्यटक यातायात को बढावा देने में सहायता मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विदेशी पर्यटकों से सरकार आलोचनाएं, सुझाव अथवा टिप्पणियां प्राप्त करती है; और

(घ) यदि हां, तो उन की किस प्रकार जांच और कार्यवाही की जाती है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : जी हां। पर्यटकों द्वारा आवास, परिवहन, शापिंग आदि पर खर्च की गयी राशि का पता लगाने के लिए तथा पर्यटक सुविधाओं सम्बधी उन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए पर्यटन विभाग अन्य चीजों के साथ साथ, पयटकों के व्यय तथा प्रतिक्रिया के स्वरूप (पैटर्न) के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिये विदेशी पर्यटकों का समय समय पर सर्वेक्षण करता है। पिछला ऐसा सर्वेक्षण 1976-1977 के दौरान किया गया था।

(ग) और (घ) : जी, हां। विदेशी पर्यटकों से पर्यटन विभाग में प्राप्त हुई सभी शिकायतों की जांच करने तथा उसकी रिपोर्ट देने के लिये सम्बधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है। जब तक कि शिकायत का निपटान नहीं कर दिया जाता मामले पर कार्यवाही जारी रखी जाती है। जहां भी सम्भव होता है सुझावों को क्रियान्वित किया जाता है अथवा आवश्यक कार्यवाही के लिए उचित अधिकारी को भेज दिया जाता है।

Forward Trading in Castorseed, Linseed, Edible Oils and Silver Etc.

10323. **Shri Dharmasinhbhai Patel**: Will the Minister of Commerce, Civil. Supplies and Cooperation be pleased to state :

(a) whether the Bombay Oilseeds and Oils Exchange Limited, Bombay and oil seeds Brokers, Jobbers, servant and staff union, Bombay have submitted representations to the Government in January, 1978 about forward trading in castorseed, linseed, edible oils and silver etc.;

(b) if so, the nature of demands listed therein and the demands out of them accepted and, when and the demands rejected and the reasons thereor;

(c) when approval will be accorded for forward trading in accordance with these demands; and

(d) whether the Members of Parliament have also recommended to the Government to allow forward trading in these things and if so, the number of such Members of Parliament and when they have recommended and the action taken so far and proposed to be taken by Government in this regard and when and the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) to (d) : Representations have been received from various organisations engaged in forward trading, and others including Members of Parliament, specifically requesting for the removal of the ban on future trading in castor and lineseed. Some representations have also been received pleading for removal of ban on future trading in silver and generally in edible oils also;

The matter is under the consideration of the Government.

Construction of Youth Hostels, Tourist Bungalows and Sewagram in Pondicherry, Mysore and Gorakhpur

10324. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether construction of two youth hostels, two tourist bungalows and a 'Sewagram' has been undertaken in Pondicherry, Mysore and Gorakhpur in 1976-77;

(b) if so, the total expenditure incurred thereon; and

(c) whether it is a fact that the construction thereof has been completed and if not, the time by which it is likely to be completed and the additional expenditure to be incurred thereon?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b) : Expenditure sanctions amounting to Rs. 5,88,000.00 and Rs. 6,54,400.00 only were isued in 1976-77 for the construction of youth hostels at Mysore and Pondicherry respectively.

(c) The construction work of these youth hostels is likely to be completed during 1978-79. No request for additional expenditure on their construction has so far been received from the State Governments.

Recovery of Income Tax Arrears Question

10325. **Shri Rajendra Kumar Sharma :**

Shri Amar Singh V. Rathawa :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) is it a fact that there are a number of firms, companies and individuals who are paying income tax more than Rupees one lakh;

(b) if so, the number thereof, state-wise;

(c) whether it is also a fact that there are several firms, companies and individuals who have to pay arrears of income tax of more than Rupees one lakh;

(d) if so, the number and details thereof; and

(e) since when it is in arrears and the action for the recovery?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) & (b) : Information regarding number of firms, companies and individuals who are paying income-tax of more than Rs. 1 lakh is not available. However, information is available about assessments made in cases of all tax-payers with incomes of Rs. 1 lakh and above. Out of 51,651 such assessments for disposal during 1977-78, 32986 assessments have been disposed of upto 28-2-1978. The Commissioner-wise details are given in the statement annexed.

(c) to (e) : According to available information, there were 6,249 tax-payers against each of whom gross income-tax demand exceeding Rs. 1 lakh was outstanding as on 31-3-77. Their names and other details asked for are not readily available and the collection of such information would involve considerable time and labour.

However, if the Hon'ble Member desires information in respect of any particular case or cases, the same can be collected and furnished.

Depending upon the facts and circumstance of each case, suitable steps are taken from time to time by the income-tax authorities concerned for recovery of tax arrears in accordance with the provisions of Chapter XVII(D) of the Income-tax Act, 1961 read with the Second Schedule thereof. These steps include—

(a) levy of interest for delayed payment of tax;

(b) imposition of penalty for non-payment of tax;

(c) attachment of monies due to the defaulter; and

(d) attachment and sale of moveable/immovable properties.

Statement

Assessments in cases with income of Rs. 1 lakh and over

CIT's Charge	No of cases for disposal during 77-78 with income of over Rs 1 lakh	No of cases disposed of up to 28-2-78 out of Column 2
1	2	3
Agra	434	315
Allahabad	486	354
Amritsar	895	643
Andhra	1,829	1,435
Assam	434	215
Bihar	598	396
Bombay City	11,427	7378
Bombay (Central)	379	155
Calcutta (Central)	573	189
Delhi	3,671	2,188
Delhi (Central)	418	110
Gujarat	8027	4,626
Jullundur	555	350
Kanpur	669	443
Karnataka	2,201	1,732
Kerala	1,475	1,136
Lucknow	619	513
Madhya Pradesh	1,383	784
Meerut	535	312
Nagpur	759	597
Orissa	156	132
Patiala	819	527
Pune	1,346	1,261
Haryana & Chandigarh	600	373
Jaipur & Jodhpur	1,124	786
TamilNadu & Coimbatore	5,029	3,117
Madras (Central)	495	170
West Bengal & Asansol	4,715	2,749
TOTAL	51,651	32,986

Policy for Checking Smuggling

10326. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government propose to lay down any new policy for checking smuggling; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) & (b): To combat the menace of smuggling more effectively, the Government have launched a three-pronged drive by (i) strengthening the preventive and enforcement machinery including provision of additional staff, (ii) selective application of the provisions of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and (iii) by taking appropriate economic measures to make goods which are considered sensitive from the point of smuggilng, available within the country at reasonable rates.

शोधन के बाद खांडसारी की पुन: बिक्री

10327. **श्री जी० एस० रेड्डी :** वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 के पहले चार महिनों के दौरान कुल कितनी खांडसारी के निर्यात के लाइसेंस दिये गये;

(ख) यदि हां, तो कितना निर्यात किया गया है, खांडसारी का निर्यात किन-किन देशों को किया है और प्रत्येक मामले में कितने मूल्य का निर्यात किया गया है; और

(ग) क्या आयातक देश द्वारा शोधन के बाद खांडसारी की पुन: बिक्री की कोई शिकायत मिली ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 29-3-1978 को 1978-79 के दौरान निर्यात के लिए 5,000 मे० टन खांडसरीका कोटा रिलीज किया गया था ।

(ख) उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार अभी तक भारत से खांडसारी का कोई निर्यात नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Source from which money spent on Sports Control Board Scholarship Scheme

10328. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6765 on the 14th April, 1978 regarding Sports Control Board Scholarship of Indian Airlines and state:

(a) in case the Sports Control Board Scholarship scheme does not have Government recognition the source from which the money spent thereon is arranged; and

(b) the funds spent by the Sports Control Board during the past five years with break-up of the money spent on scholarships year-wise and the names of Departments and Ministries in which the father or guardians of the students given scholarships are working together with their designations?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) The expenditure is met by Indian Airlines from its own resources.

(b) : The expenditure incurred during the past five years with break-up of the expenditure on scholarships year-wise, is as under :—

Year	Total Expenditure	Expenditure on scholarship
	Rs. in (lakhs)	(Rs. in lakhs)
1973-74	1·54	..
1974-75	1·98	..
1975-76	3·94	..
1976-77	5·76	0·24
1977-78 (Provisional)	4·35	0.31

The names of the Departments and Ministries in which the fathers or guardians of the students given scholarship, are working and their designation are not readily available. The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Corruption Charge against Chief Marketing Manager, S.T.C.

10329. **Shri Ram Sewak Hazari:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Chief Marketing Manager (Grade I) has been working for the last three years in Oil and Fats division of the State Trading Corporation which is very important Division and S.T.C. imports edible oil worth Rs. 300 to 400 crores every year through this Division;

(b) whether a case of corruption and favouratism has been proved by CBI against him and the Central Vigilance Commission has recommended major punishment; and

(c) whether it is a fact that no action has since been taken against this officer and instead the Management is considering the question of giving promotion to this officer ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig): (a) No, Sir.

(b) & (c): Do not arise.

Inquiry Against Chief Financial Manager and Chief Marketing Manager of S.T.C.

10330. **Shri Ram Sewak Hazari:** Will the Minister of Commerce, Civil Supplies and Cooperation be pleasel to state:

(a) whether the Chief Financial Manager of the Oil and Fats Division of the State Trading Corporation who worked as Financial Manager for three years in the same Division is still working there even after his promotion;

(b) whether the present Chief Financial Manager and the Chief Marketing Manager (Grade I) jointly helped the previous Government in the Collection of contributions and showed favour in the purchase of oil and other goods; and

(c) whether an enquiry has been conducted into these charges against them and if so, the outcome thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) Yes, Sir. But as Finance Manager, he was attending to other Divisions also besides Oils and Fats Division.

(b) No such information has been received.

(c) Does not arise.

आटोमैटिक ट्रांसमीशन कारो के आयात पर रोक

10331. **श्री के० लकप्पा** : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आटोमैटिक ट्रांसमीशन कारों के आयात पर रोक है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है इस रोक का उल्लंघन करके एक केन्द्रीय मंत्री के पुत्र को इस कार का आयात करने की अनुमती दी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और अब तक कितनी बार ऐसी ढील दी गई है; और

(ग) क्या भविष्य में भी ऐसी ढील दी जायेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा में आयकर की बकाया राशि की वसूली

10332. **श्री एम० सत्यनारायणराव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में सरकार को देय लाखों रुपये की आयकर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और बकाया राशि कितनी है तथा क्या मंत्रालय ने ऐसो बकाया राशि को वसूल करने के लिए 6 महीनों से कोई प्रयास किये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारुल्ला) : (क) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, आयकर आयुक्त, उड़ीसा के अधिकारक्षेत्र में, 31-12-77 को आयकर की सकल और शुद्धबकाया नीचे दिए अनुसार थी :–

सकल बकाया	–	–	5.71 करोड़ रुपये
शुद्ध बकाया	–	–	5·51 करोड़ रुपये

(ख) जिन व्यक्तियों की तरफ आयकर की बकाया है, उनकी संख्या बहुत अधिक है। इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले/किन्हीं विशेष मामलों में कर की बकाया के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हों, तो उसे एकत्रित करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

कर की बकाया की वसूली के लिये, प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति पर निर्भर करते हुए। सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते है। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल है :

(i) कर की विलम्ब से अदायगी करने पर ब्याज लगाना ;

(ii) कर की अदायगी नहीं होने की हालत में अर्थ-दण्ड लगाना ;

(iii) जिस व्यक्ति ने आयकर की अदायगी नहीं की हो, उसे कोई रकमें मिलने वाली हों; तो उनका अधिग्रहण; और

(iv) चल तथा अचल सम्पत्तियों का अधिकरण और उनकी बिक्री।

Mithila Paintings

10333. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of Commerce, Civil Supplies and Cooperation be pleased to state :

(a) the names of the countries where 'Mithila Paintings' are in demand together with the nature of demand and the gains accrued from their export;

(b) the export position in regard to 'Siki-art' of Mithila for the past three years; and

(c) the measures being contemplated to promote export by providing incentive to this traditional industry of Darbhanga, Madhubani, Samastipur, Sitamarhi, Saharsa, etc., backward districts of Bihar?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) & (b): No market surveys have so far been conducted on Mithila Paintings. Neither are export figures for these paintings and the products of Siki-Art of Mithila recorded separately. Precise information in regard to the nature of demand for these paintings and the export earnings from their exports is, therefore, not available.

(c) Apart from making these exports more remunerative, display and sales in exhibitions, diversification of production and wide publicity are some of the important relevant measures for export promotion of these articles.

लाइसेंस प्राप्त करने में कदाचार

10334. **श्री महेंद्र सिंह सेयावाला :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कुछ उद्यमी अब भी राज्य की तथा केन्द्रीय मशीनरी से सांठ गांठ करके तथा बिना कोई भी उद्योग हुए लाइसेंस प्राप्त कर रहे है तथा अपने कोटे को काले बाजार म बेंच रहे है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 के दौरान ऐस कितने मामले हुए; और

(ग) क्या ऐसे आवेदन पत्रों को राज्यों और केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा भेजे जाने और सिफारिश करने के बाद ऐसे कदाचारों को रोकने हेतु जांच, अन्वीक्षा और पड़ताल के उचित सुरक्षा उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) ऐसा कोई मामला 1977-78 के दौरान सरकार के ध्यान में नहीं आया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रायोजित तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा आयातित कच्चे माल के उपयोग क सत्यापन तथा छानबीन क लिये आयात तथा निर्यात प्रक्रिया 1978-79 की हैंडबुक क अध्याय 3 में आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं। आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम लाइसेंसींग प्राधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करता हैं, कि वह उन फार्मों/व्यक्तियों को, जो आयातित कच्चे माल का दुरुपयोग करते है आयात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत और आगे आयातित माल क लाइसेंस/आबंटन प्राप्त करने से वंचित करने क अतिरिक्त उन पर जुर्माना लगा कर तथा अभियोग चला कर दण्डविषयक कार्यवाही करें।

अतारांकित प्रश्न संख्या 8559 दिनांक 28 एप्रैल, 1978 का शुद्धी करने वाला विवरण
CORRECTING STATEMENT TO US Q. 8559 DATED 28TH APRIL 1978.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) : 28 अप्रैल, 1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8559 के (घ) भाग के दिये गये उत्तर में निम्नलिखित शुद्धि की जाये :

"70.51 लाख रुपये" के स्थान पर "0.51 लाख रुपये" पढ़ा जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि*......

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई सूचना नही मिली है। इस कार्यवाही वृतान्त में सम्मीलित नही किया जायें। श्री ज्योतिर्मय बसु।*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।

*Not recorded.

सभा पटलपर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम प्रायवेट लिमिटेड नई दिल्ली का 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और विलम्ब के कारणों के बार मे विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : मैं निम्नालखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल. टी. 2305/78.**]

सरकारी अश्वासनों सम्बन्धी समिति की टिप्पणियों के बारे में विवरण

निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बक्त) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति द्वारा अपने तीसर प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) जो 24 मई, 1972 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 22 मे की गई टिप्पणी के अनुसरण में एक विवरण (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 2306/78**]

भारत पर्यटन विकास निगम, का 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लखा परीक्षित लेखे और विलम्ब के कारणों के बारे में विवरण

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री पुरषोत्तम कौशिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरिक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2307/78**]

बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) नियम, 1977 और हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों के बारे में विवरण

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णा कुमार गोयल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उप धारा (4) के अन्तर्गत बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) नियम, 1977 (हिन्दी संस्करण*) कीं एक प्रति जो दिनांक 18 अप्रैल 1978 के भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 237 (ड.) में प्रकशित हुए थे।

(2) अधिसूचना का हिन्दीं संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ सभापटल पर न रख जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रख गये। देखिये संख्या एल० टी० 2308/78.**]

सरकारिया आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन और उसपर की गई कार्यवाही का ज्ञापन तथा प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों के बारे में विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 कीं धारा 3 की उप धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) तामिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए गठित सरकारिया आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन (खण्ड 1 से 4)

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2309/78**]

भारतीय नौसैनिक सहायक सेवा (पहला संशोधन) विनियम, 1978

रक्षा मंत्रालय म राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं नौसेना अधिनियम, 1947 की धारा 185 के अन्तर्गत भारतीय नौसैनिक सहायक सेवा (पहला संशोधन) विनियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 151 में प्रकाशित हुआ था; सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय म रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2310/78.**]

*अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण जो दिनांक 26 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 622 (ड.) में प्रकाशित हुआ था ; 18 नवम्बर 1977 को सभा पटल पर रखा गया था।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1978

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 238 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2311/78]

विधि आयोग के प्रतिवेदन, हिन्दी संस्करण, सभा पटल पर न रखने के कारणों के बार म विवरण और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारीक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रतिवेदन

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 पर विधि आयोग के 60 वे प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)* की एक प्रति [ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2312/78]
2. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—असमाधेय रूप से सम्बन्ध बिगड़ने को विवाह विच्छेद का आधार मानना—पर विधि आयोग के 71 वे प्रतिवदन की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2313/78.]
3. संविधान के अनुच्छेद 220—स्थायी न्यायाधिश रहने के बाद वकालत पर प्रतिबंध पर विधि आयोग के 72 वे प्रतिवेदन की एक प्रति।
4. उपर्युक्त (10) और (11) मे उल्लिखित प्रतिवेदनों के हिन्दो संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दो तथा अंग्रेजो संस्करण)।
5. मैसर्स आलता लेबोरेटरो प्राईवेट लिमिटेड, बम्बई द्वारा खोपोलो (बम्बई में एसीटाइल सैलीसीलिक एसिड आई०पी० (ए०प्रि०) और अन्य सैलोसोलेट्स के निर्माण की क्षमता में पर्याप्त विस्तार के मामले मे एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 को धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दो तथा अंग्रेजो संस्करण) की एक प्रति तथा उक्त अधिनियम को धारा 62 के अन्तर्गत उस पर केन्द्रोय सरकार का दिनांक 2 मई, 1978 का प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2314/78.]
6. एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत 1 जनवरो से 31 दिसम्बर, 1976 को अवधि में उक्त अधिनियम के उपबन्धों की क्रियान्विति सम्बन्धो प्रतिवेदन (हिन्दो तथा अंग्रेजो संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2315/78।]

---

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 21 मार्च 1978 को सभा पटल पर रखा गया था।

केन्द्रिय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम 1978 और अधिसूचनाएं आदि

वित मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारुल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 514 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2316/78**]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 241 (ङ) और 242 (ङ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 550, जो दिनांक 29 एप्रैल 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 551 जो दिनांक 29 एप्रैल 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए। संख्या एल० टी० 23/7/78**]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 246 (ङ) से 251 (ङ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 258 (ङ) जो दिनांक 1 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 259 (ङ) जो दिनांक 1 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 260 (ङ) जो दिनांक 1 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 261 (ङ) जो दिनांक 1 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2318**]

(4) मिजोराम संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में राष्ट्रपति के दिनांक 11 मई, 1977 के आदेश के पैरा (ख) (एक) के साथ पठित संघराज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 49 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक – महालेखा परीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन, मिजोरम संघ राज्यक्षेत्रशासन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2319**]

(5) मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र शासन के वर्ष 1975-76 के विनियोग लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2320/78**]

(6) मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र शासन के वर्ष 1975-76 के वित्त लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2321/78**]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बधी समिति कार्यवाही—सारांश

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री० विनोदभाई बी० शेठ (जामनगर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिती की चालू सत्र के दौरान हुई ग्यारहवीं से उन्नीसवीं बैठकों क कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि राज्य सभा 26 अप्रैल, 1978 की अपनी बैठक में लोक सभा की लोक लेखा समिति में 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल क लिए सहयोजित करने क लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने सम्बन्धी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त समिति में निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी :—

(1) श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी
(2) श्री एम० कादरशाह
(3) श्री सीताराम केसरी
(4) डा० भाई महावीर,
(5) श्रीमती लीला दामोदर मेनन
(6) श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी
(7) श्री ज्ञान चन्द टोटू

(दो) कि राज्य सभा 26 अप्रैल, 1978 की अपनी बैठक में लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में 30 अप्रैल 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सहयोजित करने के लिए राज्य स ा से सात सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने सम्बन्धी लोकसभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त समिति में निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी :—

(1) श्री एस० डब्ल्यू० डाबे
(2) श्री के० एन० धुलप

(3) श्री हरीसिंह भागुभव महीडा

(4) श्री मुरासोली मारन

(5) श्री देवराव पाटील

(6) श्री ईरा सेझियान

(7) श्री विरेन जे० शाह

(तीन) कि राज्य सभा ने 26 अप्रैल, 1978 को अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धो दोनों सभाओं की समिति में 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सम्मिलित होने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पास किया और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को निर्वाचित किया :—

(1) श्री भगवान दीन

(2) श्री प्रसेनजीत बर्मन

(3) श्री बलराम दास

(4) श्री श्रोमन प्रफुल्ल गोस्वामी

(5) श्रीमती सरोज खापरडे

(6) श्री एस० कुमारन

(7) श्री पी० के० कुंजचन

(8) डॉ० (श्रोमतो) साठियावानीं मुथु

(9) श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग

(10) श्री प्रभू सिंह

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदस्य) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का 7 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उड़ीसा की भारडा जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूचि में शामिल किए जाने के बारे में याचिका

Petition re: inclusion of Bhatra Tribe in the list of Scheduled Tribes of Orissa

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं उडोसा की अनुसूचित जातियों की सूचि में भारडा जनजाति को शामिल करने के बारे में श्री दमबरूधर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

सामान्य बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों का सेवा शर्तों के बारे में याचिका
Petition re: Service Conditions of General Insurance Field Workers

श्री सौगत राय (बैरक पूर) : मैं सामान्य बीमा क्षेत्र कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सामान्य बीमा क्षेत्र कर्मचारी संघ, कलकत्ता के महासचिव श्री ऋषिकेश बोस द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

बम्बई रेलवे उपनगरीय दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों के बारे में याचिका
Petition re: Hardships of Bombay Suburban Comuters

श्री आर० के० महालगी (थाना) : मैं बम्बई रेलवे उपनगरीय दैनिक यात्रियों की कठिनाईयों के बारे में श्री आर० जी० कापसे और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : कल आपने कहा था की मुझे कुछ समय दिया जायेगा। आपने तथा विपक्ष के नेता, सेनेटर स्टीफन तथा श्री साठे ने, जो इस समय उपस्थित नहीं, उल्लेख किया...

(अन्तर्बाधाएं)

एक माननीय सदस्य : इस सेनेटर का क्या अर्थ है।

एक माननीय सदस्य : कृपया इसे वापस ले।

(अन्तर्बाधाएं)

श्री बीजू पटनायक : मैं उसे वापस लेता हूं...

श्री वयालार रवि : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि कोई सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता है तो उसे लिखित में और आप से मंजूर करवा कर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह व्यक्तिगत स्पष्टिकरण देना चाहते थे। मैंने उनसे कहा की समय दिया जाएगा।

श्री वयालार रवि : नियम 377 के अन्तर्गत भी लिखित वक्तव्य देना होता है।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद के लिये होता है। कल उन्होंने उसी समय अवसर मांगा और मैंने उन्हें अनुमति दे दी। यह श्री स्टीफन के षण के बीच में थी। बाद में सभा में गडबडी के कारण उन्हें समय न दिया जा सका।

श्री बिजू पटनायक : वह श्री सी० रेड्डी इस लिखित पुस्तक में से उद्धरण दे रहे थे। मैं अपने श्वसुर की मृत्यु पर दिसम्बर मास में कुछ दिन के लिये पेरोल पर जेल से बाहर आया था। उस समय श्री रेड्डी मेरे एक निकटस्थ मित्र के साथ मेरे घर आय

14—154 LSS/ND/78

[श्री बीजू पटनायक]

और सुझाव दिया कि जुल्म को समाप्त करने के लिए, देश में कुछ लोगों की तानाशाही की बढती प्रवृति को रोकने के लिये **

(अन्तर्बाधाएं)

श्री० पी० उन्नीकृष्णन : अन्य बातें कहने के स्थान पर उन्हें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण तक ही सीमित रहना चाहिये ।

श्री समर गुह : मेरा विचार है कि माननीय मंत्री को ऐसा गंभीर वक्तव्य नहीं देना चाहिये जिसमें किन्हीं व्यक्तियों पर गंभीर आरोप हो ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मे इन्होंने कुछ नामों का उल्लेख किया है । क्या आपने इसके लिये अनुमति दी है?

अध्यक्ष महोदय : शायद आप कल उपस्थित नहीं थें । श्री रेड्डी की पुस्तक में से कुछ अंश पढा गया था वह केवल यह कह रहे हैं कि श्री रेड्डी के साथ उनकी यह बातचित नहीं हुई थी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : नियम 357 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(अन्तर्बाधाएं)

श्री सौगत राय : वह किसी व्यक्ति पर, जो सदन में उपस्थित नहीं, आरोप लगाने वाला वक्तव्य किस प्रकार दे सकते हैं । (अन्तर्बाधाएं)

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 353 तथा 357 के अधीन है । आपने मंत्री महोदय को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की जो अनुमति दी उस पर हमें आपत्ति नहीं परतुं मंत्री महोदय को नियमों के अन्तर्गत ही स्पष्टीकरण देना चाहिए । सदन की प्रथा यह है कि सदस्य या मंत्री द्वारा लिखित वक्तव्य दिया जाता है ।

श्री बीजू पटनायक : मैं लिखित वक्तव्य आपके पास भेजने को तत्पर हूं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उनकी टिप्पणियों की कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री वयालार रवि : प्रो. मावलंकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जो कार्यवाही वृत्तान्त में है । अत: यह सब कुछ कार्यवाही वृत्तान्त में जाने देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले पर विचार करके आदेश दूंगा ।

**अध्यक्ष पी० के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

** Expunged as ordered by the Chair.

लोकपाल विधेयक

LOK PAL BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री शामनन्दन मिश्र (बगुसराय) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा जन सेवकों के विरुद्ध अवचार के अविकथन की जांच करने के लिये लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रतिस्थापना करने वाले प्रस्ताव को अनुमति नहीं हैं । आप अपने सुझाव पेश कर सकते हैं ।

श्री पी० के० देव : प्रशासन सधार आयोग ने 1966 में प्रशासन सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था और लोकपाल संस्था को उच्चतम प्राथमिकता दी थी । उसने अपने पहले प्रतिवेदन में सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि इसे कार्यान्वित किया जाये और यथा शिघ्र इस बारे में कानून बनाया जाय ।

मैंने एक गैर सरकारी विधेयक पेश किया था । गृह मंत्री के इस आश्वासन पर कि लोकपाल विधेयक तत्काल पारित किया जायेगा मैंने अपना विधेयक वापस ले लिया । इस सत्र के प्रारंभ दिन संयुक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा समय बढाने का प्रस्ताव पेश किया । मैंने उसके विरोध में प्रस्ताव दिया जिसपर सभा द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि समिति सत्र के समापन से पूर्व अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी । बजट सत्र इतना लम्बा था परंतु इसमें समिति को इतनी कम बैठकें हुई । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समिति लोकपाल विधेयक के बारे में गंभीर नहीं है । **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री सौगत राय : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । संयुक्त समिति के सदस्य के नाते मुझे कुछ आपति है । संयुक्त समिति का गठन सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदन के इस प्रकार को बातों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री पी० के० देव : मैं अपने शब्द वापस लेता हूं । संयुक्त समिति को कार्यवाही गुप्त होती है । परंतु हम सब जानते है कि कुछ दिन पूर्व इस पर आंशिक रूप से विचार किया गया था और उसमें गंभीर मतभेद हैं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या हम संसदीय समिति के आचरण पर चर्चा कर सकते है? वह समिति को कार्यवाही का उल्लेख कर रहे हैं ।

श्री पी० के० देव : प्रतिवेदन सभा के समक्ष आयेगा और उस पर चर्चा होगी । बहुत से सदस्यों के संशोधनों को सूचना दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि समय नहीं बढाया जाना चाहिए ।

श्री के० लकप्पा : मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है । **(अन्तर्बाधाएं)**

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): You know the history of this Bill. It has been referred to Joint Select Committee a number of times since 1968.

I would like to lay emphasis on the fact that the Lokpal Bill must be introduced in the House on the first day of next session and further extension should not be given in the matter, because good work should be done at the earliest possible.

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुरा) : यह विधेयक संयुक्त समिति को 1-8-1977 को सौंपा गया था और समिति को अपना प्रतिवेदन 14-11-77 तक देना था । इस समिति का कार्यकाल दो बार पहले ही बढाया जा चुका है । मैं उन्हें सिर्फ एक महिना और देना चाहता हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जहां तक इस समिति का सम्बन्ध है, मैं स भा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि समिति अपना प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में ही देना चाहती थी और अपेक्षित समय से अधिक नहीं लेना चाहती थी । समिति द्वारा दौरे न किया जाना और साक्ष न लिया जाना, इस बात के प्रमाण है । परंतु कुछ समस्याएं वास्तव में जटिल होती है जिनमें समय लगता है । जैसे ही ऐसी समस्याओं को हम हल करने वाले थे कि गृह मंत्री बीमार हो गए और उनकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना ऐसी समस्या का समाधान होना कठिण है । अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वें इस मामले पर सहानुभुतिपूर्ण रूख अपनाए और प्रतिवेदन को पेश करने के लिए हमे कुछ समय और दे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जन सेवकों के विरूद्ध अवचार के अविकथन की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धीत विषयो का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० लकप्पा : मेरा अनुरोध है कि . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है । अब इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी जाएगी । इस बारें में कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए ।

(अन्तर्बाधाएं)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैंने श्री अटल बिहारी बाजपेयी और श्री एच० एम० पटेल के विरूद्ध विशेषाधिकारों के प्रस्तावों की सूचनाएं दी थी । मैं यह अनुरोध करता आ रहा हूं कि उन पर सभा में विचार किया जाए ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनके बारे में कुछ बातों का स्पष्टिकरण चाहिए । अतः मैं विदेश मंत्री और विधि मंत्री दोनों को ही बुला रहा हूं । इस बारे मे आपको और दूसरे पक्ष को सोमवार को अवसर दिया जाएगा ।

सभा के कार्य के बारे में
RE. BUSINESS OF THE HOUSE

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : आप नियम 353 और 357 देखने का कष्ट करें। संसदीय कार्य मंत्री ने अगले सप्ताह के सरकारी कार्य के बारें मे कोई वक्तव्य नही दिया है। अब हम यह जानना चाहते है कि क्या संविधान संशोधन विधेयक इस सत्र मे पेश किया जायगा अथवा नही, ऐसा कोई संकेत नही मिलता कि शाह आयोग के प्रतिवेदन दल-बदल पर रोक सम्बंधी विधेयक और वृद्ध औद्योगिक संबंध विधेयक इस सत्र में सभा में विचारार्थ लाय जायेंगें अथवा नहीं। क्या हम कल बैठ रहे है ? क्या सत्र 16 तारीख के बाद भी बढ़ाया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। यदि मंत्री महोदय कुछ कहना चाहे, तो कह सकते है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राष्ट्रपति ने 16 तारीख को लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया है। यह समझ मे नही आ रहा है क्या यह एक नया सत्र है। इस बारें मे स्पष्टीकरण की जरूरत है। इस बारें मे नियम स्पष्ट नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आपने यह आश्वासन दिया था कि गुरूवार के लिए निर्धारित कार्य के मद सोमवार को लिए जाएंगे। क्या सोमवार को आधी रात तक बैठना है ? आप से आशा है कि आप अपना वचन पूरा करेंगें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि गुरूवार के लिए निर्धारित सभी मद सोमवार को लिए जाएंगें। मैंने तो यह कहा था कि गुरूवार का प्रश्न काल सोमवार को लिया जाएगा । सरकार क्या कर रही है, यह मुझे मालूम नहीं है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मेरे मित्र श्री मावलंकर ने कुछ विधेयकों का जिक्र किया है । इन विधेयकों के बारे मे सरकार स्थिति स्पष्ट करती रही है। वृद्ध औद्योगिक संबंध विधेयक के बारे में दो दिन पहले ही वक्तव्य दिया गया है। जहां तक संविधान संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है, सरकार का विचार सभा से सोमवार को इसे पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगने का है। जहां तक दल-बदल रोकने सम्बन्धी विधेयक का सम्बन्ध है, इस बारें मे विपक्षी दलों के नेताओ की बैठक 11 तारीख को हुई थी। यदि हम इस विधेयक को इस सप्ताह में तैयार करने में समर्थ हुए, तो इसे भी सोमवार को पुरःस्थापित कर दिया जायेगा। जहां तक शाह आयोग के

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

प्रतिवेदनों का सम्बन्ध है, वे ऐसे वक्तव्य सहित सभा-पटल पर रख दिए जाएंग, जिसमें यह बताया जाएगा कि सरकार उन पर क्या कार्यवाही करना चाहती है। मुझे आशा है कि वे सोमवार को सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

यह भी शिकायत की गई है कि संसदीय कार्य मंत्री से अगले सप्ताह के लिए सभा के कार्य के बारे में वक्तव्य नहीं दिया है। इस बारे मे निवेदन है कि स्वयं आपने यह प्रस्ताव किया था कि गुरुवार के लिए निर्धारित कार्य मद सोमवार के लिए जाएंगे और सभा ने इसे स्वीकृति दे दी थी। इस लिए मैंने अगले सप्ताह के लिए सभा के कार्य की घोषणा करने के लिए सभा का समय नहीं लेना चाहा था

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं जानना चाहता हूं कि वृहद औद्योगिक संबंध विधेयक किन कारणों से अभी तक नहीं लाया गया है। यदि यह विधेयक इसी तरह से स्थगित किया जाता रहा तो औद्योगिक शान्ति को खतरा होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोड़ी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वर्तमान सत्र सोमवार को समाप्त हो जायेगा और 16 तारीख को संयुक्त सत्र एक नया सत्र होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह एक काननी प्रश्न है जिस पर निर्णय देना न्यायालय का कार्य है।

श्री बी० शंकरानन्द : परन्तु सत्र की अवधि क्या हो, इसका निर्णय तो अध्यक्ष ही करता है। वर्तमान सत्र कब समाप्त होगा ?

अध्यक्ष महोदय : चालू सत्र 16 को समाप्त होगा।

श्री बी० शंकरानन्द : 16 तारीख को ?

अध्यक्ष महोदय : यह 15 को समाप्त होगा।

श्री बी० शंकरानन्द : यह 15 को समाप्त होगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आपने ठीक हीं कहा है कि आपने कोई आश्वासन नहीं दिया था और केवल यह कहा था कि कार्य सोमवार को लिया जायेगा। जहां तक हमारा संबंध है, यदि सभा बुधवार को भी बैठ जाये और उस दिन सोमवार के लिए निर्धारित कार्य करे तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : आपने कहा है कि वर्तमान सत्र 15 तारीख तक चलेगा, फिर आप 17 तारीख को सत्र कैसे जारी कर सकते है। सरकार के विचार इस बारे में स्पष्ट नहीं है। लोक सभा सत्र के दौरान संयुक्त सत्र कैसे हो सकता है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : संयुक्त सत्र के लिए आमंत्रण पत्र संविधान के उपबन्धों के अनुसार जारी किये गये है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय ने कहा है कि सभा बुधवार को बैठ सकती है। वर्तमान स्थिति के अनुसार लोक सभा का वर्तमान सत्र सोमवार को समाप्त होगा और संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आमंत्रण पत्रों के आधार पर होगा। इस प्रकार संयुक्त सत्र सोमवार और बुधवार के बीच में होगा। संयुक्त सत्र के लिये लोक सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट 'सम्मन' भेजने होंगे। यह संवैधानिक व्यवस्था है जिससे बचा नहीं जा सकता।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह कहने का क्या कारण है कि लोक सभा का सत्र 15 तारीख को समाप्त हो रहा है। मुझे पता नहीं ऐसी घोषणा कब की गई थी।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : अध्यक्ष महोदय ने कहा था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि वर्तमान संकेतों के अनुसार 15 तारीख का सत्र समाप्त होगा। यदि सरकार अवधि बढाने का अनुरोध करे तो यह हो सकता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : संयुक्त सत्र बीच में आ रहा और राष्ट्रपति के द्वारा विशेष 'सम्मन' लेन कर बुलाया जा रहा है।

श्री मोरारजी देसाई : संविधान में ही यह व्यवस्था है कि जब दोनों सभाओं के सत्र चल रहें हो तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस लिए 16 को संयुक्त बैठक न होने और 17 तारीख को न आने का प्रश्न ही नहीं है। लोक सभा 17 तारीख को भी बैठे। इसका निर्णय आज ही हो जाना चाहिए।

श्री हरि विष्णू कामत (होशंगाबाद) : जब तक यह सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जाता और सत्रावसान नहीं हो जाता तब तक सत्र जारी रहता है। अतः बुधवार और गुरुवार को सभा की बैठक बुलाने में कोई रुकावट नहीं है। जो सभा का कार्य आज शेष बचा है उसको सोमवार को ले लिया जाय। क्या वह स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि क्या सभा का समस्त कार्य समाप्त करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो पुरी रात का सत्र रखा जाएगा और यदि यह सम्भव नहीं तो आपको या मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिए कि बुधवार और गुरुवार को सभा की बैठक होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करके निर्णय करूंगा।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया कानूनी पहलू पर ध्यान दीजिए। आप इस पर दो बजे चर्चा कर सकते है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने अभी कोई निर्णय नहीं किया। अब सभा स्थगित होती है और पुनः 2 बज कर 5 मिनट पर समवेत होगी।

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजकर पांच मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Five Minutes past Fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर नौ मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at nine minutes past Fourteen of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

अध्यक्ष महोदय : इस समय दो प्रश्न विचाराधीन है अर्थात वर्तमान सत्र कब समाप्त होगा और दुसरा क्या राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त सत्र एक पृथक सत्र है। जहा तक पहले प्रश्न का संबन्ध है, मुझे बताया गया है कि यह सत्र संभवत: 16 तारीख को समाप्त हो जाएगा। अंतिम दिन संयुक्त सत्र के लिए रखा गया है । विधि के अनुसार सत्र तब समाप्त होता है जब सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय अथवा सत्रावसान हो जाए । इस प्रकार के निर्णय के बिना कोई व्यक्ति यह नही कह सकता कि सत्र कब समाप्त होगा। जहा तक दुसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यह बात संविधान के अनुच्छेद 108 की रचना पर निर्भर करती है । उस संबंधी निर्णय करने से पूर्व गम्भीरता पूर्वक विचार की आवश्यकता है । मेरे विचार में अभी इसकी आवश्यकता भी नही है ।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : सरकार को चाहिए कि वह आपको अपना कार्यक्रम बताये कि सत्र कब समाप्त होने जा रहा है, मंत्री महोदय भी इस स्थिती को स्पष्ठ कर सकते है ।

श्री के० गोपाल (करुर) : गत सप्ताह जब श्री कामत नें सत्र की समाप्ति के बारे में प्रश्न पुछा था तब प्रधान मंत्री ने कहा था कि किसी भी मामले मे 16 तारीख बाद नही।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविंद्र वर्मा) : सरकार का आशय यही है, जैसा कि आपने बताया है, कि चालू सत्र का कार्य 16 तारीख को समाप्त हो जाना चाहिए ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने कहा है कि सत्र 16 तारीख तक चलेगा। परन्तु 16 तारीख ॠसंयुक्त सत्र है । लोक सभा का सत्र औरसंयुक्त सत्र दोनों एक ही दिन नही चल सकतें ।

अध्यक्ष महोदय : संयुक्त सत्र के बाद लोक सभा कि बैठक हों सकती है इसमें कोई कठिनाई नही है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय ने हमे बताना चाहिए कि क्या 16 तारिख के संयुक्त सत्र के बाद लोकसभा कि बैठक भी होंगी ।

श्री समर गुह (घंटाई) : राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा को बैठक के लिये 'सम्मन' भेजे गये थे। अब संयुक्त सत्र के लिये 'सम्मन' भेज गये है । क्या पहले सम्मन का अधिलंघन करके दुसरे सम्मन भजे गये है । यदि यह बात है तें संयुक्त सत्र समाप्त होने क बाद लोक सभा कि बैठक के लिये पृथक सम्मन भेजने पडेंगे । फिर एक सत्र समाप्त होनें पर माननीय सदस्यों को घर जाने और वापस आने की सुविधा जुटाने कि भी कठीनाई पैदा होती है । इसके साथ हि वें अन्य विशेषाधिकारी कें भी अधिकारी बन जातें है। इस प्रकार कि स्थिती का संविधान अथवा नियमवालो में कोइ समाधान नही मिलता । अत: कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैनें अपना विनोर्णय दें दिया है जहा तक संविधान के अनुच्छेद 108 की रचना का सम्बध है मैं अभी इसका कोई अर्थ नहि निकाल रहा क्यों की इस में एक कठिनाई यह है कि क्या सरकार को यह काम करना है या मुझे करना है । फिर अभी कोई ऐसा अवसर भी नहि आया । यदि किसी व्यक्ति नें कोई विधेयक भेंजा तो फिर उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छद 108 की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि सभा का सत्र चल रहा है तो राष्ट्रपती अपना आशय की अधिसुचना भेज सकता है। अनुछेंद 108 (3) में लिखा है जब सत्र नही चल रहा हो तब सम्मन भेजे जा सकते है। अब हम राष्ट्रपती द्वारा 'सम्मन' भेजे जानें पर ही इस सभा में बैठें है तो क्या राष्ट्रपति एक अन्य 'सम्मन' जारी कर सकते है ? क्या हमें इस प्रकार के मामलें संयुक्त सत्र में उठाने होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में आपको कोई परामर्श नही दें सकता।

श्री बी० शंकरानन्द : सरकार ने इस बात का निर्णय नही करना है। इसका निर्णय तो आप ही कर सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जब सत्र चल रहा हो तो संदेश के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है, सम्मन भेज कर नही।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। इसमें तर्क करने की कोई बात नही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : लोक सभा के सचिव ने राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये 'सम्मन' परिचालित किये हैं। अध्यक्षपीठ की जानकारी के बिना यह काम नही हो सकता। 'सम्मन' भेजे जाने के बाद दोबारा 'सम्मन' नही भेजे जा सकते। राष्ट्रपति सभा को संदेश भेज सकते थे कि वह किसी दिन विशेष की संयुक्त बैठक चाहते है। अतः अध्यक्षपीठ को हमें सत्र की अवधी के बारे मे जानकारी देनी चाहिये ताकि हम तदनुसार अपना कार्यक्रम बना सके। मंत्री महोदय के इस कथन से स्थिति और भी अस्पष्ट हो गई है कि बुधवार को एक अल्प बैठक होगी।

क्या संसदीय कार्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 16 मई को सभा की बैठक होगी। सदन 17 मई की बैठक के बारे मे जानकारी चाहता है। यदि 17 मई को सभा की बैठक होती है तो नये आमंत्रण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नये आमंत्रण पत्रों की आवश्यकता नहीं है। अतः वादविवाद का रिकार्ड देखा जाए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं रिकार्ड को ठीक करने के लिये कह रहा हूं। सरकार को कोई आपत्ति नही है।

श्री वयालार रवि (चिरचिकिल) : संविधान का अनुच्छेद 108 देखिय। यह बहुत महत्व-पूर्ण है। पब्लिक नोटिस की आवश्यकता तब है जब इस सभा की बैठक न चल रही हो। सभा की बैठक चल रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति से केवल संदेश ही दिया जा सकता है। आपने जो व्यवस्था की है क्या वह स्थायी है ? क्या ऐसा आवश्यक है। तब स्थिति क्या होगी ? आप लोकसभा का स्थगन कब करेंगे यदि तीन चार बाते हैं जिनका स्पष्टीकरण होना चाहियें।

श्री ई० एम० एस० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : जो सन्देह कल किये गये उन सभी का बाद मे समाधान किया जायेगा। मै आपकी व्यवस्था से केवल इतना ही समझा हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : एक नयी बात उठाई गयी है । 108 (3) के अन्तर्गत आमंत्रण वाली बात ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे बताया है । मैं इस बारे में निर्णय देने नहीं जा रहा हूं मैंने व्यवस्कर दे दी है ।

एक माननीय सदस्य : संयुक्त अधिवेशन कब होगा **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य लेते हैं ।

अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोलानी) : नियम 69 तथा 70 के अन्तर्गत मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूँ । मंत्री महोदय को उक्त नियमो के अनुसार विधेयक के साथ सदन में विधेयक पर वह प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना चाहिये जो उन्हें अल्पसंख्यक आयोग से प्राप्त हुआ बताया जाता है । इस विषय पर अल्पसंख्याक आयोग ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह प्रतिवेदन की विधेयक के साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न इसमे नहीं है । प्रश्न यह है "कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति की जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ ।

संघ राज्यक्षेत्र (हिन्दी और अन्य भाषाओं का प्रयोग) विधेयक

UNION TERRITORIES (USE OF HINDI AND OTHER LANGUAGES) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मंडल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा प्रस्थापित अध्यादेशों के प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद के लिए और संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिये हिन्दी या संघ राज्य क्षेत्रों की राजभाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कि संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के प्रधिकृत हिन्दी अनुवाद के लिये और संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए हिन्दी या संघ राज्य क्षेत्रों की राजभाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री वयालर रवि (चिरिंचिकिल) : जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में एक नई प्रकृती के विकसित होने का यह स्पष्ट संकेत है और वह यह कि हिन्दी के कट्टर समर्थकों द्वारा हिन्दी भाषा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है देश की एकता तभी कायम रह सकती है जब कि हम दूसरे लोगों विशेषतया अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का आदर करे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

लोगो पर हिन्दी थोपने का यह प्रयास अत्यन्य घातक है स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे कुछ मंत्रालयों में यह हटधर्मी का दुराग्रह फैलता जा रहा है जो बहुत ही घातक है । उच्च न्यायालय में हिन्दी का विस्तार किया जा रहा है । दिल्ली में सरकारी भाषा हिन्दी है । अतः उच्च न्यायालय के मामले में हिन्दी अनुवाद करने कि कोई आवश्यकता नहीं है । फिर इसका उद्देश क्या है? पांडेचरी, गोआ, मिजोरम आदि क्षेत्रों के लोगों को अपमानित करना ही इसका उद्देश्य है । यह राष्ट्रीय एकता के प्रतिकुल है ।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्यों कि यह राजनैतीक उद्देश से लाया गया है ।

श्री के० गोपाल (करुर): यह सरकार बार बार आश्वासन देती है कि हिन्दी थोपी नहीं जा रही है परंतु इस विधेयक से यही कछ किया जा रहा है । देश मे निराशा का वातावरण पैदा किया जा रहा है । देश को विखंडित करने के लिए यही सरकार जिम्मेदार होगी और इसके लिए दक्षिण में कुछ राजनैतिक शक्तियों को दोषी नहीं ठहराना जाना चाहिए ।

श्री राजा वेलू मोहनरंगम (चेंकेपट्टू): केन्द्र के लगभग सभी विभागों मे हिंदी को जबरन थोपा जा रहा है की हिंदी को समस्त देश की राजभाषा के रुप मे अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विधेयक मे संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों के अधिकृत हिन्दी अनुवाद का उपबन्ध करने का प्रस्ताव है। पांडिचेरी, मेनम, कराइकल और माही में एक प्रतिशत लोग भी न हिन्दो बोल सकते है न समझ सकते है । इन स्थानोंपर हिन्दी को राजभाषा के रुप मे क्यों लागू किया जा रहा है । सर्वप्रथम सरकार संघराज्य क्षेत्रों में इस विधेयक को ला रही है और बाद मे इस तामिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश और केरल आदि मे लागू किया जाएगा । यह विधेयक यदि वापस न लिया गया तो इससे देश की एकता को खतरा हो जाएगा ।

श्री धनिकलाल मंडल : इस विधेयक में कोई नई बात नही है। ऐसें उपलब्ध राज्यों और उच्च न्यायालयों के मामलो में पहलें से ही विद्यमान है । संविधान और राजभाषा अधिनियम, 1963 के वर्तमान उपबन्ध संघराज्य क्षेत्रों पर इसलिए लागू नहीं हो रहें है क्योंकि इनमें राज्यपाल शब्द

[श्री धनिकलाल मंडल]

विद्यमान है। जब कि संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल और प्रशासक है। इसी कारण यह विधेयक लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "की संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा प्रस्थापित अध्यदेशों के प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद के लिए और संघ राज्य क्षेत्रों के पूरक स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में कतिपय प्रयोजनों के लिए हिन्दी का संघ राज्य क्षेत्रों की राजभाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 69   विपक्ष में 23

Ayes 69   Noes 23

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मंडल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उन्हें अपवर्जित करने से उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापीत करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री धनिकलाल मंडल : मैं विधेयक ुरःस्थापित करता हूं।

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक

MENTAL HEALTH BILL

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yalav) : Sir, I beg to move that leave be granted to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देख-रेख से सम्बधित विधी का समेकन और संशोधन करने के लिए उनकी सम्पत्ति और कार्यकलाओं की बाबत बेहत्तर उपबन्ध रहने के लिये और उससे सम्बधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I introduce the Bill.

भूमिगत रेल (संकर्ण निर्माण) विधेयक

METRO RAILWAYS (CONSTRUCTION OF WORKS) BILL

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : मैं प्रस्ताव करता हुं कि महानगरों में भूमिगत रल से सम्बन्धित संकर्ण निर्माण का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए, ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि महानगरों में भूमिगत रेल से सम्बन्धित संकर्ण निर्माण का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रो० मधु दंडवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

बिहार में शिक्षा संस्थाओं के बन्द होने के समाचार

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : It is very unfortunate that the Colleges and universities in Bihar are lying closed for the last many months. It is neither in the interest of students nor in the interest of their parents. All are aware that the main

[Dr. Ramji Singh]

cause of this unrest in the educational institutions of Bihar is the dispute on reservation issue. Whatever may be the political decision in this regard but it is a fact that this issue is indirectly causing a great loss to the students. I believe that 90 percent students wish that educational institutions should remain open, so that they can continue their studies. I therefore, request the Minister of Education that he should go to Bihar and convene a meeting of Politicians and students there and make efforts to reopen the educational institutions in Bihar by keeping aside the reservation issue.

मेघालय म शीलवारा कोयला खान के बन्द होने का समाचार

प्रो० दलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षीण): शीलवारा कोयला खान, मेघालय दो महीनों से बन्द है। पिछले 13 महीनों के दौरान इस खान को खोलने के लिये ऊर्जा मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन दिय है। इस खान के बन्द होने के फलस्वरुप असंख्य मजदूर बेरोजगार हुये है। मैं उर्जा मंत्रीसे अनुरोध करता हूँ कि वे शीलवारा कोयला खान मेखालय, को खोलने के लिये तुरन्त कदम उठायें ताकि इस पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के बेरोजगार हुये लोगों कों रोजगार मिल सके।

सरकारी उपक्रमों में तनावपूर्ण स्थिती के समाचार

श्री तुलशीदास दासप्पा : (मैसूर) मैं सभा का ध्यान प्रबंध के अनुचित रवैयें से ऐसे सभी सरकारी उपक्रमो में तनावपुर्ण स्थितो की ओर दिलाना चाहता हूँ।

यह बात सर्वविदित है कि सरकारी उपक्रमों के प्रबंध और पदाधिकारियों के साथ मजूरी वार्ता करतें करतें अन्तिम चरण पर पहुँच गयें है। जिन अधिकारियोंने पहले उचित व्यवहार नहीं किया गया वें न्याय की मांग कर रहें है। अकेले बंगलोर में ही इन उद्योगों के 6000 सें अधिक पदाधिकारी है। देशके अन्मभागों में इन उपक्रमों के एककों में 4000 पदाधिकारी कार्य कर रहें है। हम इन अधिकारीयों की औचित्यपुर्ण मांग की उपेक्षा नहीं कर सकते। प्रत्येक अधिकारी संघ ने अगस्त तक कोई कर्तबगारी नहीं को है और कहा गया है कि ये संघ मान्यता प्राप्त नहीं है।

प्रस्तावित औद्योगिक सम्पर्क विधेयक में अधिकारी संध के बारे में विशेष व्यवस्था की जाती है। अधिकारियोंके आन्दोलन को यदि इतना महत्व दिया जाता है तो यह दुर्भाग्यपुर्ण है कि सरकारी उपक्रम वास्तविकता का सामना करने से इन्कार करता है।

सरकार को स्थिती बिगडने से पहले हस्तक्षेप करना चाहिये।

प्रबन्धकों का कितना उदासिन और उपेक्षित व्यवहार है कि वे संसद सदस्य क पत्र की पावती स्विकार करने तक का पत्र नही भेजते।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से पूर्व ही वह हस्तक्षेप करे।

रेसिन का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंदर) : प्लास्टिक्स एण्ड रिसाइन्ज लिमिटेड, अरुमुगनेरी (तामिलनाडु), जिसे पी० वी० सी० पाईप बनाने के लिए लाइसेन्स दिया गया था, अपनी सुविधा के अनुसार साल मे 7 महीने से 3 महीने तक तालाबन्दी कर दी है, जिसके फलस्वरुप रेसिन की कमी हो

गई है और पी० वी० सी० पाईप का उत्पादन घट गया है । इस सामग्री का आयात पर्याप्त नहीं है । इस एकक में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं । इस एकक द्वा ा उत्पादन शुरु करना जरुरी है और इस बारे म आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए । इस एकक का विलय फाँरंगधरा केमिकल्ज असमुगनेरी मे किया जाये । यह दोनों कम्पनिया एक दुसरे से जुड़ी हुई हैं । सरकार इसे एक संकटग्रस्त एकक के रुप में भी अपने हाथ में लें सकती है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक—जारी
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (AMENDMENT) BILL-Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की इच्छा के अनुसार मंत्री जी प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं ।

श्री हरी विष्णू कामत (होशंगाबाद) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । कुछ दिन पूर्व मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया था, उसी में वह स्वयं संशोधन पेश कर रहे हैं । जिस दिन प्रस्ताव पर विचार होता हो, सूचना उससे एक दिन पहले दी जी जानी चाहिए । अतः इस नियम के निलम्बन के बिना सभा इस संशोधन पर विचार नहीं कर सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले के कई उदाहरण हैं जब नियम को निलंबित किए बिना प्रस्ताव में संशोधन किये गये और विधेयक को संयुक्त/प्रवर समिति को सौंपा गया जैसा कि सभा एकमत से निर्णय लेती थी । यह नियम भी बहुत स्पष्ट है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : प्रस्ताव में संयुक्त समिति को सौंपने के कारण नही बताये गये हैं । दुसरे अनेक सदस्य, जिन्होंने चर्चा मे भाग लिया था, चाहते हैं कि इस विधेयक को त्याग दिया जाए । सभा इसे प्रवर समिति को नहीं सौंपना चाहती । विधेयक के व्यापक विरोध के कारण सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल कर विधेयक से चिपके रहना चाहती है । आप अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नही कर रहें है ।

श्री द्वारिकानाथ तिवारी (गोपालगंज) : विधेयक को आगे विचार के लिए संयुक्त समिति को सौपनें में क्या हानी है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें 20 सदस्य लोक सभा के और 10 सदस्य राज्य सभा के होंगे ।

समिति अगले सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

Shri Tej Pratap Singh (Hamirpur): The spirit with which Mahatma Gandhi had introduced 'Khadi' for use in the country had already died and 'Khadi' would not be able to stand the competition if 'Khadi' was made with polyester. I would, therefor, support the motion of reference of this Bill to the Joint Committee which should be constituted with members having Gandhian ideology.

श्री बी० पी० मण्डल (मधेपूरा) : विधेय का उद्देश्य खादी म मानव-निर्मित रेशें मिलाना है। इस बात पर सभा में विधेयक की बहुत आलोचना हुई है। अतः सभा की भावना को ध्यान में रखते हुए, मंत्री जी को विधेयक वापस ले लेना चाहिए था या उसे लोक मत के लिए परिचालित किया जाता। मैं विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री टी० ए० पाई (उडीपी) : विधेयक का मुख्य प्रयोजन खादी की परिभाषा का विस्तार करना है। इसलिए उसकी ठीक ही आलोचना हुई है। खादी में मानव-निर्मित रेशें मिलाकर बेंचना उचित नहीं। अतः मंत्री जी इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनायें और पूर्ववत परिभाषा बनी रहनी चाहिए।

श्री नरेंद्र पी० नथवानी (जूणागढ़) : यह कहा गया है कि खादी की परिभाषा में मानव निर्मित रेशों को शामिल करने से गान्धीजी की आत्मा की हत्या हो जाएगी। गान्धीजी का मस्तिष्क खुलें विचारों का था। वह भी इस विधेयक का विरोध नहीं करतें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकतें है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION

उन्नीसवाँ प्रतिवेदन

श्री विनोदभाई बी० शेठ : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ ;

"कि यह सदन 10 मई, 1978 को सदन में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सदन 10 मई, 1978 को सदन में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विधान परिषदों को समाप्त करने के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE: ABOLITION OF LEGISLATIVE COUNCILS

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री रामजीलाल सुमन द्वारा 28 अप्रैल, 1978 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा करेंगे।

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera): I support the resolution suggesting the abolition of the upper Houses in States. It appears very unreasonable that an individual having been elected a Member of a Legislative Assembly or Lok Sabha is given a further right to vote. Even Mahatma Gandhi had contemplated in the Round Table Conference of 1931 that Legislative Council and Rajya Sabha should be abolished. It has been found that Legislative Councils have not justified their existence and they only approved what the Assemblies had enacted.

The existence of Legislative Councils is not in the public interest and they should be abolished with a view to strengthening the democratic rights given to the people. Even Dr. Lohia had said that these upper Houses were meant for entry through a back door and so, they must be abolished. Therefore, in order to maintain the democratic traditions, it is essential that the Legislative Councils in the states are abolished.

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : मैं अपने नवयुवक मित्र श्री रामजीलाल सुमन द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का विरोध करता हूं । ऊपरी सदन के बारे में यह कहा गया है कि वहां सभी हारे हुए राजनितिज्ञ शरण पा सकते है । किसी के चुनाव में हारने का अर्थ यह नहीं कि उसे राज्य सभा में न चुना जाए और उसके लिए कोई मंच न रहे । ऊपरी सदन के लिए चूनाव लड़ना कोई अपराध नहीं है ।

मेरे माननीय मित्र, जिन्होंने यह संकस्प प्रस्तुत किया है, उनका सम्भवतः यह पहला चुनाव है । उन्हें यह याद रखना चाहिए कि जनता का प्यार स्थिर नहीं रहता ।

ऊपरी सदन की संरचना की हम देखें, तो पाएगें कि उसमें विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है । एक तिहाई स्थानीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व है, एक तिहाई विधान सभाओं का प्रतिनिधित्व है । बारहवाँ भाग स्नातकों के लिए और बारहवाँ भाग अध्यापकों के लिए हैं । मनोनीत किये जाने वाले व्यक्तियों में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं । इस समय 22 राज्यों में से केवल 7 राज्यों में ही ऊपरी सदन हैं ।

संविधान की स्थिती यह है कि यदि राज्यों की विधान सभायें चाहें, तो वहां उपरी सदन हो सकता है । यदि वे नहीं चाहें, तो वे उन्हें समाप्त कर सकते हैं । संसद के लिए राज्य विधान सभाओं के कार्य में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा । उत्तर प्रदेश के बारे में मांग की जा रही है कि इसे दो राज्यों में विभाजित कर दिया जाए । कुछ लोग माँग करते हैं कि दस करोड़ की आबादी वाले इस राज्य को तीन भागों में विभाजित कर दिया जाय । अगर तीन राज्यों में इसे विभाजीत कर दिया जाता है, फीर भी प्रत्येक राज्य में ऊपरी सदन हो सकता है ।

हम एक ही विधेयक पर विभिन्न स्वरुपों में विस्तार करते है । पहला पाठ, दुसरा पाठ, तिसरा पाठ करते हैं अथवा उसे सार्वजनिक मत प्राप्त करने के लिए प्रेषित करते हैं । प्रवर समिती को भी विचारार्थ भेजते हैं । यह कार्य दोहरा कार्य नहीं है । इसके पीछे उद्देश्य यह है कि अगर कोई बात अच्छी हो तो भी उसे जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कई बार एक अच्छी बात के भी कुछ बुरे पहलु होते है जो जल्दबाजी में सामने नहीं आ पाते । अतः जल्दबाजी से कभी काम नहीं लिया जाना चाहिए ।

15—154 LSS/ND/78

[श्री ओ० वी० अलगेशन]

यहां हम जो कुछ करते है उस पर दुसरे सदन में हमारे साथी पुनः विचार करते हैं दुसरे दृष्टीकोण से विचार होता है। हमें आप दोहरा खर्च या दोहरा कार्य मात्र नहीं कह सकते। ऐसा करने से अतिरिक्त लोकतांत्रिक विचार विनिमय होता है। अतः इससे लोकतंत्र कमजोर नहीं होता बल्की मजबूत होता है।

कहा गया है की उपरी सदन में निहित स्थायों कों प्रतिनिधीत्व दिया जाता है। हमने तो किसी ऐसे तत्व को वहां प्रतिनिधीत्व नहीं जो देश को हानि पहुंचाए। बडो विचित्र सी बात है कि आम राज्यों में तो उपरो सदन की सोच लेते हैं परंतु राज्य सभा के बारे में ऐसा नहीं सोचते।

राज्य सभा तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। कल जब विद्युत प्रजनन पर शुल्क द्वारा राज्यों के हितों पर आक्रमण हुआ तो राज्य सभा ने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुये अपनी यथेष्ठ भूमिका निभाई। श्री चटर्जी कहते हैं कि राज्य सभा के अस्थायी बहुमत को बात कही है। इसका क्या अर्थ है? इस सभा का बहुमत पांच वर्ष के लिये है और राज्य सभा को दो वर्ष के लिये। परन्तू क्या इसका अर्थ यह निकलता है कि राज्य सभा लोक सभा से कम स्थायी है अथवा लोक सभा राज्य सभा से कम स्थायी है? आप यह तो कह सकते है कि कूछ विषय राज्य सभा को विचारार्थ न भेजे जाये तथा केवल कूछ भेजे जाये। परन्तू यदि राज्य सभा अपने उन विषयों पर अपना जो भी निर्णय दे उसे लोक सभा को स्वीकारना होगा। यदि ऐसा परिवर्तन करना चाहते है तो कूछ समझ में बात आ सकती है।

हमारे यहां केवल उपरि सदन ही नहीं है अनेकों स्थानीय निकाय, पंचायत बोर्ड, नगरपालिकाएं आदि भी है। इन निकायों के चूनाव को भी अनिवार्य बना दिया जाये और संविधान मे उनकी व्यवस्था की जाये। अब तो वर्षों तक उनके चूनाव नहीं हो पाते है और लोग भूल तक जाते है कि ये निकाय चूने हुए निकाय हैं। अतः उनके चनाव अवश्य तथा यथा समय कराये जाने चाहिए। तभी हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकेंगे।

आप कह सकते है कि ये सब चूनाव बहुत खर्चीले पड़तें हैं परन्तु फिर भी चुनायों के बिना लोकतंत्र नहीं है। जैसे हम रक्षा सेनाओं पर खर्च करते हैं उसी प्रकार हमें चुनावों पर भी खर्च करना पडेगा। हां, आप इस खर्च को घटा सकते हैं। आप इन सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराईये जैसाकि विधान सभाओं के मामले में किया जाता है। पंचायतों, स्थानीय नगरपालिकाओं तथा विधान सभाओं के चुनाव एक साथ हों।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य राज्य सभा को समाप्त करने से पूर्व अपना भाषण भी समाप्त करे।

श्री ओ० वी० अलगेसन : मैं तो उपरि सदन को भंग करने के विरुद्ध हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): This issue has been controversial since the very existence of the constituent Assembly. A committee was set up in 1928 by the congress under the chairmanship of Shri Motilal Nehru to consider whether there should have been two chambers or only one. That committee had recommended two chambers at the Centre but only one at the states level.

[डॉ० सुशीला नायर पीठासीन हुई
Dr. Sushila Nayar in the Chair]

Since then, Madam chairman this issue has been under constant discussions and controversial. Those who stood for two chambers at the centre, found the benefit of further discussion of political, educational and economic policies in the other House, i.e. Rajya Sabha also. In fact, the conception of our legislation is a copy? that of Britishers in Bertain also there are two Houses. But Mahatma Gandhi was against the existence of this House. I quote line:

"Mahatma Gandhi held that a second chamber for a country like India was a costly superfluity. "I am," declared Mahatmaji "certainly not enamoured of and I do not swear by two Houses of Legislature. I have no fear of a popular Legislature running away with itself and hasily passing some laws of which afterwards it will have to repent. I would not like to give a bad name to, and then hang, the popular Legislature. I think that a popular Legislature can take care of itself; and since, I am now thinking of the poorest country in the world, the less expenses we have to bear the better it is for us". He urged that the "method" of one chamber legislature should be tried, and added."

Our country is a poor country and cannot bear the expenditure on the maintenance of Upper Houses and as such, this white elephant i.e. Rajya Sabha should be abolished. But I have already said, it is a very controversil matter I request the hon. Minister to constitute a Committee to undertake a deep study of the entire issue, to assess and evaluate the performance of the Upper Houses both in the states and at the centre and also to consider the question whether any central Legislation is necessary to abolish the upper Houses in the states. This committee should be represented by State Chief Ministers and others.

Thus I am of the opinion that any decision in this matter should be taken by this House only after considering the viewpoints and recommendations made that committee.

Shri H. Satyanarayan Rao (Karimnagar): Shri Kanwar Lal Gupta's support for this resolution is, perhaps, based on his strange assumption that congress will always remain in Majority in Rajya Sabha. I do admit that there are certainly merits and demerits of this resolution, but in totality I feel that there should be an Upper House not only at centre but in a state also. The builders of the constitution did have this provision after a very careful thought. After all who shall exercise a check in case some mistake sometimes out of emotion also, is committed by the lower House? The Upper House can consider the issue peacefully. And by the time the issue reaches the Upper House not only emotions, if any in the Lower House, are subsided, but some public opinion also come out.

Shri Kanwar Lal Gupta: I have not asked for abolition. I have suggested a deep study in merits & demerits, before any conclusion is reached.

Shri M. Satyanarayan Rao: Study is not bad; and it has been going on since Independence; and that has shown that we should have an Upper House.

Then, not many people of wisdom and character opt to contest elections. If such people are not brought in one the forefront, by means of including them in the Council of States or Legislative Councils. The people will be deprived of their contribution.

[Shri M. Satyanarayan Rao]

But, on the other hand, the Members of the Councils, once elected, enjoy the stability for 6 years whereas the Members of the Lower Houses though elected for five years, and that too after hard work of public contact and other strenous endeavours, have no security for the continuity since the Lower House can be dissolved at any time. This anomaly should be removed and equal duration should be prescribed for the member in both Houses. Either you should one year in case of Upper Houses or increase the duration by one year in the Lower House.

....Interruption ....

The existence Rajya Sabha is a must since it represents the states. The Members of the Lower House represent the entire nation, whereas the Members of the Rajya Sabha represent their particular states from where they are elected.

Here I would like to suggest that when a Bill is returned by the Upper House to the Lower House with certain changes or amendments, the Lower House should not make it a prestige issue. This year again the Finance Bill has come back with amendments. Why should it be views from this angle that it has been returns by the opposition party i.e. congress. What is the harm in accepting the amendment even though it is suggested by opposition and it is good? Why to make it a prestige issue for nothing?

I, therefore, appeal to my friends Ramji Lal Suman not to assert on this resolution and let him withdraw it.

Shri Ramji Lal Suman (Ferozabad): I have to raise a point of order. Kindly keep an eye on the time also and let the hon. Minister say how much time he will take.

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani): The ideology, which we are following in our politics these days, has always been against the existence of an Upper House. Some years ago when Shri Daroga Prashad Rai, the then Congress Chief Minister of Bihar got the resolution passed in the Lower House to abolish that Upper House there, there was an upheard among his congress colleagues with the result that the resolution was brought again for reconsideration and rejection. Similarly in U.P. too, the Upper House still exists despite a resolution passed by the Lower House there for abolition of the former.

It is wrong notion that certain educational classes of people or other alike get representation in the Upper House. On the considering only a handful of leaders chose their favourite men to represent in the Upper House and try to reconsider what is considered and decided by the representatives of the masses of our country in this Lower House. I know how the Members of the Rajya Sabha are elected. At times, the capitalist become the Members just by spending a few lakh rupees. We have seen such corrupt practices in Bihar, U.P. etc. I recollect when a capitalist won the election for Rajya Sabha against Shri Raj Narain. Therefore, there is no justification of the Upper House in our poor country. It is a very costly affairs without serving any purpose of benefit.

It is well known that the persons rejected by the people at the election are given entry to the Upper Houses. The point that intellectuals and experts are given representation in the Upper Houses, since they have opted to fight elections in the general fray, could be understand only if there had been a special provision for the same. But we find that it is not so, we know that the suggestion of the Upper House has

no value on|ce the Lower House passes a Bill, then why to keep the Upper House at all? It is better to have a committee of five legal experts to go into such matters that will be very economical. Keeping a check on the activities and decisions of the people's representatives is an only British Theory so as to retard the progress of work. The same is prevalent in Govt offices on account of bureaucratic system. These are in fact like speed-breakers and we should do away with them at the earliest. On the other hand we should strengthen the village Panchayats etc. for enforcing strong democratic traditions with these words I support the resolution.

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापूर) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं तथा मुझे यह भी सन्देह है कि क्या वैधानिक रूप में हम इस सभा के सदस्य, ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा भी कर सकते है अथवा नहीं।

विधान परिषदों का स्थापना संविधान के अनुच्छेद 168 के अधीन पृथक अस्तित्व के रूप में हुई थी। अत: यह संकल्प हमारे विचार क्षेत्र से बाहर का विषय है। हम इस बारे में अपने विचार नहीं दे सकते। दूसरे, मूझे आश्चर्य है कि कुछ सदस्यों ने यहां इन परिषदों तथा राज्य सभा को स्थापना, उनकी स्थापना करने वाले हमारे संविधान निर्माताओं, इनके वर्तमान तथा पूर्वावर्ती सदस्यों के बारे में छीटाकशी की है।

हमारा देश एक विशाल देश है हमें इसके व्यापक विकास के लिए नियम तथा विनियम बनाने होते है। भिन्न दो कार्य हमारे सामने है निचले सदनों द्वारा विचार के पश्चात उन पर उपरि सदनों द्वारा पुन: विचार की प्रणाली हमारे संविधान निर्माताओं ने काफो सोच समझकर बनाई थी, बल्कि कोई त्रुटि न रह जाये जिससे देश को कोई हानी हो। इसलिये प्रत्येकों को व्यर्थ खर्च के स्रोत कहना उचित नहीं है।

वे कहते है कि परिषदों में जनता द्वारा अस्वीकृत लोग मारे जाते है। क्या जनता पार्टी के वर्तमान सदस्य जनता द्वारा अस्वीकृत लोग हैं? क्या वे निराश हुए राजनीतिज्ञ हैं? फिर एक तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं, जिला बोर्डो तथा अन्य स्थानीय निकायो के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का प्रावधान दे। यह प्रतिनिधित्व इन निकायों को मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार सदस्यों को संख्या का 12 वां भाग राज्य के स्नातकों द्वारा चुने जाने का प्रावधान है। इतनी ही संख्या सैकन्डरी स्कूलों के अध्यापकों द्वारा चुनी जाती है। एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधान सभा सदस्य करते हैं। इस प्रकार यह कहना गलत है कि मनमर्जी के लोग भर लिये जाते है।

उपरि सदन निचले सदन द्वारा किये गये निर्णयों पर शांतिपूर्ण तथा उत्तेजना रहित वातावरण में पुन: विचार करता है ताकि जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न हो।

फिर यह कैसे आप कह सकते है कि एक चुना हुआ व्यक्ति निश्चय ही विद्वान होता है तथा मनोनीत व्यक्ति विद्वान नहीं होता? ऐसा कहना गलत है। यह कहना भी सही नहीं है कि परिषदों के सदस्यों का कोई योगदान नही है तथा उनपर पैसा कवल व्यर्थ ही होता है। इन उपरि सदनों का गठन बदल सोच-विचार के पश्चात हुआ था ताकि विधान बनाते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी अथवा उत्तेजना पूर्ण कार्य न हो जाये।

[श्री एस० आर० दामाणी]

परन्तु मैं तो सर्वप्रथम यही कहूंगा कि इस सभा को परिषदों को समाप्त करने का संकल्प पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि उनकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 168 के अधीन हुई थी। यह तो तभी संभव है जब स्वयं किसी परिषद के सदस्य दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का संकल्प पारित करके संसद को निर्णयार्थ भेजें। इस तरह यह विषय हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है।

हाल ही में लोक सभा में प्राप्त वित्त विधेयक को राज्य सभा के सभी विपक्षी दलों ने अस्वीकार कर दिया परन्तु पुनः लोक सभा में जनता पार्टी ने अपने बहुमत के बल पर पारित करा लिया। केवल बहुमत की वजह से करना सभी विपक्षी दलों ने उन प्रावधानों का विरोध किया था।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि हम संकल्प पर विचार करना हमारे अधिकार से बाहर की बात है तथा विधान परिषदों के सदस्य निश्चय अपना पूरा योगदान देते हैं और बराबर कार्य करते हैं। अतः ये सदन बने रहने चाहिये।

सभापति महोदया : मंत्री महोदय कितना समय लेंगे ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं।

सभापति महोदया : प्रस्ताव पर सदस्य कितना समय लेंगे।

Shri Ramji Lal Suman: Fifteen minutes.

सभापति महोदया : इसका अर्थ है कि मैं एक या दो से अधिक वक्ता को समय नहीं दे सकती।

श्री वसन्त साठे : यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है। सभा का समय बढ़ा दीजिये। जल्दी क्यों की जाये ?

Shri Ramji Lal Suman: Time was extended when there was a resolution from Shri Samar Guha. You may extend now also.

सभापति महोदया : श्री अमृत नहाटा !

श्री अमृत नहाटा (पाली) : संविधान में संशोधन के इस संकल्प पर विचार करने का इस सभा को पूर्ण अधिकार है तथा राज्यों की विधान परिषदों को भंग किया जा सकता है। संसद इस संशोधन को पारित करके राज्यों को भेजे और यदि अधिकांश विधान परिषदें इस से सहमत हो जाये तो उपरि सदनों को भंग किया जा सकता है।

आज के संसदीय लोकतंत्र में विधान परिषदें अर्थात उपरि सदन असंगत हो गये हैं इनको बनाये रखने के लिये दो दलीलें दी गई हैं। एक तो यह संघीय प्रदेशों व राज्यों के दलों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उपरि सदन होना चाहिए। परन्तु हमारे देश में ठीक परिस्थिती नहीं है। हमारा राष्ट्रीय स्वरूप फेड्रल नहीं है बल्कि महा संघ का स्वरूप एकात्मक है। यही

कारण है हमारे यहां उपरि सदन के सदस्य राज्य विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं। हम अपने देश को अर्द्ध संघीय देश की संज्ञा दे सकते हैं। विधायकी क्या संवैधानिक रूप से मैं केन्द्र में राज्य सभा के बने रहने से सहमत हूं परन्तु हमारा अनुभव रहा है कि उपरि सदन ने हमेशा राज्यों का नहीं अपितु मुख्य मंत्रियों का प्रतिनिधित्व किया है। वे अपने अपने राज्यों की अपेक्षा अपने दलों का अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं।

राज्य सभा तथा लोक सभा के बीच हाल ही के मतभेद का मात्र कारण यह रहा है कि शासक दल का राज्य सभा में बहुमत नहीं है। विवाद की जड़ यही बात है कि राज्य सभा में विपक्ष का बहुमत है। अगर दुर्भाग्य से शासक दल थोडे से अन्तर से विजयी हुआ होता तो विपक्ष शासक दल को कुछ भी न करने देता।

वस्तुतः उपरि सदन का अस्तित्व सर्वथा अलोकतंत्रीय है। वहां मत विभाजन केवल दलीय आधार पर होता है। राज्य सभा के सदस्य यहां लोक सभा के सदस्यों से अधिक बुद्धिमान भी नहीं है। इस सदन में भी स्नातक है तथा वहांसे अधिक संख्या में है। यहां युवक भी अधिक है। वस्तुतः तो हमारे इस लोक सभा में अपेक्षाकृत अधिक पढ़े लिखे, विज्ञ तथा सुबुद्ध लोग हैं।

जहां तक विधान परिषदों का प्रश्न है उनके बारे में यह तर्क किया जाता है कि विधान परिषदों के सदस्य अधिक बुद्धिमान होते है जब कि विधान सभाओं के सदस्य को कम बुद्धिमान होते है तथा जल्दबाजी में काम करते है। यह धारणा नितांत असंगत है। यदि विधान सभाओं के सदस्य असंतुष्ट और कम बुद्धिमान है तो सारा देश ही इसी प्रकार का है। प्रजातंत्र प्रणाली में गलती हो ही जाती है किन्तु हम गलतियों से सबक सीखते हैं। दो राज्यों दो तिहाई के बहुमत से यह संकल्प पारित किया था कि विधान परिषद नही होनी चाहिये किन्तु उन संकल्पों को राष्ट्रपति की सहमति नहो मिल सकी। यह बिल्कुल सच है कि विधान परिषद जनता का प्रतिनिधीत्व नहो करती। वे राजनितिक पार्टियो का ही प्रतिनीधित्व करती हैं तथा जिन लोगों को विधान सभाओं के सीट नहो मिल पाती उनको अप्रत्यक्षरूप से विधान परिषद में लाया जाता है। प्रजातंत्र प्रणालो में इस प्रकार से राजनिति में प्रवेश मे कोई स्थान नही होना चाहिये।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): श्री सुमन ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उससे बहुत महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रश्न उत्पन्न होते है। दो संसदिय प्रणाली पर राजनीति शास्त्रीयों ने बहुत विचार किया है तथा उन्होंने पाया है कि विश्व के अधिकांश देशों में इसी प्रणालो का अनुकरण किया जाता है यद्यपि एक सदनीय प्रणालो उनके विचार से अधिक उपयुक्त है। हैरल्ड लास्की ने एक सदनोय प्रणालीका ही अधिक पक्ष लिया है किन्तु लास्की एक राजनिती शास्त्री थे राजनितिज्ञ नहीं, मैं इस विषय पर विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित विचार धारा के परोप्रेक्ष में विचार न करके केवल भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही कुछ कहना चाहुंगा, विशेषकर 1952 के पश्चात देश में हुई विभिन्न राजनितिक गतविधियों को ध्यान में रखकर। श्री सुमन ने इस संकल्प में केवल विधान परिषदों का ही उल्लेख किया है। अतः मै भी राज्य सभा के बारेमे प्रत्येक्षरुपसे कुछ नहो कहना चाहूंगा। मै श्री नाहटा के इस कथन से सहमत हूं कि राज्य सभा का कम से कम कागजों में कुछ न कुछ योगदान अवश्य है। इसी संदर्भ में मै सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि, आपात स्थिति के दौरान तत्कालीन सरकार ने अत्याचारपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिये राज्य सभा का ही सहारा लिया था लोकसभा

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

का नहीं। ज्ञात नहीं मंत्रिमंडलने उस बात की इजाजत किस प्रकार दी। वास्तव में उस समय मंत्रिमंडल था ही कहाँ वह तो केवल एक व्यक्ती का था। उस घटना से ज्ञात होता है कि सरकार अपने उद्देशों को पुरा करने के लिये दूसरे सदन का किस प्रकार उपयोग कर सकती है। मैं आशा करता हूं की, भविष्य में ऐसा नहीं किया जायेगा।

विधान परिषदों के बारे में संविधान सभा मे श्री कामत और श्री के०टी० शाह जैसे विद्वानों ने राज्यों में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की व्यवस्था का विरोध किया था क्योंकी उनके विचार से दूसरा सदन आवश्यक कानून बनाने में सहायक सिद्ध होने की बजाय बाधक था उनके विचार से दूसरे सदन की व्यवस्था से देश को व्यय ही अतिरिक्त व्यम का वहन करना होगा।

दूसरे सदन के बारे में डॉ० अम्बेडकर का कहना था की वह व्यक्तिगत रुप से दूसरे सदन की व्यवस्था के पक्ष में नही थे उन्होंने कहा था कि हम प्रयोगात्मक उपाय के रुप में दूसरे सदन की व्यवस्था कर रहे है। श्री० सुमन ने कहा है कि विधान परिषदों ने कोई उद्देशपूर्ण कार्य नही किया है। दूसरे विधान परिषद कानून बनाने में बाधक सिद्ध हो रही है तथा तीसरे भारत जैसे गरीब देश में दूसरे सदन को व्यवस्था अधिक खर्चीली है।

सब से पहले यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्यों में विधान परिषद नहीं है। उनमें संवैधानिक या राजनीतिक अथवा कानूनी दृष्टी से कोई कठीनाई हो रही है। देश में कुल 22 राज्य है जिनमें से केवल सात राज्यों में विधान परिषद है तथा 15 में नही है, जब 15 राज्यों में बिना कठिनाई कार्य चल सकता है तो देश के अन्य राज्यों में विधान परिषद रखने की क्या आवश्यकता हो सकती है।

यह तर्क दिया जाता है की विधान परिषद के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के लोगों कों, जैसे की अध्यापक, प्रतिनिधित्व मिल जाता है। किन्तु वास्तविकता यह है की कोई भी अध्यापक तब तक विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता जब तक की वह पहले किसी राजनीतिक दल से संम्बद्ध न हो। अतः यह तर्क भी न्यायोचित नही है। इसके अतिरिक्त दूसरे सदन में केवल विचारों का पुनर्कथन ही होता है अर्थात लगभग वही बातें कही जाती है जो विधान सभा में कही गई है क्यों की विधान परिषद में भी उन्ही राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है तथा चर्चा में कोई सुधार नहीं होता। देखा यही गया है की जो राजनीतिक नेता विधान सभा के चुनाओं में विजयी नहीं होते उनके दल उनको विधान परिषद का सदस्य बना देते है तथा सरकार भी दूसरे सदन का अनुचित लाभ उठाता रहा है। अतः मेरा सूझाव है की सदन माननीय सदस्य के उस संकल्प को स्वीकार कर ले।

सभापति महोदया : इस संकल्प पर विचार के लिये केवल एक घंटा और 36 मिनट शेष रहे है। बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते है तथा समय बढाये जाने की मांग की जा रही है। इस बारे में सदन का क्या विचार है।

श्री वसंत साठे : समय बढाया जाये क्योंकी मैं भी बोलना चाहता और कुछ अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते है।

एक माननीय सदस्य : दो घंटे समय बढाया जाये ।

सभापति महोदया : यदि दो घंटे का समय बढाया गया तो दूसरा संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा । अतः मैं केवल दो तीन सदस्यों को अवसर दूंगी । जिससे दूसरे संकल्प के लिए भी समय बच जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : मैंने एक प्रस्ताव दिया है **(व्यवधान)**

सभापति महोदया : आप कृपया बैठ जाइये । इस संकल्प पर चर्चा समाप्त होने के बाद श्री कौसलराम के संकल्प पर चर्चा की जायेगी । उसके पश्चात ही तीसरे संकल्प पर चर्चा की जा सकती है । अब मैं श्री लक्ष्मी नारायण नायक से अनुरोध करती हूं कि वह संक्षेप में अपनी बात कहें ।

Dr. Laxmi Narain Nayak (Khajuraho) : Madam Chairman, I rise to support the resolution by Shri Suman regarding abolition of Upper Houses in the states.

Ours is a poor country and we will have to see that all infructuous expenditure being incurred in our country is stopped. It is a fact that in most of the states there are no Legislature Councils but they are doing well without facing any constitutional or legal difficulties. I think if Lok Sabha to-day adopts this resolution and then amends the constitution to abolish Upper Houses in the states then the people of this country will certainly be very happy. I also suggest that the office of Governor should also be abolished in the interest of the country.

I fully agree to the statement that during the course of the debate Upper House only repeats the same ideology and view points which are already stated in the Lower House. It is also a fact that Lower House or Lok Sabha comprises of experts in almost all the fields like medical, science and what not. Therefore Lower House is completely competent to legislate on each and every field. We should respect public opinion and not the opinion of individual member. To-day public opinion is in favour of abolishing the system of Upper Houses in the state. By doing so we will save certain money which should be spent on development works in the country for the benefit of common people. With these words I support the resolution moved by Shri Suman.

* **श्री के० राममूर्ति** (धरमपुरी) : महोदया, मैं इस संकल्प के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं . . .

Shri Ramji Lal Suman : Madam, with your permission I would like to clarify that my resolution does not propose to abolish Rajya Sabha whereas most of the speakers have expressed their views regarding Rajya Sabha.

श्री के० राममूर्ति : श्री रामजीलाल सुमन ने मांग की है राज्यों में विधान परिषदों तथा केन्द्र में राज्य सभा को समाप्त कर दिया जायें । मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं । मेरे विचार से माननीय सदस्य ने यह संकल्प इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि जनता सरकार का राज्य सभा मे बहुमत नहीं है तथा वह राज्य सभा से उन कानूनों को पास कराने मे असमर्थ है । जो लोक

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतरण ।

*Summarised Hindi version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री के० रामभूर्ती]

सभा में पास हो जाते है। यदि राज्य सभा द्वारा उन विधेयकं को विफल कर दिया जाता है जिन्हें लोक सभा ने पारीत किया है तो उसमें कोई प्रजातंत्र विरोधी बात नहीं है। श्री अमृत नाहटा ने राज्य सभा को जनता की आकांक्षाओं का विरोधी सदन बताया है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी कानून को जिसे लोक सभा और राज्य-सभा दोनों ने विधिवत पारीत किया है। न्यायालय संविधान विरोधी बताकर रद कर देता है तो क्या यह प्रक्रिया प्रजातंत्र के सिध्दांत के अनुकूल है !

जनता सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि के बारे में बहुत ढोल पीटती है किन्तु न्यायपालिका किसी न किसी बहाने से विधिवत पारीत कारणों को रद कर देती है। क्या यह प्रजातंत्र प्रणाली के अनुकूल है।

प्रजातंत्र का अर्थ है वाद-विवाद तथा निर्णय। यदि विरोधी विचार धारा व्यक्त की जाती है तो उसका तात्पर्य प्रजातंत्र का विरोध नही है। यदि राज्यसभा किसी विधेयक को पास नहीं करती तो इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं है कि प्रजातंत्र प्रणालीका अभाव है। अतः मेरा विचार है कि राज्यों में विधान परिषदों और केन्द्र में राज्य सभा का अपना अपना योगदान है। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

Shri Yuvraj (Katihar): I rise to support the Resolution moved by Shri Ramji Lal Suman.

Article 168 of the Constitution of India provides the system of two Houses of Legislature. Under this constitutional provision certain states have created the second House, that is Legislative Councils.

Several hon. Members have stated that Upper House is a Super Institution. But this House cannot suggest any amendment in any Bill connected with financial matters. This House also cannot vote down the Finance Bill. It shows that the Upper House has no role to play in important business which is carried out by the Lower House.

It is surprisingly a fact that a socialist country like Swedan has accurately abolished second chamber. Shri Loknath Mishra was also against the provision of second chamber and he moved an amendment to this effect during the debate on draft constitution.

In most of the countries the system of second chamber has been abolished. Second chamber is quite useless and purposeless. It does not perform any important work. The only purpose it serves is that it provides maintenance to politically retired persons. I therefore, suggest that Legislature councils should be abolished in all the States.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं श्री सुमन के संकल्प का समर्थन करता हूं। दो सदनीय प्रणाली बहुत पुरानी प्रणाली है तथा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि राज्य सभा या विधान परिषदों ने कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मेरा विचार है कि हमारा देश एक गरीब देश है तथा यह ऐसा किसी भी प्रणाली को सदन नहीं कर सकता जिसपर भारी खर्च किया जाये तथा उसका कोई लाभ नहीं महात्मा गांधी

का भी यही विचार था। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे देश में राजनीतिक दलों के आधार का प्रजातंत्र प्रणाली कार्य करती है अतः कोई भी सदन हो उसका गठन राजनीतिक दलों के आधार पर होगा तथा उसी विचारधारा के अनुरूप कानून बन सकते हैं। इस बात को देखते हुये दूसरे सदन द्वारा कोई नियंत्रण रखने की बात समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरे सदन अर्थात् राज्य सभा या विधान परिषद का उपयोग केवल हारे हुये राजनीति नेताओं को स्थान देने के लिये ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनका अन्य कोई उपयोग नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि विधान परिषदों को समाप्त कर दिया जाये।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : In the modern era bicameral system of legislature is a superstitious approach in politics. At the time when the constitution of India was being framed Dr. Ambedkar was of the opinion that the question of having Legislative Councils should be left to be decided by the Parliament. The fact that Legislative Councils are only in some states shows that there is no utility of the second Chamber in the states.

Hon. Member Shri Algesan has placed an argument that second Chamber gives representation to various interests. But he should also know that only vested interests get representation in that House. Only those interested persons get representation therein who can manipulate.

Shri Algesan has also said that Lok Sabha may take hasty steps in legislating an statute resulting in hardships to the nation. But he should also realise the fact that to day the process of Legislation is so cumbersome that no Bill can be passed hurriedly. Secondly, in Parliamentary democracy party whip plays an important role and therefore, all the matters are decided in accordance with the approach of the political parties.

Even Gandhiji was against bicameral system of legislature. In his own words, "I am certainly not enamoured or I do not swear by two legislatures. I have no fear of a popular legislature running away with itself and hastily passing some laws of which afterwards it will have to repent." I would like to suggest that experts of the various fields should be sent to their respective fields and not in any political forums framed in the name of second Chamber.

सभापति महोदया : आधे घंटे का समय बढ़ाया गया था और अब वह समाप्त हो गया है।

श्री वसंत साठे : कृपया 15 मिनट का समय और दिया जाये।

सभापति महोदया : इस बारे म सभा ही कोई निर्णय कर सकती है। कई माननीय सदस्य बोलना चाहते है। श्री चन्द्राप्पन ने भी कहा है कि सी० पी० आई० को भी समय मिलना चाहिये।

श्री के० गोपाल (करूर) : मेरा एक सुझाव है। अगला संकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः कम से कम प्रस्ताव का उसे प्रस्तुत करने का समय अवश्य दिया जाये। यदि आवश्यक हो तो आप सदन का समय आधा घंटा बढ़ा सकते है।

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : Please give me some time.

सभापति महोदया : माननीय मंत्री महोदय ने अभी बोलना है। इसके बाद प्रस्तावक ने इसका जवाब देना है। लेकिन मेरे लिये इस सदन का समय एक घंटे तक बढ़ाना संभव नहीं है। लेकिन सदन के विचार को देखते हुए आधा घंटा बढ़ाना बेहतर होगा और यह छह बजे तक पुरा हो जाना चाहिए। क्या यह सभा सदन का आधे घंटे का समय बढ़ाने के लिये सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं भी अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहूंगा । मेरा संशोधन यह है कि मुझे इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये और ये दोनों संशोधन आगामी सत्र में रखे जायेंगे ।

सभापति महोदय : आपने इसे पहले भी उठाया था और यह अस्वीकार कर दिया गया था । अतः सदन का समय बर्बाद मत करें । यह उचित नहीं है । मेरे साथ सहयोग करें । मैं इसके बाद आपकी सुनूंगा ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मुख्य मुद्दा यह है कि द्वितीय सदन प्रमुख राज्यों के लिये बनाया गया था । हमारा देश मुख्य रुप से एक उपमहाद्वीप है । संविधान बनाते समय पूरे देश के लिए जो बहुत विशाल है, एक संविधान बनाया गया था । लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य खुद ही राष्ट है क्योंकि ये बहुत बडे राज्य है ।]

अब मुख्य आलोचना यह है कि द्वितीय सदन यद्यपि विशेष हितों के लिए है । यह इन विशेष हितों का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है, यदी इसमें कोई खाली हैं और यदि हम यह चाहते है ; कि कार्मिक संघों या पिछड़े वर्गों अथवा प्राथमिक शिक्षकों और अन्य हितों का इसमें प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो संशोधन के माध्यम से ऐसा कार्य किया जा सकता है । लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि चूंकि इसको कार्य प्रणाली में कहीं कुछ खामी रह गई है तो यह प्रणाली ही स्वयं में खराब है । अतः इस तर्क का कोई आधार नहीं हैं ।]

अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत राज्य विधान सभाओं को अधिकार दिया गया है कि वे विधान परिषदों को समाप्त कर सकती हैं । विधान सभा के सदस्य ऐसे राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते है । पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने यह काम पहले ही कर दिया है । अतः संविधान में संशोधन कर, जैसा कि यहां सुझाव दिया गया है, हमें विधान सभाओं के अधिकार पर क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए? अनुच्छेद 168 और 169 में संशोधन करके आप अपने हाथों में अधिकार लेना चाहते हैं जो कि बहुत अलोक तान्त्रिक है ।

जनता पार्टी के सदस्यों ने बहुत संकीर्ण विचारधारा अपना रखी है । ऐसा इसलिए कर रहे है क्योंकि लोक सभा में इनका बहुमत है । महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैस राज्यों में दूसरे सदन है । वे यह नहीं समझते कि ये विधान सभायें उन्हें सहयोग देंगी । अतः ये संविधान में संशोधन कर अधिकार अपने हाथों में लेना चाहते हैं । इसलिए इस संकल्प का विरोध करता हूँ ।

श्री बी० पी० मण्डल (मधेपुरा) : मेरे विचार से राज्यों में दूसरा सदन अत्यावश्यक है संविधान में दूसरे सदन को हटान की व्यवस्था है । अनुच्छेद 169 में हटाने की व्यवस्था की गई है । लेकिन यह व्यवस्था अत्यंत जटील है । वस्तुतः दूसरे सदन से कोई लाभ नहीं है । राज्यों के दूसरे सदन का कोई प्रतिनिधी स्वरुप नहीं है । यदि दूसरा सदन यू०एस०ए० की प्रणाली पर होता और राज्यों के निर्वाचकों के समर्थन से इसमे प्रतिनिधित्व होता तो वह अमरीका की सीनेट की तरह ही होता । लेकिन यहां इस प्रकार का कोई मामला नहीं है । अतः विधान परिषद बनाये

रखने की कोई जरुरत नही है । अत: अनुच्छेद 169 का ठीक तरह से संशोधन किया जाये । अत: मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे कुछ प्रगतिशील कदम उठायें ।

श्री साठे ने कहा है कि जनता पार्टी में होने के कारण हम इसे लाये हैं और आन्ध्र प्रदेश में हमारा कोई बहुमत नही है । लेकिन यह गैर-सरकारी सदस्य का प्रस्ताव है यह सरकार का दृष्टिकोण नहीं है । इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें दलीय भावनाओं से उपर उठना चाहिए । मैं विधी मंत्री से पुन: अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले पर उचित रुप से विचार करें और कम से कम राज्यों के दुसरे सदनों को हटाने के बारे मे कदम उठाये ।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडुर) : आप समय बढा रहे है लेकिन मेरे संकल्प के बारे में क्या हुआ ?

सभापति महोदय : ऐसा सदन की सहमति से हुआ है इसमे मैं क्या कर सकता हूँ । मैं जानता हूँ कि आपका संकल्प महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ ही आपको इस संकल्प की महत्ता जाननी चाहिए ।

श्री वेदव्रत बरुआ (कालियाभोर) : सभापति महोदय, यह एक अच्छी बात है कि राज्य सभा को समाप्त करने के प्रश्न पर चर्चा नही की जा रही, क्योंकि राज्य सभा को समाप्त करने के लिए वर्तमान संविधान के अन्तर्गत राज्य सभा में दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए । राज्यों मे विधान परिषदों को समाप्त करने के प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे विचार में, विधान परिषदे ज्यादा समय तक अस्तित्व में रह चुकी हैं। विश्व के कुछ देशों में संघात्मक राष्ट्रों में राज्यों में कहीं कहीं एक भी सदन नहीं है । दोनो सदनों में लगभग एक ही प्रकार की राजनतिक प्रक्रिया होती है ।

दूसरा सदन इस देश के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । हमें देश के दलित लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए जिनमें से साठ प्रतिशत गरीबी के स्तर से नीचे हैं । पार्टी के, अनुशासन में रहते हुए कोई भी संस्था युक्त रुप से अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं दे सकती । एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य व्यक्तियों का चुनाव हो सके ।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : If one looked into the Debates of Constituent Assembly he would find that some Members were totally opposed to the idea of having any legislative councils. That is why Shri Ambedkar had said that these were being provided for the time being and subsequently if the Government or Parliament so desired they could be done away with.

The arguments advanced in favour of retaining the Legislative Councils do not carry any weight. We should consider this resolution in an impartial manner. Not only Legislative councils be abolished, but Rajya Sabha and the post of Governor should also be abolished and the money thus saved should be spent on the betterment of the poor and the down-trodden people.

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : इस प्रस्ताव को लाने का जो भी उद्देश्य होगा, वह पूरा हो चुका है; क्योंकि अनेक प्रस्ताव चर्चा प्रारम्भ करने के लिए ही लाए जाते है और मेरे विचार मे वह उद्देश्य पूरा हो चुका है ।

[श्री शान्ति भूषण]

इस प्रकार के विषय पर मतैक्य न होना स्वाभाविक ही है और इस बारें में शुरु से ही भिन्न भिन्न मत रहे हें। संविधान सभा में चर्चा के दौरान भी मतविभिन्नता रही है।

उच्च सदन को समाप्त करने के लिए एक तर्क यह दिया गया कि चुनाव अलोकतान्त्रिक है। इस लिए चुने गए लोग भी अलोकतान्त्रिक होंगे। ऐसी बात नही है—वे अप्रत्यक्ष रुप से उन व्यक्ति द्वारा चुने जाते है जो स्वयं जनता द्वारा चुने गए हैं।

सभापती महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब हम आधा घंटे की चर्चा को लेंगे ।

सिन्थेटिक्स एण्ड केमीकल्स लि० बरेली द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए विज्ञापन

ADVERTISEMENTS GIVEN TO POLITICAL PARTIES BY SYNTHETIC AND CHEMICALS LTD., BAREILLY

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहापूर) : मै आपका अत्यधिक आभारी हूँ कि आपने मुझे सिन्थेटिक्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड नामक एक बड़े एकाधिकारी गृह की राष्ट्र विरोधी और जनता पार्टी विरोधी गतिविधियों का भण्डाफोड करने का अवसर मुझे दिया हैं। सारी एशिआ में यही एक मात्र सिन्थेटिक रबड़ संयत्र है जो यू०पी० डिस्टिलरो से सस्ती दरों पर प्राप्त औद्योगिक अलकोहल से कृत्रिम रबड़ का निर्माण करती है।

सबसे पहली और अत्यंत सनसनी खेज बात यह है कि इस कम्पनी ने जनता पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव में खर्चा करने के लिए 1977 के 4,40,000 रुपये के विज्ञापन तथा 35,000 रुपये अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी को दिये। इस कम्पनी ने किसी अन्य पार्टी को रुपया न देकर केवल कांग्रेस कों ही पैसा दिया इसका क्या कारण है वह केवल कम्पनी के प्रबन्धक ही जानते है। जनवरी 1977 में अंग्रेजी में गणतंत्र दिवस काँग्रेस के 27 संस्करणों के लिये 10,000 रुपये प्रति पृष्ट के हिसाब से इसने 2,70,000 रुपये के विज्ञापन दिये।

ग्राम प्रक्रिया यह है कि बड़े उद्योग विज्ञापनो का भुगतान विज्ञापनो के प्रकाशित होने और स्मरणिका अथवा पुस्तक की प्रतिया मिलने पर करते है। परन्तु यहा 1977 के चुनावों में जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के उत्साह में रुपया पेशगी दे दिया गया। विवाद का प्रश्न यह है कि कम्पनो कार्य विभाग ने विज्ञापनो की अनुमति क्यों कर दी। तथा 28,000 अंशधारियों के मूल्य पर राजनीतिक कार्य के लिए इतनी बड़ी राशी देने पर कम्पनी को कोई दण्ड क्यों नहीं दिया गया। इतने बड़े विज्ञापन देना इस कम्पनी के जनता पार्टी और उसक सहयोगीयों के प्रति रवैयेका पता चलता है।

सरकार पूरे मामले की जाँच करे और कम्पनी के बोर्ड में दो सरकारी सदस्य रखने की व्यवस्था करें जिससे इसकी गतिविधियों पर पूरी तरह से आख रखी जा सके।

***आधा घण्टे की चर्चा ।**

*Half-an Hour Discussion.

मेरे पास कम्पनी के कई और घोटालें भी हैं। यदि सरकार इन सबकी जाँच कर ले तो मैं बता सकता हूं।

इस कम्पनी में सरकारी संस्थाओं के 86,58,250 रुपये के अंश हैं। जब कि कम्पनी का प्रबन्ध इतना खराब है और वह इतनी अवैध गतिविधियों में लगी है तब दो सरकारी निदेशको और दो सरकारी वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के बिना इसे ऋण नही दिया जाना चाहिए, जिससे इसकी गतिविधीयों पर निगाह रखी जा सके। कम्पनी के सभी कागजों को हस्तगत कर उनकी उचित जाँच करायी जाये।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : The hon. Member has drawn the attention of the August House to Mundhra and Pondicherry Scandals. The matter should be looked into atleast by CBI.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह सिन्थेटिक केमिकल फर्म न्यनाटिक कालिचन्द के परिवार की फर्म है और इसे एक व्यापार के फर्म न कहकर डाकुओं की फर्म कहना चाहिए। तथा इसका मुख्यालय बरेली की बजाय चम्बल घाटी में होना चाहिए। लोक लेखा समिति के 172 वे प्रतिवेदन में बताया गया है "कि इस कंपनी को 102.94 करोड़ पर सीमाशुल्क की छूट दी गई तथा 88.20 लाख रुपये की राशि की विदेशी मुद्रा भी आयात के लिय इसकी आबंटित की गई परन्तु बड़े आश्चर्य कि बात है की 75 अविलम्ब आधार पर आयात किय जाने के बाद भी इस कंपनी में 18 महीने तक आयातित सामग्री के कांडला पत्तन से नहीं उठाई और कि बाद में उसके पुन: निर्यात अथवा किन्ही अन्य उत्पादनों में उसका इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने सामग्री न उठाये जाने का कारण वेगनों की कमी बताया जबकि रेलवे बोर्ड ने बताया कि वेगनों के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया गया। इस तरह आयातित अल्कोहोल का उपयोग किसी अन्य उद्योग के लिये किया गया।"

ये लोग वस्तुत: किसी को भी खरीद सकते थे। भुतपूर्व प्रधान मंत्री ने आई० सी० आई० तथा कालिचन्द को एक दो बार में 234 करोड़ रुपये की सीमाशुल्क की छूट दी थी।

साक्ष्य के दौरान एक रोचक बात यह भी सामने आई कि 14-8-1972 को श्री बी० एन० टण्डन के कमरे में हुई बैठक में हुई कार्यवाही का रिकार्ड ही नहीं रखा गया। 234 करोड़ रुपये के मूल्य की यह छूट श्रीमती इंदिरा गाधी ने दी थी तथा इसमें उन्होंने 3 करोड़ रुपये कमाये थे।

सभापति महोदय, राजनैतिक दलों को खरीद लेने या रिश्वत देने का सब से तरीका आज कल उन्हें प्रकाशित होनेवाली अथवा काल्पनिक स्मारकाओं के लिये विज्ञापन देने का है। अब पता चला है कि जिन स्मारिकाओं के लिये उन्होंने जो 70 करोड़ रुपये की विज्ञापन राशि एकत्रित की थी वे कभी छपी ही नही। यह एक गंभीर अपराध है। मैं इस संदर्भ में मंत्री महोदय से एक ऐसा आश्वासन चाहूंगा। वह इस भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय सोंचें वह राजनैतिक दलों द्वारा नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्व वाले प्रकाशनों को विज्ञापन देने पर प्रतिबंध लगाये।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : इस आधे घण्टे की चर्चा से देश के राजनैतिक क्षेत्र में विशेषकर भूतपूर्व सत्तारूढ दल की राजनीति में इतने व्यापक भ्रष्टाचार की पोल खुली है

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

और पाया गया है कि राजनैतिक दल ऐसा कैसा गन्दा तथा खतरनाक खेल खेलते हैं आदि के कारण राजनैतिक दलों की साख और स्वीकार्यता लौगों की नजरों में गिर जाती है ।

मंत्री महोदय ने दो मई को जो उत्तर दिया था वह स्पष्ट नहीं था । गणतंत्र दिवस के 11 संस्करणों का क्या अर्थ है । क्या यह कांग्रेसी प्रकाशन मासिक था अथवा कि ग्यारह अलग अलग प्रकाशन छपे थे या फिर एक ही संस्करण की ग्यारह प्रतियां थी जिन के लिये दस हजार रुपये प्रति पृष्ठ लिया गया था । मंत्री महोदय तत्संबंधी अपने वक्तव्य को संसद में स्पष्ट करके बतायें ।

विधि मंत्री ने कहा है कि उन पत्रिकाओं की कोई प्रति सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। मैं मानता हूं कि यह सरकारी दस्तावेज नहो है परन्तु क्या मंत्रालय ने उन प्रकाशनों को पढ़ा है तथा क्या यह निश्चय किया है कि उक्त प्रकाशन छपे भी थे अथवा नहीं ? क्या उन्होंने ये प्रकाशन देखे है ? बेशक वह इन प्रकाशनों को सभा पटल पर न रखे परन्तु वह इतना तो अवश्य बतायें कि उन्होंने ये प्रकाशन देखे है अथवा नहीं । क्या इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा पूरी जांच कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त क्या जनता सरकार ऐसे कानूनी उपाय करने जा रही हैं। जिनसे कि ऐसी बातें भविष्य में न हो सके? निश्चय ही यह कंपनी, जिसके बारे में यह चर्चा चल रही है दोषी पाई गई है। परन्तु यदि भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा अन्य प्रशासक ऐसा करते चले गये तो सभा को यह जानने का आधिकार है कि क्या इस समूचे मामले का भण्डाफोड किया जायेगा ?

दूसरे, वर्तमान कानूनी के अनुसार जनता सरकार इन अपराधों के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है क्या सरकार कम्पनी कानूनों में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही हैं। ताकि दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जा सके ?

अन्त में मैं विधी मंत्री से यह आश्वासन भी चाहूंगा कि वर्तमान सरकार अपने दल के लिये चन्दे एकत्रित करने हेतु ऐसे गन्दे रास्ते पर नहीं जायेगी ।

मंत्री महोदय से मुझे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाने की आशा है ।

विधी, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शांती भूषण) : नियम 55 के अधीन यह आधे घण्टे चर्चा लोक महत्व के प्रश्न पर अथवा किसी ऐसे विषय पर स्पष्टीकरण लेने के लिये उठाई नहीं है जिसका उत्तर पहले दिया जा चुका है । श्री सुरेन्द्र विक्रम द्वारा उठाई गई यह चर्चा को 2 मई, 1978 को एक तारांकित प्रश्न संख्या 944 के उत्तर से पैदा हुए कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण के लिय है । मुझे प्रसन्नता है कि ये मुद्दे उठाये गये है ।

अब जहां तक इस प्रश्न का संबंध है स्थिति यह थी कि इस कम्पनी ने 1977 में अर्थात् चुनावो के पहले एक राजनैतिक दल को आखिल भारतीय कांग्रेस को विभिन्न स्मारिकाओं में विज्ञापनों के लिये 4,75,000 रुपय अदा किये थे । कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन स्मारीकाओं की प्रतियां जिनमें 4,40,000 रुपयों के मूल्य के विज्ञापन प्रकाशित हुये थे उन्हें प्राप्त हो गई हैं किन्तु उन स्मारीकाओं को प्रतियां उन्हें नहीं मिली हैं । जिनमें शेष 35,000 रुपयों

के मूल्य के विज्ञापन प्रकाशित हुये है। उनका कहना है कि इस कुल राशि का भुगतान अलग अलग न करके एक साथ किया गया था। जिन स्मारीकाओं की प्रतियां उन्हें प्राप्त नहीं हुई हैं उनके बारे में बताया गया है कि उन्हें काँग्रेस पार्टी ने एक पत्र लिखा था जिनमें कहा गया था कि उनके दिल्ली स्थित कार्यालय सील कर दिये गये हैं। इसलिये शेष स्मारिकाओं की प्रतिया नहीं भेजी जा सकी।

जहाँ तक उस प्रश्न का सम्बन्ध है कि इन स्मारिकायें क्यों प्रकाशित गई, ऐसा करने का कारण यह था कि प्रत्येक राज्य द्वारा अपनी पृथक् स्मारीका प्रकाशित की गई तथा इस कम्पनी ने सभी स्मारीकाओं के लिये विज्ञापन दिया। प्रत्येक विज्ञापन के लिये 10,000 रुपये के मूल्य का विज्ञापन दिया। इस प्रकार कुल राशि 2,70,000 रुपये हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने हिन्दी में और कुछ राज्यों ने अपनी भाषाओं में स्मारिकाएं प्रकाशित जिन के लिये 10 हजार और 6000 रुपयों के मूल्य के विज्ञापन दिये गये। इस मामले की जांच की जा रही है। चूंकि विज्ञापन देने वाली कम्पनी को स्मारिका की एक प्रति दी जाती है और कोई भी कम्पनी उस प्रति को किसी को देना नहीं चाहती। अतः उन प्रतियों को सभा-पटल पर रखना सम्भव नहीं हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस प्रकार की कुछ प्रतिया अन्त स्रोतों से प्राप्त कर ली हैं। अतः यह तो नहीं माना जा सकता कि स्मारीकाएं प्रकाशित नहीं हुई तथा यह सब गोलमाल था।

मैंने उस सम्बन्ध में पहले भी एक बार सदन को बताया था कि कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों की स्मारिकाओं आदि के लिये विज्ञापन देने का मामला कानूनी तौर पर अत्यंन्त विवादास्पद हैं। राजनीतिक दलों की स्मारीकाओं इस प्रकार विज्ञापन देना कम्पनी अधिनियम की धारा 239क के अन्तर्गत अपराध हैं। किन्तु इस मामले में कुछ कम्पनियों ने विरोध किया तथा कुछ प्रसिद्ध विधिशास्त्रियों की इस राय का सहारा लिया कि प्रत्येक मामले में ऐसा करना अपराध नहीं हो सकता। यह देखना होगा कि विज्ञान की दर क्या है तथा उस पत्रिका का सर्कुलेशन कितना हैं। सरकार ने इस बात की जांच करने के लिये कि विभिन्न कम्पानयों ने इस प्रकार राजनीतिक दलों को कितने विज्ञापन दिये है एक परीपत्र जारी किया था। उस परीपत्र के अनुसरण में सरकार को जो जानकारी प्राप्त हुई उससे स्पष्ट विदित हुआ कि हजार कम्पनियों ने उस प्रकार के विज्ञापन दिये हैं। इसके आधार पर हमन सम्पुर्ण मामला केन्द्रीय जांच ब्युरों को सोप दिया तथा उससे कहां कि इस बात का पता लगाया जाय कि ऐसे विज्ञापनों को दरे उचित थी या अनुचित थी। यदि विज्ञापनों की दरे बाजार मूल्य के बराबर या उसके आस पास है तो यह कहना कठिण है कि उससे धारा 239 क का उल्लंघन होता है। किन्तु यदि विज्ञापन की दरे असंगत है तो वह निश्चित ही दान या चंदा के समान है तथा उससे इस धारा का उल्लंघन होता है। उस बार में अभी कन्द्रीय जांच ब्युरो तथ्यों का पता लगा रहा है। केन्द्रीय जांच ब्युरों ने बताया है कि इस मामलें में काफी समय लगेगा तथा उन्होंनें अनुरोध किया है जिस मामलें की जांच केंन्द्रीय जांच ब्युरों द्वारा की जा रही है उसकी जांच किसी अन्य एजेंसी से नहीं कराई जानी चाहीयें क्योंकि उससे उनकें कार्य में बाधा पडती है।

जहां तक कंपनी अधिनियम के पुनरिक्षण का प्रश्न है सदन को ज्ञात है कि कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के बार में सच्चर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस समय कितनी कंपनियों के विरुध्द मुकदमा चलाने का विचार किया जा रहा है ।

श्री शांती भूषण : जांच कार्य पुरा होने से पहले इस बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है । (**व्यवधान**) जब तक साक्ष प्राप्त नही होते तब तक मुकदमा चलाना मरे लिये सम्भव नही है । श्री सुरन्द्र विक्रम ने एक कम्पनी द्वारा की गयी जालसाजी का उल्लेख किया है । इस सम्बध में सदन को बताना चाहता हूँ कि कम्पनी अधिनियम की धारा 237 ख के अधीन इन्स्पेक्टर की नियुक्ती करा दी गयी है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ठ जानकारी हैं तो हम उसका लाभ उठायेंगे । केवल जालसाजी कहने से कोई लाभ नही होता ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : मेरे पास जो सामग्री है मैं उसे मंत्री महोदय को दे सकता हूं इन्स्पेक्टर को नही दूंगा ।

श्री शांती भूषण : मेरा आशय भी यही है । आप उसे कम्पनी कार्य विभागकोसौंप दें ।

उसके पश्चात लोकसभा सोमवार 15 मई, 1978/25 वैशाख, 1900 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, May 15, 1978 Vaisakha, 25, 1900 (Saka).

भा. स. मु. ना.- -वि 6—154 एल. एस. एस. (एन. डी.)/78—25-8-78—210